Preservation Unit 12-8-87
Fumigated On 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

4th Lok Sabha Debates

बारहवां सत्र

Twelfth Session

31.3.71

सत्यमेव जयते

खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं

Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   *Price : One Rupee*

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—16, बुधवार, 2 दिसम्बर, 1970/11 अग्रहायण, 1892 (शक)

No.—16, Wednesday, December 2, 1970/Agrahayana 11, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
451. बिजली के उपयोग तथा उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करना	Fixation of Consumption and Production Targets of Electricity	1
452. भारत नेपाल व्यापार वार्ता	Indo-Nepal Trade Talks	4—5
453. पश्चिम बंगाल को मोटर-गाड़ियों, फायर आर्म्स तथा वायरलैस गाड़ियों की सप्लाई	Supply of Vehicles, Fire Arms and Wireless Vans to West Bengal	8
455. चण्डीगढ़ पर सरकारी निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement made by the Minister of State for Home Affairs Re: Implementation of the decision of Government on Chandigarh	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
421. कलकत्ता में वायु के दूषित होने की समस्या	Air Pollution Problem in Calcutta	17—18
422. श्रीलंका से भारत मूलक लोगों को स्वदेश वापस लाना	Repatriation of persons of Indian origin from Ceylon	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्रा० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
423.	झुग्गियों के निवासियों को दिल्ली में बहुमंजिले मकानों में बसाना	Settlement of Jhuggi Dwellers in Multi-storeyed Tenements in Delhi	19
424.	उर्वरक उत्पादन में कमी	Fall in Fertilizer Production	19—20
425.	संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रवेश	Admission of China in United Nations	20
426.	भारत-नेपाल सम्बन्ध	Indo-Nepal Relations	20—21
427.	भारत-बर्मा सीमा पर सशस्त्र बर्मी नागाओं की गतिविधियां	Activities of Armed Burmese Nagas on Indo-Burma Border	21
428.	राजस्थान में पन्ने के निक्षेप	Location of Emerald Belt in Rajastan	21—22
429.	गोरखपुर के निकट एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना	Crash of an Aircraft near Gorakhpur	22
430.	पाकिस्तान का सैन्य बल	Strength of Pakistan Army	22
431.	दिल्ली के अस्पतालों में कुशल नर्सों की अत्यधिक कमी	Acute Shortage of Skilled Nurses in Delhi Hospitals	23
432.	अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक कर्मचारी की राजनयिक पद पर नियुक्ति	An Employee of A. I. C. C. Appointed on a Diplomatic Post	23—24
433.	देश में चिकित्सा सेवा के स्तर में सुधार	Improvement of Standard of Medical Service in the Country	24
434.	देश में 'डेंगू' ज्वर	'Dengue' Fever in the Country	24—25
435.	भारत-लंका समझौते की शीघ्र क्रियान्विति के लिये नई प्रक्रिया	New Procedure Evolved for Speedy Implementation of Indo-Ceylon Pact	25
436.	देश में क्षय रोग नाशक औषधियों का उत्पादन	Production of Anti-T. B. drugs in the Country	26—27
437.	चित्तरंजन कैंसर अस्पताल के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को केंद्रीय अनुदान	Central Grant to West Bengal for Development of Chittaranjan Cancer Hospital	27
438.	विदेशों को हल्के शास्त्रास्त्रों का निर्यात	Export of Light Arms to Foreign Countries	27—28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
43०.	देश में संक्रामक रोगों का उन्मूलन	Eradication of Communicable Disease in the Country	28
440.	भारत के क्रिश्चियन समुदाय द्वारा परिवार नियोजन उपायों का कार्यान्वियन	Implementation of Family Planning measures by the Christian Community of India	28—29
441.	गैर-सरकारी क्षेत्र में परिवार नियोजन संस्थान की स्थापना	Setting up of a Family Planning Foundation in Private Sector	29
442.	नेपाल को सहायता	Aid to Nepal	29—30
443.	देश में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना	Long term Plan for Development of Petro-Chemical Complex in the Country	30—31
444.	अंधों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन में हानि	Loss of Production due to High Incidence of Blindness	31—32
445.	नेहरू-कोटलावाला संधि की व्याख्या	Interpretation of the Nehru-Kotelawala Pact	32
446.	संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति से प्रधान मंत्री की बातचीत	Prime Minister's Talks with UAR President	32—33
447.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा वसूल की गई निर्माण लागत	Construction Cost Charged by National Buildings Construction Corporation	33
448.	खान वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Mining Finance Corporation	33
449.	प्रतिरक्षा संस्थानों के नैमित्तिक कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान	Payment of Interim Relief to Casual Employees of Defence Establishments	34
450.	आयरलैंड में भारतीय दूतावास के कार्य के बारे में शिकायतें	Complaints about Working of Indian Embassy in Ireland	34
454.	ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत को दी जा रही टैरिफ संबंधी रियायतों को समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to discontinue Tariff Preferences Extended to India by British Government	34—35

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
456.	फ्रांस के वस्त्र प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा	Visit by French Textile Delegation to India	35
457.	पश्चिम बंगाल में की गई हत्याओं में पुलिस कर्मचारियों के हाथ होने का सन्देह	Policemen Suspected of having Complicity in Murders in West Bengal	35
458.	पश्चिम बंगाल प्रशासन में परिवर्तन	Changes in West Bengal Administration	36
459.	विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों का दौरा	Visit by Foreign Trade Delegations	36
460.	पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा नष्ट की गई सरकारी सम्पत्ति	Goxernment Property Destroyed by Naxalites in West Bengal	36
461.	केरल में रबड़ उगाने वालों को दिया गया रबड़ का कम मूल्य	Low Price given to Rubber Growers in Kerala	36—37
462.	उत्तरी बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना	Installation of Thermal Power project in North Bengal	37—38
463.	राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण में सुधार	Improvement in working of State Trading Corporation	38
464.	विकसित देशों को वरीयता देने की योजना	Scheme of Preferences by developed Countries	38
465.	वर्ष 1970-71 के लिए रूई सम्बन्धी नीति	Cotton Policy for 1970-71	38—39
466.	राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कारों की बिक्री	Disposal of Imported Cars by S. T. C.	39
467.	बिहार में बांधों से लाभ	Benefits from Dams in Bihar	39—40
468.	पश्चिम बंगाल में डिघा नामक स्थान पर समुद्री तट का कटाव	Erosion of Sea-Beach at Digha in West Bengal	40

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
469.	इड्डिकी परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब के कारण सदर्न ग्रिड में विद्युत का अभाव	Power Famine in Southern Grid due to Delay in Execution of Iddikki Project	40—41
470.	काजू के निर्यात में कमी	Decline in Cashewnuts Exports	41
471.	उत्तरी क्षेत्र में बिजली का अभाव	Power Shortage in Norther Region	41
472.	दिल्ली की भावी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् तथा महापौर से विचार-विमर्श	Talks with Chief Executive Conncillor and Mayor of Delhi on Future Set-up of Delhi	42—43
473.	श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच के लिए नियुक्त आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission Appointed to Enquire into the Death of Shri Deen Dayal Upadhaya	43
474.	साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निबटारे के लिये केन्द्रीय कानून	Central Legislation to Expedite Trial of Cases arising from Communal disturbances	43—44
475.	मूंगफली के व्यापार को सरकार द्वारा ले लिया जाना	State Trading in Groundnuts	44
476.	नक्सलवादी नेताओं की गिरफ्तारी	Arrest of Naxalite Leaders	44
477.	मोडेला वूलन मिल्स लिमिटेड द्वारा कथित कदाचार	Alleged Malpractices by Modela Wollen Mills Ltd.	44—45
478.	पश्चिम बंगाल में पानी से घिरे क्षेत्रों के लोगों को बचाने के कार्य में सैनिक कर्मचारियों का लगाया जाना	Deployment of Military Personnel to Rescue people from Water-logged Areas in West Bengal	45
479.	मध्य प्रदेश के डाकुओं द्वारा आत्मसमर्पण की पेशकश	Offer by Madhya Pradesh Dacoits to Surrender themselves	45—46

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject		पृष्ठ Pages
48?.	भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों की मान्यता रद्द किये जाने के विरुद्ध विश्व न्यायालय में अपील	Appeal in World Court against Derecognition of Rulers of former Indian States	4

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

2765.	सरकारी क्षेत्र के संश्लिष्ट औषध कारखानों में कुल पूंजी निवेश	Total Investment made in Public Sector Synthetic Drugs Plants	46—47
2766.	नेबेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई हानि	Loss incurred by Neyveli Lignite Corporation	47—48
2767.	अमेरिका द्वारा चटगांव में वायुसेना अड्डे का निर्माण	Building of an Air Base in Chittagong by U. S. A.	48
2768.	जयपुर स्थित कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिये यातायात सुविधायें	Transport Facilities to Employees of Canteen Stores Department, Jaipur	48—49
2769.	कटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के नये जनरल मैनेजर की नियुक्ति	Appointment of a New General Manager of Canteen Stores Department (India)	49—50
2770.	पन्ना हीरा खानों से निकाले गये हीरे तथा उनके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	Diamonds Extracted from Panna Diamond Mines and Foreign Exchanges Earned from Export thereof	50
2771.	भारत सरकार के मुद्रणालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ओवरसियरों के पद	Posts of Overseers in the Government of India Presses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	50—51
2772.	भारत सरकार के मुद्रणालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ओवरसियरों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes Overseers in Government of India Presses	51—52
2773.	दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों के लिये बढ़ी हुई कीमत पर भूमि	Enhanced Price of Land for Cooperative House Building Societies in Delhi	52—53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2774.	पीतमपुरा-शाबरपुरा में अधिग्रहण की गई भूमि के लिए भू-स्वामियों को अदा किया गया मुआवजा	Compensation Paid to Land Owners in Pitampura-Shahurpura area for Acquisition of Land	53—54
2775.	कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) द्वारा शराब का क्रय	Purchase of Alcoholic Liquor by C. S. D. (I)	54
2776.	उत्पादन शुल्क की अवरुद्ध राशि	Money Blocked in Excise duty	54
2777.	कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) में पदोन्नतियां	Promotions in Canteen Stores Department (India)	54—55
2778.	कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) के कर्मचारी संघ तथा महाप्रबन्धक के बीच वार्ता	Discussions between General Manager and Staff Association of C. S. D. (I)	55—56
2779.	पाकिस्तान की स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना की शक्ति	Strength of Pakistan's Army, Navy and Air Force	56
2780.	रम की सप्लाई	Supply of Rum	56
2781.	आक्सफोर्ड अकाल सहायता संगठन से सहायता	Aid from Oxford Pamine Relief Organisation (OXFAM)	56—57
2782.	पश्चिम एशिया के लिये अमेरिका का शान्ति प्रस्ताव	U. S. Peace Proposal for West Asia	57
2783.	इन्दौर शहर के लिये नर्मदा जल की सप्लाई	Supply of Narmada Water to Indore	57
2784.	श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों के अधीन आवास की व्यवस्था	Provision of Accommodation under Gadgil Assurances	57—58
2785.	शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Fixation of Highest Limit for Ceiling on Urban Property	58
2786.	राष्ट्रपति के दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Tours undertaken by the President of India	58—59
2787.	हिमालय की संरचना संबंधी समस्याओं का सर्वेक्षण	Survey of Himalayan Structural Problems	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2788.	पश्चिम बंगाल में मनोरंजन कर और चुंगी का विनयोग	Appropriation of Octroi Duty and Entertainment Tax in West Bengal	59—60
2789.	परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगे संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये चल निधि की व्यवस्था	Revolving Fund for Financial Aid to Organisations Engaged in Family Programme	60—61
2790.	बिड़ला बन्धुओं का गोआ उर्वरक कारखाना तथा टाटा बन्धुओं का मीठापुर फरटीलाईजर प्लांट के लिए उन कम्पनियों के नाम जिन्हें लाइसेंस दिया गया	Names of Companies Granted Licences for Mithapur Fertilizer Plant of Tatas and Goa Fertilizer Plant of Birlas	61—62
2791.	बर्मा शैल, काल्टैक्स और एस्सो, तेल कम्पनियों में विदेशी तथा भारतीय पूंजी	Foreign and Indian Capital in Burmah Shell, Caltex and Esso Oil Companies	62
2792.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा स्थापित किये गये पैंट्रोल पम्प	Petrol Pumps set up by Foreign Oil Companies	62—63
2793.	नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के कारखानों की स्थापना में विलम्ब	Delay in Setting up of Nitrogenous Fertilizers Plants	63
2794.	प्रधान मन्त्री की अमेरिका के विदेश-सचिव से भेंट	P. M's Meeting with U. S. Foreign Secretary	63—64
2795.	कच्चातीवू द्वीपसमूह	Kachchativu Island Dispute	64
2796.	अन्दमान का दौरा करने के लिये भारतीय नागरिकों को पारपत्रों की आवश्यकता	Indian Citizens Require Passports for Visiting Andamans	64
2797.	जल संभरण तथा मल निस्सारण उपक्रम ओखला, नई दिल्ली के गैस संयंत्र में विस्फोट	Expansion of Gas Plant of Water Supply and Sewage disposal undertaking, Okhla, New Delhi	65
2798	संयुक्त राष्ट्र जयन्ती अधिवेशन हेतु प्रधान मन्त्री के दल का चयन	Selection of Prime Minister's Team for U. N. Silver Jubilee Session	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2799.	दिल्ली, नई दिल्ली को सुन्दर बनाने पर व्यय	Expenditure on Beautification of Delhi and New Delhi	65—67
2800.	सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक का पुनर्निर्माण	Rebuilding of I. N. A. Memorial Monument of Singapore	67
2801.	सशस्त्र नागाओं द्वारा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर अध्यापकों के एक पर्यटक दल को लूटा जाना	Excursion Party of Teachers Looted by Armed Nagas on National Highway No. 39	67—68
2802.	लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली से नरकंकालों का गायब होना	Set of Human Bones Missing for Lady Hardinge Hospital, New Delhi	68
2803.	जापानी इस्पात कारखाने द्वारा सिंगरेनी कोयला खानों के निकट कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना	Setting up a Pig-Iron Plant near Singareni Colleries by Japanese Steel Factory	68
2804.	प्रधान मन्त्री कोष से गढ़वाल के एक वैद्य को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to a Vaidya of Garhwal out of Prime Minister's Fund	68—69
2805.	देश में बेरोजगार दन्त चिकित्सक	Unemployed Dentists in the Country	69
2807.	मेडिकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना	English as Medium of Instructing in Medical Colleges	70
2808.	इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा विदेशों को भेजे जा रहे इन्जीनियर	Engineers being sent abroad by Engineers India, Ltd.	70—71
2809.	सुधार न्यास के अधीन मकानों का निर्माण करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्रीय सहायता	Central Aid to U. P. Government for Construction of House under Improvement Trust	71
2810.	जवाहर-ज्योति पर खर्च	Expenditure on Jawahar Jyoti	71—72
2811.	फ्यूचरिस्टिक फाइटिंग व्हीकल	Futurisitic Fighting Vehicle	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2812.	नागरिक सुविधाओं और विकास के मामले में दिल्ली की सरकारी बस्तियों की स्थिति उनके आस-पास के दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों की अपेक्षा खराब होना	Government Colonies in Delhi Lagging behind the Adjoining D. M. C. and NDMC areas in Respect of Civic Amenities and Development	72—73
2813.	वैदेशिक कार्य मंत्री की टर्की तथा अन्य अरब देशों की यात्रा	Minister of External Afiair's Visit to Turkey and other Arab Countries	74
2814.	राजधानी के पुनर्विकास के लिए विशेष सैल	Special Cell for Re-development of the Capital	74
2815.	हैली कोप्टरों के निर्माण में आत्म निर्भरता	Self-sufficiency in Manufacturing of Helicopters	75
2816.	परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर, राज्यवार व्यय	State-wise Expenditure on Family Planning Programme	75—76
2817.	बिहार राज्य में खान मालिकों के नाम स्वामित्व की बकाया राशि	Outstanding Amount of Royalty against Mines owners in Bihar	76
2818.	संयुक्त राज्य सूचना सेवा के प्रकाशन "यूनाइटिड नेशन्स एट टुवंटी" में भारत के क्षेत्र से जम्मू तथा काश्मीर का निकाला जाना	Exclusion of Jammu and Kashmir from area of India in U. S. I. S. Publication "United Nation at 20"	76
2819.	कैन्सर के भारत में रोगी	Persons Suffering from Cancer in India	76—77
2820.	काश्मीर के मामले में इजराइल द्वारा भारत का समर्थन	Israel Support to India on Kashmir	77
2821.	एच० एस०-748 विमान से भिन्न विमान का निर्माण	Manufacture of Aircraft other than HS—748	77—78
2822.	शस्त्रास्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पूना में सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों तथा कम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का विकास	Development of Supersonic Fighters and Short Range Guided Missiles at Institute of Armament Technology, Poona	78

अ॰ता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2823.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से गृह निर्माण के लिये ऋण देते समय ऋण मुक्त होने का प्रमाण पत्र लेना	Non-Encumberance Certificate from Central Government Employees for House Building Loans	78—79
2824.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के डाक्टरों द्वारा औषधियों की पर्चियां देने में समय नष्ट करना	Time wasted by Doctors of C. G H S. Dispensaries in Writing Chits of Drug	79
2825.	हिमाचल प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप	Deposits of Lime-stone in Himachal Pradesh	79—80
2826.	सितम्बर तथा अक्तूबर, 1970 में पाकिस्तान द्वारा किया गया वायु सीमा का अतिक्रमण	Air Space Violations by Pakistan during the Months of September and October, 1970	80
2827.	दिल्ली के मलकागंज और नबी करीम क्षेत्रों के झुग्गी-वालों को पक्के फ्लैटों का आवटन	Allotment of Pucca Flats to Jhugiwalas of Malkaganj and Nabikarim areas of Delhi	81
2828.	गुलाबी बाग और अन्धा मुगल, दिल्ली में नागरिक सुविधायें	Civic Amenities in Gulabi Bagh and Andha Mughal, Delhi	81—82
2829.	विदेशी तेल कम्पनियों पर नियंत्रण	Control over Foreign Oil Companies	82
2830.	अधिक से अधिक लोगों के आवास के लिए राज्यों में नगरों में तथा कस्बों का विकास	Development of Cities and Towns in States to Accommodate more People	82—83
3831.	शस्त्रास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता	Self-sufficiency in Arms Production	83
2832.	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा गत तीन वर्षों में किया गया सर्वेक्षण	Surveys by Geogical Survey of India during last three years	83—84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2833.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा पत्रकारों के लिये विभिन्न समन्वेषण स्थानों की यात्राएं आयोजित करना	Tours of Newsmen Organised by National Mineral Development Corporation to various Exploration Sites	84
2834.	बम्बई के निकट रूसी जौंड-8 का पृथवी पर उतरना	Landing of Russian Zond-8 near Bombay	84—85
2835.	श्री बी० पी० कोइराला को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करना	Issue of Identity Certificate to Shri B. P. Koirala	85
2836.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण कार्य	Construction of Houses in Urban and Rural Areas during the Fourth Five Year Plan	85—87
2837.	केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सलाहकार समिति की सदस्यता से इन्कार	Refusal of Membership of C. G. H. S. Advisory Committee to C. P. W. D. Workers' Union	87
2838.	कुछ विशिष्ट क्षेत्रों अथवा जोनों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन	Allotment of Government Accommodation to Central Government Employees working in Certain Specified Areas Zones	87—88
2839.	भारत में जन्म दर रोकने के लिये विदेशी विशेषज्ञों को सहायता	Help of Foreign Experts to Check Birth Rate in India	88
2840.	'मावलंकर हाल', नई दिल्ली	Mavalankar Auditorium, New Delhi	88—89
2841.	उच्च शक्ति प्राप्त यमुना तट विकास बोर्ड की स्थापना	Setting up of High Power Yamuna Bank Development Board	89—90
2842.	स्थानीय निकायों को अनुदान देने के सबंध में कराधान जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations of Taxation Enquiry Committee regarding Grants to Local Bodies	90
2843.	नगरपालिकाओं के कार्य संचालन के सम्बन्ध में कराधान जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Taxation Inquiry Committee regarding Functioning of Municipalities	90—91

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2844.	प्रसोजन विमान, विमानों के इंजन, सहायक मशीन तथा कलपुर्जे बनाने के लिये मध्य प्रदेश में एक कारखाने की स्थापना	Setting up a Factory for Manufacture of Precision Aircraft Aero Engine Accessories and Components in Madhya Pradesh	91
2845.	नौसेना में असैनिक तकनीकी पर्यवेक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के नए नियमों का लागू किया जाना	Introduction of new Recruitment and promotion Rules for Civilian Technical Supervisors in Navy	91—92
2846.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय संख्या 6, शक्ति नगर, दिल्ली के कार्य की स्थिति	Working Condition of C. G. H. S. Dispensary No. 6 Shakti Nagar, Delhi	92—93
2847.	भूतान को सहायता	Aid to Bhutan	93
2848.	वायुसेना में विभिन्न किस्म के विमानों की संख्या	Number of various types of Aircraft in the Air Force	93—94
2849.	भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा नेफा में किया गया सर्वेक्षण	Survey Conducted by Geological Survey of India in NEFA	94
2850.	पश्चिम बंगाल के साथ भारत-पाक सीमा का निर्धारण करना	Demarcation of Indo-Pak Border along West Bengal	94—95
2851.	मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में रुकावट	Set-back to Malaria Eradiction	95
2852.	दिल्ली में वृहत योजना	Master Plan of Delhi	96
2853.	गन्दी बस्तियां हटाओ कार्यक्रम के लिये दिखाई नई अनुसूचित जातियों की बस्तियां	Rehabilitation of persons belonging to Scheduled Caste in areas shown for Slum Clearing Operations	96—97
2854.	दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद	Reservation of Vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Delhi Development Authority	97
2855.	पाकिस्तान में हिन्दुओं के मन्दिरों का कथित विनाश	Alleged Destruction of Hindu Temples in Pakistan	97—98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2856.	भारत को विदेशों में बदनाम करने हेतु पाकिस्तान का कथित प्रचार	Alleged Pak Propaganda Vilifying India Abroad	98
2857.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में आवास सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Housing Facilities in Maharashtra during Fourth Five Year Plan	98—99
2858.	चौथी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में पेय जल की सुविधा की व्यवस्था	Provision of Drinking Water Facilities in Maharashtra during Fourth Five Year Plan	99—100
2859.	दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति भेदभाव के रवैये में परिवर्तन	Change in Attitude of Discrimination Against Indians in South Africa	100
2860.	विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़	Clashes with Rebel Nagas	100—101
2861.	राजधानी में सफाई की स्थिति	Sanitary Conditions in the Capital	101
2862.	काठमांडू में चीन तथा भारत के राजदूतों की बैठक	Indian and Chinese Ambassadors Meet at Kathmandu	101
2863.	भारत को शस्त्रों की सप्लाई करने में विदेशों की अनिच्छा	Reluctance of Foreign Countries' Supply Arms to India	102
2864.	भूटान का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश	Bhutan's Entry into U. N. O.	102
2865.	वर्ष 1971 तक पैट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और उनकी मांग	Production and Demand of Petroleum Products by 1971	102—103
2866.	खेतड़ी तांबा परियोजना में प्रगति	Progress of Khetri Copper Project	103—105
2867.	अशोधित तेल की मांग और उसका उत्पादन	Demand and Production of Crude Oil	105
2868.	बरौनी उर्वरक कारखाने की रोजगार नीति के विरुद्ध शिकायतें	Complaints regarding Employment Policy of Barauni Fertiliser Factory	106—107

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2869.	कोयाली में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह को नदी के नीचे की ओर के स्थान पर संयंत्रों के लिये लाइसेंस देने सम्बन्धी विवाद	Controversy over Licensing of Down Stream Plants of Petrochemical Complex at Koyali	107
2870.	मन्दिर मार्ग, डी० आई० जेड० क्षेत्र नई दिल्ली के रिहायशी सकेयर	Residential Squares at Mandir Marg DIZ Area, New Delhi	107—108
2871.	नई दिल्ली में "अन्नादुर नगर" कालोनी का विकास	Development of "Annadural Nagar" Colong in New Delhi	108
2872.	नई दिल्ली के कर्बला-अलीगंज क्षेत्र के निवासियों की निवास स्थिति	Living Conditions of Residents of Karbala-Aliganj area, New Delhi	108—109
2973.	हरियाणा, गुजरात तथा राजस्थान में चेचक के मामले	Small Pox Cases in Haryana, Gujrat and Rajasthan	109
2874.	संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिये गये प्रधान मन्त्री के भाषण का प्रचार	Publicity to Prime Minister's Speech in U. N. General Assembly	109—110
2875.	भारत से जोर्डन को दवाइयों की सप्लाई	Medical Supplies to Jordan from India	110
2876.	हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा तेल कम्पनियों को बैरलों की सप्लाई	Supply of Barrels to Oil Companies by Hind Galvanishing and Engineering Company	110
2877.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की इंडियन गैस के वितरक के रूप में नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Distributors of Indane Gas	110—111
2878.	ताल्चेर में कच्चे लोहे का कारखाना	Pig Iron Plant at Talchar	111—112
2879.	खनिज उत्पादन में कमी	Fall in Mineral Output	112
2880.	भारतीय दूतावासों पर व्यय	Expenditure on Indian Missions	112—113

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2881.	स्वास्थ्य स्थलों के रूप में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रयोग के लिये हिल स्टेशनों पर होटल	Hotels at Hill Stations for use of Central Government Employees at Health Resorts	113—114
2882.	कोचीन नौसैनिक अड्डे के स्तर का ऊंचा किया जाना	Up-Grading of Cochin Naval Base	115
2883.	त्रिवेंद्रम सहकारी वर्ग अस्पताल सोसायटी लिमिटेड को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to the Trivandrum Cooperative Group of Hospital Society Ltd.	115—115
2884.	कोटा, राजस्थान में एस्सो गैस प्लांट में वितरण व्यवस्था का अभाव	Lack of Distribution Arrangements at Esso Gas Plant at Kota (Rajasthan)	116
2885.	मेडिकल कालेजों में दाखिला	Admission to Medical Colleges	116
2886.	दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में भूमि अर्जित करना	Acquisition of Land by Delhi Administration in Delhi	117
2887.	अलकनन्दा की बाढ़ में सैनिक ट्रकों का बह जाना	Washing Away of Military Trucks in Flood of Alaknanda River	117
2888.	श्रीलंका की राष्ट्रीयता छोड़ने के इच्छुक भारतीय	Indians in Ceylon Willing to Renounce Ceylonese Citizenship	117
2889.	रेक्सोर इंडिया लिमिटेड को विस्तार की अनुमति	Expansion Allowed to Rexor India, Limited	118
2890.	संचित हानियों के भुगतान के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को राज सहायता	Subsidy to N. M. D. C. for Paying of Accumulated Losses	118—119
2891.	इण्डियन ड्रग्स फारमेस्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा बेची गई औषधियों की लागत में वृद्धि	Increase in Cost of Primary Drugs Sold by Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	119—120
2892.	देश से आयुर्वेदिक औषध निर्माण कम्पनियां	Ayurvedic Pharmaceutical Companies in the Country	120
2893.	भारत-पाकिस्तान में सैनिक जानकारी का आदान-प्रदान	Indo-Pak Exchange of Military Data	120—121

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2894.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में प्रतिनियुक्ति पर मध्य प्रदेश के कर्मचारी	Madhya Pradesh Employees on deputation in Oil and Natural Gas Commission	121
2895.	सिंगापुर में नेताजी द्वारा उपयोग में लाई गई इमारतों का अधिग्रहण	Acquiring of Building used by Netaji in Singapore	121
2896.	कलकत्ता ब्रिगेड ग्राउन्ड का नाम बदलकर नेताजी मैदान रखना	Renaming of Calcutta Bridge ground as Netaji Maidan	122
2897.	कलकत्ता की प्रमुख सड़कों में भीड़-भाड़	Congestion in Principal Streets of Calcutta	122—123
2898.	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में बहु-प्रयोजनीय रूसी हैलीकाप्टर का प्रदर्शन	Demonstration of Multi-purpose Soviet Helicopter at Safdarjung Airport, New Delhi	123
2899.	विदेशी तेल समवायों का राष्ट्रीयकरण अथवा उनमें साम्य पूंजी लगाना	Nationalisation of Equity Participation in Foreign Oil Companies	124
2900.	मंगलौर जल सम्भरण योजना के लिये ऋण	Loan for Mangalore Water Supply Scheme	124—125
2901.	देश में कुष्ट रोगी	Leprosy Patients in the Country	125—126
2902.	विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों की देखभाल के लिये विभाग की स्थापना	Setting up of a Department to Look after the Indian Nationals in Foreign Countries	126
2903.	क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरों पर सांविधिक जल सम्भरण तथा सप्लाई बोर्ड	Statutory Water Supply and Sanitation Boards at Regional and State levels	126—127
2904.	शीरे का संग्रह करने का प्रबन्ध	Arrangements for Storing of Molasses	127
2905.	केरल में एड़तल्ला, एर्नाकुलम जिले के सेना इंजीनियरिंग सेवा कार्यालय के एक कर्मचारी पर सैनिकों द्वारा आक्रमण	Assault on an Employee of M. E. S. Office Edathala, Ernakulam District, Kerala by Army personnel	127—128

अता० प्र० संख्या U.-S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2906.	नाईलोन के धागे का उत्पादन, आयात तथा खपत	Production. Import and Consumption of Nylon Yarn	128—129
2907.	दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देना	Extention of Benefits of C. G. H. S. Employees of Delhi Administration	129
2909.	लन्दन में भारतीयों के अवैध प्रवेश के विरुद्ध मुकदमा	Prosecution of Indians for their Illegal Entry into London	129
2910.	जोर्डन में भारतीय राजदूत की सुरक्षा	Safety of Indian Ambassador in Jordan	130
2911.	हिमाचल प्रदेश सैनिक नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड में पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति	Appointment of a whole time Secretary of Himachal Pradesh Soldiers, Sailors and Airmen Board	130
2912.	किरीबुरु हिल टाप में टाईप-चार व टाईप-तीन के क्वार्टरों का निर्माण	Construction of Type IV and Type III Quarters at Kiriburu Hill Top	130—131
2913.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किरीबुरु हिल टाप पर टाइप-तीन के क्वार्टरों के निर्माण के लिये टेंडर का रद्द किया जाना	Cancellation of tender for Construction of Type III Quarters at Kiriburu Hill top by National Mineral Development Corporation	131
2914.	उड़ीसा में किरिबुरु लौह अयस्क खानों का विस्तार तथा उनमें परिवर्तन	Expansion and Modification of Kiriburu Iron Ore Mines in Orissa	131—132
2915.	नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा नई दिल्ली को सुन्दर बनाने की योजना पर किया गया व्यय	Expenditure Incurred on Beautification Scheme by New Delhi Municipal Committee	132
2916.	सेना, वायु सेना और नौ सेना के कर्मचारियों को सेवा मुक्त करना	Release of Servicemen of Army, Air Force and Navy	
2917.	प्रतिरक्षा विभाग के शिविर मैदान	Encamping grounds owned by Defence Department	133

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2918.	कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों का पुलिस द्वारा पीटा जाना	Manhandling of Employees of Cochin Refinery by Police	133—134
2919.	कम्बोडिया को सिहानुक सरकार को मान्यता प्रदान करना	Recognition of Sihanouk Government of Cambodia	134
2920.	जबलपुर आयुध कारखाने की उत्पादन क्षमता का उपयोग	Utilization of Production Capacity of Ordnance Factory, Jabalpur	134—135
2921.	मध्य प्रदेश में भर्ती केन्द्र	Recruitment Centres in Madhya Pradesh	135
2922.	मध्य प्रदेश में सेना के लिए विभिन्न जातियों में से भर्ती के लिये व्यक्ति	Persons recruited from various Communities in M. P. for Defence Forces	135
2923.	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में जासूसी और चोरी की घटनाओं के मामले	Cases of Espionage and Pilferage in Defence Establishments	135—136
2924.	गुप्त संकेतों का अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में बदला जाना	Changing of Secret Codes from English into Indian Languages	136
2925.	चीन द्वारा वायुसेना का अतिक्रमण	Air Space Violations by China	136
2926.	चीन तथा पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण करने की योजना	Plan to Attack India by China and Pakistan	137
2927.	राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सेना में भर्ती	Recruitment in the Army on the Basis of Population of States	137
2928.	इथोपिया में दो बिरला कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of two Birla Employees in Ethiopia	137—138
2929.	लुसाका सम्मेलन में सिहानक द्वारा कम्बोडिया के प्रतिनिधित्व का भारत द्वारा विरोध	Opposition by India to Representation of Cambodia by Sihanouk in the Lusaka Conference	138
2930.	गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के मंत्री को पारपत्र न देना	Refusal of Passport to Secretary of Delhi Gurdwara Prabandhak Committee	138—139

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2931.	पंजाब में तेल और गैस का पता लगाने लिए छिद्रण करना	Drilling in Punjab for Locating Oil and Gases	139
2932.	न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ प्रधान मंत्री की भेंट	Prime Ministers Meeting with President of Pakistan in New York	139—140
2933.	चीन द्वारा भूटान के भू-प्रदेश पर अधिकार कर लेना	Occupation of Bhutan Territory by China	140
2934.	विदेश नीति के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum of Foreign Policy submitted to Prime Minister	140
2935.	बंगलौर एयरफोर्स ट्रेनिंग कमान के एक कर्मचारी का कदाचारों के बारे में अभ्यावेदन	Representation from an Employee of Air Force Training Command, Bangalore against Mal-practices	140—141
2936.	भूतपूर्व कर्मचारियों को सेवा उपदान का भुगतान	Payment of Service Gratuity to Ex-Servicemen	141
2937.	उड़ीसा में तालचेर उर्वरक संयंत्र के लिये स्थानीय योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग	Use of Local Talent in Fertilizer Plant at Talcher Orissa	141
2938.	युद्धपोतों द्वारा बन्दरगाहों से बाहर व्यतीत किया गया समय	Time spent by Naval Craft out of Port	141—142
2939.	भारतीय पनडुब्बी एस्टेबलिशमैंट में रूसी तकनीशियन	Russian Technicians in Indian Submarine Establishment	142
2940.	नौसेना में विभिन्न प्रकार के पोतों की संख्या	Figures of different Craft in Navy	142
2941.	द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतन निर्धारण में विलम्ब	Delay in Fixation of Pay as a result of Second Pay Commission's Recommendations	142—143

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2942.	18 पंजाब रेजीमेंट की बटालियन निधि का इकट्ठा करना	Raising of Battalion Fund of 18 Punjab Regiment	143
2943.	18 पंजाब रेजीमेंट के लिये बटालियन निधि में योगदान	Contributions for Battalion Fund of 18 Punjab Regiment	143—144
2944.	नेशनल बिल्डिंग कनस्ट्रक्शन कारपोरेशन को हानि	Losses to National Buildings Construction Corporation	144—145
2945.	चमड़े तथा खालों के आयात के अधिक राशि के बीजक बनाना	Overinvocing of Hides and Skins import	145—146
2946.	लाटरी चलाने वाली राज्य सरकारें	State Governments Floating Lotteries	146—147
2947.	मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डाकुओं द्वारा हत्यायें और अपहरण	Cases of Murder and Kidnapping by Dacoits of Madhya Pradesh	147
2948.	पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से आये विदेशी पठानों तथा काबुलीवालों द्वारा महाजनी व्यवसाय	Alien Pathans and Kabuliwallas from Pakistan and Afghanistan indulging in Money-Lending	148
2949.	स्वयं सेवी तथा मोर्चा संगठन रखने वाले राजनैतिक दल	Political Parties having their Volunteer and Front Organisations	148
2951.	विद्युत-कर के प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के बीच विवाद	Dispute between Municipal Corporation of Delhi and New Delhi Municipal Committee on Levy of Electricity Tax	149
2952.	सरीसृप-खाल का निर्यात	Expert of Reptile Skins	149—150
2953.	चंकापुर बांध की ऊंचाई के कारण कृषि भूमि का अर्जन	Loss of Agricultural Lands due to Increase in Height of Chankapur Dam	150
2954.	भारत कारपेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस देना	Grant of Import Licence to Bharat Carpets Ltd.	150—151

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2955.	भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार उद्योग मण्डल संघ द्वारा आठ देशों में पंच फैसला करने वाली संस्थाओं के साथ करार	Agreements by F. I. C. C. I. with Arbitral Organisations in Eight Countries	151
2956.	मिजी पहाड़ियों के संरक्षित प्रगतिशील गांवों का बड़े एककों में पुनर्गठन	Regrouping of Protected Progressive Villages of Mizo Hills into Bigger Units	151
2957.	दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम के रूप में पुनर्गठित करना	Reorganisation of Delhi Transport Undertaking as Corporation	152
2958.	बेरोजगार इंजीनियरों का पूल	Pool of Unemployed Engineers	152
2959.	भारत में तम्बाकू के भंडारों का जमा होना	Accumulation of Tobacco Stocks in India	152
2960.	भारतीय इमारती सामान का निर्यात	Export of Indian Building Material Abroad	152—153
2961.	पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत का आर्थिक सहयोग	India's Economic Co-operation with East European Countries	154
2962.	निर्माताओं द्वारा न्यूनतम मूल्य पर रबड़ की खरीद	Purchase of Rubber by Manufacturers in Minimum Price	154
2963.	भूमिगत परमाणु परीक्षण	Underground Nuclear Tests	154—155
2964.	कच्चा-माल बैंक	Raw Material Bank	155
2965.	कावेरी जल-विवाद	Cauvery Water Dispute	155—156
2966.	अन्दमान के भूतपूर्व राजनैतिक बन्दियों को पेंशन	Pension to Ex-Andaman Political Prisoners	156
2967.	भिवंडी में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच	Judicial Inquiry into Communal Riots at Bhiwandi	156
2968.	प्रोफैसर सुब्रह्मण्यम स्वामी का "फुल एम्पलायमेंट" शीर्षक वाला स्टडी पेपर	Study Paper "Full Employment" by Prof. Subramaniam Swami	157
2969.	बरहानपुर, उज्जैन तथा जबलपुर में सहकारी रूई मिलें	Co-operative Cotton Mills in Burhanpur, Ujjain and Jabalpur	157

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2970.	रोजगार ब्यूरो द्वारा बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए योजना	Schemes by Employment Bureau to solve Unemployment Problem	157 -158
2971.	चोरी-छिपे लाये गये टेलीविजन सेटों की सस्ते दामों पर बिक्री	Sale of Smuggled T. V. Sets at Cheap Rates	159
2972.	भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के चेयरमैन का विदेशी दौरा	Foreign Trips by Chairman, Indian Motion Pictures Export Corporation	159—160
2973.	भारत-युगोस्लाविया के बीच रुपये में भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था में परिवर्तन	Charges in Indo-Yugoslavia Rupee Payment Arrangements	161
2975.	पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति	Appointment of Refugee Government Employees from East and West Pakistan	161
2976.	दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिक निधि के लिये अनुरोध	Request by Delhi Municipal Corporation for more Funds	161
2977.	लाटरी टिकटों की बिक्री के बारे में राज्यों के बीच विवाद	Disputes between States in regard to Sale of Lottery Tickets	162
2978.	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा "लेसर" का आविष्कार	Laser Invented by National Physical Laboratory	162—163
2979.	राज्य लाटरियों में बड़ी राशि के पुरस्कारों के स्थान पर कम राशि के पुरस्कार देना	Giving away of Low Denomination Prizes Instead of High Denomination Prizes in State Lotteries	163
2780.	सिंगापुर की बोगस फर्म में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Investigations by C. B. I. into a Bogus Firm of Singapore	163
2781.	हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले का विकास	Development of Mohindergarh District in Haryana	164
2982.	सस्ते टेलीविजनों का निर्माण	Manufacture of Cheap T. V. Sets	164

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2984.	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किये जाने पर हुआ खर्च	Expenditure on development of Central Reserve Police/Border Security Force in West Bengal	164—166
2985.	हीरों से अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange earnings from Diamonds	166
2986.	बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में शस्त्रास्त्रों का एक अवैध कारखाना	Illegal Arms Factory in Bijnor (U. P.)	166—167
2987.	हथकरघा की सहायतार्थ एक हथकरघा ऋण गारन्टी निगम की स्थापना	Setting up of a Handloom Credit Guarantee Corporation to help Handloom Industry	167
2988.	पाकिस्तान में जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति	Indian Property seized in Pakistan	167
2989.	लकड़ी के बिजली के खम्बे तथा ट्रांसफार्मर लगाना	Installation of Wooden Electric Poles and Transformers	167
2990.	नक्सलवादियों की मिदनापुर से पुरुलिया तक लम्बे प्रदर्शन की योजना	Naxalites' Plan for a Long March from Midnapur to Purulia	168
2991.	1970-71 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि	Growth in National Income during 1970-71	168—169
2992.	जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा अलग ध्वज रखने की प्रथा को समाप्त करना	Steps to do away with separate flag of Jammu and Kashmir Government	169
2993.	राज्यपालों द्वारा झण्डों के प्रयोग के बारे में समरूपता	Uniformity in regard to the use of flags by heads of the States	169
2994.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थान	Vacancies of Judges in Punjab and Haryana High Court	169—170
2995.	बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के पदों की श्रेणियों तथा उनके वेतनमान	Categories of Posts and scales of pay in Badarpur Thermal Power Project	170—171
2996.	सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य देशों के गुप्तचर	Spies of Foreign Countries Operating in Border Areas	171

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2997.	पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल का मूल्य	Value of water flowing into Pakistan	171—172
2998.	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा किये गये आविष्कार/खोज	Investigations/Discoveries made by Regional Laboratories of C. S. I. R.	172
2999.	पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाना	Police Firing in West Bengal	172—173
3000.	पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण करने का बहाना लेकर पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू लगाना	Imposition of Curfews in West Bengal on the Pretext of Attacks on Police Personnel	173
3001.	पश्चिम बंगाल में पुलिस हवालात तथा पुलिस की हिरासत में मारपीट की शिकायतें	Complaints of Assaults in Police Lockups under Poliee Custody in West Bengal	173—174
3002.	संविधान में संशोधन करने के बारे में केरल विधान सभा का प्रस्ताव	Kerala Assembly resolution re : Amendment to the Constitution	174
3003.	पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दलों का प्रवेश	Infiltration of Political Parties in Police Administration in West Bengal	174
3004.	नक्सलवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा दल से राइफलें छीन कर ले जाना	Rifles taken away by Naxalite from Border Security Force	175
3005.	गांधी नगर पुलिस स्टेशन, दिल्ली के विरुद्ध आरोप	Charges against Gandhi Nagar Police Station, Delhi	175
3006.	निर्यात योग्य वस्तुओं की विवरणिका	Brochure Enlisting Exportable Items	175—176
3007.	कुच बिहार में बाढ़ नियंत्रण की योजना	Scheme for Flood Control in Cooch-Behar	176
3008.	उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के लिए वृहत योजना	Master Plan in North Bengal for Flood Control and Irrigation	176—177

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3009.	कूच बिहार बिजली घर में एक और डीजल इन्जन का लगाया जाना	Installation of another Diesel Engine at Cooch-Behar Power Station	177
3010.	सिंचाई और बिजली परियोजनाओं का क्रियान्वित न किया जाना	Non-Implementation of Irrigation and Power Projects	178
3011.	चंडीगढ़ नगर में अराजकता	Lawlessness in Chandigarh City	178—179
3012.	गुरुमुखी की एक पुस्तक में महारानी सीता के चरित्र और हरिजनों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां	Objectionable references to Maharani Sita and Harijans in a Gurmukhi Book	179
3013	राज्यों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए नक्सलवादी	Naxalites Killed in Encounters with Police in States	179
3014.	उत्तर प्रदेश राज्य के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के समय सेना का तैनात किया जाना	Deployment of Army at Time of Strike by Employees of U. P. State Electricity Board	180
3015.	बेल्जियम का आर्थिक मिशन	Economic Mission from Belgium	180—181
3016.	भारतीय रूई निगम	Cotton Corporation of India	181
3017.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों का अपराधिक मामलों में अन्तर्गस्त होना	Involvement of C. R. P. Personnel in Criminal Cases	181—182
3018.	केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राज्य सतर्कता आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के सरकारी अधिकारियों की जांच	Enquiries by C. B. I. and State Vigilance Commission against Government Officers in West Bengal	182—183
3019.	पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा पकड़ा गया सीमा सुरक्षा बल का नायक कमल सिंह	Naik Kamal Singh of B. S. F. Captured by East Pakistan Government	183
3020.	पोंग बांध से विभिन्न राज्यों को पानी बिजली का सम्भरण	Supply of Water and Electricity to various States from Pong Dam	183—184

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3021.	केरल के लिए सिंचाई की योजनाएं	Irrigation Schemes for Kerala	184
3022.	दिल्ली में पकड़ा गया गोला-बारूद	Ammunition seized in Delhi	185
3023.	भूतपूर्व देशी राज्यों का क्षेत्रफल	Area of former Princely States	185—186
3024.	इम्फाल के ग्रामीण स्वयं-सेवी दल के लिये दी गयी राइफलों का विद्रोही नागाओं द्वारा प्रयोग किया जाना	Rifles meant for Village Volunteer Force in Imphal being used by Rebel Nagas	186
3025.	केरल मुस्लिम लीग के सम्मेलन में दिए गये भाषण	Speeches delivered at Kerala Muslim League Conference	186
3026.	रूई सलाहकार बोर्ड की बम्बई में हुई बैठक	Cotton Advisory Board Meeting held in Bombay	186
3027.	राज्य व्यापार निगम में हड़तालों की रोक और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किया जाना	Prevention of Strikes in S. T. C. and Redress of Grievances of Staff	187
3028.	कार्यालय प्रक्रिया में सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया	Report on Streamlining of Official Procedure and Government's Attitude towards Public Servants	187
3029.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का आयात	Steel Imports through M. M. T. C.	187—188
3030.	केरल में एक इलैक्ट्रानिक संयंत्र का लगाया जाना	Setting up of an Electronic Plant in Kerala	188
3031.	भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए आयु सीमा का बढ़ाया जाना	Raising of Age Limit for I. A. S. Examination	18.
3032.	शाकेतर खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of Non-Vegetarian Food	188—189
3033.	पाकिस्तान से आसाम में लोगों की घुसपैठ	Infiltration from Pakistan in Assam	189

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3034.	जर्मन फैडरल रेलवेज द्वारा भारतीय फर्म को दिया गया क्रयादेश	Orders placed by German Federal Railways with Indian Firm	189–190
3035.	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा धानी सेवा वेतनमानों में पुनरीक्षण की मांग	Revision of Pay Scales of Dhani Civil Service as demanded by Himachal Pradesh Government	190
3036.	पंजाब के पुनर्गठन पर कर्मचारियों का पुन: आवंटन	Reallocation of Staff on Reorganisation of Punjab	190
3037.	पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात परिसम्पत्ति का बंटवारा	Distribution of assets on reorganisation of Punjab	190–191
3038.	भारतीय साम्यवादियों (मार्क्सवादी) के संविधान सम्बन्धी विचारों के बारे में प्रधान मन्त्री का वक्तव्य	P. M's Statement Re; C. P. I. (M)'s view on Constitution	191
3039.	पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by West Bengal Government Employees	191
3040.	राजस्थान अणुशक्ति परियोजना में नियुक्त कर्मचारी	Staff Employed in Rajasthan Atomic Power Project	192
3042.	चालू वर्ष में समाप्त होने वाले व्यापार करार	Trade Agreements Expiring during Current Year	192
3043.	पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति की सिफारिशें	Recommendations of West Bengal Flood Enquiry Committee	193
3044.	पश्चिम बंगाल में डुब्डा बेसिन योजना	Dubba Basin Scheme in West Bengal	193–194
3045.	बिहार राज्य के लिये स्वीकृत योजनाएं	Irrigation Schemes Sanctioned for Bihar	194–195
3046.	बिहार के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification of Bihar	195–196
3047.	दिल्ली में हत्या, अपहरण, नारियों का शीलभंग तथा चोरी के मामले	Cases of Murder, Kidnapping, Molestation of Women and theft in Delhi	196
3048.	योजना की क्रियान्विति पर निगरानी रखने की व्यवस्था	Arrangements for Watching Implementation of Plan	197

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3049.	सभा प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के लिये आयु नियम में उदारता	Relaxation of Age Rule in respect of All Competitive Examinations for Government Employees	197—198
3050.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां	Promotion in Indian Statistical Service	198—199
3051.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां	Promotions in India Statistical Service	199
3052.	थन्नीरमुक्कोम बंध के निर्माण-कार्य में प्रगति	Progress in Construction of Thannermakkom Bund	199—200
3053.	उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए उप-सचिवों को प्रशिक्षण देने की योजना	Scheme for Training to Deputy Secretaries for Holding Higher Posts	200
3054.	हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग	Progressive use of Hindi	200—201
3055.	राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of National Integration Council	201
3056.	भूतपूर्व शासकों की सरकार के साथ समझौते की इच्छा	Willingness of Former Rulers for Settlement with Government	201—202
3057.	ब्रिटिश सरकार की निर्यात सम्बन्धी स्थिति	Export Positton of British Government	202
3058.	राष्ट्रीय झंडे के निर्माता की पत्नी को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to the Wife of National Flag Inventor	202—203
3059.	राज्यपाल की शक्तियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	A. R. C. Report on Powers of Governors	203
3060.	आसाम में कार्य करने वाले भारतीय प्रशासनिक तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I. A. C. and I. P. S. Officers Serving in Assam	203
3061.	देश में बन्द सूती कपड़ा मिलों की स्थिति	Position of Closed Cotton Textile Mills	204
3062.	कपड़े के उत्पादन में कमी	Decline in Production of Cloth	204—205

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3063.	दिल्ली में चुराई गई और बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य	Value of Property Stolen and Recovered in Delhi	205-206
3064.	दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात और दुर्व्यवहार की शिकायतें	Complaints about Corruption, Favouritism and Misbehaviour against Police Officers in Delhi	206
3065.	कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण कपड़ा निर्यात पर प्रभाव	Impact on Textile Export due to Rise in Price of Raw Cotton	206—207
3066.	पश्चिम जर्मनी को निर्यात	Export of West Germany	207
3067.	पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुख्य सलाहकार द्वारा दिया गया वक्तव्य	Statement by Chief Adviser to Governor of West Bengal Re. Law and order Situation in West Bengal	207—208
3068.	वैज्ञानिकों और टैक्नोलौजीविज्ञों की बैठक	Meeting of Scientists and Technologists	208
3070.	आयातित सामान का मूल्य तथा सप्लाई समय न दिखाने की प्रक्रिया	Practice of not Indicating Price and Delivery Time of Imported Materials	208—209
3071.	नाइलोन यार्न का राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयात	Import of Nylon Yarn through S. T. C.	209—210
3072.	निर्यात-लक्ष्य	Target for Export	210
3074.	राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें	Recommendations made at Conference of State Ministers of Irrigation and Power	210—211
3075.	पटसन के निर्यात में कमी	Decline in Export of Jute	211
3076.	चिल्का झील की सफाई	Dredging of Chilka Lake	211—212
3077.	गाँवों में बिजली लगाने के लिये अतिरिक्त सहायता देने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का अनुरोध	Orissa's request for Additional help for Rural Electrification	212

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3078.	फरक्का बांध परियोजना तथा जंगीपुर नहर के पूरे न होने में देरी	Delay in Completion of Farrakka Bandh Project and Jangipur Canal	212—213
3079.	निर्यात संवर्धन परिषद से सलाह करने के बाद व्यापार करार करना	Conclusion of Trade Agreements in Consulation with Export Promotion Council	214
3080.	बम्बई में ईरोस सिनेमा के खम्बाटा बन्धुओं द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulation by Cambatas of Eros Cinema, Bombay	214
8081.	पन बिजली परियोजनाओं के लिए निर्माण सम्बन्धी उपकरणों तथा फालतू पुर्जों का उपयोग	Utilisation of Construction Equipments and Spare Parts for Hydro-Electrical Projects	214—215
3082.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता	Percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Industrial Security Force	215
3083.	मनीपुर के कर्मचारियों के लिए वेतनमान	Pay Scale for Manipur Employees	215—216
3084.	मनीपुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान	Payment of Hill Allowance to Central Government Employees in Manipur	216
3085.	प्रथम श्रेणी के स्नातकों के लिये विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा का आयोजन करना	Special I. A. S. Examination for First Class Graduates	216—217
3086.	तावा नदी परियोजना का निर्माण	Construction of Tawa River Project	217
3087.	रूस और संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा श्रीलंका की चाय खरीदे जाने पर भारतीय चाय के निर्यात पर प्रभाव	Impact on Export of Indian Tea due to Purchase of Ceylonese Tea by U. S. S. R. and U. A. R.	217—218
3088.	दिल्ली में बलात्कार के एक मामले को पंजीकृत नहीं किया जाना	Non-registration of Rape Case in Delhi	218

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3089.	सराए रोहेला, दिल्ली में हुई डकैती	Decoity Committed in Sarai Rohilla, Delhi	218
3090.	खमिज अयस्क के निर्यात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मध्य मतभेद	Rift between M. M. T, C. and N. M. D. C. over Export of Mineral Ores	219
3091.	परमाणु शक्ति विभाग में अनुसूचित जातियों के उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों के साथ मतभेद	Discrimination with Scheduled Caste L. D. Cs in the Atomic Energy Department	219—220
3092.	पटसन के उत्पादनों के निर्यात में गिरावट	Decline in Export of Jute-Products	220—221
3093.	बाणसागर परियोजना (मध्य प्रदेश) की प्रगति	Progress of Banasagar Project (Madhya Pradesh	221
3094.	मध्य प्रदेश में हसदेव परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Hasdeo Project in Madhya Pradesh	221
3095.	स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना	Voluntary Price Regulation Scheme	221—222
3096.	इदिक्की बांध में दरार आना	Crack in the Iddiki Dam	222
3097.	दिल्ली में गुरुद्वारों को गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाने की मांग	Demand to bring Delhi Gurdwaras under Gurdwara Act	222—223
3098.	थीन बांध के लिये परियोजना प्रतिवेदन	Project report for Thein Dam	223
3099.	ब्यास बांध के निर्माण में देरी	Delay in Construction of Bias Dam	223
3100.	पंजाब में बिजली की कमी के कारण प्रभावित उद्योग	Industries Affected by Power Shortage in Punjab	224

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3101.	भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई को नर्सों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन	Representation made by Nurses of Bhabha Atomic Research Centre, Bombay	224—225
3102.	बरना परियोजना की क्रियान्विति	Implementation of Barna Project	225—226
3 03.	काफी हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र	Coffee Transfer Certificates	226
3104.	राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात	Export of Shoes by State Trading Corporation	226—227
3105.	केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के कार्यालय पर छापा	Office of Civil Defence and Home Guards raided by C. B. I.	227
3106.	सिविल प्रतिरक्षा तथा होम-गार्ड संगठन के कर्मचारी	Employees of Civil Defence and Home Guards Organisations	227—228
3108.	शत्रु सम्पत्ति-परिरक्षक के कार्यालय में दावों के पंजीकरण के लिये तिथि बढ़ाना	Extension of Date for Registration of Claims with Custodian of Enemy Property	228
3109.	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh	228—229
3110.	मध्य प्रदेश की संकटग्रस्त सूती कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना	Take over of Sick Cloth Mills in Madhya Pradesh	229
3111.	पूर्व पाकिस्तानी शरणार्थियों में पाकिस्तानी गुप्तचरों की जांच	Checking of Pak Spices among East Pak Refugees	229
3112.	एक निर्यात परिषद् का स्थापित किया जाना	Setting up of an Export Council	229
3113.	पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा सैनिक कर्मचारियों पर आक्रमण	Attacks on Army Personnel by Naxalites in West Bengal	230

अतारां० प्र० संख्या U. S Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3114.	एक्सपो-70 में हीरों का प्रदर्शन तथा उनका विक्रय	Display and Sale of Gems at Expo-70	230
3115.	आयातित वस्तुओं की बिक्री पर राज्य व्यापार निगम की कथित मुनाफाखोरी	Alleged Profiteering by S. T. C. through Sale of Imported Items	231—232
3116.	तारापुर अणु विद्युत परियोजना	Tarapur Atomic Power Project	232
3117.	राणाप्रताप सागर बिजली परियोजना	Ranapratap Sagar Power Project	232—233
3118.	कलपक्कम परमाणु शक्ति परियोजना	Kalpakkam Atomic Power Project	233
3119.	गोआ के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोपों का ज्ञापन	Memorandum of Charges against Goa Chief Minister	233—234
3120.	दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय की साज-सजावट पर व्यय	Expenditure on Furnishing the Offices of S. T. C. in Delhi	234
3121.	साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कानून तथा व्यवस्था के बनाये रखने में राजनीतिक दलों का सहयोग	Cooperation of Political Parties in Maintaining Law and Order against Communalism	234—235
3122.	जोनपुर (उत्तर प्रदेश) के बाढ़ पीड़ितों को केन्द्र द्वारा सहायता	Central Flood Relief to Jounpur (U. P.)	235—236
3123.	जोनपुर (उत्तर प्रदेश) के बाढ़ पीड़ितों को केन्द्र द्वारा सहायता	Central Flood Relief to Jounpur (U. P.)	236—237
3124.	सूअर के बालों (ब्रिस्सल) के निर्यात में कमी	Decline in Exports of Bristles	237
3125.	पटसन तथा चाय के निर्यात में गिरावट	Decrease in Exports of Tea and Jute	237—238
3126.	नारियल जटा के धागे के निर्यात में कमी	Decline in Export of Coir Yarn	238

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3127.	संसद-सदस्यों के फ्लैटों और मंत्रियों के बंगलों में चोरी के मामले	Theft Cases in M. Ps. Flats and Minis'ers' Bunglows	238—239
3128.	लोह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	239
3129.	राज्य सरकारों द्वारा निर्माण की जा रही मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं	Medium Irrigation Project Undertakable by State Governments	239—240
3130.	हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी पर बांध बनाने की योजना	Scheme for Damming Parvati River in Himachal Pradesh	240
3131.	अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की मृत्यु के बारे में की गई जांच के निष्कर्ष	Findings of Enquiry held into Deaths of Pilgrims to Amarnath	240
3132.	पश्चिम बंगाल में बाढ़ का आतंक	Flood havocs in West Bengal	241
3133.	केन्द्रीय सेवाओं में कुछ विशेष क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिकता देना	Persons belonging to Certain Places given preference in Central Services	241
3134.	क्षेत्रीयतावाद तथा साम्प्रदायिकतावाद की शक्तियों पर प्रतिबन्ध	Check of Forces on Parochialism and Communalism	242
3135.	ब्यास कंट्रोल बोर्ड के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of State Chief Ministers on Beas Control Board	242—243
3136.	पोंग बांध के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for Construction of Pong Dam	244
3137.	केन्द्रीय मन्त्रियों का उड़ीसा का दौरा	Visit of Union Ministers to Orissa	244—246
3138.	भूतपूर्व शासकों को प्राप्त विशेषाधिकारों को वापस लेने के लिये राज्यों को आदेश जारी	Issue of orders to States for withdrawal of Privileges enjoyed by Ex-Rulers	246—247

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3139.	महानदी और पैका तथा महानदी और चित्रोटपाला के बीच के क्षेत्रों की सिंचाई	Irrigation of Areas between Mahanadi and Paika and between Mahanadi and Chitropala	247—248
3140	खोसला आयोग की सिफारिश के अनुसार दिल्ली के लिए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति	Appointment of Commissioner of Police for Delhi as recommended by Khosla Commission	248—250
3141.	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विरुद्ध टोकियों निर्णय का खण्डरण	Rescission of Tokyo Verdict against Netaji Subhas Chandra Bose	250
3142.	दिल्ली विद्युत प्रदाय में भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों का गजेटिड सेट	Gazetted set of rules for recruitment and Promotion in Delhi Electric Supply Undertaking	250—251
3143.	सूती रेशे का अधिक मूल्य	High Price of Cotton Fibre	251
3144.	दिल्ली प्रशासन में आशुलिपिकों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of Stenographers in Delhi Administration	252—253
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	253
	सभी कपड़ा मिलों को बन्द करने के कथित निर्णय	Reported decision for Block Closure of Textile Mills	253
	श्री र० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	253
	श्री ल० ना० मिश्र	Shri L. N. Mishra	253—257
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	257—262
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	262 - 363
	अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) 1970-71	Demands for Supplementary Grants (Railways) (1970-71)	263
	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	263
	9वां तथा 10वां प्रतिवेदन	Ninth and Tenth Reports	263

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation	264
(श्री लोबो प्रभु)	(Shri Lobo Prabhu)	264—265
विशेषाधिकार समिति के 12वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motions Re. Twelfth Report of Committee of Privileges	265
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	265—266
डा० रामसुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	266
श्री रंगा	Shri Ranga	266—271
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	271—272
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	272—273
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	273
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwari	273
श्री उमानाथ	Shri Umanath	273—274
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Mishra	274—275
श्री दत्तात्रेय कुन्टे	Shri Dattatraya Kunte	275—276
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	276
श्री तेन्नटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	276—277
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	277—278
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	278
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	279
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah	279—281
भारतीय रूई निगम की स्थापना के बारे में चर्चा	Discussion Re Establishment of Cotton Corporation of India	281
श्री कमल नयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	281—283
श्री एस० ए० डांगे	Shri S. A. Dange	283—284
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	284—285
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	285
69वां प्रतिवेदन	Sixty Ninth Report	286

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
आय की अधिकतम सीमा के बारे में आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re. Ceiling on Income	285
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	285—286
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	286
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	286
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	286
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	286
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	286—287

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 2 दिसम्बर, 1970/11 अग्रहायण, 1892 (शक)
Wednesday, December 2, 1970/Agrahayana 11, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Fixation of Consumption and Production Targets of Electricity

*451. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the criterion adopted by Government for fixing consumption and production targets in respect of electricity while making future planning in this regard ; and

(b) whether Government propose to take some steps on war footing in regard to the production and distribution of electricity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The quantum of power required in each State is determined from load surveys conducted by Annual Power Survey Committees. Many of the States are not able to provide adequate funds required for the calculated quantum of power. This is resulting in power deficits in some of the States.

(b) To a limited extent the generation of power by Central Government assists in removing the shortages. To ensure achievement of the programme undertaken and included in the Plans, a constant review is held and necessary measures are taken to accelerate the commissioning of the projects. The Centre also gives loan assistance for the construction of inter-State links.

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon'ble Minister has stated that many States are not in a position to provide sufficient funds for generating estimated quantum of electricity and due to this there is shortage of electricity in all the States. May I know the names of those State which are deficient in power and what is the deficiency in then and at the end of Fourth Five Year Plan which will remain deficient and what steps are being taken by this Government to remove this shortage ?

Shri Sidheshwar Prasad : According to the estimates there will be shortage of two thousand KW. by the end of Fourth Five Year Plan. So far as the question of making

up of the shortage is concerned, we are trying to speed up the existing schemes which were being delayed. We are trying to start the projects which were to be started in the beginning of the 5th Five Year Plan. Similarly we are trying to complete the schemes which were to be completed next year. List of such schemes is very lengthy and that is why I am not reading them now.

Shri Maharaj Singh Bharati : My specific question was that which are States where there will be shortage of electricity at the end of the 4th Five Year Plan. The Hon'ble Minister has replied that this has been replied to many times. I think there will be no harm if he tells this fact today also.

Shri Siddheshwar Prasad : According to the statistics available there is shortage of electricity in the States of Punjab, Haryana, Chandigarh, U. P., Jammu and Kashmir, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Goa-Daman Diu, Andhra Pradesh and Tamilnadu.

Shri Maharaj Singh Bharati : The States mentioned by the hon'ble Minister are those which are far away from coal mines. Installation and running of Atomic power houses is the responsibility of the Central Government. Only distribution is being done by State Government where you know that the States are facing electricity shortage. Then why the Central Government is not formulating a programme for installing Atomic power houses in Works, Centre and South of India ?

Shri Siddheshwar Prasad : As stated in reply to original question we are facing with the problem of resources for those schemes which we formulate and attempts are being made to implement those schemes with our limited resources. The question of resources also arises in case of Atomic power houses. So far attempts are being made to run two Atomic power houses. One has been started and for the second *i.e.,* of Rana Pratap Sagar is in progress. A committee has been formed for setting up Atomic power house in the north and a final decision in this regard will be taken on receipt of the report.

Shri Manibhai Patel : Has the Government formulated a programme for setting up nuclear power station run by Atomic energy with a view to meet the increasing requirements of electricity ? May I also know whether any State Government has requested to you in this regard and, if so, the name of that State ?

Many States have received maximum quantum of electricity and funds and there are States also which have received very little. The States which received maximum quantum of electricity are Andhra Pradesh, Tamilnadu, Maharashtra, Punjab, Bihar and Bengal. Some regions of Madhya Pradesh received very little. May I know the reasons for this discrimination ?

Shri Siddheshwar Prasad : We are trying to generate maximum electricity through Atomic energy. So far as question of installing more power houses is concerned, a committee is considering the same. Further action will be taken when the recommendations of the committee are received.

So far as the position of electricity in different States is concerned, the State Government formulate the schemes on the basis of their requirements and resources and they submit that for final decision to the Planning Commission. There is no shortage of electricity in Madhya Pradesh.

Shri Manibhai Patel : Electricity has reached in every village of Haryana whereas the same has not reached thousands of villages in Madhya Pradesh. Funds provided to them was also very meagre. May I know the names of those States which received maximum and minimum funds during the years 1957, 1962, 1967 and at the end of 4th Five Year Plan ?

Mr. Speaker : Reply has already been given,

श्री पे० वेंकटासुब्बया : क्या मंत्री महोदय का ध्यान उनके वरिष्ट सहयोगी डा० कु० ल० राव के उस वक्तव्य की ओर गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि चौथी योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में अनुमान से अधिक बिजली की कमी होगी क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने श्रसिलैम परियोजना को कार्यान्वित करने में ढ़ील डाली है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुझे अपने वरिष्ट सहयोगी के ऐसे वक्तव्य का कोई पता नहीं है जिसमें उन्होंने यह कहा हो कि आन्ध्र प्रदेश सरकार की ढ़ील के कारण इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन में विलम्ब पड़ रहा है।

Shri Ishaq Sambhali : The hon'ble Minister has stated that there is much shortage of electricity in Uttar Pradesh. Thirty per cent of villages there are not electrified for wheat schemes have been formulated by the Government to electrify the villages of this biggest State of the country. May I know whether there is any scheme for supplying electricity to Tehri Garhwal, if so, why the same is being delayed. That is very big scheme and it will become Bhakra of U. P. May I know why the same is being delayed ?

Shri Siddheshwar Prasad : Tehri Garhwal scheme has not been taken up because its survey has not so far been completed. This is not due to the opposition of Rajmata some other person. Some other aspects of the scheme are yet to be considered.

Shri Ishaq Sambhali : Mr. Speaker, question of some other State does not arise in this regard.

Shri Siddheshwar Prasad : The question of implementing the scheme will be considered after the survey is completed.

Shrimati Sushila Rohatgi : Has the attention of the Government gone to the fact that the farmers in U. P. have to deposit Rs. 500/- for tube-well connections ? It has been opposed. Will the Government consider the possibilities of exempting the powers from the deposit of Rs. 500/- so that they could receive the tube-well connection easily.

Shri Siddheshwar Prasad : The Central Government has no idea to provide this type of aid but we will send the suggestion of the hon'ble Member for the consideration of the Uttar Pradesh Government.

Shrimati Sushila Rohatgi : This is going on between the Central and U. P. Government. Since long and has also came before the hon'ble Minister. He said that they will consider it and give an early decision. Some four or five months have expired since then. How much more time will it take ?

Shri Sidheshwar Prashad : On 16th of this month we are calling a meeting of Members of Parliament from U. P. which will also be attended by the representatives of U. P. Government. This question will be put up before them.

श्री लोबो प्रभु : हरियाणा, जिसने अपने हर गांव में बिजली पहुंचा दी है, के संदर्भ में इस पर विचार करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह बात ठीक नहीं है।

श्री लोबो प्रभु : यह ठीक है अथवा गलत इस बात को केवल हरियाणा के मुख्य मंत्री

अथवा प्रधान मंत्री ही जानते हैं। मैं प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ही बात कर रहा हूं। मैं कामना करता हूं कि यह बात ठीक हो क्योंकि भारत के हर गांव को बिजली पहुंचाना जरूरी है। आप कहते हैं कि सर्वेक्षण कार्य हर वर्ष राज्य सरकारें करती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग इन सर्वेक्षणों का पुनःआवलोकन करता है कि देश के हर स्थान पर बिजली पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात आपने यह कही कि धन की कमी के कारण हर गांव में बिजली पहुँचाना सम्भव नहीं है। आपने यह भी कहा कि अन्तर्राज्य कनेकशनों हेतु धन देने के लिये आप तैयार हैं। आप धन उपलब्ध क्यों नहीं करते तीसरी बात यह है कि आपके उत्तर में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है कि उपकरणों की कमी के कारण काम रुका पड़ा है। मेरे अपने गांव में ट्रांसफार्मर लगने के लिये पांच वर्ष लगे। उपकरणों की कमी है या नहीं, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जहां तक सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, इस पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पृथक निदेशायल उचित कार्यवाही कर रहा है।

श्री लोबो प्रभु : क्या इस पर पुनः विचार किया गया है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : इस पर पुनःविचार किया गया है हर वर्ष होता है। राज्य के भीतर कनेकशनों की देखभाल राज्य सरकारें करती हैं। अन्तर्राज्य कनेकशनों को केन्द्रीय सरकार देखती है। मेरे विचार में किसी भी परियोजना के लिये उपकरणों की कमी नही है। कम्पनियों की हड़ताल के कारण ट्रांसफार्मरों की कमी अवश्य पड़ गयी थी।

श्री जे० एच० पटेल : मैं विभिन्न राज्यों में बिजली उत्पादन के उत्पादन सम्बन्धी अंतर की बात नहीं कर रहा हूं। क्या इस बात को जानने का प्रयत्न किया गया है कि कुल बिजली में से कितनी उत्पादन कार्यों के लिये और कितनी ऐश्वर्य के लिये उपयोग की जाती है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है कि सारे भारत में इतनी ही बिजली की खपत होती है जितनी अकेले न्यूयार्क शहर में होती हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे देश में बिजली की इतनी कमी है, इसका उपयोग वातानुकूल कार्यों तथा रोशनी के लिये किया जाता है जबकि सिंचाई तथा गांवों को कोई भी प्राथमिकता नहीं दी जाती। क्या यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसे अलाभकारी कार्यों के लिये बिजली की कितनी खपत की जाती है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : हम उद्योगों तथा अन्य उत्पादक कार्यों के लिये प्राथमिकता देते हैं। गांव में नलकूप के लिये भी हम प्राथमिकता दे रहे हैं। अलाभकारी कार्यों के लिये कितनी बिजली की खपत होती है, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

भारत-नेपाल व्यापार वार्ता

\+

*452. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**

श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 नवम्बर, 1970 को भारत और नेपाल के बीच व्यापार वार्ता हुई थी ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कोई व्यापार करार हो गया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो वार्ता में किन प्रश्नों के बारे में मतभेद हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). नेपाल के महामहिम की सरकार के अधिकारियों का एक दल 13 नवम्बर, 1970 को नई दिल्ली आया और उसने दोनों देशों के बीच व्यापार तथा परिवहन की नई संधि करने के लिये भारत सरकार के अधिकारियों के साथ 14 से 26 नवम्बर तक बातचीत की । पारस्परिक व्यापार तथा परिवहन सुविधाओं से सम्बद्ध मामलों के विषय में सम्मत सूत्र तैयार करने में बहुत प्रगति हुई है । फिर भी, इनमें से कुछ मामलों के विषय में अभी तक हल ढूंढे जाने हैं । उनके विषय में सम्मत सूत्र तैयार करने के लिये 10 और 11 दिसम्बर, 1970 को वार्ता के एक और दौर की व्यवस्था की गई है ।

फिलहाल इस बात पर सहमति हो गई है कि पारस्परिक व्यापार तथा परिवहन सुविधाओं के विषय में वर्तमान व्यवस्थायें 31 दिसम्बर, 1970 तक और बढ़ा दी जाएंगी ।

Shri Hardayal Devgun : It has been mentioned in the statement that there are some problems for which solutions have still to be found. May I know the problems on which two countries are disagreeing ?

Shri L. N. Mishra : Negotiations are still going on with Nepal. At present, it will not be in the interest of this country to reveal the point which there was agreement and on which there was no agreement. I would request the hon'ble Member not to press this point.

Shri Hardayal Devgun : Mr. Speaker, Sir then what should we ask ?

Mr. Speaker : He will tell you when the negotiations are over.

Shri Hardayal Devgun : Nepal is our neighbouring country and we are having close relations with it and.........

Mr. Speaker : What is the necessity of speech ?

Shri Hardayal Devgun : I am not delivering a speech, I want to ask a question.

Will the hon'ble Members try to solve the points of disagreement with a view that Nepal is our neighbouring country, our younger brother and we will treat her liberally. I think this Government would treat Nepal in the same manner as it is treating Pakistan or some other friendly countries. Will the hon'ble Minister gives this assurance to the House and this country ?

Shri L. N. Mishra : Nepal is our neighbouring country and we are having very cordial relations with it. There can be no two opinions in this regard. We also want the development of Nepal and want to help her in its industrialisation. It will be improper to compare Nepal with the Pakistan and China. Our relations with Nepal had been very cordial and friendly. The agreement entered with it some ten or twelve years ago is still going on well. It helped the development of Nepal. May I inform the hon'ble Minister that the trade of Nepal with other countries increases from two million dollars to twenty million dollars during the last four or five years. It shows as to how mech assistance we rendered to the Nepal.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : यह जानकर हमें खेद है कि ये वार्तायें दो बार असफल हो चुकी हैं ; और तथ्य यह है कि 10 तथा 11 दिसम्बर को तीसरी बार एक बैठक होने वाली है । साथ ही प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है तथा मंत्री महोदय ने कहा है कि क्योंकि वार्ता जारी थी अतः उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना कठिन था । मैं विशिष्टतया यह जानना चाहता हूँ कि गत दोनों वार्ताओं के दौरान नेपाल के शिष्टमंडल की मांगें स्वीकार्य नहीं थी और इसी कारण दोनों अवसरों पर वार्ता असफल हो गई थी ।

श्री ल० ना० मिश्र : ये वार्तायें बिल्कुल असफल नहीं हुई हैं । हमने बैठक की है, हमने बहस की है और ठोस प्रगति की है । वार्ता को दो बार स्थगित कर दिया गया था और हम इस महीने अगले सप्ताह 10 तथा 11 दिसम्बर को एक बार फिर मिलने जा रहे हैं । जहां तक मतवैमिलय और मतैक्य का प्रश्न है, इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा ।

श्री पी० विश्वम्भरन : मंत्री महोदय ने बताया कि इस समय कुछ कहना उचित नहीं होगा । परन्तु काठमांडू से सब प्रकार की सूचनायें आ रही हैं । किंग्स स्पेशल एडवाइजरी काउन्सिल के सदस्य श्री विश्वबन्धु थापा ने सूचना दी है :

> "भारत के साथ व्यापार तथा पारगमन के सम्बन्ध में दो भिन्न संधियों के लिये नेपाल की मांग ।"

वह फिर लिखते है :

> "किन्हीं दो देशों के बीच मित्रता कानूनी प्रश्नों के बारे में शक्ति प्रदर्शन के आधार पर नहीं अपितु सम्भावना के आधार पर हो सकती थी ।"

वह यह भी लिखते हैं :

> "यदि मित्रता के नाम से एक देश ने दूसरे देश का शोषण किया तो वह इसे यथार्थ मित्रता नहीं कह सकते थे ।"

इस प्रकार का प्रचार नेपाल में किया जा रहा है । क्या मंत्री महोदय को इन सूचनाओं की जानकारी है और क्या वह उनका उत्तर देने की स्थिति में हैं ।

समाचार है कि उसी वक्तव्य में चालू व्यापार-वार्ता के सन्दर्भ में श्री थापा में यह भी कहा है :

> कलकत्ता में नेपाल को दी गई पत्तन सुविधायें पर्याप्त नहीं थी । नेपाल ने वर्तमान 700 वर्ग फुट स्थान के स्थान पर 3 लाख वर्ग फुट स्थान लेना चाहा था ।"

क्या ये सूचनायें सही हैं और यदि सही नहीं हैं तो क्या भारत सरकार ने इन सूचनाओं का विरोध करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैंने इस वक्तव्य को समाचार-पत्रों में देखा है । यह सरकारी वक्तव्य नहीं है । यह वक्त य नेपाल के किसी गैर-सरकारी नागरिक की ओर से दिया गया है । काठमांडू में ऐसे बहुत से अन्य प्रकार के वक्तव्य भी दिये गये हैं । जिनमें से बहुत से वक्तव्य तो सचाई से कोसों दूर हैं । मैं इन वक्तव्यों के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता ।

जहां तक दो संधियां करने का प्रश्न है, इस समय नेपाल को व्यापार तथा पारगमन सुविधायें देने के मामले में हमने केवल एक संधि की हुई है। नेपाल की ओर से बहुत सी मांगें की गई हैं। हम उन सब बातों पर विचार कर रहे हैं। इस समय मेरे लिये यह कहना कठिन होगा कि हम एक संधि करेंगे अथवा दो परन्तु दो संधियां करने के लिये हमें कोई कारण नहीं दिखाई देता है। हम केवल एक ही संधि कर सकते हैं।

जहां तक नेपाल की सहायता करने के लिये हमारी सद्भावना का प्रश्न है, निस्सन्देह हम सहायता करना चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि हर संभव तरीके से नेपाल का औद्योगिक विकास हो।

कलकत्ता पत्तन सुविधाओं के बारे में यह सही है कि हमने और अधिक गोदामों की सुविधाओं के लिये उनसे पूछा है। हमने उनकी इस मांग को करीब करीब मान लिया है। हम तो उनकी कठिनाई को महसूस करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कलकत्ता पत्तन पर गोदाम आदि संबंधी पर्याप्त सुविधायें मिल जाये।

श्री हेम बरुआ : नेपाल के साथ व्यापार तथा परागमन संबंधी सुविधाओं के बारे में दूसरी वार्ता की चर्चा से नेपाल तथा भारत के लोगों में आशा उत्पन्न हुई। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि वार्ता असफल नहीं हुई है परन्तु वार्ता भंग हो जाने के कारण लोगों में निराशा की भावना उत्पन्न हो गई है। उसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार हमें यह बताने की स्थिति में है कि नेपाल के साथ वार्ता का तीसरा दौर जो शीघ्र ही होने वाला है, वह क्या सफल होगा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं होगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : केवल ज्योतिषी ही भविष्यवाणी कर सकता है। हमें आशा है कि हम अपनी वार्ता में सफल होंगे।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have written dozens of letters to his Ministry and invited their attention through those letters that Nepal is being made a base for sending those imported items to India which are banned in India or which have heavy import or excise duty etc. thereon. As a result of that Nepal is making herself a centre for smuggling. I have never objected to the help given to Nepal but that help should be given direct and not through smuggling. The hon'ble Minister of Finance is present here and he is to bring Budget during the next Session, I would like to know from him, though I would support the ways of help to be given to Nepal, whether he would categorically assure the House that the items manufactured in the third country which are either banned in India or which have heavy import or excise duty thereon would not be allowed to be send to India through Nepal according to the treaty which is going to be entered into ?

Shri L. N. Mishra : Shri Madhu Limaye has been expressing his views and it is a fact that any item manufactured in any third country should not be allowed to be exported openly to India through Nepal. So far as the items manufactured in Nepal are concerned, we do not want to ban the item which is manufactured in Nepal. We want to allow those items to be brought to India without any restriction. But we are not prepared to allow to bring any item manufactured in the third country to India by any Napalese or by anybody else. That causes deflection in our trade and hurts the business by our country. We are not prepared to concede to it at this time nor we would be prepared to do so in future. This causes deflection of our trade and the items manufactured in the third country reach our country through Nepal. We are in all agreement with Shri Madhu Limaye.

पश्चिम बंगाल को मोटरगाड़ियों, फायर श्रार्म्स तथा वायरलैस गाड़ियों की सप्लाई

*463. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा बार-बार कहने के बावजूद केन्द्रीय सरकार उस राज्य को उतनी मोटरगाड़ियां, फायर श्रार्म्स, तथा वायरलैस की गाड़ियां, सप्लाई करने में असफल रही है जितनी का उन्होंने वचन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को प्रत्येक मद की कितनी संख्या सप्लाई करने का वचन दिया गया था तथा उसको पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन उपकरणों के सप्लाई न किये जाने के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल पुलिस को राज्य में समाज-विरोधी तत्वों से निपटने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ; श्रौर

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में श्रौर इलेक्ट्रोनिक्स श्रौर वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) श्रौर (ख). यह सच नहीं है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को उतनी मोटरगाड़ियां, फायर आर्म्स आदि भेजने में असफल रही है जितने का उसने वचन दिया था अथवा यह कि उसको अनुस्मारक भेजे गये हैं। वास्तव में मोटरगाड़ियों, फायर श्रार्म्स तथा गोला बारूद, वायरलैस यंत्रों इत्यादि की उनकी सम्पूर्ण मांग के अधिकांश भाग को अत्यधिक प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है। 239 मोटर गाड़ियों को कुल मांग में से 205 गाड़ियां भेज दी गई हैं श्रौर शेष के आगामी 2 सप्ताह में दिये जाने की आशा है क्योंकि वह निर्माताओं से उपलब्ध हो जायेंगी। 765 वायरलैस यंत्रों को उनकी कुल मांग में से 600 दे दिए गए हैं श्रौर शेष 165 में से अधिकांश दिसम्बर में दिए जायेंगे क्योंकि वह भारत इलेक्ट्रोनिक लि० से उपलब्ध हो जाएंगे। हथियार श्रौर गोला बारूद की उनको सम्पूर्ण मांग को पूरा किया जा रहा है। राज्य सरकार कुछ मद अन्य राज्य सरकारों से सीधे प्राप्त कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वास्तव में पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके पुलिस दल के लिए आवश्यक वस्तुओं की तुरन्त सप्लाई के लिए भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की सहायता की है जिससे वह कमी दूर हो गई है जो सालों से चलती आ रही थी।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कई महीनों पहले यह मांग की गई थी श्रौर मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से भी मालूम होता है कि कई महीने व्यतीत हो जाने पर भी 34 गाड़ियां तथा 165 वायरलैस सेट अब तक भी नहीं दिये गये हैं। मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल पुलिस को ये सामान दिये जाने में हुए विलम्ब के बारे में बिल्कुल चुप है

और इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रवक्ता ने 6 नवम्बर, 1970 को जो कुछ बताया है उसे मैं संक्षेप में उद्धृत करना चाहता हूँ :

"पश्चिम बंगाल पुलिस को अगस्त में दिये गये वचन के अनुसार केन्द्र ने मुश्किल से 10 प्रतिशत गाड़ियां दी हैं। वायरलैस वान्स तथा फायर आर्म्स के दिये जाने की वचन बद्धता में से कुल संख्या का केवल 20 तथा 30 प्रतिशत प्राप्त हुआ है।"

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा है वह यही है। अतः क्या मैं जान सकता हूं कि इन महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सामानों की सप्लाई में हुए विलम्ब के क्या कारण थे जिनके दिये जाने से पुलिस समय पर कार्य कर सकती थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जैसा कि मैंने बताया है कि उनकी काफी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में मैंने आंकड़े भी दे दिये हैं।

जहां तक सामग्री के बदलने का प्रश्न है, ये एक वर्ष में बदली जाने वाली सामान्य वस्तुएं नहीं हैं। ये वस्तुएं बहुत वर्षों की हैं तथा पहले से ऐसे ही चली आ रही हैं और थोड़े ही महीनों में जब हम इस मामले पर विचार कर चुके होंगे, तो उस समय प्राथमिकता के आधार पर सभी प्रकार से इसका हल प्राप्त कर चुके होंगे। (व्यवधान) हमने धन दे दिया है। केन्द्रीय पुलिस के स्टाकों से जो कुछ हम दे सकते थे, वह हमने दे दिया है और हमने भारत इलेक्ट्रोनिक्स को उनके लिए रेडियो सेट बनाने के लिए कह दिया है। गत कुछ महीनों से वह इस काम को कर रहा है। स्वाभाविक है कि जब कोइ चीज बनाई जाएगी तो उसमें कुछ समय लगेगा। हमें जीपें सीधे निर्माताओं और राज्यों से मिल जाती हैं और जो कुछ उनके पास सरप्लस होता है, वह हमें मिल जाता है।

मेरे विचार से यह रिकार्ड इतना बुरा नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि हम उनकी आवश्यकताए पूरी करते रहे हैं और उन्हें इससे संतोष है। जैसा कि मैंने कहा उन्हें आवश्यकता से अधिक संतोष है। उन्हें कभी-कभी इस समस्या का सामना करना होता है कि जितनी सप्लाई उन्हें हो रही है उससे अधिक तेजी से वे उसको काम में लगा देते हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार को संतोष है, यद्यपि मैंने स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रवक्ता का उल्लेख किया था। 15 नवम्बर, 1970 तक की गई संगणना के अनुसार 343 पुलिस के सिपाही और 36 पुलिस के अधिकारी घायल हुए थे और 36 मर गए थे। पश्चिम बंगाल पुलिस को उचित रूप से हथियार न दिया जाना, पश्चिम बंगाल की पुलिस सहित घायलों और मृतकों की संख्या में वृद्धि के लिए कहां तक उत्तरदायी है ? यदि यही बात है तो क्या सरकार अब संतुष्ट है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस को जो हथियार दिए जा चुके हैं वह उसकी रक्षा करने के लिए प्रर्याप्त है जिससे भविष्य में सिपाहियों में घायलों तथा मृतकों की संख्या कम की जा सके ?

श्री रंगा : ताकि वे अपनी ड्यूटी उचित ढंग से कर सकें।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इन पुलिस के

सिपाहियों की मृत्यु के बारे में सरकार चिन्तित है । इस मामले में हम राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये हुये हैं । गृह-कार्य सचिव ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और हमने अधिकारियों का एक दल राज्य में उनकी आवश्यकताओं का निर्धारण करने और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के साथ चर्चा करने हेतु भेजा था । इस आधार पर उनकी आवश्यकतायें निर्धारित की गई है । यदि हमें और अधिक साज-सामान और हथियार सप्लाई करने की आवश्यकता हुई, तो हम वही करेंगे ।

श्री रंगा : माननीय सदस्य द्वारा कही गई बातें बहुत चिंताजनक है । क्या इस प्रकार हमें यह समझ लेना है कि समस्त देश में पुलिस को उचित रूप से हथियारों से लैस नहीं किया गया है और इसीलिए वे अपनी ड्यूटी करने की स्थिति में नहीं है । बे न केवल अपना स्वयं का संरक्षण करने में अपितु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य अपनी कानूनी गतिविधियों में लोगों का संरक्षण करने में है और आज भी जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके बावजूद सरकार केवल चिंता व्यक्त करके और हथियार देने की तैयारी करके संतुष्ट होने जा रही है । जिसे वह संभवतया हर कहीं कर सकती है क्या पश्चिमी बंगाल को यह समय दिया गया है कि वह इन हथियारों को पुलिस में ठीक प्रकार से वितरित कर सके ।

क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि वह वहां कोई पुलिस बल को शक्तिशाली बनाने के लिए न केवल प्राथमिकता के रूप में अपितु शीघ्र ही फायर आर्म्स और अन्य साज-सामान देने की आपातिक कार्यवाही करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक फायर आर्म्स का प्रश्न है, क्या मैं अपने मुख्य वक्तव्य में कही गई बात दोहरा सकता हूँ कि उनकी हथियारों तथा गोला-बारूद की मांगे पूर्णतया पूरी कर दी गई हैं ? उस बारे में किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए । केवल गाड़ियों के मामले में कमी है जो संभवतया दिसम्बर तक पूरी कर दी जायेगी । दिसम्बर के पहले पखवाड़े तक वायर-लैस सेट सप्लाई कर दिये जायेंगे । इसमें कोई लापरवाही हो, ऐसी बात नहीं है । पश्चिम बंगाल सरकार भी इस सम्बन्ध में अपनी भरसक कोशिश कर रही है ।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूँ कि हम समस्या के प्रति जागरूक हैं तथा सभी प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं । यह बात नहीं है कि यह सप्लाई लम्बे समय तक आस्थगित कर दी जायेगी । अभी भी जो कुछ उनके पास है उसे वे वितरित कर रहे हैं । वे उस समस्या को संभालने योग्य नहीं है। अतः हम तेजी से सामान भेज रहे हैं । जिस तारीख को उनके पास सामान पहुंच जायेगा । वह निश्चित रूप से जनवरी से बाद की कोई तारीख नहीं होगी ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, the people in Bengal, with whom the Police have to face, are having bombs and revolvers. When those people are off-duty or go to purchase household goods or to take bath, at that time they are being attacked. I want to know whether Government want to arm the Police for 24 hours so that they can protect themselves. Are the Government thinking in these terms or they are going to supply arms to Policemen in some proportion ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न बहुत ही स्पष्ट था । मन्त्री महोदय ने मांग तथा सप्लाई का उल्लेख कर दिया है । अब वह विषयान्तर कर रहे हैं ।

Shri Om Prakash Tyagi : At this time there is President's Rule in that State and that is why I want to know that in what proportion arms are being supplied to Police ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे प्रासंगिक नहीं समझता हूं ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, the Policemen are poorest of all.........

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों अर्ज कर रहे हैं यह पूछकर विषयान्तर हो रहा है कि उन्हें हथियार किस प्रकार दिये गये हैं आदि । यह प्रासंगिक नहीं है ।

Shri Om Prakash Tyagi : Mr. Speaker, Sir, please listen to me. They are armed while on duty but when they are not on duty and live in private Mohallas, will the Government sanction to arm them at that time ?

Mr. Speaker : He does not listen to me, if you know something then tell him.

Shri K. C. Pant : The Government of West Bengal have asked for small arms and we have increased the supply of those arms. Now it is their responsibility to see that how these are distributed.

श्री नाम्बियार : पश्चिम बंगाल की समस्या वहां की पुलिस को दिये जाने वाले हथियारों की कमी है अथवा बेरोजगार युवकों जिन्हें रोजगार तथा भोजन दिया जाना चाहिए, के कठिनाइयां हैं ?

सरकार को पुलिस द्वारा अधिक हथियारों की मांग और लोगों द्वारा भोजन तथा रोजगार की मांग दोनों मांगों पर विचार करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है ।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, Sir, in West Bengal the situation is opposite. It is not a fact that Government did not supply the number of arms asked by the West Bengal Governments but I know that the Police in West Bengal have been fully equipped with the arms. We have toured those areas and returned from there recently. Is it not true that the arms are being given even to the traffic police. I also want to know whether these arms are given by the West Bengal Government or by the Central Government ? If the Central Government have given, may I know their number and whether any instruction has also been given regarding their use, that in what circumstances these can be used. Mr. Speaker, I think that the murders in Bengal are being committed because the police is armed. We had gone there.........

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत से ब्यौरों के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री नाम्बियार : अधिक हथियारों की समस्या है । उन्हें उनका प्रयोग करने नहीं आता है ।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, Sir, this question does not relates to arms but it is about the police in Bengal. I want to know that who has supplied these arms *i.e.* the West Bengal Government or Central Government. Second question is that whether any instructions have been issued regarding their use.

अध्यक्ष महोदय : वह बहुत अधिक विस्तार से पूछ रहे हैं। सामान्य प्रश्न राज्य सरकार को हथियारों की सप्लाई के बारे में है। सरकार का केवल उसी बात से सम्बन्ध है इस बात से नहीं है कि उनका नियतन किस प्रकार किया गया है।

Shri Shiva Chandra Jha : Mr. Speaker, please listen to me. There is question of giving fire arms to Bengal.........

Mr. Speaker : You may please sit down.

Shri Shiva Chandra Jha : I have asked that who gave these fire arms.........

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पश्चिम बंगाल सरकार को हथियार सप्लाई करने के बारे में है सरकार का कहना है कि उसने इतने हथियार सप्लाई किये हैं। उनका बंटवारा कैसे किया गया तथा उन्हें विभिन्न जगहों पर कैसे भेजा गया यह राज्य सरकार का मामला है।

एक माननीय सदस्य : परन्तु वहां आजकल राष्ट्रपति का शासन है।

Shri Shiva Chandra Jha : Instructions regarding the use of fire arms should be given. *(Interruptions)*... Mr. Speaker, Sir, the difficulty is only this that you do not even allow relevant questions.

Mr. Speaker : This question does not arise.

Shri Shiva Chandra Jha : The arms were given by the Central Government or by the West Bengal Government ? My second question was whether instructions regarding the use of the arms were also given or not ? *(Interruptions)*...

Mr. Speaker : This does not arise out of this question. He has informed how many have been given. If your question is specific then you can ask a separate question. *(Interruption)* मुझे खेद है कि मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ही० ना० मुखर्जी : कुछ स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी के आधार पर, जिनमें से कुछ को मैंने और श्री झा ने स्वयं देखा है, केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किये गये हथियारों का पुलिस द्वारा गलत इस्तेमाल करने पर भी और अधिक हथियार भेजने का वायदा किया है। क्या मैं इससे यह समझूं कि सरकार द्वारा सप्लाई किये गये हथियारों और वाहनों का किस प्रकार उपयोग होना है। इसकी सरकार कोई जांच पड़ताल नहीं करती और पश्चिम बंगाल सरकार जो कुछ भी मांगती है दिये चली जाती है। उनके उचित सम्बन्ध के उपयोग के सम्बन्ध में पता लगाने के लिए कोई व्यवस्था की जा रही है और क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने का प्रयत्न भी किया है कि इन हथियारों और वाहनों के उपयोग से बंगाल की वर्तमान स्थिति को काबू में नहीं किया जा सकता।

Shri Shiva Chandra Jha : That was also my question.

Mr. Speaker : You make it specific.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक हथियारों के दुरुपयोग का सम्बन्ध है मैं बता चुका हूं कि जब भी हमें विशिष्ट मामलों का पता चलता है हमने उनकी जांच पड़ताल की है, तथा इसकी

सूचना मैंने सदन को भी दे दी जब भी कोई संसद सदस्य हमें लिखते हैं हम सभी मामलों की जांच करते हैं फिर चाहे वे केंद्रीय सुरक्षा पुलिस के बारे में हों अथवा राजनैतिक दलों की आपसी मुठभेड़ के बारे में हों। परन्तु भूलभूत प्रश्न यह है कि जहां चारों ओर आतंक छाया हो, बमबारी होती हो पुलिस वालों और निर्दोश लोगों की हत्या होती हो तथा जहां विभिन्न राजनैतिक दलों के अनेक लोग मारे गये हों वहां पुलिस को शस्त्र दिये बिना स्थिति को काबू में कैसे किया जा सकता है ? **(व्यवधान)** इन्हीं तथ्यों और घटनाओं के कारण शस्त्रों की सप्लाई की जाती है।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने छोटे हथियारों की मांग की थी तथा केन्द्रीय सरकार ने वे उन्हें दे दिए हैं। उन्होंने घातक शस्त्रों की माँग की और आपने उन्हें वे दिए। क्या इस कार्यवाही से वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति सुधारने में सफलता मिली है और यदि नहीं, तो क्या सरकार समस्या को सुलझाने के लिए कोई राष्ट्रीय उपाय खोजने का विचार कर रही है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस समस्या पर सभा में पर्याप्त विचार-विमर्श हो चुका है। वहाँ की स्थिति में सुधार हुआ है अथवा नहीं इसका पता लगाना कुछ कठिन है। कुछ दिशाओं में सुधार हुये है और कुछ में स्थिति बिगड़ी है। पश्चिम बंगाल की जनता में व्याप्त असुरक्षा की भावना में कुछ कमी अवश्य हुई है। पुलिस पर और विशेष जगहों पर हमला में वृद्धि हुई है। राजनैतिक दलों में आपसी मुठभेड हो रही हैं। अतः उस सम्बन्ध में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है। परन्तु विरोधी नेता की इस बात से सहमत हूं कि यह समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। संसद द्वारा इस पर बार-बार विचार करने से यह सिद्ध होता है कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हम सब इससे चिन्तित हैं। हम सबको मिलकर उस राज्य में सामान्य स्थिति लाने का प्रयत्न करना चाहिए।

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने इसे एक राष्ट्रीय समस्या बताया है। राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाने वाला है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में यह प्रश्न पैदा नहीं होता। इस पर अलग से चर्चा हो सकती है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल सरकार को दिए गये कुछ हथियार नक्सलपंथियों के हाथों में पहुंच गये हैं तथा यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस समय एक दम नहीं बता सकता कि नक्सलवादियों से पकड़े गये हथियार उन्हें पुलिस से मिले थे। पर मुझे पुरुलिया बिहार के एक मामले की जानकारी मिली है जहां पुलिस के सिपाहियों को नक्सलवादियों ने घेर लिया था और उनके हथियार छीन लिये थे। यही एक मामला मेरी जानकारी में आया है, अन्य के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

चण्डीगढ़ पर सरकारी निर्णय के कार्यान्वियन के बारे में गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य

*455. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मिर्धा द्वारा चण्डीगढ़ पर सरकारी निर्णय के कार्यान्वियन के बारे में हाल में चण्डीगढ़ में दिये गये वक्तव्य से पंजाब और हरयाणा सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वक्तव्य का पाठ क्या है ; और

(ग) क्या उन दोनों सम्बन्धित सरकारों अथवा उनमें से किसी एक ने केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ लिखा है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धीं व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 14 सितम्बर, 1970 को चण्डीगढ़ के अपने दौरे के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री मिर्धा ने सरकार के इस दृष्टिकोण को दोहराया था कि जनवरी, 1970 में चण्डीगढ़, फाजिल्का तथा अन्य क्षेत्रीय दावों तथा प्रतिवादों आदि के सम्बन्ध में घोषित निर्णय समूचे समझौते के अंश हैं। चूंकि श्री मिर्धा ने प्रैस को कोई लिखित वक्तव्य जारी नहीं किया था, अतः उसे सदन के पटल पर नहीं रखा जा सकता। तथापि उनकी बातचीत के समाचार 15 सितम्बर, 1970 को कुछ समाचार पत्रों में छपे थे। बाद के दिनों में, श्री मिर्धा द्वारा किये गये स्पष्टीकरण पर पंजाब के कुछ मंत्रियों तथा हरियाणा के मुख्य मंत्री की प्रतिक्रियाओं की प्रैस रिपोर्ट छपी थीं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

श्री श्रीचन्द गोयल : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि श्री मिर्धा ने केवल सरकार के निर्णय को दोहराया था। क्या पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने सरकार के निर्णय को स्वेच्छा से माना था अथवा सरकार ने निर्णय से संतोष कर लिया था। यदि उन्होंने आपसी समझौता कर लिया था तो फिर इस पर कोई विवाद होने का प्रश्न ही कहां उठता है ? किस प्रकार का विवाद उठा था ? सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया जिससे दोनों सरकारों ने निर्णय का स्वागत किया था। क्या यह एक पैकेज समझौता था और क्या चण्डीगढ़ का पंजाब को हस्तान्तरित करना इस बात पर निर्भर करता है कि वह फाजिल्का और अबोहर को छोड़ने को तैयार है और क्या वे उस भाग को छोड़ने को तैयार हैं। क्या आप उनके उन भागों को न छोड़ने पर भी उन्हें चण्डीगढ़ दे देंगे ? क्या आप यह शर्त रखेंगे कि चण्डीगढ़ उन्हें तब ही दिया जायेगा। जबकि वे फाजिल्का और अबोहर को छोड़ देंगे। फाजिल्का और अबोहर क्षेत्र को हरियाणा को हस्तांतरित करने में क्या रुकावटें हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस विवाद का आधार उस समय समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ खबरें थी। परन्तु सरकार को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली है कि दोनों में से कोई भी सरकार केन्द्रीय सरकार के निर्णय को मानने की इच्छुक नहीं हैं...(**व्यवधान**)...मैंने कहा कि कोई औपचारिक सूचना हमें नहीं मिली है जिससे मालूम होता हो कि स्थिति बदल गई है।

जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि यह चण्डीगढ़ और फाजिल्का का मामला नहीं है वरन् यह पूरे समझौते का एक भाग है और वह निश्चित है अथवा केन्द्रीय सरकार का निर्णय निश्चित है तथा इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जब से यह निर्णय लिया गया है पंजाब सरकार अबोहर और फाजिल्का के विकास की उपेक्षा करती रही है । सिंचाई की नहरे बन्द कर दी गई हैं तथा उस क्षेत्र के लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही । यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की है ? शर्तों के सम्बन्ध में समझौता होने की अन्तिम स्थिति क्या है । क्या सरकार ने मुख्य मंत्रियों अथवा तीनों राज्यों के अन्य सरकारी प्रतिनिधियों से अन्तिम बात कर ली है और यदि हां, तो उस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : फाजिल्का और अबोहर के विकास कार्यों को पंजाब द्वारा रोकने के सम्बन्ध में हरियाणा के मुख्य मंत्री ने मई, 1970 में गृह-कार्य मंत्री को लिखा था तथा इस सम्बन्ध में पंजाब के मुख्य मंत्री से पूछताछ की गई थी । उन्होंने अपने उत्तर में लिखा है कि यह कहना एकदम गलत है कि फाजिल्का और अबोहर के साथ पक्ष पात पूर्ण व्यवहार किया जाता है तथा वहां पर किये जा रहे विकास कार्यों में विलम्ब किया जा रहा है । यह था प्रश्न के पहले भाग का उत्तर । दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैंने पंजाब और हरियाणा की मुख्य मंत्रियों से बात की थी तथा पंजाब के मुख्य मंत्री के पत्र की प्रतीक्षा कर रहा हूँ तथा इसके बाद मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से बातचीत करूंगा । उसके बाद हम यह तय करेंगे की शर्तें हमें स्वयं तय करनी चाहिये अथवा सम्बन्धित पक्षों में शर्तों के सम्बन्ध में कोई समझौता हो सकता है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, the first mistake committed by the Central Government was that they did not accept the Shah Commission report *in toto* and as such an atmosphere of tension was created. And now after this decision and keeping in view of the deteriorating conditions in Fazilka, whether only solution is to put Fazilka under Central Administration, just like Chandigarh ?

Shri K. C. Pant : This suggestion is not under the Constitution of the Government.

श्री नाथ पाई : जैसा कि पहले प्रश्नकर्ता ने कहा है कि इस झगड़े का और अधिक दिनों तक चालू रहना देश की एकता के लिए खतरनाक है तथा इसके लिये शीघ्र ही उपाय किये जाने चाहिये । ऐसा कुछ पता नहीं चलता कि सरकार इसका ऐसे ही अन्य मामलों के सम्बन्ध में गम्भीर है । मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार निर्देशबद तय करेगी और यदि सम्बन्धित पक्षों में समझौता हो गया तो वे उसे मान लेंगे । तथा यह नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के बीच के झगड़े को कैसे सुलझाया जाये ? उनका झगड़ा फाजिल्का को ले कर हैं, उनका झगड़ा, सीमा के सम्बन्ध में है । दस्तावेज़ सरकार के पास हैं । संसद् को यह पता है कि दोनों राज्यों के नेताओं ने गांव, जनसंख्या तथा भाषा के बहुमत के निर्णय का आधार मान लिया था । सरकार के सामने इस उचित और लोकतांत्रिक हल को मानने के क्या कारण हैं ? मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अतिरिक्त वे कौन सा इससे अच्छा वैकल्पिक हल सुझा सकते हैं...(व्यवधान)...

श्री क० लकप्पा : यह संगत नहीं है। यह एक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न है। प्रश्न चण्डीगढ़ का...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें। मेरी बिना आज्ञा के इस प्रकार बोलना ठीक नहीं है।

श्री क० लकप्पा : यह बातें सदन में चल रही हैं और क्योंकि इससे मैसूर और महाराष्ट्र पर प्रभाव...(व्यवधान)...

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस तरह से न पूछे गये प्रश्नों के उत्तर माननीय मित्र द्वारा दिये जा चुके हैं। श्री चह्वाण ने, जब वे गृह-कार्य मंत्री थे, मुख्य मंत्रियों से आयोग के निर्देश पदों के सम्बन्ध में बातचीत की थी। मैं यह कह सकता हूं कि अबोहर और फाजिल्का इस झगड़े की जड़ नहीं है क्योंकि सरकारी निर्णय के अनुसार उन्हें हरियाणा में जाना है। यह कुछ अन्य क्षेत्र हैं जिनके बारे में राज्यों के मध्य समझौता नहीं हो सका है।

श्री नाथ पाई : पंजाब और हरियाणा के नौ नेता सहमत हो गये हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : नौ नेता सहमत हो सकते हैं पर जहां तक मेरी जानकारी है सरकारी प्रतिनिधि सहमत नहीं थे और अब भी उन्होंने निर्देशपदों का सुझाव नहीं दिया है जिन पर वो सहमत हों।

Shri Randhir Singh : I would like to know whether he is aware of the fact that the Chief Minister of Panjab Shri Badal had given a statement that if Fazilka and Abohar are not included in the terms of reference for the proposed Boundary Commission he will boycott that Commission and if so, whether he will be informed that we are not afraid of these threats.

If there is some effect of the statement of Shri Badal will this will be proposed to him that what to talk of Fazilka and Abohar, whole of Hoshiarpur, full Una Tehsil and Chandigarh and Amritsar City are Hindi speaking areas and they may also come in the terms of reference of the Commission so that the whole of the dispute is decided once for all ? Will you keep them in terms of reference ?

Shri K. C. Pant : We are not submitting to any threats.

Shri Randhir Singh : It is a matter of great pleasure that he is not submitting to any threats of Shri Badal.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : सीमाओं के कुछ क्षेत्रों के बारे में कई समस्यायें उठी हुई हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा सिद्धांत बनाया गया है या बनाया जा रहा है जो सब क्षेत्रों के लिए लागू हो अथवा इन पर राजनैतिक दृष्टि से निर्णय किया जाता है। यदि ऐसा सिद्धांत है तो कोई कुछ समझ में आता है। बिना सिद्धांत के अन्तर्राज्य झगड़ों के लिए कोई हल नहीं निकल सकेगा। महाराष्ट्र मैसूर के बारे में प्रश्न पैदा हुआ।

श्री क० लकप्पा : व्यवस्था के प्रश्न पर...(व्यवधान)...

श्रीमती शारदा मुकर्जी : महाराष्ट्र मैसूर वाली प्रश्न कई वर्षों से हल नहीं हो सकी है

और झगड़े का हल करने की कोई सम्भावना भी नहीं दिखाई देती है। क्या सरकार के पास कोई सिद्धांत हैं। हमें बताइये कि किन सिद्धांतों के अनुसार इन मामलों को हल किया जायेगा तथा निबटाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने पहले ही इस का उत्तर दे दिया है ...(व्यवधान) यही प्रश्न पहले भी पूछा गया था।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : परन्तु इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है। क्या हम यही निष्कर्ष निकालें कि इसका निबटारा राजनैतिक ढंग से होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि इन्होंने दूसरे सदस्य को उत्तर नहीं दिया तो आप कैसे उत्तर की आशा करती हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : आपने आज्ञा दी और प्रश्न पूछा गया है। उन्हें उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इससे महाराष्ट्र-मैसूर विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रंगा : आपने इस पर निर्णय नहीं किया। ये कह सकते है कि ये सहमत हैं या असहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं किसी प्रश्न की आज्ञा देता हूं और सदस्य कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री बलराज मधोक : क्या इस पर किसी सिद्धांत के अनुसार निर्णय किया जायेगा अथवा राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर निर्णय किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत खेद है। इसी प्रश्न का पहले उत्तर दिया जा चुका है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I want a categorical reply on two points. First point is that whether Government will alter its verdict and secondly is it a fact that both Governments have accepted the verdict *in toto* and, if not, the points on which they have not agreed ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है। आप इसे दोहरा क्यों रहे हैं ? मुझे खेद है कि मैं इसकी आज्ञा नहीं दे सकता ? क्या मंत्री महोदय को भी इस बारे में कुछ कहना है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जो कुछ मैंने पहले कहा उसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

कलकत्ता में वायु के दूषित होने की समस्या

*421. **डा० रानेन सेन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इन्जीनियरिंग संस्थान द्वारा कलकत्ते में किये गए एक

अल्पावधि सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां मोटर गाड़ियों के धुआं छोड़ने के कारण कार्बन मोनोक्साईड से वायु इतनी ही दूषित हो गई है जितनी कि न्यूयार्क, सिकागो तथा लन्दन जैसे विश्व के बड़े शहरों में ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मोटर गाड़ियों द्वारा धुआं छोड़ने से वायु दूषित होने की समस्या को हल करने हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा कलकत्ता में किए गए एक अल्पावधि सर्वेक्षण में ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है ।

(ख) एक विवरण निम्नलिखित है ।

विवरण

देश में वायु दूषण की आम समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित निर्देश पदों के साथ वायु दूषण नियन्त्रण की एक विशेषज्ञ समिति गठित की है :

(क) देश में वायु दूषण के बारे में पहले से उपलब्ध सामग्री को एकत्र करना और उसका समन्वय करना ।

(ख) देश में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा वायु दूषण के बारे में पहले ही किए गये कार्य का अध्ययन करना ।

(ग) हवा में वायु दूषण के विभिन्न संघटकों से होने वाले दूषण को अधिकतम सह्य मात्रा के मानक निर्धारित करना ।

(घ) हवा के नमूने लेने तथा उनके विशलेषण को विधियों तथा साधन तैयार करना ।

(ङ) वायु मण्डलीय दूषण की रोक थाम के लिए कार्य-संहिता और नियमावली तैयार करना ।

(च) अन्य देशों में मौजूदा वायु दूषण विषयक अधिनियमों का अध्ययन करना और भारत के लिए वायु दूषण नियन्त्रण विधेयक का एक प्रारूप तैयार करना ।

आशा है कि समिति इस विषय पर अपनी रिपोर्ट तथा विधेयक का प्रारूप शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी ।

श्रीलंका से भारत मूलक लोगों को स्वदेश वापस लाना

*422. **श्री नारायणन :**

श्री सामिनाथन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में भारत विरोधी भावनाएं दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान भारत मूलक 50,000 राज्य-विहीन लोगों को

स्वदेश वापस लाने के भारत के प्रस्ताव के बारे में श्रीलंका के "डेली न्यूज" द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को इसकी जानकारी है कि भारत मूल के राज्यविहीन व्यक्तियों से संबद्ध 1964 के भारत श्रीलंका समझौता के क्रियान्वयन के बारे में, भारत और श्रीलंका दोनों के समाचार-पत्रों में आलोचनायें की गई हैं और सुझाव दिए गये हैं ।

(ग) दोनों सरकारों ने समझौते को अक्षरशः क्रियान्वित करने का इरादा प्रकट किया है तथा इस विषय पर दोनों सरकार परस्पर सम्पर्क बनाए हुए है ।

झुग्गियों के निवासियों को दिल्ली में बहुमंजिले मकानों में बसाना

***423. श्री बलराज मधोक** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुग्गी निवासियों को झुग्गियों के स्थान पर बहुमंजिले मकानों में बसाने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना का ब्यौरा क्या है, इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा तथा दिल्ली के विभिन्न झुग्गी क्षेत्रों के बारे में प्राथमिकताओं का क्रम क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को हाल ही में यह कहा गया है कि आरम्भिक तौर पर वह झुग्गियों के निवासियों को उसी स्थान पर बहुमंजिले मकानों में पुनः बसाने के लिए एक पाईलट परियोजना तैयार करे, जहां अनुमोदित भूमि उपयोग इसकी अनुमति देता है ।

(ख) फिलहाल, इनमें से किसी का विवरण बताना समयपूर्व होगा ।

उर्वरक उत्पादन में कमी

***424. श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों में उर्वरकों के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो मांग को पूरा करने हेतु औसत उत्पादन बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं । पिछले साल के तदनुरूपी अवधि की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1970 की अवधि के दौरान नाईट्रोजनी उर्वरक के उत्पादन में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । परन्तु

फास्फेटिक उर्वरक के पिछले साल के तदनुरूपी अवधि की तुलना में उसी अवधि के दौरान, उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की कमी हुई।

(ख) सरकार उर्वरक एककों में, उत्पादन की गतियों की निरन्तर देख रेख कर रही है और वर्तमान एककों में उर्वरकों के उत्पादन में सुधार के लिए जहां कहीं आवश्यक हो, उचित औपचारिक कदम उठाये जाते है।

संयुक्त राष्ट्र में चीन का प्रवेश

*425. श्री शंकरराव माने :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश के प्रश्न पर चर्चा करने का हाल ही में निर्णय किया है ;

(ख) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का समर्थन किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के प्रवेश का समर्थन किया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). भारत ने उस प्रस्ताव के प्रारूप के पक्ष में मत दिया था जिसमें चीन लोक गणराज्य को स्थान देने और ताईवान के निष्कासन की मांग की गई थी। 50 अन्य देशों ने भी यही रुख अपनाया था। एक विवरण निम्नलिखित है जिसमें इन देशों का नाम दिया गया है।

विवरण

उन 50 देशों के नामों की सूची जिन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था जिसमें चीन लोकगणराज्य को स्थान देने और ताईवान के निष्कासन की मांग की गई थी :—

अफगानिस्तान, अलबानिया, अलजीरिया, आस्ट्रिया, बलगारिया, बर्मा, बुरुंडी, बाइलो-रुसीआ, कनाड़ा, श्रीलंका, चिली, क्यूबा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, इक्वेटोरियल गिनी, एथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, घाना, गिनी, हंगरी, ईराक, इटली, केनिया, लिबिया, माली, मोरिटानिया, मंगो-लिया, मोरक्को, नेपाल, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, कांगो लोक गणराज्य, मोलैंड, रूमानिया, सोमालिया, दक्षिणी यमन, सूडान, स्वीडन, सीरिया, उगांडा, उकरेन, सोवियत रूस, संयुक्त अरब गणराज्य, इंग्लैंड, तनजानिया संयुक्त गणराज्य, यमन, यूगोस्लाविया, जाम्बिया।

भारत-नेपाल सम्बन्ध

*426. श्री मथावन : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दंडपाणि :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेपाल के साथ भारत के सम्बन्ध खराब हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या काठमांडू में भारतीय दूतावास के सम्मुख नेपाल में जोरदार प्रदर्शन हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) यह कहना सच नहीं है कि हाल ही में भारत नेपाल संबंधों में बिगाड़ हुआ है।

(ख) कुछ विद्यार्थियों नें, नवम्बर के शुरू में होने वाले फिल्म समारोह को रद्द करने के लिये, काठमांडू स्थित भारतीय राजदूतावास के सामने प्रदर्शन किया था।

(ग) इस प्रदर्शन को नेपाली पुलिस द्वारा तितर बितर कर दिया गया था और दोनों देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं।

Activities of Armed Burmese Nagas on Indo-Burma Border

*427. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the armed Burmese Nagas have again launched their activities on the Indo-Burma border at the instigation of China ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Government have no such information. However, our Security Forces are taking necessary steps to prevent the violent activities of the extremist elements in that area.

राजस्थान में पन्ने के निक्षेप

*428. **श्री सीताराम केसरी** :   **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :

श्री ज० अहमद :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में अजमेर तथा उदयपुर के बीच 150 मील की दूरी में पन्ने के निक्षेपों का पता लगा है ;

(ख) क्या पता लगाने का यह कार्य भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किया गया था अथवा किसी विदेशी एजेन्सी या दल के द्वारा और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वाणिज्यिक स्तर पर उनका दोहन करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां। पन्ना वाले महाकणाशम, लगभग 200 किलोमीटर लम्बी पट्टी में विभिन्न खण्डों में है जो अजमेर तथा उदयपुर जिलों में अवस्थित है।

(ख) यह कार्य केवल भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किया गया था।

(ग) अधिकतर क्षेत्र निजी उद्योगपतियों के पट्टे के अधीन में है। प्राइवेट सेक्टर में पन्ने के उत्पादन के सम्बन्ध में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध नहीं है। जानकारी एकत्रित की जा रही है

ग्रौर सभा-पटल पर रखी जायेगी। तथापि पब्लिक सेक्टर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम भी उदयपुर में गम्गड़ा निक्षेप के खनन के लिए सम्भाव्यता अध्ययन कर रहा है।

गोरखपुर के निकट एक विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

*429. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसा कि 25 ग्रक्तूबर, 1970 के समाचार पत्र **संडे स्टेण्डर्ड** में प्रकाशित हुआ है, 24 ग्रक्तूबर, 1970 को गोरखपुर के निकट एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या कारण थे ;

(ग) तो उस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये तथा दुर्घटना के परिणामस्वरूप ग्रनुमानतः कितनी वित्तीय हानि हुई है ; ग्रौर

(घ) क्या सरकार ने कोई जांच कराने का ग्रादेश दिया ग्रौर यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). विमान चालक जो उस विमान में अकेला यात्री था, निधन प्राप्त हुआ। दुर्घटना की जांच करने के लिए एक कोर्ट ग्राफ इन्क्वायरी ग्रादिष्ट कर दी गई है। उसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

पाकिस्तान का सैन्य बल

*430. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का सैन्य बल भारत की अपेक्षा ग्रधिक है जैसा कि दिनांक 24 ग्रक्तूबर, 1970 के **"स्टेट्मैन"** में छपा था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसपर क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) पाकिस्तानी सेना की वर्तमान शक्ति क्या है ; ग्रौर

(घ) इस स्थिति का सामना करने के किए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). सरकार ने समाचार पत्रों में उल्लिखित रिपोर्ट देखी है। जैसा कि पहले एक ग्रवसर पर सदन में कहा गया है, गत कुछ वर्षों में व्यवहार्यतः पाकिस्तानी सेनाग्रों ने ग्रपनी शक्ति दुगनी कर ली है। पाकिस्तान द्वारा आयुधों में वृद्धि द्वारा पैदा हो गई स्थिति तथा ग्रपने रक्षा उत्तरदायित्वों पर उसके प्रतिकारों के प्रति सरकार सजग है, ग्रौर ग्रपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने उचित उपाय कर लिए हैं।

दिल्ली के अस्पतालों में कुशल नर्सों की अत्यधिक कमी

*431. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से दिल्ली के अस्पतालों में और सामान्यतः, विभिन्न राज्य-अस्पतालों में कुशल नर्सों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में प्रति वर्ष अधिकतर कुशल नर्सें काम छोड़ कर चली जाती हैं ;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी कितनी प्रशिक्षित नर्सें काम छोड़ कर चली गई हैं ; और

(ङ) क्या इन नर्सों को उन कुछ एजेंसियों की सहायता से विदेशों में अत्यधिक लाभप्रद काम मिल जाता है जो ऐसे काम दिलाने में लगी हुई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह). (क) और (ख). दिल्ली में कुशल नर्सों की भारी कमी नहीं है। तमिलनाडु महाराष्ट्र, पांडिचेरी, गुजरात, त्रिपुरा की सरकारों ने बतलाया है कि वहां ऐसी कोई कमी नहीं है। अन्य राज्यों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है। कुछ नर्सें या तो विवाह आदि जैसे व्यक्तिगत कारणों से अथवा देश में या उससे बाहर को अन्य संस्थाओं में नौकरी कर अपने भविष्य को सुधारने के लिए नौकरी छोड़ देती हैं।

(ग) और (घ). गत तीन वर्षों में (1968-70) प्रमुख अस्पतालों को छोड़ने वाली नर्सों की संख्या इस प्रकार है :

(1) विलिंग्डन अस्पताल	104
(2) सफदरजंग अस्पताल	150
(3) लेडी हार्डिंग अस्पताल	51
(4) इर्विन अस्पताल	35
(5) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	124

(ङ) विदेशों में पद निःसन्देह अधिक आर्थिक लाभ देने वाले हैं, किन्तु भारत सरकार को नर्सों के बड़ी संख्या में विदेश चले जाने अथवा इस प्रयोजन के लिए किसी सुव्यवस्थित एजेंसी के काम करने की कोई जानकारी नहीं है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कर्मचारी की राजनयिक पद पर नियुक्ति

*432. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक भूतपूर्व कर्मचारी श्री रोडुल्फ ज्ञान डिमैलो को किसी राजनयिक पद पर नियुक्त किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : श्री रूडोल्फ ज्ञान डिमैलो को क्यूबा स्थित भारतीय राजदूतावास में अन्तःकालीन परामर्शदाता/कार्यदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद के लिए उपयुक्त होने के कारण ही उनका चयन किया गया है। वह दर्शन, राजनीति तथा अर्थशास्त्र में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध उनका विशेष विषय रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र (1968) की 23वीं महासभा के प्रतिनिधि मण्डल में थे।

श्री डिमैलो 1965 से 1967 तक अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के महासचिव थे।

देश में चिकित्सा सेवा के स्तर में सुधार

*433. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चिकित्सा सेवा के स्तर को सुधारने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर चौथे पंचवर्षीय आयोजन में विचार किया गया और सरकार के पास उपलब्ध धन के अनुसार उनकी क्रियान्विति चरणबद्ध ढंग पर की जा रही है। चौथे पंचवर्षीय आयोजन में अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए राज्य क्षेत्र में 75 करोड़ रुपये का तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 14.29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम क्षेत्रों में चिकित्सा की व्यापक सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से चौथे पंचवर्षीय आयोजन में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निमित राज्य क्षेत्र में 31.51 करोड़ रुपये का तथा केन्द्रीय क्षेत्र में 43.98 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विशेषतया ग्राम क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी पूरी-पूरी सुविधाएं देने के विचार से अनेक कार्यक्रमों तथा आयोजन में सम्मिलित योजनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया जा रहा है और सुधार लाने एवं असन्तुलनों को ठीक करने के लिए एक बृहद आयोजना तैयार की जा रही है।

10 और 11 दिसम्बर, 1970 को चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राज्यों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हो रहा है। यह सम्मेलन बृहद आयोजना के साथ-साथ उपलब्ध साधनों से ही सुधार करने के अन्य उपायों पर भी विचार करेगा।

'Dengue' Fever in the Country

*434. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether new type of fatal 'dengue' fever has taken an epidemic form in Delhi, Gwalior and some other cities in the country ;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether doctors have not so far been able to find a suitable remedy for this fever; and

(d) the details of the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri K. K. Shah): (a) and (b). The Government is aware that 'dengue' fever occurred during September-October, 1970 in Gwalior city and this disease is being recorded in Delhi since October, 1970. In neither of two cities, this disease had occurred in fatal or epidemic form. No other city in the country has so far reported epidemic of this disease.

(c) There is no specific treatment for this disease, which is self-limiting and does not require any specific treatment except to relieve the Symptoms of pain and fever.

(d) The steps taken to control this disease are given in the following statement :—

STATEMENT

1. The public were advised through press advertisements to the effect that 'dengue' is a disease with sudden rise of temperature, severe headache and pain in the muscles and joints. At initial stages, a rash may also appear on the body.

2. The disease is spread through the bite of mosquito which breeds in small clean collections of water in pitchers, flower pots, etc. The public were advised not to allow such collections of water.

3. All the State Administrative Medical Officers were advised to intimate telegraphically any increase in the incidence of 'dengue' fever.

4. A close vigilance was maintained on the day-to-dav trend of the disease.

5. Anti-larval measures are being intensified.

भारत-लंका समझौते की शीघ्र क्रियान्विति के लिए नई प्रक्रिया

*435. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-लंका समझौते को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए भारत तथा लंका के अधिकारियों ने नई प्रक्रिया विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसका लंका से भारतीयों की स्वदेश वापसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1964 के भारत-लंका समझौते के क्रियान्वयन की विद्यमान पद्धति सुप्रवाही बनाने के कुछ प्रस्तावों के बारे में लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त और लंका सरकार के बीच सक्रिय बातचीत चल रही है।

(ख) ये प्रस्ताव भारतीय मूल के उन राज्यविहीन व्यक्तियों से संबंधित हैं जिन्हें उपर्युक्त समझौते के अधीन भारत आना है, उन्हें देश प्रत्यावर्तन एवं नागरिकता प्रदान करने से संबंधित प्रशासनिक पद्धति के बा' में है।

(ग) पहले अनेक कारणों से देश प्रत्यावर्तन की गति कुछ धीमी रही। विचार-विमर्ष किये जा रहे प्रस्तावों की लक्ष्य गति को तेज करना है।

देश में क्षय रोग नाशक औषधियों का उत्पादन

*436. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में शीघ्र ही क्षय रोग नाशक औषधियों का उत्पादन किया जायेगा ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनका उत्पादन किस फर्म द्वारा किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) देश में अधिकांश क्षय रोग नाशक औषधियों का उत्पादन पहले से ही किया जा रहा है।

(ख) एक विवरण निम्नलिखित है ।

विवरण

संगठित क्षेत्र में क्षय रोग नाशक औषधियों और उनका उत्पादन करने वाले/फर्मों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. **स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट:**
   (i) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स, लि०, पूना ।
   (ii) सन्बायोटिक्स लि०, बड़ोदा ।
   (iii) इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (एन्टीबायोटिक्स संयंत्र, ऋषिकेष), नई दिल्ली ।

2. **पी० एस० एस० और उसके लवण :**
   (i) फिजर लि०, बम्बई ।
   (ii) बाइलौजीकल इवन्स लि०, हैदराबाद ।
   (iii) वांडर लि०, बम्बई ।
   (iv) बायोकैमिकल्स एंड सेंथेटिक प्रोडक्ट लि०, हैदराबाद ।

3. **आइ० एन० एच० :**
   (i) बंगाल इम्युनिटी कम्पनी लि०, कलकत्ता ।
   (ii) बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स लि०, कलकत्ता ।
   (iii) फिजर लि०, बम्बई ।
   (iv) कैमो-फर्मा लबोरेटरीज लि०, बम्बई ।
   (v) बाइलौजीकल इवन्स लि०, हैदराबाद ।

(vi) सैन बौयटिक्स लि०, बड़ौदा।

(vii) कलकत्ता कैमीकल्स कम्पनी लि०, कलकत्ता।

(viii) कैमीकल इण्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स, लबोरेटरीज लि०, बम्बई।

थियसिट जोन :

(i) बंगाल इम्यूनिटी कम्पनी लि०, कलकत्ता।

(ii) यूनीकम लबोरेटरीज लि०, बम्बई।

(iii) बाइलौजीकल इवन्स लि०, हैदराबाद।

(iv) कैमो-फर्मा लबोरेटरीज लि०, बम्बई।

चित्तरंजन कैंसर अस्पताल के विकास के लिये पश्चिम बंगाल को केन्द्रीय अनुदान

*437. **श्री भगवान दास : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल के विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 2 लाख रुपये का अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को कोई आश्वासन दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख). इस वर्ष अगस्त में चित्तरंजन कैंसर अस्पताल को कैंसर रोग के खोज सम्बन्धी कार्य के लिए तदर्थ आधार पर दो लाख रुपये दिये गये थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों को हल्के शस्त्रास्त्रों का निर्यात

*438. **श्री रा० बरुआ :**

श्री महादेवप्पा रामपुरे :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे आयुध कारखानों में निर्मित शस्त्रास्त्रों के निर्यात के लिए काफी गुंजायश है ;

(ख) क्या कई देशों ने भारतीय शस्त्रास्त्रों की मांग की है परन्तु उत्पादन के वर्तमान कार्यक्रम अथवा कतिपय अन्य कठिनाइयों के कारण इनकी सप्लाई करना कठिन है ;

(ग) क्या कतिपय देशों को भारत में निर्मित हल्के शस्त्रास्त्रों के निर्यात किये जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा विदेशों को हल्के शस्त्रास्त्रों का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). अपनी आर्डनेंस फैक्टरियों में उत्पादन क्षमता को अनिवार्य तौर पर अपनी सशस्त्र सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगाया गया है। तदपि अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात् छोटे आयुधों तथा गोलीबारूद की कुछ मदें, फालतू पुर्जों के कई वर्ग, और व्यापक सामानों की कुछ मदें सीमित राशियों में कई मित्र देशों को निर्यात की जाती हैं। अधिक विस्तार देना लोकहित में न होगा।

देश में संक्रामक रोगों का उन्मूलन

*439. **श्री जनार्दनन** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में संक्रामक रोगों के उन्मूलन के संबन्ध में की गई प्रगति का पुनरावलोकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) तीन वर्षों में संक्रामक रोगों के विरूद्ध अभियान में तीव्रता लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी० —4445/70]

भारत के क्रिश्चियन समुदाय द्वारा परिवार नियोजन उपायों का कार्यान्वयन

*440. **श्री एन० शिवप्पा** : **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्रिश्चियन यूनियन आफ इंडिया ने परिवार नियोजन उपायों का समर्थन करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने तथा ईसाइयों को राष्ट्र की सेवा में रत समुदाय के रूप में चित्रित करने के विचार से सभी ईसाइयों को इस कार्य में जुटाने का प्रयत्न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ईसाई समुदाय के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) समझा जाता है कि क्रिश्चियन यूनियन आफ इंडिया की

कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रमों से सम्बन्धित एक वक्तव्य में यूनियन ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को समर्थन देने की बात कही है और सभी चर्चों से परिवार नियोजन के उपायों को लागू करने में पूरा सहयोग देने की अपील की है।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम बिना जाति, धर्म अथवा वर्ग का भेदभाव किए सभी प्रजननशील दम्पत्तियों के लिए है और इसकी सेवाओं का लाभ सभी सम्प्रदायों के लोग उठाते हैं। विभिन्न सम्प्रदायों के लिए इसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अलग से कोई नीति नहीं अपनाई जाती। सरकार इस कार्यक्रम को प्राप्त हो रही सभी सहायता का स्वागत करती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में परिवार नियोजन संस्थान की स्थापना

*441. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी प्रयत्नों को अधिक सक्रिय बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में एक परिवार नियोजन संस्थान की स्थापना करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ प्रमुख उद्योगपतियों ने परिवार नियोजन संस्थान की स्थापना के लिए एक योजना भेजी है ; और

(घ) उपर्युक्त संस्थान के कब तक काम प्रारम्भ कर देने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (घ). परिवार नियोजन संस्थान भारतीय संस्था पजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्रमुख उद्योगपतियों और व्यवसायिक पुरुषों और महिलाओं के एक दल ने इस संस्थान का गठन किया है जिसके अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा हैं। यह एक गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठन है। परिवार नियोजन संस्थान के संघ के ज्ञापन के अनुसार उसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(1) किसी भी रूप में या किसी भी प्रकार से जनसंख्या नियन्त्रण के किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान का आयोजन करना, समर्थन करना उसे प्रोत्साहन देना, संचालित करना, प्रारम्भ करना या उसमें सहायता देना ; तथा

(2) वे सभी कार्य करना और उन सभी कार्यकलापों को प्रारम्भ करना जो उपर्युक्त उद्देश्य के लिए सहायक या प्रासांगिक हों और उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी संस्था या संस्थानों की स्थापना और देख रेख करना।

संस्थान के पंजीकरण के पश्चात इसके प्रबन्ध मन्डल की पहली बैठक 23 नवम्बर, 1970 को हुई बताई गई है।

नेपाल की सहायता

*442. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में नेपाल सरकार को कितनी वित्तीय तथा अन्य प्रकार की

सहायता दी गई और उनकी प्रस्तावित चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) उक्त सहायता की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसी कुछ शर्तों का नेपाल द्वारा इससे पहले उल्लंघन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन, पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि दी गई :—

1967-68	8.81 करोड़ रुपये
1968-69	10.98 „ „
1969-70	12.01 „ „

1964 में नेपाल को दिए गए एक करोड़ रुपये के औद्योगिक ऋण में से 41.88 लाख रुपये दिए जा चुके हैं।

1 जुलाई 1970 से प्रारम्भ होने वाली नेपाल की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए नेपाल सरकार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की कुल मात्रा अभी तक तय नहीं हुई है। किन्तु, भारत का अनुमान है कि वह नेपाल की तीसरी पंचवर्षीय योजना से फैली हुई परियोजनाओं के लिए, 31 मार्च 1971 को समाप्त होने वाले वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान 12.55 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

(ख) भारत द्वारा नेपाल को दी जाने वाली सहायता के साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है। किन्तु भारत के सहयोग से पूरी की जाने वाली परियोजनाएं, विशिष्ट समझौतों के अन्तर्गत आती हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

देश में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना

***443. श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह के विकास के लिए कोई दीर्घकालीन नीति अपनाने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० रा० चव्हाण): (क) और (ख). पेट्रो-रसायन उद्योग समूह बहुत पूंजी वाले और अत्यन्त समेकेतिक एकक है। इस प्रकार के उद्योग-समूह की अर्थव्यवस्था में प्रधान और गौण एककों के निकट परस्परानुबन्धन की आवश्यकता होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेट्रो-रसायन उत्पाद का आयोजन दीर्घ अवधि

आधार पर होना जरूरी है। भविष्य में, विकास योजनाओं के अध्ययन के लिए सन् 1960 में डा० काने की अध्यक्षता में एक समिति को स्थापित करने के साथ, देश में पेट्रो-रसायन का आयोजन प्रारम्भ हुआ। अनेक अध्ययन दलों की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए तत्पश्चात समय समय पर पेट्रो-रसायन उद्योगों के बारे में नीति का पुनरवालोकन, इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए गए अनेक अध्ययन दलों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, किया गया है। इस समय पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिए लाईसेंस देने की नीति भविष्य की आवश्यकताओं और मांग पैटर्न के अनुरूप है। इसको ध्यान में रखते हुए, अब एक नई दीर्घ-अवधि नीति अपनाने का प्रश्न नहीं उठता।

अंधों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पादन में हानि

*444. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 1 अक्तूबर, 1970 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित इस सामाचार की ओर दिलाया गया है कि अन्धे लोगों में बेरोजगारी के कारण देश के उत्पादन में बहुत अधिक हानि हो रही है ;

(ख) देश में इस समय कितने अन्धे व्यक्ति रोजगार के बिना हैं ; और

(ग) इन अन्धे लोगों को समुचित रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी हां।

(ख) देश में बेरोजगार अन्धे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात नहीं है। तथापि शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के विशेष रोजगार कार्यालयों के चालू-रजिस्टरों में 31-10-70 को स्थिति के अनुसार अन्धे आवेदकों की संख्या 337 है। अन्धे रोजगार कार्यालयों के आंकड़े तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तों को जिनमें अन्धे व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों का एक विवरण निम्नलिखित है।

विवरण

सरकार ने शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को जिनमें अन्धे भी सम्मिलित हैं, रोजगार देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(1) समुचित रोजगार पाने में विशिष्ट सहायता देने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के लिए नौ विशेष रोजगार कार्यालय खोल दिए हैं।

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार के लिए तीसरे दर्जे की प्राथमिकता देना।

(3) शारीरिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों के विशिष्ट रोजगार कार्यालयों से सम्बद्ध मेडिकल बोर्डों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा कराने की व्यवस्था मौजूद है।

शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को आमतौर पर की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा नहीं करानी होती है वरन् उनकी असमर्थता के बावजूद भी जिस पद के लिए उनका चयन किया जाता हो वे उस पद के कार्यभार को निभाने के योग्य हैं अथवा नहीं इसका निर्धारण मेडिकल बोर्डों द्वारा किया जाता है ।

(4) केन्द्रीय सरकार के अधीन तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती करने के मामले में उच्चतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी गई है ।

(5) रेलवे और इंडियन एयर लाइन्स द्वारा परिवहन सुविधाओं की रियायत दी जाती है।

(6) शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को व्यावसायिक मूल्यांकन एवं व्यवस्था विषयक प्रशिक्षण देने हेतु बम्बई और हैदराबाद में व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं ।

नेहरू-कोटलावाला संधि की व्याख्या

*445. श्री न० कु० सांघी : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू-कोटलावाला संधि के अन्तर्गत जिन राज्यहीन लोगों को भारतीय राष्ट्रीयता का विकल्प दिया गया था उनको श्रीलंका के अप्रवास कानून के अन्तर्गत लाने के लिए वहाँ की सरकार कोई विधेयक ला रही है ; और

(ख) क्या भारत तथा श्रीलंका की सरकारों के बीच उक्त संधि की शर्तों की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद है ; और यदि हां, तो मतभेद मुख्य रूप से किन बातों पर हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी खास प्रस्ताव की जानकारी नहीं हैं, जिससे उन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ेगा जिन्हें नेहरू-कोटलावाला समझौता, अर्थात् 1954 के भारत श्रीलंका समझौता के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता मिली है ।

(ख) चूंकि भारत मूल के अधिकांश राज्य विहीन व्यक्तियों को 1964 के भारत-श्रीलंका समझौता के अन्तर्गत अभी इन दो देशों की नागरिकता प्रदान करनी है, अतः 1954 के उस समझौता को जिसे नेहरू-कोटलावाला समझौता के नाम से भी जाना जाता है, अब और कार्यान्वयन का प्रश्न नहीं उठता । इन दो देशों द्वारा स्वीकृत शेष दायित्वों को पूरा करने की आशा है ।

संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति से प्रधान मन्त्री की बातचीत

*446. श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री हाल ही में काहिरा में संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति से मिली थीं ; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति से हुई बातचीत के संदर्भ में पश्चिमी एशिया में शांति स्थापना के सम्बन्ध में उनका क्या अनुमान है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार, सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर 1967 के प्रस्ताव के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति से चिंतित है, जिसमें अधिकृत अरब क्षेत्रों से इसराईली सेनाओं की वापसी तथा न्यायोचित और स्थायी शान्ति की मांग की गई थी। अपनी इस चिंता को व्यक्त करते हुये भारत ने, अन्य देशों के साथ मिलकर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें जारिंग मिशन द्वारा पुनः अपना कार्य शीघ्र शुरू करने और सुरक्षा परिषद के नवम्बर 1967 के प्रस्ताव संख्या 242 के शीघ्र कार्यान्वयन की मांग की गई थी।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा वसूल की गई निर्माण लागत

*447. श्री वेंगलराया नायडू : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर खर्च किया गया धन उससे बहुत अधिक है जो गैर-सरकारी ठेकेदारों को दिया जाता यदि उनको उन परियोजनाओं के निर्माण का ठेका दिया गया होता ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम निर्माण कार्य पर अधिक धन क्यों खर्च करता है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं। निगम द्वारा निष्पादित या निष्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों के बारे में निर्माण की लागत, सिविल निर्माण कार्य में लगे सुस्थापित गैर सरकारी ठेकेदारों द्वारा दी गई दरों की अपेक्षा ऊंची नहीं हैं।

(ख) तथापि, निगम द्वारा लगाई गई निर्माण लागत को कम करने का प्रश्न निरन्तर परीक्षाधीन रहा है, और हाल ही में सरकार द्वारा गठित की गई अधिकारियों की एक समिति ने इस बारे में अपनी सिफारिशें दी हैं ; इनको कार्यान्वित किया जा रहा है।

खान वित्त निगम की स्थापना

*448. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले कुछ समय से छोटी खानों के मालिकों को खानों के विकास और परोपकारी कार्यों हेतु धन उपलब्ध कराने के लिए एक खान वित्त निगम स्थापित करने पर, विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां। खनन वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

प्रतिरक्षा संस्थानों के नैमित्तिक कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता का भुगतान

*449. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मानों को पाने वाले सभी प्रतिरक्षा संस्थानों के नैमित्तिक कर्मचारियों को हाल ही में वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार दी गई अन्तरिम सहायता का भुगतान नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). आकस्मिक निधियों से अदायगी किए गए कर्मचारिगण आकस्मिक श्रम और दैनिक उजरतों पर नियुक्त कर्मचारिगण को अंतरिम सहायता देय नहीं है ।

एम० ई० एस० के कुछ आकस्मिक कर्मचारियों के सम्बन्ध के संदर्भ में हाल ही में एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिनके बारे में रिपोर्ट है कि उन्हें केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता मिलता है, उनके मामले की छानबीन हो रही है ।

Complaints about Working of Indian Embassy in Ireland

*450. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the complaints made by several Indians residing in Ireland in regard to the working of the Indian Embassy at Dublin ; and

(b) if so, the details of the complaints and the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affrirs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir. Government have received a letter from the Indian Students Association, Dublin, Ireland, and also seen some correspondence in the Press expressing certain grievances against our Embassy in Ireland.

(b) Government are in correspondence with the Embassy in Dublin in this matter and have sought clarifications from it on the points raised.

ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत को दी जा रही टैरिफ संबंधी रियायतों को समाप्त करने का प्रस्ताव

*454. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने इस समय भारत को, अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ-साथ दी जा रही कोई टैरिफ सम्बन्धी रियायतों को समाप्त करने के लिये, कोई प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने विशेष व्यापार सम्बन्ध बनाए रखने के लिये ब्रिटेन की सरकार से लिखा-पढ़ी की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर ब्रिटिश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) सूती वस्त्र के मामले के सिवाय ऐसी किसी प्रस्तावित कार्यवाही का सरकार का ज्ञान नहीं है । सूती वस्त्र के विषय में ब्रिटिश सरकार

ने राष्ट्रमंडल अधिमान क्षेत्र से सूती वस्त्रों के आयात पर लगभग समस्त अधिमान को 1 जनवरी 1972 से समाप्त करने का प्रस्ताव किया है ।

(ख) तथा (ग). सूती वस्त्रों पर शुल्क लगाने के ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और इस विषय पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है ।

फ्रांस के वस्त्र प्रतिनिधिमंडल का भारत का दौरा

***456. श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपड़े के निर्यात के लिये करार करने हेतु एक फ्रांसीसी वस्त्र प्रतिनिधि मंडल ने हाल ही में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता के क्या परिणाम निकले और चालू वर्ष में फ्रांस को विभिन्न प्रकार का भारतीय कपड़ा कितनी मात्रा में निर्यात किए जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). वस्त्र तथा चमड़े के उत्पादों के फ्रांसीसी खरीदारों का एक गैर-सरकारी दल इस वर्ष अक्तूबर/नवम्बर के बीच भारत आया था । दल ने भारतीय निर्यातकों/निर्माताओं के साथ विचार-विमर्श किया, परन्तु यदि उन्होंने भारतीय पार्टियों के साथ कोई संविदाएं अथवा व्यवस्थाएं की हों तो उनके ब्यौरों के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में की गई हत्याओं में पुलिस कर्मचारियों का हाथ होने का संदेह

***457. श्री गणेश घोष :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में इस बात का पता चला है कि नक्सलवादियों द्वारा की गई अंधाधुंध हत्याओं में पश्चिम बंगाल में पुलिस के कई कर्मचारियों ने भी भाग लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में पुलिस के कितने कर्मचारियों पर हत्याओं में भाग लेने का संदेह है ;

(ग) उनमें से कितने सिपाही हैं, कितने सब-इन्सपेक्टर हैं और कितने इन्सपेक्टर हैं ; और

(घ) उनमें से कितनों को हिरासत में लिया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) यह कहना सही नहीं है कि इस बात का पता चला हैं कि पश्चिम बंगाल में पुलिस के कई कर्मचारियों ने हत्याओं में भाग लिया है।

(ख) से (घ). उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य पुलिस का एक कांस्टेबल एक हत्या के मामले के बारे में गिरफ्तार किया गया है । मामले की जांच की जा रही है ।

पश्चिम बंगाल प्रशासन में परिवर्तन

*458. श्री दण्डपाणि :　　　　　　　　श्री सामिनाथन :

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र पश्चिम बंगाल के प्रशासन में मूल भूत परिवर्तन और वहां कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों की जांच-पड़ताल करना चाहता है जिससे वहां नक्सलवादियों का आंतक दबाया जा सके ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सरकार पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों की अहिंसा को कुचलने तथा सामान्य स्थिति को बहाल करने के लिये सभी सम्भव उपाय कर रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को उन्नत तथा सशक्त करने, कर्मचारियों की उचित नियुक्ति, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था इत्यादि से सम्बन्धित प्रश्नों की लगातार समीक्षा की जा रही है।

विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का दौरा

*459. श्री लखन लाल कपूर :　　　　　　श्रीमती सुचेता कृपालानी :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1970 के प्रथम दो सप्ताहों में कितने विदेशी व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने भारत का दौरा किया और उनके तथा उनके देशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अधिकारियों, निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों तथा अन्य व्यक्तियों से की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4446/70]

Government Property destroyed by Naxalites in West Bengal

*460. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the extent of property of the State Government of West Bengal destroyed by the Naxalites in West Bengal and the total financial loss suffered as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : Information is being obtained from the State Government.

केरल में रबड़ उगाने वालों को दिया गया रबड़ का कम मूल्य

*461. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कृषि मन्त्री ने केरल में रबड़ उगाने वालों को दिये गये रबड़ के कम मूल्यों के बारे में केन्द्रीय सरकार को लिखा है ;

(ख) वह वर्तमान प्रक्रिया क्या है जिसके अन्तर्गत मूल्य स्तर में अपने आप वृद्धि हो जाती है ; और

(ग) क्या रबड़ बोर्ड को इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) रबड़ की कीमत समय-समय पर टैरिफ आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित की जाती है । टैरिफ आयोग उचित मूल्यों के विषय में आवधिक तौर पर जांच करता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तरी बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना

*462. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पूर्व निर्णय के अनुसार उत्तरी बंगाल में बिजली की नियमित रूप से सप्लाई जारी रखने हेतु उत्तरी बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना करने सम्बंधी कोई योजना तैयार की है ;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने ऐसी परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में किसी स्थान का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना करने के बारे में कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ;

(घ) क्या जलढाका पनबिजली परियोजना उत्तरी बंगाल को बिजली की आवश्यकता को पूरा करने पर असफल रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार उस क्षेत्र में बिजली की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिये अन्य क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उत्तरी बंगाल और उत्तरी पूर्वी बिहार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक ताप बिजली परियोजना के प्रतिष्ठापन के संबंध में जांच की जा रही है । प्रारम्भिक अनुसंधान कार्य के पश्चात् ही परियोजना के स्थल और अन्य ब्यौरे का पता चलेगा । परियोजना के कार्यान्वियन के संबंध में निर्णय परियोजना रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद लिया जाएगा ।

(घ) जलढ़ाका परियोजना से बिजली सप्लाई की निर्भरता पर असाधारण रूप से गंभीर बाढ़ों का प्रभाव पड़ा है । बराज और उमड़ मार्ग के पूर्ण होने से और 9 मेगावाट के तीसरे यूनिट के प्रतिष्ठापन से जलढाका पन-बिजली परियोजना से बिजली की सप्लाई की निर्भरता सुधर जायेगी ।

(ङ) डीजल उत्पादन में वृद्धि ला कर उत्तरी बंगाल में वैकल्पिक बिजली सप्लाई का

प्रबन्ध कर दिया गया है। पैकेज ताप संयंत्र लगा कर तथा असम में बोगाइ गांव से कूच बिहार के निकट अलिपुर द्वार पर अन्तर्राज्यीय लाइन के निर्माण से बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है।

राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण में सुधार

*463. **श्री रा० बरुआ :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में राज्य व्यापार निगम का कार्यकरण बहुत प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है ; और

(ख) क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाया है और राज्य व्यापार निगम के कार्य में सुधार लाने के लिये कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम का व्यवसाय, अप्रैल-नवम्बर, 1970 के प्रथम आठ वर्षों में, गत वर्ष की उसी अवधि में हुए 87.86 करोड़ रुपये से बढ़ कर 114.76 करोड़ रुपये हो गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विकसित देशों को वरीयता देने की योजना

*464. **श्री सीताराम केसरी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित देशों द्वारा वरीयता देने की सामान्य योजना से दो बिलियन डालर का अतिरिक्त व्यापार हो सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो वरीयता की इस योजना से लाभ उठाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) यद्यपि समाचार पत्रों ने 2 बिलियन डालर की संख्या दी है परन्तु योजनाओं में बहुत से विचारातीत तथ्यों के होने के कारण इस समय कोई सही पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) भारत सरकार, उद्योग तथा व्यापार की सलाह से उन वस्तुओं का पता लगा रही है जिनको इस योजना से लाभ पहुंचने की संभावना है और उन मदों के सम्बन्ध में अपेक्षित आंकड़े एकत्र कर रही है, ताकि यदि और जब भी योजना शुरू हो तब उस योजना से अधिकतम लाभ उठाया जा सके। सरकार उन उत्पादों का, जिनको इस योजना से लाभ पहुँचने की संभावना है, अधिक उत्पादन सुकर बनाने के लिये भी कदम उठा रही है।

वर्ष 1970-71 के लिये रूई सम्बन्धी नीति

*465. **श्री देवराव पाटिल :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1970-71 के लिये रूई सम्बन्धी नीति की घोषणा कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कपास उगाने वालों को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग). कपास उगाने वालों को न्यूनतम उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से रूई की विभिन्न किस्मों के लिए समर्थन कीमतों की घोषणा कर दी गई है जो 1969-70 की समर्थन कीमतों के स्तरों से 5 प्रतिशत अधिक है । यह आश्वासन भी दिया गया है कि सरकार समर्थन कीमतों पर विक्रय के लिये प्रस्तुत की गई रूई को खरीदने के लिये तैयार होगी । स्टाक तथा उधार नियंत्रण की व्यवस्था के माध्यम से और अन्य उपायों द्वारा रूई का विपणन विनियमित किया जाएगा ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित कारों की बिक्री

***466. श्री चेंगलराया नायडू** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम को आयातित कारों के बेचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि ग्राहक उन कारों के लिये निर्धारित किये गये ऊंचे मूल्य देने को तैयार नहीं हैं ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम के पास कई कारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और निगम को उनकी मरम्मत पर भारी व्यय करना पड़ रहा है क्योंकि वे कारें बहुत समय से नहीं बिक पाई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन कारों को उचित मूल्यों पर बेचने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि राज्य व्यापार निगम को और अधिक हानि न उठानी पड़े ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में बांधों से लाभ

***467. श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में चल रही सूखे की स्थिति में वहां के बांध किसानों के लिये पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं ;

(ख) बिहार में बांधों का निर्माण करते समय प्रत्येक बांध से कितने क्षेत्र की सिंचाई किये जाने का अनुमान था तथा उपरोक्त प्रत्येक अवसर पर प्रत्येक बांध से वस्तुतः कितने क्षेत्र की सिंचाई की गई ;

(ग) क्या प्रत्येक मामले में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—4447/70]

पश्चिमी बंगाल में डिघा नामक स्थान पर समुद्री तट का कटाव

*468. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में स्वास्थ्यवर्धक तथा पर्यटक-केन्द्र डिघा पर समुद्र तट का अत्यधिक कटाव चिन्ता का विषय बनता जा रहा है ;

(ख) यह कटाव कब शुरू हुआ था ;

(ग) डिघा नगर की ओर बढ़ते हुए समुद्र को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या जिन मकानों और सड़कों को कटाव से खतरा पैदा हो गया है उन्हें अन्यन्त्र बनाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने यह सूचित किया है कि दीघा में सागर तट पर गत दस वर्षों से धीरे धीरे कुछ समुद्र कटाव हो रहा है। इस अवधि में कुल कटाव लगभग 60 मीटर चौड़े और लगभग 5 किलोमीटर लम्बे क्षेत्र में हुआ है। 1970 के दौरान लगभग 12 मीटर चौड़े क्षेत्र में कटाव हुआ।

(ग) समुद्र की तरफ बोल्डर पिचिंग के साथ तट बन्ध के निर्माण के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। तट के साथ साथ पेड़ लगाने का भी प्रस्ताव किया गया हैं। दीघा विकास बोर्ड इस उपायों पर विचार कर रहा है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इडिक्की परियोजना को क्रियान्विति में विलम्ब के कारण सदर्न ग्रिड में विद्युत का अभाव

*469. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडिक्की परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब के कारण सदर्न ग्रिड में विद्युत का अभाव हो जायेगा ; और

(ख) इसे तथा अन्य विकास कार्यक्रम को ठप्प हो जाने को रोकने के उद्देश्य से क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). यह अनुमान लगाया गया है कि इडिक्की परियोजना के 130-130 मैगावाट के दो यूनिटों का

अनुसूचित चालन हो जाने पर भी चौथी योजना के अन्त तक दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 600 मेगावाट की कमी होगी। इडिक्की परियोजना की प्रगति में देरियों के मुख्य कारण ये रहे हैं: श्रमिक विवाद, अनुसूची के अनुसार कार्यों को पूरा करने में ठेकेदारों की असमर्थता, कुलामऊ बांध स्थल पर दुर्घटना के कारण एक ठेकेदार की मृत्यु और फलस्वरूप कार्य की क्रियान्विति के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करने में देरी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं कि इडिक्की का प्रथम यूनिट संशोधित अनुसूची के अनुसार, अर्थात 1973 के उत्तरार्द्ध तक, चालू हो जाए। सिविल कार्यों की प्रगति को तेज करने के लिए अतिरिक्त उपकर प्राप्त किया गया हैं। श्रमिक विवादों का समाधान किया जा रहा है और कार्य की अधिक महत्वपूर्ण मदें विभागीय तौर पर हाथ में ली गई हैं। वित्तीय संसाधनों को तंगी के कारण चौथी योजना के दौरान लाभ-प्राप्ति के लिए दक्षिणी क्षेत्र में बिजली उत्पन्न करने की और स्कीमों को अभी तक स्वीकार करना संभव नहीं हुआ है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए पग उठाए जा रहे हैं कि जो परियोजनाएं पहले स्वीकार हो चुकी हैं, वे चौथी योजना में लाभ पहुंचाने के लिए चालू हो जायें। पांचवी योजना के शुरू शुरू में लाभ-प्राप्ति के लिए नई स्कीमों के अनुसंधानार्थ कार्यवाही की जा रही है ताकि यथा संभव अधिकतम मात्रा तक दक्षिणी क्षेत्र में बिजली की कमी घट जाए।

काजू के निर्यात में कमी

*470. श्री प० गोपालन :

श्री तेन्नेटी विश्वनाथन :

क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू का निर्यात कम होता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(घ) क्या सरकार ने काजू का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). अप्रैल से अक्टूबर, 1970 की अवधि के अन्तिम निर्यात आंकड़ों की 1969 की उसी अवधि से तुलना करने पर मामूली गिरावट दिखाई देती है। यह मुख्यतः आयात करने वाले कुछ प्रमुख देशों द्वारा कम माल मंगवाने के कारण हुआ है।

विक्रय दल प्रायोजित करके तथा अन्य सवर्धनात्मक उपायों द्वारा नये बाजारों का विकास करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

उत्तरी क्षेत्र में बिजली का अभाव

*471. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अत्यधिक अभाव के परिणामस्वरूप बिजली में की गई अत्यधिक

कटौती के कारण उत्तरी क्षेत्र में उद्योग तथा कृषक अधिक उत्पादन का स्तर बनाये रखने में बड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं ; और औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को गम्भीर धक्का लगा है ;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में भी बिजली का अत्यधिक अभाव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और देश में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). बिजली की कमी, जिस से बिजली की सप्लाई में कटौती करना आवश्यक हो गया है, मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में हुई है और इसका कारण यह है कि भाखड़ा और रिहन्द बांधों के जलाशय वाह-क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा के कारण सामान्य स्तर तक नहीं भरे हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश से इस समय लगभग 10 प्रतिशत की कटौती की गई है । पंजाब में नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी को बिजली की सप्लाई 30 लाख यूनिट से कम करके 23 लाख यूनिट कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और सतपुड़ा केन्द्रों से और बिजली ली जायेगी। और डीजल सैट चालू किये जायेंगे । बिजली के इन सभी अतिरिक्त स्रोतों के साथ, यह आशा की जाती है कि दिसम्बर के मध्य से पंजाब में लगभग 25 प्रतिशत कटौती की जायेगी। उत्तर प्रदेश में सहवर्ती राज्यों और दामोदर घाटी निगम से और अधिक बिजली लेने के प्रयास किए जायेंगे। आशा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25 प्रतिशत बिजली की कटौती की जायेगी।

पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिये सामान्यतः एक समान बिजली की कटौती की जायेगी। उद्योग और कृषि पर इसका निम्न प्रकार से प्रभाव पड़ेगा।

पंजाब में ग्रामीण फीडर बारी से बन्द किये जायेंगे—औसतन प्रत्येक फीडर एक दिन में लगभग 6 घन्टों के लिये बन्द किया जाएगा। लघु और मध्यम उद्योगों रक्षा/निर्यात आधारित उद्योगों और संतत प्रक्रम उद्योगों को छोड़कर, सभी उद्योगों के लिए एक समान कटौतियां की जायेंगी।

उत्तर प्रदेश में, ग्रमीण फीडरों को प्रतिदिन 4 घंटों के लिए बिजली की सप्लाई बन्द रखी जायेगी, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए यह प्रतिदिन 5 बजे सायं से 10 बजे रात्रि तक बिजली की सप्लाई बन्द रहेगी, बड़े उद्योगों के लिए बिजली की सप्लाई सीमित कर दी जाएगी।

दिल्ली की भावी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् तथा महापौर से विचार-विमर्श

*472. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग को दृष्टि में रखते हुए दिल्ली की भावी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में सरकार ने दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद तथा महापौर से विचार-विमर्श किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार दिल्ली के संसद सदस्यों से भी परामर्श करने का है ; और

(ग) क्या मार्च, 1971 में होने वाले नगर निगम के चुनावों से पूर्व कोई निर्णय कर लिया जाएगा और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) समस्या जटिल है और कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

Report of Commission appointed to enquire into the Death of Shri Deen Dayal Upadhyaya

*473. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether she has received the report of the Commission appointed to enquire into the death of the former Jan Sangh President, Shri Deen Dayal Upadhyaya ; and

(b) if so, the findings of the said Commission and whether a copy of the report of that Commission would be laid on the Table of the House ?

The Minsiter of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) The findings of the Commission have been summed up in Chapter XVI of the Report of the Commission, copies of which have been placed on the table of the Lok Sabha on 27th November, 1970.

साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मुकदमों के शीघ्र निवटारे के लिए केंद्रीय कानून

*474. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति साम्प्रदायिक दंगों से संबन्धित मुकदमों के शीघ्र निपटारे हेतु केन्द्रीय कानून बनाने के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार उक्त कानून को कम लाने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय एकता परिषद ने निम्नलिखित सिफारिश की थी :—

"अपराधों की शीघ्र जांच की जाये और अपराधियों पर शीघ्र मुकदमें चलाए जाये।

एक बार मुकदमा चलाये जाने पर उसे बापिस न लिया जाये । साम्प्रदायिक घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों पर कार्यवाही करने हेतु संक्षिप्त अधिकारों वाले विशेष न्यायालय गठित किये जायें ।"

2. यह सिफारिश सभी राज्य सरकारों की आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई थी । राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि आवश्यकता पड़ने पर साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न मामलों की शीघ्र जांच हेतु अतिरिक्त मैजिस्ट्रेट के न्यायालय इत्यादि गठित किये जाते हैं । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामलों की जांच में विलम्ब होता रहेगा, सरकार द्वारा सिफारिश पर आगे यह जांच करने के लिए विचार किया जा रहा है कि क्या साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न मामलों की जांच के लिये विधि के अंतर्गत एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की जाये ।

मूंगफली के व्यापार को सरकार द्वारा ले लिया जाना

*475. श्री धी० ना० देव : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूंगफली के व्यापार को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप वनस्पति तेल के मूल्यों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Arrest of Naxalite Leaders

*476. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have arrested many prominent Naxalite leaders during the last two or three months ; and

(b) if so, the number of the leaders arrested and whether some useful documents have also been recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Yes, Sir. Uptodate information is being collected.

मोडेला वूलन मिल्स द्वारा कथित कदाचार

*477. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मोडेला कम्पनी के कदाचारों के सम्बन्ध में 24 अक्तूबर, 1970 के "ब्लिट्ज" में प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं जिन्होंने उक्त अवधि के लिए लाइसेंस जारी किये थे ;

(ग) क्या इस घोटाले का पता लग जाने के बाद ये लाइसेंस जारी किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। वह लेख और उसके बाद का मैसर्स माडेला वूलन्स लि० का प्रत्युत्तर और उसपर सम्पादक का पाद-टिप्पण जो 21 नवम्बर, 1970 के ब्लिट्ज में प्रकाशित किया गया था, सरकार के ध्यान में आये हैं ; पाद-टिप्पण में सम्पादक ने लिखा है कि यदि उसने भूल से कोई ऐसी बात प्रकाशित की है जो ठीक नहीं है तो उसे इस पर खेद है।

(ख) और (घ). सीमा शुल्क निकासी परिमिट के मात्रा के कालम पर पृष्ठांकन में कुछ विसंगति का, जो नवम्बर, 1968 में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के ध्यान में आई थी, विधिवत सुधार कर दिया गया था। अभी तक अभिलेखों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात होता है कि सीमा शुल्क निकासी परमिट के अन्तर्गत फर्म के अन्तर्गत कुल आयात सीमा शुल्क परिमिट के अन्तर्गत अनुमेय मूल्य की सीमा के भीतर हैं। किन्तु पूरे मामले पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तफ्तीश की जा रही है और इस समय इसके बारे में अधिक जानकारी देना लोकहित में नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल में पानी से घिरे क्षेत्रों के लोगों को बचाने के कार्य में सैनिक कर्मचारियों का लगाया जाना

*478. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत बाढ़ के समय वहां के विभिन्न जिलों में पानी से घिरे लोगों के बचाने तथा राहत कार्यों के लिए सैनिक कर्मचारियों तथा वाहनों को लगाना पड़ा था ;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश वाहन तथा भाप-नौकायें खराब और बेकार पाई गई थीं ; और

(क) क्या इसके परिणाम स्वरूप इनको प्रयोग में लाने का उद्देश्य विफल हो गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Offer by Madhya Pradesh Dacoits to surrender themselves

*479. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the dacoits of Chambal Valley (Madhya Pradesh) have submitted a memorandum to the President of India wherein they have offered to surrender themselves completely so that they may lead a peacefull life in future ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) ; (a) No, Sir. No such memorandum has been received by the President of India.

(b) and (c). Does not arise.

भूतपूर्व भारतीय राज्यों के नरेशों को मान्यता रद्द किये जाने के विरुद्ध विश्व न्यायालय में अपील

*480. **श्री रवि राय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय राज्यों के कुछ नरेशों ने, जिनकी मान्यता रद्द की जा चुकी है, उनकी मान्यता रद्द किये जाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील करने हेतु हेग स्थित विश्व न्यायालय से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). सरकार ने इस सम्बन्ध में 6 नवम्बर, 1970 की प्रेस रिपोर्ट और पहली रिपोर्ट का खंडन करने वाली ध्रंगधरा के भूतपूर्व नरेश द्वारा जारी की गई 7 नवम्बर, 1970 की प्रेस रिपोर्ट में देखी है।

सरकारी क्षेत्र के संश्लिष्ट औषध कारखानों में कुल पूंजी निवेश

2765. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के संश्लिष्ट औषध कारखानों में अब तक कुल कितना पूंजी-निवेश हो चुका है ;

(ख) इन कारखानों के लिए प्रति वर्ष कितने मूल्य की औषधियों का आयात किया जाता है तथा इन कारखानों में निर्मित कितने मूल्य के उत्पादों का प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है ;

(ग) इन संयंत्रों के अध्यक्षों के क्या नाम हैं तथा उनकी वार्षिक परिलब्धियां कितनी-कितनी है ;

(घ) क्या कारण है कि इन सरकारी उपक्रमों में हानि ही होती है जब गैर-सरकारी क्षेत्र के ऐसे ही संयंत्र भारी लाभ कमाते हैं ; और

(ङ) ये संयंत्र संभवतः कब तक लाभ कमाने लग जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) यह अनुमान है कि प्रश्न केवल सिंथैटिक औषधियों से सम्बंधित है। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स के हैदराबाद स्थित सिंथैटिक ड्रग्स प्लांट पर 31 मार्च, 1970 तक 21.21 करोड़ रुपये का कुल निदेश लगा था।

(ख) फार्मूलेशन के प्रयोजन के लिए उपरोक्त संयंत्र द्वारा औषधियों का कोई आयात नहीं किया जाता। संयंत्र ने अभी तक किसी उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के मौजूदा चेयरमैन तथा प्रबन्धक निदेशक का नाम श्री जगजीत सिंह है। 1970-71 की उनकी वार्षिक वेतन 34,192 रुपये है और परिलब्धि के रूप में 12,510 रुपये।

(घ) हानियां होने के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(i) यूनिट के उत्पादन कार्यक्रम की कुछ मदें 1967-68 में और अन्य 1968-69 में चालू की गई थी। संश्लेषण की जटिलता पर निर्भर करते हुए निर्धारित क्षमतायें तथा अनुबद्ध दक्षतायें प्राप्त करने के लिए उचित समय देना पड़ता है।

(ii) अधिकांश प्राइवेट निर्माताओं, जो केवल आयातित दवाइयों के फार्मूलेशन का काम करते हैं या प्रगत मध्यवर्ती पदार्थों से उत्पादन करते है, के विपरीत इस यूनिट में मूल रसायनों से औषधियों के संश्लेषण किये जाते हैं जिसमें अपेक्षाकृत दीर्घ जेसटेशन अवधि के अलावा भारी पूंजी निवेश की, जिसके साथ मूल्य ह्रास तथा ब्याज जैसी ऊंची नियत लागतें भी होती है, जरूरत होती है।

(iii) बाजार में आयातित औषधियों का सस्ते दामों पर उपलब्ध होना जिसके कारण प्रारंभ में इस यूनिट के माल की माँग और मूल्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा।

(ङ) 1971-72 के अन्त तक समस्त दृष्टिकोण से न लाभ-न हानि की स्थिति पर पहुंचने की आशा है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई हानि

2766. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को वर्ष 1969-70 के दौरान और इसके आरम्भ से अब तक पृथक-पृथक कुल कितनी राशि की हानि हुई ;

(ख) क्या इस निगम के सेवा मुक्त हो रहे अध्यक्ष ने इन हानियों का कारण समस्त उद्योग-ग्रंथि में विभिन्न औद्योगिक संयंत्रों को वितरित करने के लिए खानों से लिग्नाइट की अपर्याप्त मात्रा में निकासी बताया है ; और

(ग) यदि हां, तो संयंत्र की पूरी क्षमता से कार्य करने योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के 1969-70 वर्ष के लिए अंतिम लेखे, वर्ष के लिए 2.04 करोड़ रुपये की हानि और 1969-70 तक 23.89 करोड़ रुपये की संचित हानि उद्घाटित करते हैं।

(ख) पदावरोही अध्यक्ष ने निगम की 14वीं साधारण वार्षिक बैठक में दिये गये अपने भाषण में यह बताया था कि विद्यमान अपर्याप्त खान क्षमता, लाभदायकता के गतिरोधन के अवयवों में से एक अवयव था।

(ग) निगम की वर्तमान खनन-मशीनरी, केवल 45 लाख मैट्रिक टन लगभग लिग्नाइट का वार्षिक उत्पादन कर सकती है। बिजली पर यूरिया संयंत्र और बी० तथा सी० संयंत्र को निर्धारित क्षमता की अनुकूलतम स्तर तक संचालित करने की दृष्टि से, लिग्नाइट खानों को प्रतिवर्ष 60 लाख मैट्रिक टन से अधिक उत्पादन करना चाहिए। अतः लिग्नाइट के उत्पादन को प्रतिवर्ष 60 लाख मैट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए निगम पश्चिमी जर्मन में 4.5 करोड़ रुपयों की लागत पर अतिरिक्त खनन मशीनरी प्राप्त कर रहा है। आशा की जाती है कि यह मशीनरी मार्च, 1972 तक प्राप्त हो जायेगी।

अमेरिका द्वारा चटगांव में वायुसेना अड्डे का निर्माण

2767. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्वी पाकिस्तान में चटगांव के स्थान पर सामरिक महत्व के एक वायुसेना-अड्डे का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार से बातचीत करने का है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). हमने समाचारपत्रों की रिपोर्ट देखी है। तदपि अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई।

जयपुर स्थित कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों के लिए यातायात सुविधायें

2768. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री 12 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2401 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया), जयपुर के कर्मचारियों को यातायात सुविधायें प्रदान करने के लिये निर्णय करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) सरकार ने इस मामले को कब से अनिर्णीत रखा हुआ है और बम्बई में कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इन्डिया) के अधिकारियों द्वारा यह मामला अनुमति के लिए सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट आफ इंडिया के निरीक्षकों/प्रबन्धकों ने जयपुर डिपो का दौरा करने पर अपने वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन में कर्मचारियों के लिए यातायात सुविधा न प्रदान करने का उचित मामला बताते हुए इसकी जोरदार सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और कब तक इसे अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (घ). यातायात की सुविधाओं के आदेश जो अन्य रक्षा सिविलियनों को निवास स्थान से कार्य स्थान तथा वापसी के लिए उपलब्ध हैं यह कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारियों के लिए भी लागू कर दिये गये हैं । इन आदेशों में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है, कि कर्मचारियों को किराये के परिवहन पर उसी आधार पर किराया अदा करना पड़ेगा जितना उन्होंने यदि कार्य स्थान पर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होता, किराया दिया होता । निर्धारित शर्तों पर 71 कर्मचारियों में में से केवल 5 कर्मचारियों ने सुविधा से लाभ उठाने की इच्छा प्रगट की है । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि एक बस को किराये पर लेने के निर्णय को तब तक के लिए आस्थगित रखा जाय जब तक कि जैसी आदेशों में व्यवस्था है वहां से कम व्हीकल की 80 प्रतिशत क्षमता के लिए कर्मचारी सुविधा से लाभ उठाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं ।

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया) के नये जनरल मैनेजर की नियुक्ति

2769. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इंडिया के नये अध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध में 19 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में पहिले से कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनके नाम पर कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर के पद पर हाल ही की नियुक्ति करते समय विचार किया गया था ;

(ख) क्या नियंत्रण बोर्ड द्वारा वास्तव में कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के किसी कर्मचारी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या नियम केवल कागज पर ही है और वास्तविक व्यवहार में उनका पालन नहीं किया जाता और जब नियुक्तियां की जाती हैं तो सभी नियमों का उल्लंघन किया जाता है और हमेशा बाहरी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है ; और

(घ) यदि हाँ, तो विभागीय उम्मीदवार को जनरल मैनेजर के पद पर कब तक नियुक्त किया जायेगा और गैर-विभागीय उम्मीदवार के लिये नियमों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा) : (क) कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति को महा प्रबन्धक कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए नहीं विचारा गया क्योंकि अपेक्षित अनुभव तथा महत्ता का उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं था ।

(ख) किसी भी अभ्यार्थी का साक्षात्कार नहीं किया गया क्योंकि साक्षात्कार को आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) सबसे अधिक उपयुक्त, सिविलियन या सैनिक अफसर को नियुक्त किया जाता है ।

यदि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (भारत) का नियुक्त करने के लिए उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध होगा, तब उस पर विचार किया जाएगा।

(घ) यह पूर्वानुमान करना सम्भव नहीं है कि कब विभागीय उम्मीदवार को महा प्रबन्धक के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

पन्ना हीरा खानों से निकाले गये हीरे तथा उनके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

27'0. **श्री शशि भूषण :**

श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यप्रदेश स्थित पन्ना हीरा खानों से गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कुल कितनी मात्रा में हीरे निकाले गये ; और

(ख) उनका मूल्य क्या है तथा उक्त अवधि में तराशे गये तथा पालिश किये गये हीरों के निर्यात से कितनी आय हुई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की रामखरिया तथा मझगांव खानों के विगत तीन वर्षों का कुल हीरक-उत्पादन तथा उनका मूल्य इस प्रकार है :

वर्ष	हीरक-उत्पादन (कैरेट में)	उत्पादन-मूल्य
1967-68	7801	31.70 लाख
1968-69	7982	39.17 लाख
1969-70	15335	64.26 लाख

गत तीन वर्षों में, वर्षवार तराशे हुए और परिष्कृत किये गये हीरकों के निर्यात के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ओवरसियरों के पद

2771. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मुद्रणालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए ओवरसियरों के आरक्षित पदों पर अभी तक नियुक्तियां नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मुद्रणालयों में अब तक नियुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अलग-अलग, कितने ओवरसियर हैं ;

(ग) इन रिक्त पदों को अगले चयन तक के लिए ले जाने के क्या कारण हैं जब कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से आने वाले और विभागीय उम्मीदवारों का समुदाय-वार रोस्टर रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) अन्य के साथ-साथ, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के एक-एक ओवरसियर की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को मांग भेज दी गई है ।

(ख) अब तक, अनुसूचित जातियों से पांच ओवरसियरों की भर्ती की जा चुकी है । अनुसूचित जन जाति का कोई उम्मीदवार भर्ती नहीं किया गया है ।

(ग) चयन, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा होता है । जिन पदों के लिए चयन किया गया था उन्हें भर दिया गया । शेष रिक्तियों को अग्रनीत करना पड़ा ।

(घ) रिक्तियों के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत में से, विभागीय उम्मीदवारों से प्रोन्नत करके भरी जाने वाली रिक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। इन रिक्तियों के लिए, किसी रोस्टर (सूची) रखने की आवश्यकता नहीं । शेष $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत रिक्तियों को जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भरी जाती हैं, के लिए निर्धारित रोस्टर रखा जाता है ।

भारत सरकार के मुद्रणालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के ओवरसियरों की भर्ती

2772. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत सरकार के मुद्रणालयों में ओवरसियरों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया तथा उनका चयन किया गया और उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ;

(ख) भर्ती के समय इन समुदायों के लिए ओवरसियर के कितने पद आरक्षित थे ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ विभागीय अभ्यर्थियों को ओवरसियर के पदों पर नियुक्त किया गया था यद्यपि उनके पास मुद्रण का डिप्लोमा नहीं था ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभागीय अभ्यर्थियों के समान अर्हता तथा अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं । सीधी भर्ती कोटा के विपरीत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये विभागीय उम्मीदवार, मुद्रण में डिप्लोमा प्राप्त थे ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

(क) निम्न वर्षों में इन्टरव्यू किये गये तथा चुने गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या :

	इन्टरव्यू किये गये उम्मीदवारों की संख्या		चुने गये उम्मीदवारों की संख्या		कार्य-ग्रहण तारीख
	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन जातियां	
1967	6	1	1	—	19-2-1968
1968	10	—	3	—	12-11-1969 12-11-1969 15-11-1969
1969	5	—	—	—	

(ख) निम्न वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या :

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जन-जातियां
1967	3	1
1968	4	1
1969	1	1

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों के लिए बढ़ी हुई कीमत पर भूमि

2773. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के आवास-आयुक्त ने हाल ही में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को दी गई भूमि के मूल्य में अधिग्रहण-प्रभार के रूप में 1 रु० 50 पैसे प्रति गज की वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमि अधिग्रहण-प्रभार में एक रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग गज की वृद्धि करने के क्या कारण हैं, विशेष रूप से जब कि उक्त भूमि बहुत समय पूर्व अधिगृहीत की गई थी तथा उस समय उसके मूल्य निर्धारित किये जा चुके थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) सहकारी भवन निर्माण सोसाइटियों को प्रीतमपुरा तथा रोहतक रोड क्षेत्रों में जो भूमि आवंटित की गई, उसका मूल्य एक रुपया प्रति वर्ग गज बढ़ाया गया है।

(ख) यह वृद्धि जिला न्यायाधीश के उन आदेशों के कारण आवश्यक हो गई, जिस द्वारा उन भू-स्वामियों को जिनकी भूमि अर्जित की गई थी, का मुआवजा बढ़ा दिया गया था।

पीतमपुरा-शाहूरपुरा में अधिग्रहण की गई भूमि के लिए भू-स्वामियों को अदा किया गया मुआवजा

2774. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पीतमपुरा-शाहूरपुरा में भूमि को अधिकार में लेने के बदले में भूस्वामियों को किस दर पर मुआवजा दिया गया है ;

(ख) जिन गृह-निर्माण सहकारी समितियों को उक्त भूमि आवंटित की गई है उनसे कुल किस दर पर प्रीमियम लिया जा रहा है तथा विभिन्न शुल्कों तथा प्रभारों सहित उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त शुल्क तथा प्रभार सरकारी कर्मचारियों की सहकारी गृह-निर्माण समिति जैसी अन्य सहकारी गृह-निर्माण समितियों से भी वसूल किये गये थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) पीतमपुर ग्राम में 300 रु० से 2,500 रु० प्रति बीघा के बीच, तथा शकूरपुर ग्राम में 500 रु० से 4,800 रु० प्रति बीघा के बीच। इसके अतिरिक्त, भू-स्वामियों को उनकी भूमि के अनिवार्य अर्जन के लिए, वैधिकरण और संशोधन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत व्यवस्थित, 15 प्रतिशत सांतवना राशि तथा 6 प्रतिशत की दर से ब्याज अदा किया जाता है।

(ख) पीतमपुर क्षेत्र की आवास निर्माण सहकारी समितियों से ली जा रही कुल प्रीमियम दर 9.50 रु० प्रति वर्ग गज हैं। विभिन्न उद्ग्रहण और प्रभारों का विघटन निम्न प्रकार है :

पूल दर	6 रु०	प्रति वर्ग गज
अतिरिक्त प्रभार (जिसका समायोजन बाद में होगा)	1.50 रु०	,,
क्षेत्रीय सड़क प्रभार	50 पैसे	,,
सुन्दरता प्रभार	1 रु०	,,
ग्राम पुनर्विकास प्रभार	50 पैसे	,,
जोड़	9.50 रु०	,,

(ग) तथा (घ). सुन्दरता और ग्राम पुनर्विकास प्रभार वसूल करने का निर्णय, दिल्ली प्रशासन द्वारा वर्ग I, II तथा III की सहकारी आवास निर्माण समितियों के साथ निष्पादित करारनामों के बाद किया गया था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सहकारी आवास निर्माण समिति शामिल है। तथापि, वे उद्ग्रहण उन सभी समितियों से (बिना उनके वर्ग के किसी भेद-भाव के) वसूल किये जा रहे हैं जिन्हें पूर्वोक्त निर्णय के बाद भूमि आवंटित की गई है।

कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) द्वारा शराब का क्रय

2775. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) द्वारा वर्ष 1969 तथा 1970 (अक्तूबर के अन्त तक) पृथक-पृथक कितनी मात्रा में भारतीय तथा विदेशी शराब का क्रय किया गया तथा उसमें ह्स्की, जिन, ब्रांडी, रम, बीयर आदि जैसी मदों के मूल्य का मद-वार व्यौरा क्या है ;

(ख) उक्त 1969 तथा 1970 की अवधि में विदेशी शराब के आयात पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का मद-वार पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अक्तूबर, 1969 तथा अक्तूबर, 1970 में वस्तुतः स्टाक कितना था तथा उस पर उत्पादन-शुल्क के रूप में वस्तुतः कुल कितनी धनराशि अवरुद्ध हो गई थी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

उत्पादन शुल्क की अवरुद्ध राशि

2776. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संस्थापनों में शराब के भंडार जमा होने के कारण कई लाख रुपये का उत्पादन-शुल्क सदा अवरुद्ध पड़ा रहता है जिसके फलस्वरूप कैंटीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) को अपने बैंकों से कुल बिलों का निपटारा करने के लिए कई बार निधियों का ओवर-ड्राफ्ट करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भंडार की, विशेषकर शराब को, वैज्ञानिक वस्तु सूची के भंडार पर नियंत्रण के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है जिससे उत्पादन-शुल्क जैसी मदों में इतनी अधिक राशि अवरुद्ध न हो सके ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इण्डिया) में पदोन्नतियां

2777. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969 तथा 1970 में (सितम्बर तक) कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट की विभागीय

पदोन्नति समिति की कितनी बार बैठक हुई प्रत्येक बैठक में कितने व्यक्तियों के मामले पर विचार किया गया तथा प्रत्येक बैठक के पश्चात् वस्तुतः कितने व्यक्तियों की पदोन्नतियां की गई ;

(ख) क्या कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के यहां प्रबंधक सैनिक-मुख्यालय में क्वार्टर मास्टर जनरल के पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के नाम "मंजूर" कराने हेतु 9 नवम्बर, 1970 को विमान द्वारा बम्बई से दिल्ली आये थे ; और

(ग) यदि हां, तो कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारियों के लाभार्थ पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों की अन्तिम सूची कब प्रकाशित की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) प्रश्न संभवतः जनरल मैनेजर, सी०एस०डी० (आई) की अध्यक्षता में हुई विभागीय पदोन्नति समिति के संबंध में है। विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों का चयन करती है और उनके नामों को पैनल में रखती है और उसके पश्चात् पैनल की वैधता के दौरान होने वाले रिक्त स्थान निर्धारित क्रम चुने गए उम्मीदवारों को दिये जाते हैं। कथित अवधि के दौरान इस समिति की तीन बैठकें हुई। और इन तीन बैठकों में से प्रत्येक में जितने उम्मीदवारों के संबंध में विचार किया गया उनकी संख्या क्रमशः 60, 99 और 469 थी इनमें से चुने गए और स्वीकृत पैनल पर रखे गए उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 12, 20 और 159 थी।

(ख) जी नहीं। सी०एस०डी० (आई) के जनरल मैनेजर बोर्ड आफ कंट्रोल, कैन्टीन सर्विसिस की बैठक में भाग लेने के लिए 10 नवम्बर, 1970 को नई दिल्ली आए थे।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के कर्मचारी संघ तथा यहां प्रबन्धक के बीच वार्ता

2778. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैन्टीन स्टोर्ज डिपार्टमेंट (इंडिया) के महाप्रबन्धक की बम्बई में 6 नवम्बर, 1970 को मध्याह्न पश्चात् कर्मचारी संघ के साथ बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच किन विषयों पर बातचीत हुई थी तथा उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रबन्धकों ने किन बातों को स्वीकार किया तथा किनको स्वीकार नहीं किया तथा उसको स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ;

(घ) कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (इण्डिया) के प्रबन्धक कर्मचारियों की स्वीकृत मांगों को कब तक लागू करेंगे ; और

(ङ) क्या यह सच है कि लगभग सभी मामलों में कर्मचारियों की स्वीकृत मांगों को क्रियान्वित करने में प्रबन्धकों द्वारा कार्यवाही करने में विलम्ब किया जाता है क्योंकि इसके लिये सैनिक मुख्यालय की क्यू०एम०जी० शाखा से मंजूरी लेना अपेक्षित है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा) : (क) यह सच है कि

सी०एस०डी० (आई) कार्मचारी संघ के प्रतिनिधि 6 नवम्बर 1970 को जनरल मैनेजर से मिले थे।

(ख) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायगी।

पाकिस्तान की स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना की शक्ति

2779. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी नवीनतम सूचना के अनुसार पाकिस्तान की नौसेना में पनडुबियों, क्रूज़र, ध्वंसक, फ्रिगेट माइन स्वीपरों तथा गश्ती पोतों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) हमारी सूचना के अनुसार पाकिस्तानी स्थल सेना की कुल संख्या क्या है और उनके पास किस प्रकार के तथा कितने टैंक एवं तोपें हैं ; और

(ग) पाकिस्तान की वायु सेना की शक्ति इस समय क्या है और उसमें कितने विमान चालक हैं और उसके पास किस प्रकार के हवाई जहाज हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग). इन मामलों में हमें जो सूचना है उसे प्रकट करना लोकहित में न होगा।

Supply of Rum

2780. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7187 on the 22nd April, 1970 regarding the supply of rum and state :

(a) the corresponding figures pertaining to the year 1969-70 ; and

(b) the rates at which rum was purchased during the year 1967-68, 1968-69 and 1969-70 separately ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). So far as the Defence Ministry is concerned, no rum was purchased locally by the Army Units on behalf of Government during the year 1969-70.

The rum purchased by Brigadier Army Supply Crops, Eastern Command, from M/s Sikkim Distillery Ltd., Rangpo was at the rate of Rs. 4.20 per litre ex-distillery.

Aid from Oxford Famine Relief Organisation (Oxfam)

2781. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the amount of aid given to India by the British Aid Organisation named "OXFAM" during the year 1969-70 ; and

(b) the terms on which the said aid was given, the religious denominations of the recipients of this and also the purpose for which it was given ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The amount of aid given ro India by British Aid Organisation named "OXFAM", under the Indo-U. K. Agreement, from 1969 upto October, 1970 is about Rs. 11,71,263/-.

(b) The aid was given as per terms and conditions of the Indo-U. K. Agreement, 1964. Copy attached. [*Placed in the Library. See* No. LT—4448/70]. The recipients of

the gifts are mostly authorised Christian organisations, approved as recipients under this Agreement, for giving free relief and rehabilitation aid to the needy and poor, irrespective of caste or creed.

U. S. Peace proposal for West Asia

2782. **Shri Ramavatar Shastri : Shri Kedar Nath Singh : Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the President of United States of America has brought forward a proposal to find out a solution for the problems of West Asia ;

(b) if so, the details thereof ; and

(b) the reaction of Government to the proposals ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government are not aware of any new proposal by the President of the United States of America for a solution of the West Asian problem.

(b) and (c). Do not arise.

Supply of Narmada Water to Indore City

2783. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether a scheme to provide water to Indore City (Madhya Pradesh) from the Narmada river has been prepared ;

(b) whether the Central Government have accorded technical approval to the said scheme ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The Government of Madhya Pradesh is working on schemes including the scheme for supply of water from Narmada river for augmenting the water supply of Indore City. No such scheme from the State Government has been received so far by the Government of India.

(b) and (c). Do not arise.

श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासनों के अधीन आवास की व्यवस्था

2784. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कितने मामले श्री गाडगिल के आश्वासनों के अन्तर्गत आते हैं परन्तु जिनके लिये वैकल्पिक आवास की व्यवस्था नहीं की गई ;

(ख) इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ;

(ग) वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) सभी पात्र-व्यक्तियों को कब तक वैकल्पिक आवास प्रदान किये जायेंगे तथा इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ङ) सब्जी मंडी, सदर बाजार और पहाड़गंज में ऐसे कितने मामले है तथा उनके पुनर्वास के लिये क्या योजना बनाई गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) 904 व्यक्ति पात्र पाये गये हैं। 1058 व्यक्तियों के मामले संवीक्षाधीन हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को लगभग 5,000 व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए। गाडगिल आश्वासनों के अन्तर्गत, वैकल्पिक वास के लिये 662 व्यक्ति पात्र पाये गये हैं। दिल्ली नगर निगम को दिये गये आवेदन पत्रों सहित, अन्य 1058 व्यक्तियों के मामले प्राधिकरण के संवीक्षाधीन हैं। शेष व्यक्ति पात्र नहीं समझे गये।

(ग) तथा (घ). पात्र व्यक्तियों के पुनर्वास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस स्थिति में, कुल व्यय का अनुमान नहीं दिया जा सकता।

(ङ) नगर निगम के अनुसार, सदर बाजार क्षेत्र में खोखे वालों के 88 मामले और सब्जी मण्डी क्षेत्र में 31 मामले हैं।

Fixation of Highest Limit for Ceiling on Urban Property

2785. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether the Indian Government have been examining the practical steps to be taken for the fixation of highest limit for urban property ;

(b) whether legal and other aspects of this steps are being examined ;

(c) whether there is any proposal for increasing additional tax on urban lands and buildings ; and

(d) if so, the progress of the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) to (d). The Government of India is awaiting the views/comments of the State Governments, on the Report of the Working Group and the draft bill on the ceiling on urban property.

राष्ट्रपति के दौरों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

2786. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत के राष्ट्रपति के विदेशों के दौरों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ख) क्या इस संबंध में धन राशि की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ;

(ग) यदि हां, तो वह सीमा क्या है ; और

(घ) क्या अधिकतम सीमा से अधिक धन व्यय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) राष्ट्रपति की यात्रा पर 1,44,132.67 रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी, इसमें पिछले तीन वर्षों में उनके दल,

के सदस्यों पर हुआ खर्च शामिल है। परन्तु इस राशि में राष्ट्रपति की हाल की सोवियत रूस, बलगेरिया और हंगरी की यात्रा पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा शामिल नहीं है, इनके ब्यौरे अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिमालय की संरचना सम्बन्धी समस्याओं का सर्वेक्षण

2787. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री हेम राज :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूगर्भ-शास्त्रियों ने उच्चतर स्थानों में कोई निर्माण करने से पूर्व हिमलाय की संरचना सम्बन्धी दुरह समस्याओं का सर्वेक्षण करने के लिए सशक्त तर्क प्रस्तुत किया है, ताकि गत जुलाई में घटी अलकनन्दा की दुर्घटना जैसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूवैज्ञानिकों ने कोई ऐसा तर्क नहीं दिया है। तथापि, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हिमालय की समस्त निर्माण प्रायोजनाओं का साधारणतया विस्तृत भूवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।

अलकनन्दा घाटी में बाढ़ आ जाने के उपरांत, सीमा सड़क संगठन के अनुरोध पर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बाढ़ों के संभावित कारणों के मूल्यांकन तथा सड़क के लिए जो चमोली तथा जोशीमठ के बीच व्यापक रूप से नष्ट हो गई थी, समुचित संरक्षण की सिफारिश करने की दृष्टि से क्षेत्र का सर्वेक्षण-अध्ययन किया। अध्ययन पूर्ण हो गया है।

पश्चिम बंगाल में मनोरंजन कर और चुंगी का विनियोग

2788. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम के महापौर ने 3 अक्तूबर, 1970 को एक संवाददाता सम्मेलन में यह सुझाव दिया था कि चुंगी की वसूली से प्राप्त समग्र राशि जन संख्या के आधार पर स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जानी चाहिए और मनोरंजन कर के रूप में प्राप्त राशि भी स्थानीय निकायों को दे दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव पर यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता महानगर क्षेत्र में चुंगी "कलकत्ता महानगर क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर, अधिनियम 1970" नामक राष्ट्रपति के अधिनियम के अधीन लगाई गई है । अधिनियम में ऐसा उपबन्ध किया गया है कि वसूली खर्च को काटकर शेष आमदनी का 50 प्रतिशत कलकत्ता नगर निगम तथा कलकत्ता महानगर जिले के अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को देने तथा शेष कलकत्ता नगर निगम और 34 अन्य नगर निकायों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र, कलकत्ता महानगर जिले में विकास योजनाओं का खर्च चलाने के लिये कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को आवंटित किया जाये । कलकत्ता नगर निगम के महापौर के सुझावों को मानने के लिये राज्य सरकार तैयार नहीं है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में लगे संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चल निधि की व्यवस्था

2789. **श्री जी० वेंकटस्वामी : श्री नारायणन : श्री सामिनाथन :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या नीति के विषय में हुए उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में, परिवार नियोजन कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की समयोपयोगी सहायता प्रदान करने के लिए एक चल निधि की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है ताकि इन संगठनों के प्रयासों में किसी प्रकार का विघ्न तथा बाधा उत्पन्न न हो ;

(ख) क्या इन संगठनों को अनुदान देने में विलम्ब किये जाने पर भी इस सम्मेलन में चिन्ता व्यक्त की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जनसंख्या नीति और कार्यक्रमों के विषय में अक्तूबर, 1970 में हुए उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि कार्यविधि में सुधार करने के सरकार के विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद, स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी अनुदान देने में यदा-कदा देरी के फलस्वरूप उनके कार्य में संभाव्य विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए एक चल निधि की व्यवस्था करना आवश्यक है जिससे कि ऐसी अवस्था में काम चलाने के लिए धन दिया जा सके और बाद में सरकारी अनुदान प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाए। इस सम्मेलन में सुझाव दिया गया कि ऐसी चल निधि का संचालन या तो भारतीय परिवार नियोजन प्रतिष्ठान अथवा भारतीय जनसंख्या परिषद् करे ।

(ख) और (ग). स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान देने में विलम्ब पर सम्मेलन ने कोई विशेष चिन्ता व्यक्त नहीं की है। तथापि सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प से प्रतीत होता है कि चल निधि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार द्वारा कार्यविधि में सुधार करने के विभिन्न प्रयत्नों के बावजूद अनुदान देने में यदा-कदा होने वाले विलम्ब के कारण ही उठाया गया है। इस प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार कर रही है तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहाय्यानुदान देने में विलम्ब को कम करने के लिये जोकि कभी कभी इन्हीं संगठनों की चूक के कारण भी हो जाता है, सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर संवीक्षा की जाती रहती है।

Names of Companies Granted Licences for Mithapur Fertilizer Plant of Tatas and Goa Fertilizer Plant of Birlas

2790. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the number of Companies in the names of which licence have been granted to the Mithapur Fertilizer Plant of Tatas and Goa Fertilizer Plant of Birlas ;

(b) the number of shares held by the Indians in the said companies and the foreign capital invested therein ;

(c) the paid-up capital of both the fertilizer plants and the time by which these plants are likely to start their production ;

(d) the value of the machinery which would be imported from abroad to put these plants into commission and the names of the countries from which it would be imported ; and

(e) the total amount of loan advanced or likely to be advanced by Government of India to them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (e). Government have approved in principle, the revised proposal of Tatas for the establishment of a fertilizer factory at Mithapur, subject to certain conditions. A letter of intent has accordingly been issued to M/s. Tata Chemicals Ltd. on 25th July, 1970. Final decision in this matter will be taken on fulfilment of the conditions in the letter of intent, by the party. Pending a final decision, the question of giving information with regard to the other points raised in part (b) to (e) relating to Mithapur project does not arise.

As regards, Goa Fertilizer Project, and Industrial Licence for this project was granted to M/s. Zuari Agro Chemicals Ltd. on 12-12-1966. The financing proposal relating to this project was finally approved by the Government on 31-12-1969.

Information required in other parts of the question so far as Goa Fertilizer Project is concerned is given below :

Part (b)

According to the financing plan approved by the Government, the total equity capital of the company would be Rs. 1242.75 lakhs of which Rs. 437.25 lakhs will be held by Indians and Rs. 805.5 lakhs will be held by foreign parties including non-cash shares to the extent of Rs. 72.25 lakhs. The value of equity share is of Rs. 10/- each. In addition, preference stock amounting to Rs. 412.50 lakhs will be subscribed by the Indian public only. The total foreign capital will be Rs. 2616.75 lakhs, of which Rs. 805.50 lakhs will be as equity and the rest will be in form of loans.

Part (c)

According to the information furnished by the Company, its paid up capital as on

30th September, 1970 was Rs. 1207.78 lakhs in the form of equity shares and Rs. 411.88 lakhs in the form of preference shares. The project is likely to be commissioned in second half of 1972.

Part (d)

The value of machinery and other materials expected to be imported is estimated at Rs. 14.50 crores. Import of materials will be largely from USA, Japan and European countries.

Part (e)

No loan has been advanced by Government. The financial institutions have underwritten the shares of the Company as noted against each :—

	(Rs. in lakhs)
IFC	35.00 equity
	40.00 preference
IDBI	50.00 equity
	242.375 preference
ICICI	35.00 equity
	40.00 preference
LIC	35.00 equity
	75.00 preference
UTI	5.00 equity
	15.00 preference.

Foreign and Indian Capital in Burmah-Shell, Caltex and Esso Oil Companies

2791. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemical and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total foreign capital and the Indian capital invested in Burmah-Shell, Caltex, and Esso Oil Companies ;

(b) the details of Indian as well as in foreign capital invested in the Refineries set up by these oil companies ;

(c) the total quantity of material imported by these companies annually and the details of the imports made by them during the last three years ; and

(d) the total quantity of petrol and petroleum products imported annually and the details of the exports made by these three companies during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Petrol Pumps Set up by Foreign Oil Companies

2792. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the total number of petrol pumps set up by the three foreign oil companies in the country and the total amount of security deposited by the petrol pumps with these companies ; and

(b) the total amount of security deposited with these companies by other petroleum products purchasing companies and the details thereof and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of toe Sabha.

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के कारखानों की स्थापना में विलम्ब

2793. **श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22.71 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक का निमर्ण करने के लिए देशीय कारखानों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) उक्त विलम्ब के क्या कारण हैं तथा देश में उर्वरक का उत्पादन करने संबंधी विभिन्न विचाराधीन प्रस्तावों के बारे में की गई तथा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) इस समय सरकार के पास, 1.976 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के निर्माण के प्रस्ताव, विभिन्न चरणों में विचाराधीन है, इसमें से 0.326 मीटरी टन क्षमता के लिए आशय-पत्र नहीं दिये गये हैं।

(ख) निम्नलिखित में से एक या उससे अधिक कारणों से अन्तिम रूप में अनुमोदन नहीं दिया गया है :—

(i) पार्टियों द्वारा आशय पत्र में दी गई शर्तों को अभी पूरा नहीं किया गया है ।

(ii) पार्टियों से विस्तृत वित्तीय प्रस्तावों और कुछ अन्य ब्यौरों की प्रतीक्षा है ।

(iii) विदेशी मुद्रा की आवश्यकता और अन्य ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(iv) कुछ प्रस्ताव अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं और परीक्षाधीन है ।

पार्टियों से अपेक्षित सूचना के प्राप्त होते ही लंबित मामलों पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रधान मंत्री की अमेरिका के विदेश सचिव से भेंट

2794. **श्री सीताराम केसरी** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के संयुक्त राष्ट्र के हाल के दौरे के समय अमरीका द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई के बारे में अमेरिका के विदेश-सचिव के साथ उनकी बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय पर अमेरिका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भाग लेने के लिए न्यूयार्क की प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान अमरीकी सेक्रेटरी आफ स्टेट ने उनसे भेंट की थी।

(ख) और (ग). ऐसी गोपनीय चर्चाओं के ब्यौरे बताने की प्रथा नहीं है।

कच्चातीबू द्वीपसमूह

2795. **श्री हेम बरुआ** : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चातीबू द्वीप के स्वामित्व के बारे में प्रधान मंत्री को श्रीलंका के प्रधान मंत्री से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पाठ क्या है ; और

(ग) क्या उक्त द्वीप के स्वामित्व के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय हो गया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कच्चातीबू द्वीप की प्रभुसत्ता का प्रश्न अब भी श्रीलंका और भारत सरकार के बीच विचार-विमर्श का विषय बना हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात होगा, भारत और श्रीलंका दोनों ने इसे तथा इससे संबद्ध प्रश्नों को मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना से तय करने की इच्छा व्यक्त की है।

अन्दमान का दौरा करने के लिए भारतीय नागरिकों को पारपत्रों की आवश्यकता

2796. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान का दौरा करने के इच्छुक भारतीय नागरिकों को इस प्रयोजन के लिए पारपत्र प्राप्त करने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त प्रणाली को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) केवल उन भारतीय राष्ट्रिकों के लिए पासपोर्ट आवश्यक है, जो "हवाई जहाज द्वारा" अन्दमान जाना चाहते हैं।

(ख) अन्दमान जाने और वहां से आने के लिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय, भारतीय राष्ट्रिकों को रंगून से गुजरना होता है और इसलिए पासपोर्ट आवश्यक है।

(ग) मुख्य भूमि तथा द्वीप समूहों के बीच सीधी वायुसेवा प्रारम्भ करने की संभावना की जांच की जा रही है। ऐसी वायुसेवा प्रारम्भ हो जाने पर, हमारे राष्ट्रिकों को द्वीप समूहों की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट लेना आवश्यक नहीं रह जायेगा।

जल सम्भरण तथा मल निस्सारण उपक्रम ओखला, नई दिल्ली के गैस संयंत्र में विस्फोट

2797. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संभरण तथा मल निस्सारण उपक्रम, ओखला, नई दिल्ली के गैस संयंत्र में 17 सितम्बर, 1970 को कोई विस्फोट हुआ था जिससे दो कर्मचारी जख्मी हुए तथा संयंत्र को 50,000 रुपये की क्षति पहुँची ;

(ख) क्या उस घटना की कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). दिल्ली नगर निगम के मुख्य अभियंता (जल) से इस घटना के सम्बन्ध में जांच कराने के लिए कहा गया था। दिल्ली जल पूर्ति एवं मल निकास उपक्रम से प्राप्त सूचना के अनुसार जांच रिपोर्ट दिसम्बर के शुरू तक तैयार हो जाने की आशा है। रिपोर्ट के मिल जाने पर उपक्रम द्वारा इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करने का विचार है।

संयुक्त राष्ट्र रजत जयंती अधिवेशन हेतु प्रधान मन्त्री के दल का चयन

2798. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री समर गुह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में गई थी ;

(ख) यदि हां, तो प्रधान मन्त्री के साथ जाने वाले दल के सदस्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह दल किस आधार पर चुना गया था, इससे किस उद्देश्य की प्राप्ति हुई और उक्त दल के सदस्यों ने प्रधान मन्त्री को क्या सहायता दी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ की रजत जयन्ती के अवसर पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो स्मारक अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें प्रधान मंत्री ने भाग लिया और उनके दल में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल थे :—

(1) सरदाद स्वर्ण सिंह,
विदेश मंत्री।

(2) श्रीमती नन्दिनी सत्पथी,
प्रधान मंत्री से सम्बद्ध राज्य मन्त्री।

(3) श्री टी० एन० कौल,
विदेश सचिव।

(4) श्री पी० एन० हक्सर,
प्रधान मन्त्री के सचिव

(5) श्री के० नटवर सिंह,
प्रधान मंत्री के संयुक्त सचिव

(6) श्री एन० वाई० शारदा प्रसाद,
निदेशक (सूचना),
प्रधान मन्त्री सचिवालय।

(7) श्री एम० मल्होत्रा,
उप सचिव, प्रधान मन्त्री सचिवालय।

(8) श्री वी० आर० वोउरी,
उप मुख्य सूचना अधिकारी,
प्रेस सूचना ब्यूरो।

पहले की तरह, प्रधान मन्त्री के निजी कर्मचारी तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रतिनिधि भी प्रधान मंत्री के साथ गए।

दल के सदस्यों का चयन उनकी उपयुक्तता तथा उपयोगिता के आधार पर किया गया था। प्रधान मन्त्री की यात्रा को महान सफलता समझा गया है।

दिल्ली, नई दिल्ली को सुन्दर बनाने पर व्यय

2799. **श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास** तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के कार्य पर अब तक कुल कितनी धन-राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ख) क्या राजधानी को सुन्दर बनाने के इस कार्यक्रम पर इतना पैसा बहाने पर कुछ प्रमुख नेताओं ने आपत्ति की है ; और

(ग) इस योजनाओं में केन्द्र सरकार का कितना योगदान है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) दिल्ली तथा नई दिल्ली को सुन्दर बनाने के काम पर लगभग 59,66,187.00 रुपये की धन राशि खर्च की गई है।

(ख) आपत्ति किये जाने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई सूचना नहीं है किन्तु उपर्युक्त प्रायोजनाओं पर कोई पैसा नहीं बहाया गया है।

(ग) शून्य।

सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के स्मारक का पुनर्निर्माण

2800. **श्री समर गुह** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के प्रधान मन्त्री की गत अवसर पर भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के प्रधान मन्त्री के साथ पारस्परिक हितों वाली बातों पर विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मन्त्री ने सिंगापुर के प्रधान मन्त्री के समक्ष सिंगापुर में आजाद हिन्द फौज के उस स्मारक का पुनः निर्माण करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव रखा था जोकि स्वतन्त्रता के सैनानियों की याद में बनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर सिंगापुर के प्रधान मन्त्री की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इन विचार विमर्शों में दोनों देशों के आपसी हित के विविध विषय शामिल थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

सशस्त्र नागाओं द्वारा राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर अध्यापकों के एक पर्यटक दल का लूटा जाना

2801. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 अक्तूबर 1970 को मनीपुर राज्य परिवहन की बस में यात्रा कर रहे मनीपुर के अध्यापकों के एक पर्यटन दल को नागालैंड की सीमा के भीतर राष्ट्रीय राजपथ संख्या 39 पर इम्फाल से लगभग 75 मील दूर सशस्त्र नागाओं ने लूट लिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में नागालैंड सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और यात्रियों की सुरक्षा हेतु मनीपुर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 22 अक्तूबर 1970 को लगभग 13-30 बजे इम्फाल से दीमापुर जाते हुए मणिपुर राज्य परिवहन की एक बस, जिसमें 42 यात्री थे नागालैंड में विस्वेमा गांव के पास लगभग 7 युवक नागाओं द्वारा रोक ली गई। नागाओं के पास स्टेनगन, राइफल और हथगोले होने की सूचना मिली है।

बदमाशों ने यात्रियों को नीचे उतरने को कहा और उनसे लगभग 4,000 रुपये मूल्य का माल एवं नकदी छीन लिया ।

(ग) नागालैंड सरकार ने केस दर्ज किया है और जांच-पड़ताल हो रही है । राजमार्ग पर सुरक्षा सतर्कता को सुदृढ़ कर दिया गया है ।

लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली से नरकंकालों का गायब होना

2802. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 अक्तूबर के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपा यह समाचार देखा है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल, नई दिल्ली में रखे हुए नरकंकाल 30 अक्तूबर, 1970 को गायब पाये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). जी हां, 26 अक्तूबर को यह पता लगा कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के शरीर रचना विज्ञान विभाग के पुराने शल्य-कक्ष में रखा हुआ एक अस्थि-पंजर (मानव शरीर का) गायब है । पुलिस अधिकारियों को इस मामले की सूचना दे दी गई है जो कि इसकी छान-बीन कर रहे हैं ।

जापानी इस्पात कारखाने द्वारा सिंगरेनी कोयला खानों के निकट के कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना

2803. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जापानी इस्पात कारखाना कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना करने के लिये सिंगरेनी कोयला खानों में कोकिंग कोयले की वाणिज्यिक व्यवहार्यता की जांच कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश सरकार अथवा जापानी इस्पात कारखाने से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता है ।

Financial Assistance to a Vaidya of Garhwal out of Prime Minister's Fund

2804. **Shri Shri Gopal Saboo** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) whether a Member of Parliament, on the 27th August, 1970, forwarded an

application of Vaidya of Kailash Dispensary, Kholachauri, Pauri, Garhwal (Uttar Pradesh) ;

(b) if so, whether in the said application the applicant has asked for financial assistance out of Prime Minister's Fund for carrying our certain repairs in the Dispensary building, which was damaged as a result of heavy rains and flood on the 20th July, 1970 in Garhwal ; and

(c) the amount of financial assistance demanded in the said application and the amount thereof which the Government propose to give ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) No letter dated the 27th August, 1970 appears to have been received. However, an application dated the 29th July, 1970 from a Vaidya of Kailash Aushdhalaya, Kholachauri, Pauri Garhwal (U. P.) with a forwarding letter dated the 3rd October, 1970 has been received from an M. P.

(b) and (c). The applicant has asked for a total grant of Rs. 17,000/ for the following pusposes :

	Rs.
(i) for repayment of loans incurred by the Dispensary	8,000.00
(ii) for meeting the annual expenditure of the dispensary	5,000.00
(iii) for repairs of the old and delapidated dispensary building	4,000,00
Total :	17,000.00

This dispensary was given a non-recurring grant of Rs. 1,000/- during March, 1970 out of Health Minister's Discretionary Grant. Since recurring grants are not admissible under the Rules, no further grant can be given during the current financial year.

Unemployment Dentists in the Country

2805. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of unemployed dentists in the country at present ;

(b) whether Government have formulated any scheme to remove unemployment amongst the dentists ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) The information is being collected from the State Government etc. and it will be laid on the Table of the Sabha in due course.

(b) and (c). The number of posts of Dentists is increased from time to time keeping in view the demand for dental services in the Hospitals. Since Dental care is a State subject, the State Governments have been requested to open more Dental clinics which would absorb Dental graduates in larger numbers.

मेडिकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना

2807. श्री मीठा लाल मीना : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैडिकल कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को जारी रखने की अनुमति देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अंग्रेजी माध्यम वाले मेडिकल कालेजों तथा संस्थानों में हिन्दी माध्यम वाले स्कूलों के विद्यार्थियों को सुविधा से प्रवेश के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य-मन्त्र (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां । चूंकि पाठ्य पुस्तकों एवं साहित्य केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध है भारतीय चिकित्सा परिषद् और हाल ही में जुलाई 1970 को हुए चिकित्सा शिक्षा सम्मेलन ने इसकी सिफारिश की थी ।

(ख) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने के पश्चात मिश्रित एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में भर्ती किये जाने वाले विद्यार्थियों को प्री-मेडिकल पाठ्यक्रम में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है । जिन मेडिकल कालेजों में प्री-मेडिकल स्तर पर शिक्षण का माध्यम हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा है वहां सम्बद्ध विश्वविद्यालयों द्वारा अंग्रेजी तो एक अतिरिक्त विषय के रूप में निर्धारित किया जा रहा है । मेडिकल कालेजों में दाखिला पाने के इच्छुक छात्र अंग्रेजी को एक अतिरिक्त विषय के रूप में पास करते हैं ।

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा विदेशों को भेजे जा रहे इन्जीनियर

2808. श्री मीठा लाल मीना : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, जो एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है, के द्वारा कतिपय इंजीनियरों को विदेशों में भेजा जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) 1967-68 से आज तक की अवधि के दौरान विदेश भेजे गये इन्जीनियरों का ब्योरा निम्न प्रकार है :—

	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71	कुल
(i) इंजीनियर्स इण्डिया लि० द्वारा हाथ में लिये गये फरन्ट एण्ड इंजीनियरिंग और विशिष्ट कार्यों के लिए	2	4	1	8	15

(ii) ह्वीट एक्सचेन्ज इक्युपमेंट डिजाइन में परिशिक्षण	—	—	—	4	4
(iii) बिजनैस डिवैल्पमेंट	—	1	1	2	4
(iv) सैमिनारस आदि में भाग लेना	—	—	—	2	2
(v) भारत सरकार की ओर से शोधनशाला परामर्श के लिये	—	1	—	—	1
कुल	2	6	2	16	26

Central Aid to U. P. Government for Construction of Houses under Improvement Trust

2809. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had given some amount of money to the Government of Uttar Pradesh for construction of houses under "Improvement Trust" ;

(b) if so, the term thereof ;

(c) whether it was also one of the terms therein that these houses will be sold to the people living in them on hire-purchase basis ; and

(d) if so, the action taken so far by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) to (d). No funds had been or are being given to the State Governments specifically for utilization by Improvement Trusts for the construction of houses. During the Fourth Plan period, Central assistance is being given to the State Governments for all State-sector programmes (including Housing) taken together, in the shape of block loans and block grants for utilization according to their own priorities and requirements.

Under three of the social housing schemes formulated by this Department, namely, the Low Income Group Housing Scheme, the Middle Income Group Housing Scheme and the Slum Clearance/Improvement Scheme, the State Governments are free to have the houses constructed through their designated agencies, including municipalities/improvement trusts. The houses constructed under these Schemes can also be sold either on outright payment of the cost or on hire-purchase basis subject to the terms and conditions contained in the rules framed by the State Governments for the implementation of these Schemes.

Expenditure on Jawahar Jyoti

2810. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Jawahar Jyoti at Teen Murti during the year 1970 so far ;

(b) the head under which this expenditure is incurred ; and

(c) the total number of workers engaged on the upkeep thereof and the monthly salaries paid to them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) : (a) Rs. 26,383/- from 1-1-1970 to 31-10-1970),

(b) "50 Public Works-Repair Building General Administration".

(c) The total number of workers engaged daily on the up-keep of the Jyoti is four Beldars on a salary of Rs. 371/- P. M.

फ्यूचरिस्टिक फाइटिंग व्हीकल

2811. **श्री नारायणन :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंस्टीटिट्यूट आफ आर्मामेंट के सेना तथा वायु सेना विंग फ्यूचरिस्टिक फाइटिंग व्हीकल का डिजायन तैयार करने तथा गाइडेड मिसाइल में प्रयुक्त होने वाले एक्सपेंडेबेल मैच 2 टार्गेट ड्रोन बनाने के लिये काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें पूर्णता कब तक प्राप्त हो जायेगी ; और

(ग) इस परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). पूना का इंस्टीच्यूट आर्मामेंट टेकनालोजी रक्षा सेवाओं के अफसरों और रक्षा असैनिक वैज्ञानिकों को विज्ञान और आर्मामेंट की टेकनालोजी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देता है, कि जो रक्षा की आवश्यकताओं को सीधे प्रभावित करते हैं।

पाठ्य चर्चाओं के भाग के तौर पर लम्बे पाठ्यक्रमों के अन्त में छात्र को अभिकल्पन अभ्यास/प्रयोजना कार्य/और तकनीकी अध्ययन में लगाया जाता है कि वह अभिकल्पन और विकास संकल्पनाओं का अध्ययन कर सकें। यह अभिकल्पन अभ्यास इन्स्टीच्यूट के सेना, नौसेना, और वायुसेना सम्बन्धी पक्षों के मार्गदर्शन में सम्पन्न किये जाते हैं।

सेना सम्बन्धी पक्ष के मार्गदर्शन में पाठ्यक्रमों में से एक में छात्र अफसरों के लिए प्रबन्धित अभिकल्पन अभ्यास था 'भविष्य टैंक का अभिकल्पन', और दूसरा था वायुसेना संबन्धी पक्ष के मार्ग दर्शन में सम्पन्न द्रोण लक्ष्य का कागजी अभिकल्पन अभ्यास हैं, कि जो छात्र अफसरों का उनके प्रशिक्षण के अन्त में दिया गया था, न कि विकास कार्य।

नागरिक सुविधाओं और विकास के मामले में दिल्ली की सरकारी बस्तियों की स्थिति उनके आस-पास के दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्रों की अपेक्षा खराब होना

2812. **श्री बलराज मधोक :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में उद्यानों, सड़कों तथा सफाई के रखरखाव जैसी नागरिक सुविधाओं को भी उसी स्तर तक लाने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है जो कि दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका की सीमा में आने वाली उनके आस-पास की बस्तियों का है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकारी बस्तियों में सड़कों आदि की स्वच्छता तथा सफाई के कार्य की देखभाल दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी करते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में स्वच्छता और सफाई की स्थिति खराब होने का एक बड़ा कारण उक्त व्यवस्था है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों में इस असमानता को दूर करने और सड़कों, गलियों तथा उद्यानों के रखरखाव तथा सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख). सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों में सड़कों की सफाई तथा स्वच्छता को बनाये रखने का उत्तरदायित्व, स्थानीय निकायों नामतः, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम का है। तथापि, इन स्थानीय निकायों ने निम्न सरकारी कर्मचारियों की कालोनियों में, सड़कों, वर्षा जल की नालियों आदि को अभी तक अपने हाथ में नहीं लिया है :—

नई दिल्ली नगर पालिका

1. भारती नगर ।
2. रबिन्द्र नगर ।
3. शाहजहां रोड पर एम० एस० फ्लैट ।
4. आर० के० पुरम, सैक्टर XIII में एम० एस० फ्लैट ।
5. पंडारा रोड ।
6. किदवई नगर ।
7. "जे" प्वाईंट ।
8. नार्थ तथा साऊथ एवेन्यु ।
9. काका नगर ।
10. बेलेज़ली रोड (डा० ज़ाकिर हुसेन रोड) ।

दिल्ली नगर निगम

आर० के० पुरम—सैक्टर V, VI, VII, VIII, IX तथा XII इन सेवाओं को सौंपने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग उचित संतोषजनक रूप से उनकी देखभाल कर रहा है। जहां तक तक, सरकारी कालोनियों में लानों की देख-भाल का सम्बन्ध है, यह गैर-सरकारी कालोनियों की तुलना में बहुत अच्छा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) सेवाओं को स्थानीय निकायों को सौंपने का मामला समय-समय पर उनसे उठाया जाता रहा है ।

वैदेशिक कार्य मंत्री की टर्की तथा अन्य अरब देशों की यात्रा

2813. **श्री बलराज मधोक :**

श्रीमती सुचेता कृपलानी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह से नवम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह तक-टर्की तथा कुछ अरब देशों की सरकारी यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा इस यात्रा का उद्देश्य क्या था और इसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) विदेश मन्त्री ने 2 से 5 नवम्बर, 1970 तक टर्की की सरकारी यात्रा की । अक्तूबर के अन्तिम सप्ताह या नवम्बर के प्रथम सप्ताह में विदेश मंत्री ने किसी अरब देश की सरकारी यात्रा नहीं की, लेकिन जब वे प्रधान मंत्री के साथ संयुक्त राष्ट्र से लौट रहे थे तब 26 अक्तूबर, 1970 को 8 घंटे के लिए काहिरा रुके थे ।

(ख) विदेश मंत्री ने टर्की के विदेश मन्त्री महामान्य श्री इहसन सब्री कमल्यंगिल के आमंत्रण पर टर्की की यात्रा की ।

इस यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श किया और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का पुनरीक्षण किया । विदेश मंत्री की टर्की यात्रा समाप्त होने पर जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—4449/70]

राजधानी के पुर्नविकास के लिए विशेष सैल

2814. **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्रीमती सुचेता कृपलानी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के पुनर्विकास के बारे में पूर्णरूपेण अध्ययन करने के लिए वास्तुविज्ञों तथा नगर आयोजकों का एक विशिष्ट सैल बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सैल के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यह सैल संभवतः कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, अभी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैलीकोप्टरों के निर्माण में आत्म निर्भरता

2815. **श्री शंकर राव माने :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुसेनाध्यक्ष ने जो कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के अध्यक्ष भी हैं कहा है कि देश को विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन-सुविधाओं के लिए और अधिक हैलिकोप्टरों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत हैलीकोप्टरों के निर्माण में आत्म निर्भर है, और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आत्म निर्भर बनने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) एक मझौला हैलिकाप्टर अलौटी 3 पहले से एच० ए० एल० में लाइसेन्स के अन्तर्गत निर्माण किया जा रहा है । एच० ए० एल० एक और हल्के हैलिकाप्टर के उत्पादन का आयोजन कर रहे हैं । ऐसा प्रत्याशित है कि लगभग 5 वर्षों की अवधि में देश में निर्माण द्वारा हलके तथा मझौले हैलिकाप्टरों के लिए देश की अधिकतम आवश्यकताएं पूरी कर पाना संभव हो जाएगा । अधिक मारे हैलिकाप्टर, कि जिनके लिए इस समय भारी मांग नजर नहीं आती, आयात करने पड़ते हैं ।

State-Wise Expenditure on Family Planning Programmes

2816. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri N. R. Deoghare :

Will the **Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the family planning programmes by Government during the last three years ;

(b) the details regarding the assistance provided to the States per year, State-wise ;

(c) the State-wise details regarding the progress made in this regard ;

(d) whether the Central Government give special assistance to encourage those States which have made more progress in this regard ; and

(e) the names of the States which received such special assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) Rs. 9856.87 lakhs (Estimated).

(b) A statement is attached (Annexure I). [*Placed in Library. See* No. LT—4450/70.

(c) Two statements showing the progress made in building up the infrastructure for providing family planning services and supplies and the performance in regard to IUCL insertions, sterilizations, number of users of conventional contraceptives and total acceptors are attached (Annexures II and III).

(d) No special assistance as such is given. The annual financial assistance to States

is given according to approved patterns on the bassis of the development of various activities in this field during a particular year.

(e) Does not arise.

Outstanding Amount of Royalty against Mines Owners in Bihar

2817. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4504 on the 20th March, 1970 regarding outstanding amount of Royalty against mine owners in Bihar state and state :

(a) whether Government have since collected the requisite information from the Government of Bihar ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) and (b). The requisite information has been collected. It will be laid on the table of the Lok Sabha during the current session.

संयुक्त राज्य सूचना सेवा के प्रकाशन "यूनाइटेड नेशन्स एट ट्वंटी" में भारत के क्षेत्र से जम्मू तथा काश्मीर का निकाला जाना

2818. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री 5 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित अमरीका के दूतावास ने इस बीच संयुक्त राज्य सूचना सेवा द्वारा प्रकाशित "यूनाइटेड नेशन्स एट ट्वंटी" में उन असंगतियों को ठीक कर दिया है जिसमें जम्मू और कश्मीर को भारत के क्षेत्र से बाहर दिखाया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा आगे और की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने अमरीकी दूतावास का कोई भी ऐसा नवीनतम प्रकाशन नहीं देखा है, जिसमें इस गलती की पुनरावृति हुई है ।

Persons Suffering from Cancer in India

2819. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the number of persons suffering from cancer in India ;

(b) whether Government propose to help them by supplying them medicines free of cost ; and

(c) the number of hospitals in the country where arrangements have been made for the treatment of cancer ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There are no accurate statistics available on the incidence of Cancer. However, according to the report of the Cancer Committee (1966) about 2,00,000 persons die annually of Cancer in India.

(b) There is no such proposal under consideration of the Government of India.

(c) The main centres for cancer research, diagnosis and treatment in the country are as follows :—

(1) Cancer Research Institute, Madras.
(2) Chittaranjan National Cancer Research Centre, Calcutta.
(3) Cancer Research Institute, Bombay.
(4) Cancer Hospital and Radium Institute, Hyderabad.
(5) Cancer Registry International Centre, Neyyor.
(6) M. P. Shah Cancer Hospital, Ahmedabad.
(7) Cancer Research Institute, Department of Pathology, S. N. Medical College and Hospital, Agra.
(8) Chittaranjan Cancer Hospital, Calcutta.

Besides, facilities for research, diagnosis and treatment of certain types of cancer are also available at most of the medical colleges and general hospitals in the country.

कश्मीर के मामले में इजराइल द्वारा भारत का समर्थन

2820. श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में इजराइल के वाणिज्य दूत श्री याकोन मोरिस ने घोषणा की है कि कश्मीर के मामले में उनका देश भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख): सरकार ने इस आशय की अखबारी खबरें देखी हैं।

एच० एस०-748 विमान से भिन्न विमान का निर्माण

2821. श्री मीठा लाल मीना :
श्री रा० की० अमीन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर एच० एस०-748 विमान से भिन्न किसी प्रकार के विमान का निर्माण करने की स्थिति में नहीं है ;

(ख) क्या भारत सरकार का ध्यान 23 अक्तूबर 1970 के "हिन्दु" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) फिल्हाल हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड एच० एस०-748 विमान के निर्माण के लिए आयोजित

है, परन्तु कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ अन्य परिवहन विमानों तथा कुछ अन्य किस्मों का निर्माण भी हस्तगत किया जा सकता है ।

(ख) तथा (ग). लेख एच० ए० एल० कानपुर के कृत्य का लेखक द्वारा आंकण करता है । तदपि उसमें कई ऐसे विवरण भी हैं जो तथ्यत: ठीक नहीं । उदाहरण के तौर पर यह कहना ठीक नहीं कि एच० ए० एल० ने एयर लाईन्ज के लिए अतिरिक्त एच० एस० 748 बनाने से इन्कार कर दिया है । यह कहना भी ठीक नहीं कि आर्थिक दृष्टि से लाभकर उत्पादन तभी संभव है कि जब क्षमता 100 प्रतिशत बढ़ाई जाए ।

शस्त्रास्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, पूना में सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों तथा कम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों का विकास

2822. **श्री सामिनाथन :** क्या प्रति रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना स्थित शस्त्रास्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान में एक नए सुपरसोनिक लड़ाकू विमान का विकास किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संस्थान में भूमि से वायु में कम दूरी तक मार करने वाले के लिए प्रक्षेपास्त्र एवं 16 चैनल टेलीमीटर सिस्टम पर भी एक विशेष शस्त्रस्त्र विभाग कार्य कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से गृह-निर्माण के लिए ऋण देते समय ऋण मुक्त होने का प्रमाण पत्र लेना

2823. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र देने से पूर्व सरकारी वकील से ऋण-मुक्त होने का प्रमाण पत्र देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति अथवा सरकारी समिति को अब बेची गई भूमि रहण नहीं रखी जा सकती ; और

(घ) यदि हां, तो उन प्लाट धारियों से उक्त प्रमाण पत्र मांगने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). जी, नहीं । जिस भूमि पर आवेदक द्वारा भवन

का निर्माण प्रस्तावित है, उसकी भार-मुक्ति के बारे में एक प्रमाण पत्र (नान-एनकुम्ब्रेंस सरटिफिकेट), इस मंत्रालय द्वारा अग्रिम के अनुमोदन और विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति के उपरांत सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को पेश करना अपेक्षित है। प्रमाण-पत्र का पेश करना यह सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि प्लाट, आवेदक को इसकी बिक्री के पश्चात, गिरवी नहीं रखा गया, या उस पर कोई प्रभार तो नहीं डाला गया, और यह भी कि भूमि अर्जन कार्यवाही, जिसके अनुसार सरकार/प्राधिकरण/संगठन ने उक्त भूमि अर्जित की है, अमान्य नहीं है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विक्रय की गई भूमि विक्रय/पट्टा विलेख में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्व-अनुमति से, सरकार को सामान्यता गिरवी रखी जा सकती है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के डाक्टरों द्वारा औषधियों की पर्चियां देने में समय नष्ट करना

2824. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालयों के डाक्टरों द्वारा प्रत्येक रोगी के लिए नुस्खा लिखने तथा औषधियों की पर्चियों और उनसे सम्बन्धित अन्य दूसरी औपचारिकतायें पूरा करने में बहुत समय नष्ट किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बहुमूल्य समय का उपयोग करने और रोगियों के निरीक्षण में अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). प्रतिबन्धित औषधियों की पर्ची लिखने में डाक्टरों को निस्सन्देह कुछ समय लग जाता है। तथापि, केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों से दवाइयों की छुट-पुट चोरी को रोकने के लिए रोगियों को प्रतिबन्धित औषधियां देने के लिए पर्ची लिखने की पद्धति को बनाये रखना आवश्यक समझा जाता है।

पर्ची लिखने के लिए नये किस्म की पर्ची पुस्तिकाएं लागू कर दी गई हैं जिनसे अपेक्षाकृत कम समय खर्च होता है।

हिमाचल प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप

2825. **श्री ए० श्रीधरन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने हिमाचल प्रदेश में भारी मात्रा में चूना पत्थर का निक्षेप पाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है ; और

(ग) यह काम कब तक आरम्भ हो जायेगा तथा उसमें कितने व्यक्तियों को लगाया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). सिरमूर जिले में सतौन तथा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में धर्मकोट (धर्मशाला के समीप) में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में समाप्त किए गये सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर निक्षेपों के अन्वेषण, निम्नलिखित मुख्य उपलभ्य राशियां उपदर्शित करते हैं :—

(1)	463.30 लाख मेट्रिक टन (सिद्ध उपलब्ध राशियां) 488.40 लाख मैट्रिक टन समस्त ग्रेडों की पूर्ण उपलभ्य राशियां	सतौन निक्षेप
(2)	150 लाख मैट्रिक टन (प्रारम्भिक प्राक्कलन)	धर्मकोट निक्षेप
(3)	1090 लाख मैट्रिक टन (सीमेंट ग्रेड) 76 लाख मैट्रिक टन (निम्न सम्मिश्रणीय ग्रेड)	गागल (और) निक्षेप

(ग) चूंकि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में कार्य परिपूर्ण किया है, अतः यह कहना समयपूर्व की बात है कि इन निक्षेपों में समन्वेषण कार्य कब प्रारम्भ होगा।

सितम्बर तथा अक्तूबर, 1970 में पाकिस्तान द्वारा किया गया वायु सीमा अतिक्रमण

2826. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान ने सितम्बर तथा अक्तूबर, 1970 में कितनी बार वायु सीमा का अतिक्रमण किया था ;

(ख) इन वायु सीमा अतिक्रमणों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या पाकिस्तान को कोई विरोध पत्र दिया गया है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दो।

(ख) इन अन्तरिक्ष अधिलंघनों को रोकने के लिए वायु सेना के विमानों को स्क्रैम्बल किया गया था।

(ग) दोनों हालतों में विरोध पत्र भेजे गए हैं। पाकिस्तान सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

दिल्ली के मलकागंज और नबी करीम क्षेत्रों के झुग्गीवालों को पक्के फ्लैटों का आबंटन

2827. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के उप-राज्यपाल (लै० गवर्नर) ने मलकागंज तथा नबीकरीम के झुग्गीवालों को उसी स्थान पर जहां पर वे इस समय रह रहे हैं पक्के फ्लैट देने का आश्वासन दिया था ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन से इस बारे में सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या प्रत्येक झुग्गी वाले को दो कमरे वाले फ्लैट के लिए आसान किस्तों में 3000 रुपये देने होंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा और निर्माण कार्य कब आरंभ होगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) उप-राज्यपाल ने मल्कागंज और नबी करीम के झुग्गीयों में रहने वालों के एक प्रतिनिधि-मंडल को, जो उन्हें कुछ समय पूर्व मिलने गया था, यह आश्वासन दिया कि उनकी इस मांग पर कि उन्हें उन स्थानों पर पुनः बसाया जाये जहां वे अनधिवासी हैं, पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

(ख) दिल्ली प्रशासन से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). फिलहाल प्रश्न ही नहीं उठता ।

गुलाबी बाग और अंधा मुगल, दिल्ली में नागरिक सुविधाएं

2828. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुलाबी बाग और अन्धा मुगल, दिल्ली में 50,000 झोंपड़ियां हैं और उस क्षेत्र में सरकार ने एक भी पानी का नल नहीं लगाया है ;

(ख) वास्तविक आवश्यकता की तुलना में उस कालोनी में कितनी टट्टीयां तथा बिजली के खम्बे हैं ;

(ग) क्या नालियों का प्रबन्ध बहुत खराब है और मेहतरों की संख्या बहुत कम है ;

(घ) यदि हां, तो टट्टियां, नालियों, पक्के फर्श, बिजली के खम्बों, पानी के नलों, मेहतरों आदि की व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) इन सुविधाओं का कब तक प्रबन्ध कर दिया जायेगा तथा उसकी लागत क्या होगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ङ). क्षेत्र में झुग्गीयों की संख्या का पता लगाने के

लिये कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व मूलरूप से दिल्ली नगर निगम का है जिसने नालियां, ईटें बिछाना, कुछ एक सड़क बत्तियों के स्थान तथा शौचालय स्थान जैसे कुछ सुधार किए हैं। तथापि, नगर निगम ने आर्थिक कठिनाई के कारण, विभिन्न सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर पाया है। इस कार्य के लिए लाटरी से प्राप्त कुछ निधियों की व्यवस्था करने के लिए, उप-राज्यपाल ने सहमति इस शर्त पर दी है कि नगर निगम अपने साधनों से उतनी ही राशि उपलब्ध करे।

विदेशी तेल कम्पनियों पर नियंत्रण

2829. **श्री मणि भाई जे० पटेल :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में कार्य कर रही तीनों विदेशी तेल कम्पनियों, बर्मा शैल, एस्सो तथा काल्टैक्स पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) प्रश्न का अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं है। विदेशी तेल कम्पनियों पर कई नियंत्रण किये गये हैं, उदाहरण के तौर पर अशोधित तेल के लिए विदेशी मुद्रा का देना, सरकारी संकल्पों द्वारा उत्पादों के मूल्यों का नियन्त्रण आदि। इस समय कोई नया नियंत्रण विचार में नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अधिक से अधिक लोगों के आवास के लिए राज्यों में नगरों तथा कस्बों का विकास

2830. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** क्या **स्वास्थ्य** तथा **परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि वे नगरों और कस्बों का इस ढंग से विकास करें जिससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को बसाया जाये ताकि और अधिक लोग वर्तमान नागरिक सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और उनसे क्या परिणाम निकलने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख). ऐसा कोई विशिष्ट सुझाव नहीं किया है। तथापि, घने क्षेत्रों की आबादी कम करके और नगरीय सीमा के अन्दर खुले क्षेत्रों को आजाद करके, शहरों और नगरों में रिहायशी घनत्व का पुनःसमायोजन करना बृहत योजना के अंगों में से

एक अति आवश्यक अंग है। भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर राज्य सरकारों को देश में शहरों और नगरों के लिए बृहत योजना बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस उद्देश्य के लिए साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारें तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरंभ से ही इस आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न कर रही हैं।

शस्त्रास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भरता

2831. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत शस्त्रास्त्रों के निर्माण में आत्मनिर्भर है अथवा वह कतिपय किस्म की युद्ध सामग्री को विदेशों से क्रय करता है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रतिरक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : छोटे आयुधों हल्के तोपखानो और उनके गोलीबारूद के सम्बन्ध में हम आत्म-निर्भर हैं। मझौले तोपखानों, आयुधों तथा गोलीबारूद के सम्बन्ध में कि जो इस क्षेत्र में परम्परागत आयुधों तथा गोलीबारूद का स्थान ले रहे हैं, देशीय क्षमता स्थापित की जा रही है।

देश के अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए विदेशी साधनों पर निर्णायक निर्भरता को प्रगतिशीलता से दूर करना जबकि हमारा लक्ष्य है, आने वाले कुछ समय के लिए यौद्ध साजसामान की कई किस्मों के लिए विदेशी क्रय अनिवार्य है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा गत तीन वर्षों में किया गया सर्वेक्षण

2832. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था ने गत तीन वर्षों में कौन-कौन से क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया ;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप कोई नये खनिज निक्षेप मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विगत तीन वर्षों के दौरान में समस्त राज्यों में वितरित 126,000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में सुव्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण और क्षेत्रीय खनिज निर्धारण और 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न मापमानों पर विस्तृत मानचित्रण किया है। भू-भौतिकीय और भू-रसायनिक पूर्वेक्षण और व्यधन और समन्वेषी खनन द्वारा विस्तृत खनिज समन्वेषण भी किये गये।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्यों में किये गये

खनिज अन्वेषणों को दर्शित करने वाला विवरण, उपाबन्ध—एक के रूप में संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—4451/70]

(ख) और (ग). चूंकि खनिज निक्षेपों की अवस्थिति और निर्धारण अविरल—प्रक्रियाएं है जिसमें अनेक वर्ष लग सकते है, अतः भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के सुसंगत कार्यक्रम में, महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय और भू-रसायनिक विषमता वाले क्षेत्रों का अनुवर्ती व्यवधन कार्य और देश के विभिन्न भागों में खनिजीकृत पट्टों और अन्य क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों को समन्वेषित करने तथा अंकित करने के लिए व्यधन का क्रम और उनकी उपलभ्य राशियां और ग्रेड-निर्धारण भी सम्मिलित है। इस कालावधि में अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं, महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों को उपदर्शित करने वाला विवरण उपाबन्ध दो के रूप में संलग्न है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा पत्रकारों के लिए विभिन्न समन्वेषण स्थानों की यात्राएं आयोजित करना

2833. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पत्रकारों के लिए विभिन्न समन्वेषण स्थानों की यात्रायें आयोजित की थी ;

(ख) ऐसी यात्राओं के लिए पत्रकारों का चयन करते समय प्रेस सूचना ब्यूरो और प्रेस एसोसिएशन से परामर्श न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके मंत्रालय तथा उसके उपक्रमों द्वारा अपनी प्रेस सूचना सम्बन्धी कार्यवाहियां मंत्रालय के सूचना अधिकारी के माध्यम से न भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि मंत्रालय से संलग्न पत्र-सूचना कार्यालय के सूचना आफिसर से परामर्श करके पत्रकारों का चयन किया गया था।

(ग) जहां तक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का संबंध है, इस प्रयोजन के लिए उसके अपने जन सम्पर्क और प्रचार विभाग हैं। तथापि, समस्त आवश्यक प्रेस प्रकाशियां और फीचर आदि साधारणतः इस मंत्रालय से संलग्न पत्र-सूचना कार्यालय के सूचना आफिसर के माध्यम से भेजे जाते हैं।

Landing of Russian Zond-8 near Bombay

2834. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the Russian Zond 8 recently landed near Bombay ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Soviet spacecraft Zond-8 returned to earth somewhere in the Indian ocean.

(b) The Soviet Embassy had requested assistance in unloading the space-craft from a Soviet ship at Bombay Port and its carriage to a Soviet aircraft which carried it to Moscow.

The facilities requested for were granted by Government in accordance with its policy to meet such requests from friendly countries for peaceful scientific space exploration.

श्री बी० पी० कोइराला को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करना

2835. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 सितम्बर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार नेपाल के विदेश मंत्री के द्वारा यह कहा बताया जाता है कि श्री बी० पी० कोइराला को पहचान प्रमाण-पत्र जारी करना शिष्टाचार और प्रथा के प्रतिकूल है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नेपाल सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने यह अखबारी खबर देखी है ।

(ख) नेपाल सरकार को स्थिति बताई जा चुकी है । इस सम्बन्ध में 20 अगस्त, 1970 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1219 तथा 2 सितम्बर, 1970 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 754 के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण कार्य

2836. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**　　　**श्री जी० वाई कृष्णन :**
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण कार्य में जून, 1970 तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष की तुलना में यह कम हुई है अथवा बढ़ी है तथा नियत लक्ष्यों की तुलना में यह प्रगति कितनी है ;

(ग) चतुर्थ योजना में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण हेतु कितना विशिष्ट आवंटन किया गया है और योजनावधि में कितने नये मकान तैयार होने की सम्भावना है ;

(घ) देश में अनुमानतः कितने मकानों की कमी है और जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए प्रति वर्ष कितने नये मकान बनाने की आवश्यकता है ; और

(ङ) क्या चतुर्थ योजना के अन्त तक मकानों की कमी पूरी हो जायेगी और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार, इस विभाग की विभिन्न सामाजिक आवास योजनाओं के आरम्भ से 30 जून, 1970 तक उनके अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में 77,213 तथा शहरी क्षेत्रों में 5,57,514 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी । उनमें से 47,658 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4,25,214 मकान शहरी क्षेत्रों में बनाये जा चुके थे ।

(ख) इन योजनाओं के अन्तर्गत निर्धारित 30 जून, 1970 तक समाप्त होने वाली आवधिक प्रगति रिपोर्टों के कई राज्यों से प्राप्त न होने के कारण ठीक स्थिति नहीं बताई जा सकती । तथापि, अब तक विभाग में प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, जनवरी, 1967 से मंजूरी की गति तथा नये मकानों के सम्पूर्ण, दोनों में, वर्ष प्रतिवर्ष कुछ सुधार हुआ है। पिछले तीन वर्षों के अन्तर्गत इन योजनाओं में कोई लक्ष्य निर्धारित न किये जाने के कारण वास्तविक निष्पादन का लक्ष्य के साथ तुलना करना सम्भव नही है ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक आवास तथा नगर विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्रों की योजनाओं में 193.27 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । चूंकि अब समस्त योजनाएं राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, इनका योजनावार नियतन स्वयं राज्य सरकारें आदि द्वारा किया जाना है । इसके अतिरिक्त, चतुर्थ योजना में आवास इत्यादि के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :

1.	सामान्य पूल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये रिहायशी तथा कार्यालय वास	30 करोड़ रुपये
2.	बागान मजदूर आवास	2 करोड़ रुपये
3.	गोदी मजदूर आवास	2.5 करोड़ रुपये

मोटे तौर पर, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इन नियतनों में लगभग 2 लाख नये आवास एककों की वृद्धि होने की सम्भावना है।

(घ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) के आवास के लिए कार्यकारी दल के अनुमानों के अनुसार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में भारत में लगभग 837 लाख आवास एककों की कमी थी । प्रत्येक परिवार का अपना एक यथोचित स्थायी आवास होना चाहिए के आधार पर शहरी तथा ग्रामीण आवासों की कमी क्रमशः 119 लाख एककों तथा 718 लाख एककों की है। भारत में नये गृह निर्माण की वार्षिक आवश्यकता के सम्बन्ध में कोई अनुमान नहीं लगाया गया । तथापि राष्ट्र संघ की एक विशेषज्ञों की संस्था ने देश में आवास के अभाव को शनैः शनैः दूर करने के लिए प्रति 10 हजार व्यक्तियों के लिए 10 मकान प्रति वर्ष बनाने की सिफारिश की है।

(ङ) आवास समस्या के विराट आकार तथा इसके समाधान के लिए सीमित निधियों की

उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक आवास के अभाव में कोई पर्याप्त मात्रा में कमी होने की आशा नहीं है। तथापि, आवास तथा नगर विकास वित्त निगम से उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रत्याशा से आवास निर्माण की गति में तीव्रता होने की सम्भावना है।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी संघ को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सलाहकार समिति की सदस्यता से इन्कार

2837. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा सलाहकार समिति के सदस्यों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों/संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संघों/संगठनों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि उस सलाहकार समिति में नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रलय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सलाहकार समिति की 2 वर्ष की अवधि 2 जुलाई, 1970 को पूरी हो गई है। नयी सलाहकार समिति के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है। केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सलाहकार समिति की पिछली अवधि में प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी सदस्यों एव संघों के नामों की एक सूची संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या** एल० टी०—4452/70]

(ग) 1954 में जब से केन्दीय स्वास्थ्य योजना सलाहकार समिति का गठन किया गया तब से इसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का प्रतिनिधित्व एक अधीक्षक-इंजीनियर (पद नाम से) द्वारा किया जा रहा था।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन

2838. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों अथवा जोनों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामान्य पूल से आवास के आवंटन के अधिकारी नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विशिष्ट क्षेत्र अथवा जोन कौन से हैं ; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम के बनने से पूर्व, दिल्ली नगर पालिका तथा नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार में स्थित सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारी सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिये पात्र थे, बशर्तें कि वे अन्य-शर्तें पूरी करते हों। दिल्ली नगर निगम के बनने के बाद, दिल्ली/नई दिल्ली की सीमाओं का निरुपण करना आवश्यक समझा गया, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों की सीमा में ऐसे क्षेत्र भी थे जहां केन्द्रीय सरकार के कार्यालय नहीं थे। विभिन्न कारणों और सामान्य पूल में वास की कमी को ध्यान में रखने के बाद, यह निर्णय किया गया कि दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के आवंटन के उद्देश्यों के लिये, सीमायें डाक वितरण क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहियें और इस आशय के आदेश मार्च, 1962 में जारी किये गये थे। 1969 में, डाक वितरण क्षेत्रों में तबदीली होने के कारण, स्थिति का पुनर्विलोकन किया गया तथा पात्र-क्षेत्रों के बारे में नये आदेश, अक्तूबर, 1969 में जारी किये गये। इन आदेशों के अनुसार, डाक वितरण क्षेत्र संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22 तथा 23 में स्थित कार्यालयों में कार्य कर रहे कर्मचारी, जो 30-11-1966 को मौजूद थे, दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल से वास के आवंटन के लिये पात्र समझे जाते हैं, बशर्तें कि वे अन्य आवश्यकताएं पूरी करते हों।

भारत में जन्म दर रोकने के लिये विदेशी विशेषज्ञों की सहायता

2839. श्री रा० बरुआ : श्री चेंगलराया नायडू :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश की बढती हुई जनसंख्या को रोकने के उपाय सुझाने के लिये कुछ विदेशी विशेषज्ञों अथवा अभिकरणों की सहायता मांगी है क्योंकि परिवार नियोजन के वर्तमान उपाय बहुत कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : जी नहीं। विदेशी विशेषज्ञों और अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों की सेवाएं वर्तमान कार्यक्रम के विशिष्ट पहलुओं जैसे—प्रशिक्षण रीति विधान, बिक्रय तकनीकों और जन संचार के विशिष्ट माध्यम के उपयोग के सम्बन्ध में ही मांगी जाती हैं।

Mavalankar Auditorium, New Delhi

2840. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the number of times the Mavalankar Auditorium, New Delhi was rented out for holding functions since the 1st January, 1967 ;

(b) the amount of rent paid to Government during the said period as also the actual amount of rent payable to Government ; and

(c) the amount of rent still to be recovered and the action Government propose to take to recover it ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri Parimal Ghosh) :

Upto 31-10-70

(a) 526

	Rs.
(b) Amount payable to the Government	2,50,285.75
Amount actually paid to Government	2,50,285.75

(c) As the balance due is Nil, no action for the recovery of the balance amount is called for.

उच्च शक्ति प्राप्त यमुना तट विकास बोर्ड की स्थापना

2941. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद् की अध्यक्षता से नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त यमुना तट विकास बोर्ड ने निगमबोर्ड घाट तथा बुद्ध बिहार के बीच यमुना तट को सुन्दर बनाने तथा उसके सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डालने के लिये चार क्रम वाली विस्तृत योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस कार्यक्रम कीं क्रियान्विति में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस योजना की क्रियान्विति के लिये कितना धन नियत किया है तथा अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली में यमुना नदी के दोनों ओर सभी पस्थ क्षेत्रों तथा घाटों को, निम्नलिखित चार चरणों में विकासित करने के उद्देश्य से सितम्बर, 1968 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण "यमुना तट विकास कोष बोर्ड" नामक बोर्ड गठित किया गया :

प्रथम चरण : शहरी दीवार तथा रिंग रोड के बीच क्षेत्र का विकास तथा वृक्षारोपण ; निगम बोध घाट क्षेत्र का सुधार, वाहन ठहराने की व्यवस्था तथा निगम बोध घाट पर सम्पर्क मार्ग का निर्माण ।

द्वितीय चरण : निगम बोध घाट तथा बुद्ध बिहार के मध्य क्षेत्र का विकास तथा यमुना नदी के साथ-साथ 50 फुट के मार्ग का निर्माण ।

तृतीय चरण : निगम बोध घाट तथा रेल पुल के मध्य के क्षेत्र के साथ-साथ बुद्ध बिहार और वजीराबाद बराज का विकास ।

चतुर्थ चरण : नये मन्दिरों का निर्माण, धार्मिक भवनों का पुनः निर्माण, स्नानघाटों का पुनः विकास, नाव चलाने तथा अन्य आमोद-प्रमोद की सुविधायें ।

(ग) जी, हां ।

(घ) कार्यक्रम के दो चरण सम्पूर्ण हो चुके हैं । तृतीय चरण का विकास कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ङ) इस योजना पर अनुमानित व्यय 1.33 करोड़ रुपये है जिसमें से 12 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं ।

Recommendations of Taxation Enquiry Committee Regarding Grants to Local Bodies

2842. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the States have accepted the recommendation made by the Taxation Enquiry Committee that Government grants to the local bodies should be given on the basis of population ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Lok Sabha.

(b) Local Self Government is a State subject and it is for the States to accept or implement the recommendation.

Recommendations made by Taxation Enquiry Committee Regarding Functioning of Municipalities

2843. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether in the recent meetings of the Central Council of the Local Self-Governments the Ministers from various States have agreed that the Municipalities in most of the cities are not able to function properly due to paucity of funds ; and

(b) if so, the recommendations made by the Taxation Enquiry Committee as also those made in the meetings of the said Council in this regard and the reasons for not accepting and Implementing them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b). In its last meeting held on the 3rd November, 1970 at New Delhi, the Central Council of Local Self Government did not specifically consider the issue of the functioning of Municipalities in the country with reference to their financial resources. The question of augmentation of financial resources of the Municipal Corporations was however considered in a Joint Meeting of the Central Council of Local Self Government and the Executive Committee of the All India Council of Mysore held at New Delhi on the 4th November, 1970 with particular reference to the recommendations of the Minister's Committee on Augmentation of Financial Resources of Urban Local Bodies (Zakaria Committee in which the recommendations of the Taxation Enquiry Commission have also been referred to. In the Joint Meeting, it was resolved to request the State Governments to consider the recommendations of the Zakaria Committee for early implementation.

The recommendations of the Taxation Enquiry Commission are contained in the Report of the Commission, Volume III, Pages 539 to 549, which is available in the Lok Sabha Library.

Setting up a Factory for Manufacture of Precision Aircraft Aero Engine Accessories and Components in Madhya Pradesh

2844. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the Hindustan Aeronautics, Bangalore had informed the Madhya Pradesh Government in 1968 that a scheme for the manufacture of Precision Aircraft, Aero engine accessories and components was under their consideration ;

(b) whether the experts of the Hindustan Aeronautics had toured Madhya Pradesh during March, 1969 with a view to finding a suitable site for the proposed factory and the Madhya Pradesh Government had given an assurance to make available land, water, electricity etc. for the purpose ; and

(c) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri P. C. Sethi) : (a) to (c). At the time when the proposal for the setting up of an Accessories Division of Hindustan Aeronautics Limited for the manufacture of Precision Aircraft Accessories was being considered, the Government of Madhya Pradesh, along with several other State Governments, were addressed by HAL regarding suitable sites and facilities for the proposed factory as per general requirements given to them. Replies were received from Madhya Pradesh and some other State Governments. The sites offered by various State Governments including the offered by the Madhya Pradesh Government were inspected by the officers of the Hindustan Aeronautics Limited and after evaluation of all the factors involved it was considered that the site offered by the Uttar Pradesh Government near Lucknow was best suited for locating the factory. It was accordingly decided to set up the factory at this site.

नौसेना में असैनिक तकनीकी पर्यवेक्षकों की भर्ती और पदोन्नति के नए नियमों का लागू किया जाना

2845. **श्री शशि भूषण :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने 26 अगस्त, 1970 के पत्र संख्या 11(8)/70 ए० डी०/सिविल-(1) द्वारा हाल ही में संवर्ग का पुनर्गठन किया है और असैनिक तकनीकी पर्यवेक्षकों के लिये भर्ती और पदोन्नति के नये नियम लागू किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के प्रस्तावित परिवर्तन कर्मचारियों के हितों के विरुद्ध हैं और नये गठित संवर्ग और भर्ती और पदोन्नति के नये नियम का उनकी पदोन्नति पर गहरा असर पड़ेगा ;

(ग) क्या नौसेना तकनीकी पर्यवेक्षक कर्मचारी संघ ने सरकार को ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मांगें सविस्तार दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी कुछ मांगें क्या हैं और उनपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) जी हां। 26 अगस्त

1970 के आदेश नौसेना की स्थापनाओं सहित कतिपय ऐसी रक्षा स्थापनाओं पर लागू हैं जहां तकनीकी पर्यवेक्षी कर्मचारी नियुक्त हैं।

(ख) आदेशों से अधिकांशतः मौजूदी स्थिति में सुधार हुआ है और ये अधिकांशतः कर्मचारियों के लिए लाभप्रद है। तथापित कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें कुछ कर्मचारियों के कुल वेतन और पदोन्नति के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फिर भी इन आदेशों का व्यवस्थानुसार ऐसे मौजूदा कर्मचारी, जो नई ग्रेड सरचना में यथायोजित होने पर अपने वर्तमान वेतनमान को बनाए रखने के इच्छुक हों ऐसा करने के लिए लिखकर अपना विकल दे सकते हैं।

(ग) तथा (घ). जी हां। एक विवरण संलग्न है। संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था का विभागीय परिषद में विचार विमर्श करने के बाद ही ये आदेश जारी किए गए हैं। तृतीय वेतन आयोग इन आदेशों की समीक्षा करेगा। चूंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही मामले पर विचार किया जाएगा और सभी सेवारत कार्मिकों को मिलने वाली कुल वेतन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। अतः इस मामले पर पुनः विचार नहीं दिया जाना है।

विवरण

(1) नौसेना-डावार्ड और नौसेना की अन्य विरचनाओं में तकनीकी प्रर्यवेक्षी कर्मचारियों का पार्ट II संवर्ग नहीं होगा।

(2) नौसेना में चार्जमैनों का 150-300 रुपये वेतनमान लागू नहीं होगा।

(3) सिविलियन तकनीकी पर्यवेक्षी के कर्मचारियों के लिए वर्तमान भर्ती नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(4) सिविलियन तकनीकी पर्यवेक्षकों के वर्ग में दूसरे वर्ष में पदोन्नति के लिए वर्तमान अर्हता अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी।

(5) इन आदेशों में प्रभावित कुछ वर्गों को जिन के नाम नामजद नहीं दिया जाएगा, जोकि इन आदेशों में प्रस्तावित है।

(6) नौसेना के अन्तर्गत आलेखन अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्गठित नहीं किया जाएगा।

(7) तृतीय वेतन आयोग के द्वारा पुनरीक्षण होने तक अर्थ-व्यवस्था बनाई रखी जाएगी।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय संख्या 6, शक्ति नगर, दिल्ली, के कार्य की स्थिति

2846. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्ति नगर दिल्ली के केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय संख्या 6 का कार्य जब से वहां के वर्तमान चिकित्सा अधिकारी ने कार्य भार सम्भाला है तब से असन्तोषजनक है तथा डाक्टर औषधालय में समय पर नहीं आते हैं ;

(ख) क्या औषधालय में न रोगियों के बैठने की व्यवस्था है और न डाक्टरों के बैठने के लिए तथा जब रोगी वहां डाक्टर से परामर्श करने जाते हैं तो वहां समुचित एकान्त की व्यवस्था भी नहीं होती ; और

(ग) क्या सरकार इस बात की आवश्यकता पर विचार करेगी कि इस औषधालय के लिये उस भूमि पर स्थायी रूप से इमारत बनाई जाये जो इस समय रूप नगर, दिल्ली में रोशनारा पेन्ट्स एण्ड वार्निश वर्क्स के कब्जे में था तथा जिसे सरकार ने पहले ही अधिग्रहीत कर लिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं, तथापि, कार्यभारी चिकित्सा अधिकारी को एक दो बार देर से आया पाया गया। उसे भविष्य में समय का पाबंद होने के लिये कह दिया गया है।

(ख) यह औषधालय एक प्राईवेट आवासिक भवन में स्थित है जिसमें औषधालय के लिये अपेक्षित सभी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है। हितग्राहियों और कर्मचारियों दोनों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिये भवन में कुछ परिवर्तन एवं परिवर्धन करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) इस औषधालय के लिये भवन बनाने के लिये उक्त भूमि खण्ड का आवंटन करने हेतु दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया गया है।

भूतान को सहायता

2847. **श्री जो० वाई० कृष्णन** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में भूतान की सरकार को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) सहायता की शर्तें क्या हैं।

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) चूंकि भूटान की चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 1976-1981 तक की अवधि शामिल होगी, अतः भारत सरकार द्वारा भूटान को जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि के प्रश्न की जांच करना अभी जल्दबाजी होगी लेकिन भूटान सरकार द्वारा तैयार की गई लगभग 43 करोड़ रुपये की राशि की पंचवर्षीय योजना 1971-1976 की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) इनकी भी जांच की जा रही है।

वायु सेना में विभिन्न किस्म के विमानों की संख्या

2848. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 से 1970 तक लड़ाकू बम वर्षक तथा वाहक, हैलीकाप्टर प्रेक्षण विमान तथा मिग-21 जैसे समुन्नत लड़ाकू बाम्बर्स में से कितने विमानों का उत्पादन देश में किया गया तथा कितने विमान बिदेशों से मंगाये गये ;

(ख) क्या वायु सेना को आधुनिक बनाने के लिए अपेक्षित उपकरणों की सप्लाई के हेतु आगामी बहुत समय तक विदेशों पर निर्भर रहने की संभावना है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस क्षेत्र में कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (रक्षा उत्पादन) (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सैनिक विमानों के उत्पादन और आयात के आंकड़ों का विवरण देना जनहित में नहीं होगा।

(ख) से (घ). विमानों के निर्माण में पूर्ण आत्म निर्भरता तो औद्योगिक रूप से उन्नत देशों के लिये भी कठिन है और लम्बे समय के बाद ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। भारत में विमानों के निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त न होने देने के लिये जो पहलू मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं इस प्रकार हैं—डिजाइन टैक्नोलौजी में पर्याप्त क्षमता की कमी, आवश्यकताओं की अपेक्षाकृत कम मांग, विकास पर भारी लागत और अधिक विकसित औद्योगिक अवस्थापना और विमान संबंधी अन्य सामग्री उपस्करों तथा अलग और उपकरणों की सप्लाई के लिये सहायक उद्योगों का अभाव। तथापि उपलब्ध संसाधनों से भारत में विमान उद्योग के योजनाबद्ध विकास के लिये हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है जिससे कि रक्षा सेनाओं की मुख्य आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था द्वारा नेफा में किया गया सर्वेक्षण

2849. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोल तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा नेफा क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण से 1,100 मीटर लम्बे खनिज क्षेत्र का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 1967-68 में नेफा क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण ने लगभग 1100 मीटर लम्बे बहुधात्विक सलफाइड क्षेत्र को उपदर्शित किया है। एक्सपोज्ड स्ट्राइक ल्यैन्थ के कोबाल्ट वाले 235 मीटर पायराइट शिरिका, जो 5 मीटर चौड़ी है लगभग 500-800 मीटर चौड़ाई वाले खनिजीकृत क्षेत्र में है। पायराइट निकाय घाटी तल से लगभग 65 मीटर गहराई तक प्रमाणित हो चुकी है। अयस्क विश्लेषण, 0.3-0.7 प्रतिशत कोबाल्ट, 0.5 प्रतिशत तक निकल और 1.47 प्रतिशत तक ताम्र है।

पश्चिम बंगाल के साथ भारत-पाक सीमा का निर्धारण करना

2850. **श्री अविचन** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लगभग 4 महीने पूर्व भारत-पाक सीमा निर्धारण के बारे में भारत-पाक अधिकारियों का सम्मेलन असफल रहने के पश्चात् पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ भारत-पाक की सीमा का निर्धारण करने हेतु आगे और क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : पश्चिम बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान सीमा के शेष क्षेत्रों के सीमांकन कार्य पर विचार विमर्श करने के लिये 18 एवं 19 नवम्बर, 1970 को भारत तथा पाकिस्तान के सर्वेक्षण अधिकारियों का सम्मेलन ढाका में हुआ तथा आगे सीमांकन कार्य करने से सम्बद्ध क्षेत्र कार्यक्रमों पर दोनों पक्ष सहमत हुए ।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में रुकावट

2851. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए अखिल भारतीय मलेरिया कर्मचारी सम्मेलन में अधिकांश राज्य प्रतिनिधियों ने मलेरिया-उन्मूलन कार्य में पिछड़े हुए राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं देने के लिये केन्द्रीय सरकार की अलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस परियोजना के लिये विभिन्न राज्यों को कुल कितने धन की सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1958-59 से 1960-61 तक, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में था तथा केंद्रीय सहायता मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के खर्च के अन्तर का 50 प्रतिशत तक दी जा रही थी ।

1961-62 से 1967-68 तक, वह केन्द्र सहाय्यित योजना थी, और केन्द्रीय सहायता का स्वरूप वही था जो 1958-59 से 1960-61 के वर्षों में रहा था ।

1968-69 में यह केन्द्र सहाय्यित कार्यक्रम था । इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन किये गये खर्च के 60 प्रतिशत तक केंद्रीय सहायता के रूप में दिया गया ।

चौथी योजना अवधि में अर्थात् 1969-70 और उसके बाद इस योजना को शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता वाली केन्द्र पुरोनिधानित योजना घोषित कर दिया गया तथा केन्द्रीय सहायता 1957-58 में हुए खर्च से अधिक के 100 प्रतिशत के बराबर देना स्वीकार किया गया ।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर 1969-70 तक हुआ कुल खर्च लगभग 190.00 करोड़ रुपये बैठता है ।

1970-71 में राज्यों को केंद्रीय सहायता देने के लिए 8.10 करोड़ रुपये नकद सहायता तथा उपस्कर देने के लिये रखे गये हैं ।

दिल्ली में बृहत योजना

2852. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की बृहत् योजना के लिये सर्वेक्षण कब किया गया था ;

(ख) पहाड़गंज, कूचा पाती राम, पुराना दरियागंज, नया बांस, चांदनी चौक, अपर रिज रोड़ क्षेत्र, कालकाजी और मदनगिर की क्षेत्रीय प्रारूप योजनाओं का आधार किन वर्षों का सर्वेक्षण है ;

(ग) ऐसे क्षेत्र जहां सर्वेक्षण के पश्चात् कुछ सुधार हुए कौन से हैं ;

(घ) क्या प्रारूप योजना बनाते समय उन सुधारों का ध्यान रखा गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : सर्वेक्षण 1957 से 1959 की अवधि के दौरान किये गये थे ।

(ख) इन क्षेत्रों के अनुमोदित क्षेत्रीय प्लान 1957-59 के सर्वेक्षणों तथा इन प्रत्येक क्षेत्रों के लिये 1968, 1969 तथा 1970 में आगे सम्पूरित किए गये विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित हैं ।

(ग) तथा (घ). इन सभी क्षेत्रों में 1957-59 के वृहत् योजना सर्वेक्षण तक विभिन्न प्रकार के विकास हुए हैं । ये विकास प्रत्येक क्षेत्रीय प्लान के सर्वेक्षणों में परिलक्षित किये गये हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्दी बस्तियां हटाओं कार्यक्रम के लिए दिखाई गई अनुसूचित जातियों की बस्तियां

2853. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे स्थानों को, जिनमें अनुसूचित जातियों के लोग मुख्य रूप से बसे हुए हैं, निरपवाद रूप से दिल्ली के मास्टर प्लान और जोनल प्लानों में गन्दी बस्तियों के रूप में दिखाया गया है ; और

(ख) क्या विकास के बाद ऐसे किसी क्षेत्र को 'रिहायशी' क्षेत्र घोषित किया गया है जहां पहले भी अनुसूचित जातियों के व्यक्ति रहते थे तथा अब भी उन्हें बसाया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगर विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, नहीं । निवासियों की जाति-पांती एक क्षेत्र को गंदी बस्ती घोषित करने का माप दंड नहीं है ।

(ख) दिल्ली नगर निगम, जो दिल्ली में गन्दी बस्ती सफाई/सुधार कार्य कार्यान्वित कर रहा है, जहां तक घनत्व के नियमों के अन्तर्गत और क्षेत्र के निर्धारित भूमि के उपयोग के अन्तर्गत अनुमेय है, विस्थापित परिवारों को उसी स्थान पर पुनः बसाने के लिये, गन्दे क्षेत्रों के पुनर्विकास में सभी प्रयत्न कर रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

2854. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में नियुक्त किये गये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की वर्गवार संख्या क्या है और कुल संख्या का यह कितने प्रतिशत है ;

(ख) क्या रिक्त स्थानों के लिये दी जाने वाली अधिसूचनाओं में आरक्षित पदों के बारे में सूचना दी जाती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या हाल ही के विज्ञापनों की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान में हिन्दुओं के मंदिरों का कथित विनाश

2855. **श्री दे० अमात :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं और उनमें सम्बद्ध सम्पत्ति का ब्योरा क्या और उन की रक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किए गये हैं ;

(ख) भारत सरकार पाकिस्तान सरकार को हिन्दू मंदिरों तथा उनसे सम्बद्ध सम्पत्ति का विनाश करने की नीति को अपनाने से रोकने में कहां तक सफल रही है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं कि भारतीय उच्चायोग के अधिकारी इस बारे में सतर्क रहें और पाकिस्तान में समस्त मंदिरों का ब्योरा रखें ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पाकिस्तान में हिन्दू मंदिरों की संख्या और उनकी सम्पत्ति के ब्योरे के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

1953 और 1955 के भारत-पाक समझौतों के अधीन पाकिस्तान सरकार का यह कर्तव्य है कि पाकिस्तान में धार्मिक पूजा स्थल भली प्रकार सुरक्षित एवं कायम रहें।

(ख) धार्मिक स्थलों के अपवित्र करने, ध्वंस करने आदि के सभी मामले जो सरकार की जानकारी में आये हैं उन पर पाकिस्तान सरकार से बात हुई है और उसका ध्यान भारत-पाक समझौतों के अधीन उनके उत्तरदायित्व की ओर दिलाया गया है।

(ग) भारतीय हाई कमीशन के अधिकारी इस बारे में सजग हैं। फिर भी, पाकिस्तान सरकार द्वारा उनकी गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण पाकिस्तान के सभी मंदिरों का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

भारत को विदेशों में बदनाम करने हेतु पाकिस्तान का कथित प्रचार

2856. **श्री दे० अमात :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि पाकिस्तान भारत को विभिन्न राष्ट्रों में बदनाम करने के लिये निरन्तर प्रचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में सरकार को ऐसे कितने उदाहरणों का पता लगा है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने पाकिस्तान को इस निकृष्ट प्रचार का प्रतिकार करने के लिये आगे और क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हाँ। पिछले तीन महीनों में भी पाकिस्तान सरकार द्वारा ऐसा प्रचार लगातार किया जा रहा है। किन्तु ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इस प्रयास में पाकिस्तान को कोई खास सफलता मिली है।

(ग) पाकिस्तान सरकार के निरन्तर शत्रुतापूर्ण प्रचार के खिलाफ उन्हें विरोध-पत्र भेजने के अतिरिक्त सरकार ने अपने विदेश स्थित मिशनों और अन्य साधनों के द्वारा भारत के विकास तथा हमारी नीति के बारे में विभिन्न देशों को सूचित भी रखा है।

चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में आवास सुविधाओं की व्यवस्था

2857. **श्री देव राव पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंच वर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य में आवास सुविधायें देने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 के दौरान पूरे राज्य के ग्रामीण लोगों को मकान और मकानों के प्लाट देने का निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) तथा (ख). इस विभाग ने निम्नलिखित सामाजिक

आवास योजनायें बनाई हैं जो महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में प्रत्येक के सामने दिए गए वर्षों से चालू हैं :

1.	औद्योगिक कर्मचारी तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिये सहायता प्राप्त एकीकृत आवास योजना।	...	...	1952
2.	निम्न आय वर्ग आवास योजना।	...	...	1954
3.	गन्दी बस्ती हटाओ सुधार योजना।	...	...	1956
4.	बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना।	...	...	1956
5.	ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम।	...	...	1957
6.	मध्यम आय वर्ग आवास योजना।	...	...	1959
7.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया-आवास योजना।	...	...	1959
8.	भूमि अर्जन तथा विकास योजना।	...	...	1959

महाराष्ट्र सरकार का, जोकि उपरोक्त सभी योजनाओं को निष्पादित करती आ रही है, सिवाय ग्रामीण आवास योजना के, जिसके सम्बन्ध में कोई नवीन परियोजनायें प्रस्तावित नहीं है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अवधि में उन्हें चालू रखने का प्रस्ताव है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने चालू परियोजनाओं के समापन तथा शेष आश्वासनों की पूर्ति के लिए 1970-71 के अपने बजट में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की है। वर्ष के लिए राज्य सरकार ने कोई वास्तविक लक्ष्य नहीं रखे हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में पेय जल की सुविधा की व्यवस्था

2858. **श्री देव राव पाटिल : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास, तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में पेय जल की सुविधा देने के लिये कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 में राज्य में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में पेय जल उपलब्ध कराने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास, तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां। महाराष्ट्र में जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के लिये चौथी योजना में कुल व्यय 102.95 करोड़ रुपये तक करना निश्चित

किया गया है। इसमें बम्बई नगर निगम की जलपूर्ति योजनाओं की अपेक्षाएँ भी सम्मिलित है। चौथी योजनावधि में 76 शहरी कस्बों के लिये जलपूर्ति योजनाओं को पूरा करने तथा 16 और कस्बों की मलनिष्कासन सुविधाओं की योजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त 573 गांवों के लिये 126 नल-जलपूर्ति योजनाओं को पूरा करने का प्रस्ताव तथा 5,000 अन्य गांवों में 5 करोड़ रुपये की लागत से साधारण कुएं बनाये जायेंगे।

(ग) वर्ष 1970-71 में राज्य सरकार द्वारा अपनी जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिये 1350 लाख रु० की राशि का प्रस्ताव किया गया है। इस राशि में से 300 लाख रुपये राज्य की ग्राम जलपूर्ति योजनाओं के लिये हैं। 1970-71 के दौरान 14 कस्बों एवं 137 गांवों को नल-जल सप्लाई करने की सुविधाये उपलब्ध कराने का विचार है। एक और कस्बे में मलनिष्कासन सुविधा का विस्तार किया जायेगा। इस अवधि के दौरान 3570 गांवों में साधारण कुओं के बनाने का भी प्रस्ताव है।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति भेदभाव के रवैये में परिवर्तन

2859. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूलक लोगों ने अपने को प्रथमतः दक्षिण अफ्रीकी और गौणतः भारतीय घोषित किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घोषणा के परिणामस्वरूप दक्षिण अफ्रीकी सरकार की भारतीयों के प्रति भेद-भाव बरतने की नीति में कोई परिवर्तन आया है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार इस प्रकार की किसी घोषणा से अवगत नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़

2860. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **प्रति रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में विद्रोही नागाओं के साथ कितनी बार मुठभेड़ हुई ;

(ख) उक्त अवधि में कितने विद्रोही नागा मारे गये तथा गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) उक्त अवधि में ही कितने सैनिक तथा अन्य व्यक्ति मारे गये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 15 अगस्त 1970 और 15 नवम्बर 1970 के बीच भूमिगत नागाओं और सुरक्षा सेनाओं में 15 संघर्ष हुए थे।

(ख) 15 भूमिगत नागा मारे गए थे, 217 पकड़ लिए गए थे, और 214 ने आत्म-समर्पण किया था।

(ग) पांच सेना सेविवर्ग मारे गए थे। इस अवधि में भूमिगत नागाओं द्वारा मारे गए असैनिकों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है।

राजधानी में सफाई की स्थिति

2861. **श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों से राजधानी में सफाई की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में सफाई की स्थिति में सुधार करने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) इस मान्यता के लिए कोई आधार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई की व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रयत्नशील है।

काठमांडू में चीन तथा भारत के राजदूतों की बैठक

2862. **श्री यशपाल सिंह : क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा चीन के राजदूत हाल में काठमांडू मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को पुनः बनाने के बारे में बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). हाल ही के महीनों में भारतीय और चीनी राजदूत कुछ अवसरों पर परस्पर मिले हैं। उनकी बातचीत अधिकतर आपसी सद्भावना और मित्रता व्यक्त करने जैसी थी। दोनों राजदूतों के बीच प्रश्न पर कोई ठास बातें नहीं हुई थी।

भारत को शस्त्रों की सप्लाई करने में विदेशों की अनिच्छा

2863. **श्री यशपाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न देशों में भारत को शस्त्रों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अनिच्छा बढ़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देश के नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). अपनी रक्षा आवश्यकताओं का अधिकाधिक देश में उप्पादन करना अपनी नीति है । आयात उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए किये जाते हैं या उस साजसामान के लिए जिसका निर्माण फिलहाल आर्थिक दृष्टि से लाभकर नहीं है ।

यू० एस० ए० से आयात उनकी अप्रैल 1967 की नीति द्वारा शामिल है जो उनकी घोषणा के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों पर लागू है । इस निर्णय की परिभाषा में आयात साजसामान के निमित्त फालतू पुर्जों के लिए (कि जो हमें प्रायः चीनी आक्रमण के बाद प्राप्त हुए थे) प्रार्थनाओं पर उन द्वारा मामले दर मामले पर विचार किया जाता है । यह नीति भारत पर लागू होना जारी है ।

जहां तक दूसरे देशों का सम्बन्ध है, भारत को आयुध सप्लाई करने की उनकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

भूटान का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश

2864. **श्री यशपाल सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त सचिव की सदस्यता के लिए विधिवत आवेदन पत्र दिया है ; और

(ख) कितने सदस्य देश भूटान को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के पक्ष में है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ग). जी नहीं । संयुक्त राष्ट्र में भूटान की सदस्यता के लिए भारत और भूटान दोनों अनौपचारिक रूप से समर्थन प्राप्त कर रहे हैं । उपयुक्त समय पर औपचारिक विचार के लिए भूटान का आवेदन-प्राप्त होने पर ही इसका परिणाम ज्ञात हो सकेगा ।

वर्ष 1971 तक पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और उनकी मांग

2865. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 तक पेट्रोलियम उत्पादों में कमी की प्रत्याशा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन सी वस्तुयें हैं और उनका उत्पादन मांग से कम रह जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) मांग की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). 197। के दौरान केवल भट्टी के तेल तथा मिट्टी के तेल के ब रे भारत की शोधनशालाओं का कुल उत्पादन कुल मांग से कुछ कम रहेगा। इस कमी को आयात द्वारा पूरा करने के लिए प्रबन्धों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

खेत्री तांबा परियोजना में प्रगति

2866. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेत्री तांबा परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा उत्पादन वास्तव में कब आरम्भ होगा ;

(ख) अन्य क्षेत्रों के कार्य में जहां तांबा पाया जाता है, क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) तांबे के जिन निक्षेपों का पता है उनका धीमी गति से विकास करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) खेतड़ी कॉपर प्रायोजना

की गई प्रगति निम्नलिखित रूप से उपदर्शित है :

खनन

खेतड़ी खान की उच्चतम सतहों से ताम्र अयस्क का प्रायोगिक उत्पादन जुलाई, 1970 में प्रारम्भ किया गया था। मध्यवर्ती और निम्नतर सतहों से अयस्क के उत्पादन के लिए कूपक-डुबाव के कार्य की प्रगति निम्नलिखित है :—

(अ) उत्पादन-कूपक की 435 एम० की कुल परिचालन गहराई की तुलना में 405 एम० तक का डुबाव हो गया है। वर्तमान समय में इस कूपक के भूमिगत दलन-केन्द्र में कार्य प्रगति पर है।

(आ) सर्विस कूपक की 375 एम० की कुल परिचालन गहराई की तुलना में यह 337 एम० की गहराई तक पहुँच गया है। ये दो कूपक मार्च 1972 तक पूर्णतया चालू हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, निखनन-तैयारी और खान-विकास का कार्य जारी है।

कोलीहन में खान-विकास और निखनन तैयारी का खान कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त, निम्नतर सतहों के विकास के लिए सेवा-झुकाव पर कार्य प्रगति पर है। निम्नतर सतहों से अयस्क के उत्तोलक के लिए उत्पादन-कूपक के डुबाव के लिए संविदा की गई है।

(ख) **प्रक्रम-संयंत्र :**

(1) **संकेन्द्रक :** इस संयंत्र के समस्त उपकरण प्राप्त करने का आदेश दे दिया गया है, सिविल सन्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जून, 1972 के अन्त तक यह संयंत्र पूर्णतया चालू हो जाएगा ?

(2) **प्रद्रावक :** स्फुरण भट्ठी क्षेत्र के विस्तृत डिजाइन इन्जीनियरिंग के लिए जून, 1970 में संविदा की गई थी। इस संयंत्र के लिए आवश्यक उपकरणों का आदेश देना प्रगति पर है। संयंत्र के लिए सिविल सन्निर्माण-कार्य के लिए शीघ्र ही संविदा की जायेगी। स्फुरण भट्टी-बैटरी की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों के लिए प्रोद्योगिक संरचनाओं की गढ़ाई और परि-निर्माण के लिए निविदाएं भी जारी की गई है।

यह संयंत्र 1973 के अन्त तक पूर्णतया चालू हो जाएगा।

(3) **परिष्करणशाला :**

विद्युदंशिक स्कन्ध भाग के सिविल सन्निर्माण के लिए शीघ्र ही संविदा की जाएगी। कैथोड-गलन और छड़-ढलाई भाग के लिए संयंत्र से पूर्ण डिजाइन, आपूर्ति, परिनिर्माण और चालू करने के लिए विस्तृत रूप से परीक्षाधीन है। यह संयंत्र 1973 के अन्त तक पूर्णतया चालू हो जायेगा।

(4) **अम्ल-सह-उर्वरक संयंत्र :** इस संयंत्र के सन्निर्माण के लिए प्राप्त निविदायें विस्तृत रूप से तकनीकी संविधाधीन हैं। इस संयंत्र के 1973 के अन्त तक पूर्णता चालू हो जाने की आशा है।

विद्युदंशिक श्रेणी ताम्र और ट्रिपल सुपर फास्फेट का उत्पादन 1973 के अन्तिम चरण का प्रारंभ हो जायेगा। 1974-75 में प्रायोजना से पूर्ण उत्पादन होने लगेगा।

अन्य ताम्र निक्षेप :

की गई प्रगति निम्नलिखित रूप में है :—

(1) **राखा ताम्र प्रायोजना (बिहार)**

प्रतिवेदन 1,000 मैट्रिक टन ताम्र अयस्क का उत्पादन करने के लिए जिससे प्रतिवर्ष 35,000 मैट्रिक टन ताम्र धातु तक पहुंच जायेगा, राखा ताम्र निक्षेपों के प्रावस्था-एक के विकास के लिए परियोजना कार्यान्वियाधीन है। पुरानी राखा खानों में से पानी निकालने और उनके पुनर्वास का कार्य, स्थाई उत्तोलक सुविधाओं की स्थापना के साथ, संवर्धित किया गया है। खानों के लिए उपकरण और मशीनरी संचयन का कार्य चालू है। 1,000 टन समता वाले संकेन्द्रक संयंत्र के डिजाइन, आपूर्ति, परिनिर्माण और चालू करने के लिए निविदायें आमन्त्रित की गई है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से विद्युत आपूर्ति मिल चुकी है और जल-आपूर्ति के लिए इस समय परियोजना बनाई जा रही है। खान और संकेंद्रक संयंत्र के जुलाई, 1973 तक तैयार हो जाने की आशा है।

साथ ही साथ, प्रतिवर्ष 20,000 मैट्रिक टन ताम्र धातु के उत्पादन के लिए राखा ताम्र निक्षेपों को पूर्णमात्रा में समुपयोजन करने के लिए परियोजना भी तैयार की जा रही है।

(2) नलाकोण्डा (आंध्र प्रदेश)

प्रतिदिन 500 मैट्रिक टन ताम्र अयस्क के उत्पादन के लिए, जो स्थान पर ही संकेंद्रित किया जायेगा और खेतड़ी प्रद्रावक में प्रद्रावित किया जायेगा, परियोजना बताने हेतु इस निक्षेप में समन्वेषण-सह-खनन संक्रियाओं के लिए सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव संस्वीकृत किया है। परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

(3) राजस्थान राज्य में लघु निक्षेप :

राजस्थान राज्य के अलवर जिले में दरीबा ताम्र निक्षेप के विकास के लिए एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है। हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा दरीबा में पुरानी खानों में से पानी निकालने और पुनर्वास जैसे प्रारंभिक कार्यों को ले लिया है। राजस्थान राज्य में भागोनी अक्वाली, चंदमारी, सतकई आदि जैसे अन्य लघु ताम्र निक्षेपों के विकास के लिए हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड परियोजना तैयार कर रही है।

(ग) ताम्र निक्षेपों के विकास में धीमी गति के लिए कारण :

विकसित देशों में भी ताम्र खनन सम्पत्तियों को पूर्णरूप से विकसित करने में सामान्यतः 5 से 7 वर्ष तय लग जाते हैं। भारतवर्ष में ताम्र खनन सम्पत्तियों के बृहद मात्रा में विकास के कार्य को हाल ही में लिया गया है। अतः ताम्र खनन के क्षेत्र में खान डिजाइन इंजीनियरिंग प्रक्रियागत ताम्र अयस्क के लिए डिजाइनिंग संयंत्रों के हेतु पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है। ताम्र खनन में प्रशिक्षित इन्जीनियरों और प्रशिक्षित धातुकर्मिकों के पर्याप्त संख्या के अभाव में ताम्र खनन सम्पत्तियों में गति धीमी रही है। देश में ताम्र खनन और धातुकर्मी के लिए तकनीकी ज्ञान का विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं, परन्तु ऐसा करने में कुछ समय लगेगा, जब तक आत्म निर्भर होकर बृहद मात्रा में आधारित धातुओं के विकास में पर्याप्ततः सुसज्जित हो जायेगा।

Demand and Production of Crude Oil

2867. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state the present ratio between the demand and the production of crude oil in the country and the time by which the country is likely to become self-sufficient in this respect ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : Ratio between the crude oil production and actual refinery throughput was 1 : 2.6.

Though extensive exploration/drilling in prespective oil bearing areas is being made to increase production of crude oil, it is not possible to forecast as to when the country will become self-sufficient.

बरौनी उर्वरक कारखाने की रोजगार नीति के विरुद्ध शिकायतें

2868. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक कारखाने की रोजगार नीति के विरुद्ध शियायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ग) क्या सरकार ने उन शिकायतों की कोई जाँच करवाई है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ) : भर्ती और नियुक्ति के मामले में बरौनी उर्वरक कारखाने की नीति के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

विवरण

(क) से (ख). प्राप्त शिकायतें निम्न प्रकार की थी :—

(1) स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसरों से वंचित करते हुए बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बरौनी विभाग में लाया गया है ।

(2) नौकरी के अवसरों में स्थानीय लोगों/विस्थापित लोगों को उचित हिस्सा नहीं दिया गया है ।

(3) स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसरों से इन्कारी करते हुए ठेकेदारों को कार्य सौपे गये है ।

(4) भारत सरकार के अनुदेश हैं कि 500/- रुपये के वेतन मान के पदों के लिए स्थानीय लोगों को तरजीह देनी चाहिए । बहुत सारे केसों (मामलों) में इसका उल्लंघन किया गया है ; और

(5) क्लास 3 और 4 की श्रेणियों में विभिन्न पदों के लिये तैयार की गई विशिष्टियाँ ऐसी हैं कि निर्धारित विशिष्टियों वाले स्थानीय लोग कठिनता से उपलब्ध होते हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम, शिकायतों की (जब कभी प्राप्त होती है) जांच करता है । उपर्युक्त शिकायत (1) के बारे में, स्थिति इस प्रकार है कि भारतीय उर्वरक निगम को अपने अन्य यूनिटो/प्रभागों से प्रशिक्षित कुछ कर्मचारियों का तबादला करना पड़ा क्योंकि बरौनी में एक जटिल परियोजना पूर्णतया अनुभव-रहित लोगों द्वारा नहीं चलाई जा सकती है । दूसरे, कुछ लोग पुराने यूनिटों से बरौनी के तरक्की पर लाये गये थे क्योंकि उन्हें तरक्की देय था और पुराने यूनिटों में तरक्की के अवसर नहीं थे । ऐसे अन्तर-यूनिट तबादले/तरक्कियाँ निगम की सामान्य नीति का अंश है । तीसरे, बिहार के कुछ लोग जो निगम के अन्य यूनिटों में कार्य कर रहे थे उनकी निजी प्रार्थना पर उनका बरौनी में तबादला किया गया था । उपर्युक्त शिकायतों (2) और (4) के बारे में यह कहना ठीक नहीं है कि क्लास 3 और क्लास 4 के पदों की भर्ती के मामलों में स्थानीय

लोगों/विस्थापित लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है। 30-9-70 को 761 कुल कर्मचारियों में से 537 (75.56 प्रतिशत) स्थानीय लोग थे। उपर्युक्त (3) के सम्बन्ध में, नितान्त तदर्थ स्वरूप के कार्य ठेकेदारों को दिये जाते हैं ; क्योंकि, यदि ये कार्य विभागीय तौर पर किये जाएं तो निर्माण-कार्य के पूरा होने के बाद, प्रबन्धकों को निर्माण-करण के दौरान नियुक्त किये गये व्यक्तियों को स्थायी नौकरी की व्यवस्था करने की समस्या का सामना करना पड़ेगा। यह सामान्य पद्धति सारे सरकारी उपक्रमों द्वारा अनुसरित की जाती है। जहाँ तक उपर्युक्त (5) का सम्बन्ध है, विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पदों के लिए तैयार की गई विशिष्टियाँ, निगम के सारे यूनिटों/प्रभागों के लिए समान है और उन्हें अनुचित या आवश्यक नहीं बताया जा सकता है।

कोयाली में पैट्रो-रसायन उद्योग समूह को नदी के नीचे की ओर के स्थान पर संयंत्रों के लिये लाइसेंस देने सम्बन्धी विवाद

2869. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयाली में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह को नदी के नीचे की ओर संयंत्रों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने के सम्बन्ध की.........में एक और उनके मंत्रालय और दूसरी ओर योजना आयोग तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय के बीच एक विवाद उठ खड़ा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो विवाद मुख्यतः किस प्रकार का है और मामले का निपटारा कैसे किया गया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंदिर मार्ग, डी० आई० जेड० क्षेत्र नई दिल्ली के रिहायशी सक्वेयर

2870. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि मन्दिर मार्ग डी० आई० जैड० क्षेत्र के सक्वेयरों के निवासियों को, उद्यान विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र की जा रही उपेक्षा से उत्पन्न गम्भीर असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या नालियों, सड़कों तथा खुले मैदानों में बहुत गन्दगी भरी पड़ी है और उनकी मरम्मत नहीं की जाती ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है और उसे कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री परिमल घोष): (क) सरकार द्वारा इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली में "अन्नादुर नगर" कालोनी का विकास

2871. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को थिरू अन्नादुर की याद में अन्नादुर नगर के नाम से नई दिल्ली में एक कालोनी बनाने के लिये सुझाव प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सफदरजंग हवाई अड्डा और आई० एन० ए० कालोनी के निकट के क्षेत्र को पुनर्विकास किया जाना है ;

(ग) क्या समान्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को सरकार एक ऐसी आदर्श रिहायशी कालोनी के रूप में विकसिक कर सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां । साऊथ इण्डियन वरकर्स वेलफेयर एसोशिएशन ने सरकारी भूमि पर अनधिवास कर रहे लोगों को पुनः बसाने के लिए भूमि का आवंटन करने के लिए सरकार को कहा है । यह सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार से बनाई जाने वाली कालोनी का नाम "अन्नादुराय नगर" रखा जाय ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ), जी, हां, परन्तु, क्योंकि यह क्षेत्र, इस पर कुछ भवनों की विद्यमानता के कारण उपलब्ध नहीं है, फिलहाल इसके पुनर्विकास का प्रश्न ही नहीं उठता ।

नई दिल्ली के कर्बला-अलीगंज क्षेत्र के निवासियों की निवास स्थिति

2872. **श्री म० ला सोंधी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली के कर्बला-अलीगंज क्षेत्र के निवासियों की निवास स्थिति में सुधार करने के लिये कुछ कार्यवाही करने के बारे में विचार किया है ।

(ख) क्या सरकार का ध्यान सार्वजनिक शौचालयों जैसी अत्यावश्यक सुविधायें न देने के बारे में उस क्षेत्र की जनता में व्यापक असंतोष की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के विकास के लिये विशेष निधि निर्धारित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीपरिमल घोष) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने यह सूचना दी है कि मूल सुवि-

धाग्रों की व्यवस्था के उपाय पहले से कर दिये गये हैं। करबला-अलीगंज क्षेत्र में एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी आरम्भ कर दी गई है। पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था कर दी गई है। सार्वजनिक नलों को सीवरों के साथ मिला दिया गया है। पर्याप्त संख्या में गन्दगी एकत्र करने के स्थानों (पक्की संरचना) का निर्माण किया गया है। वर्षा जल के लिये खुली नालियां पुनः सीधी कर दी गई हैं और उनकी ढ़लान में सुधार किया गया है। क्षेत्र से गंदगी को तुरन्त हटाने के लिए और अधिक ट्रकों की व्यवस्था की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हारियाणा गुजरात तथा राजस्थान में चेचक के मामले

2873. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** क्या स्वास्थ्य तथा **परिवार नियोजन निर्माण, आवास एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में चेचक की बीमारी नियमित रूप से होती है ;

(ख) क्या गुजरात और राजस्थान में भी इसी प्रकार के क्षेत्र हैं ; और

(ग) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम की क्रियान्विति सम्बन्धी अध्ययन करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय के प्रोग्राम अधिकारियों ने तीनों राज्यों के अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है।

(ii) प्राथमिक टीके को प्राथमिकता देते हुये विशेषतया इस रोग के खतरे वाले 0-14 वर्ष के आयुवर्ग, श्रमिक/यायावर लोगों और प्रतिरोधी शक्ति वाले अन्य लोगों में क्रमबद्ध टीका अभियान तेज कर दिया गया और साथ ही लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छी जानकारी दी गई और प्रचार कार्य भी किया गया।

(iii) कार्यक्रम को सुचारु बनाने के लिये निगरानी तथा रोक थाम के उपायों को बढ़ाया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गये प्रधान मंत्री के भाषण का प्रचार

2874. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण की पश्चिमी देशों के समाचार-पत्रों द्वारा उपेक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र में दिए गये किसी भी खास भाषण का समाचार पत्रों में प्रकाशन कई बातों पर निर्भर करता है। सरकार ऐसे विषयों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाए उसे नोट करती है।

भारत से जोर्डन को दवाइयों की सप्लाई

2875. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जोर्डन को सितम्बर, 1970 के संघर्ष के दौरान कुछ दवाइयां भेजी थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दवाइयां सरकारी स्तर पर भेजी गई थीं अथवा इण्डियन रेड-क्रास द्वारा भेजी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्द गेल्वेनाइजिंग एंड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा तेल कम्पनियों को बैरलों की सप्लाई

2876. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री 3 अगस्त, 1970 के हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी द्वारा तेल कम्पनियों को बैरलों की सप्लाई के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1126 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी की अनेक आपत्तिजनक गतिविधियों तथा इण्डियन आयल कम्पनी के साथ असंतोजनक व्यवहार को देखते हुए जिसके परिणामस्वरूप इण्डियन आयल कम्पनी ने उसके विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया, क्या सरकार का विचार है कि उसके द्वारा एकत्रित की गई सभी अपेक्षित जानकारी को सभा-पटल पर रखना जनहित में होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जी नहीं। मामला अभी तक न्यायाधीन है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की इन्डियन गैस के वितरक के रूप में नियुक्ति

2877. **श्री रामजी राम** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने घरेलू उपयोग के लिये इण्डियन गैस के वितरण के लिये कितने व्यापारी तथा अभिकर्ता नियुक्त किये हैं ;

(ख) ऐसी नियुक्तियों के लिए भारत भर से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ;

(ग) उन आवेदकों में से कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के थे ;

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को उसके लिये नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया था ; और

(ङ) क्या सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों अथवा अनुसूचित जातियों के लिये इसमें कुछ आरक्षण किये हैं ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 20-11-70 तक भारतीय तेल निगम द्वारा इण्डेन गैस के लिये 83 वितरक नियुक्त किये जा चुके हैं ।

(ख) निगम की नई योजना के 24-11-1969 से प्रचलन से, इसे 2487 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । 24-11-1969 से पूर्व प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों की संख्या उपलब्ध नहीं है ।

(ग) 79 ।

(घ) 2

(ङ) जी नहीं, परन्तु अन्य बातें बराबर होते हुए, इस समय अनुसूचित जातियों/जन जातियों के अभ्यर्थियों को उचित तरजीह दी जा रही है ।

ताल्चेर में कच्चे लोहे का कारखाना

2878. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने ताल्चेर क्रमबद्धवार कच्चे लोहे के कारखाने की स्थापना के लिए लायसेंस जारी करने के हेतु केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि सरकार ने इस मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं किया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) उड़ीसा के औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (उड़ीसा सरकार का उपक्रम) ने, न कि उड़ीसा सरकार ने, निम्नलिखित के उत्पादन हेतु औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये, औद्योगिक अनुज्ञप्ति के अनुदान हेतु आवेदन-पत्र दिया है ।

(1) निगम के लौह-वर्णधातु संयंत्र के लिए विशेष प्रकार का "रिएक्टिव चर" निम्न फास्फोरस ;

(2) धातुकर्मीय उद्योगों के लिए 'फार्म कोक' कार्बनीकरण संयंत्र ;

(3) हीमेटाइट ग्रेड-पिग-आइरन का 1000,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष पिग-आइरन संयंत्र ;

(4) पेलेटों के 125,000 मैट्रिक टन प्रतिवर्ष-पैलटीकरण संयंत्र।

(ख) से (घ). आवेदन-पत्र की प्रौद्योग-आर्थिक विवरणएं केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान सहित समस्त-सम्वृक्त संस्थाओं के परामर्श से परीक्षणाधीन है।

खनिज उत्पादन में कमी

2879. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज उत्पादन में पर्याप्त कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो 1968-69 और 1969-70 के दौरान तुलनात्मक उत्पादन कितना था ; और

(ग) उत्पादन में कमी के क्या कारण है तथा उसके फलस्वरूप सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी और उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). 1968 और 1969 के दौरान भारत में लगभग 55 खनिज उत्पन्न किए गये। इनमें से अधिकांश खनिजों के उत्पादन में पूर्वतर वर्ष की तुलना में 1969 के दौरान वृद्धि हुई। गौण खनिजों को छोड़कर खनिज उत्पादन का कुल मूल्य 1968 में 3742.70 लाख रुपये की तुलना में 1969 के दौरान 4136.40 लाख रुपये था। सोना, इलिमिनाइट, मैंगनीज अयस्क, रूटाइल पन्ना (अपरिष्कृत), गैरिक, आदि जैसे कतिपय खनिजों के मामलों में 1968 की तुलना में 1969 के दौरान उत्पादन में कुछ कमी हुई है। 1968 और 1969 के दौरान खनिज के कुल उत्पादन और 1968 की अपेक्षा 1969 में के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि/ह्रास और जहां ह्रास है उसके लिए कारण उपाबन्ध में दिये जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०-4453/70]

भारतीय दूतावासों पर व्यय

2880. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक भारतीय दूतावास (राजदूतावास, उच्चायोग, वाणिज्य दूतावास आदि) पर कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) क्या इस व्यय में बचत के कुछ उपाय बरते गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस मन्त्रालय के प्रशासनिक एवं लेखा नियन्त्रण के अधीन पिछले तीन वर्षों में विदेश स्थित भारतीय मिशन/पोस्ट

पर किया गया खर्च अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4454/70]

(ख) और (ग). जी हां।

बचत के तरीके नीचे दिये गये हैं :—

(1) मन्त्रालय के मुख्य कार्यालय में पदों एवं व्यय की अन्य मदों के प्रस्तावों की बचत एवं कार्यात्मिक प्रभावशीलता की दृष्टि से अच्छी तरह जांच।

(2) मुख्य कार्यालय के व्यय लेखों की पूरी तरह जांच तथा व्यय में कटौती के संभव तरीकों की खोज के लिए स्वीकृति सहित।

(3) विदेशों में भारतीय मिशनों में कर्मचारी रखे जाने की पद्धति को समय-समय पर विदेश सेवा निरीक्षकों द्वारा वहां पहुँच कर विस्तृत जांच एवं परीक्षण किये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रशासनिक व्यय में बचत हो सके।

स्वास्थ्य स्थलों के रूप में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए हिल स्टेशनों पर होटल

2881. **श्री न० रा० देवघरे : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न 'हिल स्टेशनों' पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा अवकाश-स्थलों के रूप में प्रयोग करने हेतु सरकार के कुछ होटल आदि हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और ये होटल किन स्थानों में हैं और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा आम जनता से किन दरों पर किराया लिया जाता है ; और

(ग) प्रत्येक स्थान पर आरक्षण की क्या प्रक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) शिमले में निर्माण, आवास तथा नगर-विकास विभाग के नियन्त्रण में केवल एक ही होटल है।

(ख) **हौलीडेहोम, ग्रांड हौटल, शिमला (हिमाचल प्रदेश) :** केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य लोगों से निम्नलिखित दरें ली जाती हैं :—

मौसम में :

	प्रतिदिन		प्रतिदिन
	संसद सदस्य/सरकारी अधिकारी		निगम अधिकारी
	ड्यूटी पर	छुट्टी पर	व्यक्तिगत
	रु०	रु०	रु०
1. पारिवारिक-सेट	10-00	14-00	45-00

1	2	3	4
2. विवाहितों के लिए सेट	8-00	12-00	32-00
3. एकहरे सेट (मुख्य भवन)	5-00	8-00	20-00
4. एकहरे सेट, अन्य ब्लाकों में (रसोई हित)	4-00	6-00	13-00

मौसम के बाद :

	प्रतिदिन		
	संसद सदस्य/सरकारी अधिकारी		निगम के अधिकारी/ प्राइवेट व्यक्ति
	ड्यूटी पर	छुट्टी पर	
	रु०	रु०	रु०
1. पारिवारिक सेट	8-00	11-00	30-00
2. विवाहितों के लिए सेट	6-00	9-00	25-00
3. एकहरे सेट (मुख्य भवन)	4-00	6-00	13-50
4. एकहरे सेट (अन्य ब्लाकों में) (रसोई सहित)	3-00	5-00	8-50

गीजर्स, रसोईघर (छोटा), बिजली तथा बिस्तर इत्यादि के लिये अलग से प्रभार लिये जाते हैं।

(ग) ड्यूटी पर शिमला जाने वाले संसद सदस्यों/तथा केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिये हौलीडे होम, ग्रांड होटल, शिमला में कुछ कमरे आरक्षित रखें जाते हैं। बाकी कमरे छुट्टी पर शिमला जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और संसद सदस्यों के लिए रखे जाते हैं। वास के आवंटन में निम्नलिखित रूप से तरजीह दी जाती है :—

(i) सामान्य पूल के वास के पात्र केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों और संसद सदस्यों को।

(ii) केन्द्रीय सरकार के वे अधिकारी जो सामान्य पूल के वास के पात्र नहीं हैं।

आवंटन के लिए आवेदन-पत्र सहायक सम्पदा प्रबन्धक, भारत सरकार हौलीडे होम, ग्रांड होटल, शिमला को दिए जाने अपेक्षित हैं।

कोचीन नौसैनिक अड्डे के स्तर का ऊंचा किया जाना

2882. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन नौसैनिक अड्डे का स्तर ऊंचा करके उसकी दक्षिणी कमान का नौ-सैनिक अड्डा बनाया जा रहा है ;

(ख) क्या पोतपरिवहन की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोचीन पत्तन का भी विकास किया जा रहा है ; और

(ख) कोचीन पत्तन के विकास कार्यक्रमों का क्या ब्यौरा है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) कमोडोर-इन-चार्ज, कोचीन की नियुक्ति के दरजे को बढ़ाकर पहले ही प्लेग अफसर कमांडिंग, सदर्न लेबल एरिया कर दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) कोचीन बन्दरगाह से विचार कार्यक्रम में, अन्तर्गत तेल टैंकरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक 40 फुट आयल डाक का निर्माण, करनाकुलम चैनल में बड़ी तादाद में माल ढोने वाले जहाजों को खड़ा करने के लिए खुले घाटों का विस्तार ; विदेशी जहाजों में यात्रियों की यातायात व्यवस्था के लिए सामान-एवं-चाली शेड का निर्माण कार्य शामिल है।

त्रिवेन्द्रम सहकारी वर्ग अस्पताल सोसायटी लिमिटेड को वित्तीय सहायता

2883. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, पिछले एक वर्ष से बनी त्रिवेन्द्रम सहकारी वर्ग अस्पताल सोसाइटी लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों के कार्य का अध्ययन किया है ;

(ख) क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का विचार है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने त्रिवेन्द्रम सोसाइटी को कितनी वित्तीय सहायता दी थी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण त्रिवेन्द्रम ग्रुप अस्पताल सोसाइटी लिमिटेड द्वारा चलाये जा रहे ग्रुप अस्पतालों के कार्य का अध्ययन करना सम्बन्धित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ख) सहकारी अस्पतालों को सहायता देने के लिये इस समय सरकार की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, स्वैच्छिक चिकित्सा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की एक योजना है जिसके अधीन आवश्यक अस्पताल-उपस्कर तथा चिकित्सा देख रेख सुविधाओं के लिए अतिरिक्त निर्माण हेतु संस्थाओं द्वारा किये गये खर्च की सहशयता के आधार पर अनुदान दिया जा सकता है।

(ग) त्रिवेन्द्रम वर्ग अस्पताल सोसाइटी लिमिटेड त्रिवेन्द्रम ने 10 लाख रुपये के मूल्य का

शेयर लेकर सरकार को सोसाइटी के शेयर पूंजी में भाग लेने के लिये अनुरोध किया था। ऐसे अस्पतालों के शेयर पूंजी में भाग लेने के लिये भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

Lack of Distribution Arrangements at Esso Gas Plant at Kota (Rajasthan)

2884. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether a great deal of inconvenience is being experienced for the last few months due to lack of arrangements for distribution at the Gas Plant being run by the ESSO Company at Kota (Rajasthan) ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). It is presumed that the question refers to the distribution of Esso's Lequified Pertoleum Gas (LPG) for domestic purposes. Esso do not distribute LPG directly for domestic purposes. The distribution is done through their distributors.

Supplies to Kota are made by the distributor of Esso from their bulk LPG Plant at Indore. As a result of floods during the last monsoon, there was a problem of transporting LPG from the Supply source in Bombay to the Indore bulk plant. As a result, there was some disruption of supplies of LPG at Kota. It has been intimated by Esso that the situation has improved now and the supply of gas to its customers at Kota is regular.

मेडिकल कालेजों में दाखिला

2885. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री शम्भू नाथ :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेडिकल कालेजों में दाखिला पाने के लिये आमतौर पर घूसखोरी हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समूचे देशों के मेडिकल कालेजों में दाखिले की प्रणाली के बारे में कोई समान प्रक्रिया लागू करने का है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) और (ख). जहां तक केन्द्रीय सरकार के संस्थाओं का सम्बन्ध है, उत्तर नाकारात्मक है।

राज्यों के मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में वस्तु स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में भूमि अर्जित करना

2886. **श्री राजदेव सिंह :**
श्री महादेवप्पा रामपुर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में तथा आस-पास के गांवों में मुआवजे पर कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है ; और

(ख) कितनी गृह-निर्माण संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को उक्त भूमि का कब्जा दिया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री परिमल घोष) : (क) पिछले तीन वर्षों में, दिल्ली प्रशासन ने 13,656 एकड़ भूमि दिल्ली में अर्जित की है ।

(ख) 1961 से विकासित तथा अविकासित भूमि का दखल 105 सहकारी आवास समितियों को दिया जा चुका है ।

अलकनंदा की बाढ़ में सैनिक ट्रकों का बह जाना

2887. **श्री राजदेव सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोशीमठ-चमोली रोड के निकट अलकनन्दा नदी की बाढ़ में कुछ सैनिक ट्रक बह गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्षति का ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या थे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). अलकनन्दा नदी में बेमिसाल और अचानक बाढ़ के कारण 20 जुलाई, 1970 को बेलाकूची के निकट नदी के जल का स्तर असाधारण तौर पर चढ़ गया था । फलस्वरूप एक सैनिक गाड़ी बह गई थी ।

श्रीलंका की राष्ट्रीयता छोड़ने के इच्छुक भारतीय

2888. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की राष्ट्रीयता छोड़ने के इच्छुक भारतीयों ने भारत सरकार से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेक्सोर इंडिया लिमिटिड को विस्तार की अनुमति

2889. **श्री रवि राय :** क्या **पेट्रोलिय तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेक्सोर इंडिया लिमिटेड को 300 मीटरी टन तक अपनी क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है और उसे 30 लाख रुपयों के आयात लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख). मैसर्स रेक्सोर इण्डिया लि० को प्रतिवर्ष 300 मीटरी टन मेटेलिक यार्न और प्रतिवर्ष 100 मीटरी टन स्टेम्पिग फोयल्स आदि के निर्माण के लिए 6 जुलाई, 1970 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। इस योजना में 29.25 लाख रुपये की बड़ी-बड़ी मशीनरी के आयात तथा कच्चे माल का उस समय तक आयात किया जाना संकल्पित था जब तक यह वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं हो जातीं। 22 जुलाई, 1970 को लाइसेंस की संक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई थी ताकि सरकार मामले के कुछ पहलुओं पर पुनः जांच कर सके। अब यह कर दिया गया है और आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संचित हानियों के भुगतान के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को राज सहायता

2890. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के चेयरमैन के निगम द्वारा जहाज पर लादे गये अयस्क से प्राप्ति प्रति टन मूल्य के बारे में 31 अक्तूबर, 1970 को प्रकाशित हुए भाषण की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष ने 31 अक्तूबर, 1970 को हुई वार्षिक साधारण बैठक के अपने भाषण में निम्नलिखित वक्तव्य दिया :

> "स्थिति की गम्भीरता का निदर्शन इस तथ्य पर विचार करने से हो सकता है कि आपकी कम्पनी द्वारा प्रारम्भ से किरिबुर और बेलाडिला से जहाज में लादे गए अयस्क के प्रत्येक टन ने अपने लिए वह औसतन राशि प्राप्त की है जो विद्यमान मार्किट कीमत का अर्धांश भी नहीं है जिसपर खनिज और धातु व्यापार निगम, बाराजम्दा क्षेत्र से समरूप श्रेणी और विनिर्देशों के अयस्क को खरीदता है।"

(ख) अब अयस्क का विक्रय नौतलपर्यन्त निःशुल्क अभिवहन के आधार पर होता है। किरिबुर और बेलाडिला से लोह-अयस्क के निर्यात से प्राप्त विक्रय मूल्य में से, रेल भाड़ा, पत्तन

प्रभार, निर्यात शुल्क और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का कमीशन भी संदत्त होता है और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को केवल शेष राशि मिलती है। वह राशि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उपगत उत्पादन लागत से कम है यद्यपि उत्पादन लागत समरूप खानों के समतुल्य है अतः निगम को हानि उठानी पड़ती है। सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 138.42 करोड़ रुपयों की उस नक़द हानि की पहले ही प्रतिपूर्ति कर दी है जो उन्हें किरिबुर लौह अयस्क खान से निर्यात किये गए लौह अयस्क पर 1968-69 वर्ष के अन्तिम चरण तक हुई थी। अयस्क का रेल-पर्यन्त-निःशुल्क आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विक्रय का प्रश्न विचाराधीन है।

इंडियन ड्रग्ज फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा बेची गई औषधियों की लागत में वृद्धि

2891. **श्री मृत्युंजय प्रसाद : श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री लोबो प्रभु :

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान ड्रग्स निर्माताओं की शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि कुछ मामलों में प्राइमरी ड्रग्स लागत में कई गुना वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड द्वारा बेची गई कोडोपाइरीन की लागत प्रति किलो 1966, में 12.35 रुपये, 1969 में 27.00 रुपये तथा 1970 में 43.00 रुपये थी ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम की मारफत बेची गई औषधियों के मूल मूल्य बढ़ गये हैं, विटामिन बी० वन का मूल्य एक वर्ष पूर्व 110/- रुपये था जो अब बढ़कर 382/- रुपये हो गया है और और फोलिक एसिड का मूल्य एक वर्ष पूर्व 263/- रुपये था जो अब बढ़कर 1312/- तथा विटामिन बी० टू का का मूल्य जो एक वर्ष पूर्व 194/- रुपये था अब बढ़कर 682/- रुपये हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार रोगियों को उचित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। ऐसा लगता है कि हवाला फेनासटिन, एक प्रपुंज औषधि से है, जो भारतीय औषध तथा भेषेज लि० (इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०) द्वारा 1969 में 27 रुपये प्रति किलो की दर पर बेची गई थी और 1970 में 43 रुपये प्रति किलो की दर से बेची जा रही है। 1966 में आई०डी०पी०एल० फेनासटिन नहीं बेचती थी। 1968 में जब इस कम्पनी ने मार्किट में प्रवेश किया, तो इसे वास्तविक प्रयोगकर्ताओं और दूसरों द्वारा अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर, आयातित स्टाक के मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। अतः 1969 में इसके

द्वारा उद्धृत मूल्य, इसके उत्पादन, जो मूल अवस्था से निर्माण पर आधारित हैं, की निजी लागत से असम्बन्धित होने पर, संकट कालीन मूल्य की दशा में जाये। 1970 का मूल्य एक पूलड मूल्य है, जो देशीय उत्पादन के मूल्य तथा आयातित उत्पाद के अवतरित मूल्य का भारित औसत पर निश्चित हुआ है। ग्लेक्सो लेबोरेटरीज के सूत्रयोगों में से एक सूत्रयोग, कोडोपाइरीन, जिसमें फेनासिटीन प्रयुक्त होता है, अब रु० 0.75 प्रति 10 टेबलिट्स की दर से बेची जा रही है तथा यह वही मूल्य है जो औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के लागू होने से पहले 15 मई, 1970 को प्रचलित था।

(ग) जी हां।

(घ) बीमार लोगों की रुचि सूत्रयोगिकृत दवाइयो में है, प्रपुंज औषधियों में नहीं। सरकार का यह प्रयास है कि एक उचित तरीके से सूत्रयोगों के मूल्य-ढांचे को नियमित किया जाये तथा वृद्धि एवं सीमान्त को उचित राशि तक सीमित किया जाये। इसके साथ-साथ ही सरकार सुनिश्चित करती है कि प्रपुंज औषधि का मूल्य उचित ढंग से उत्पादन की लागतों और प्रपुंज या बेसिक औषधियों में आत्म निर्भरता को प्राप्त करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप रखा गया है। उन कारणों, जो सबको भली भांति ज्ञात है और जिनकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं हैं, से प्रपुंज औषधियों के देशीय उत्पादन की लागत सामान्यतः अधिक है और उनके मूल्य, आयातित औषधियों के, जो विशिष्टतः कम मूल्यों पर बहुधा सप्लाई होती है, लागत बीमा-भाड़ा मूल्यों की तुलना में परिणामतः बहुत अधिक हैं। इसके अलावा, सरकार ने पूलड मूल्यों की एक पद्धति लागू की है, जो एक कम मूल्यों पर सूत्रयोग करने वाले सारे यूनिटों को प्रपुंज औषधियों की सप्लाई को और प्रपुंज औषधियों के देशीय निर्माताओं को अनुचित मूल्य प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। उत्पादन के स्थितिकरण और मानकीय किफायतों की प्राप्ति के बाद, देशीय प्रपुंज औषधियो के मूल्यों में कमी आने की आशा है। यह भी बता दिया जाये कि उचित विक्रय मूल्यों को निर्धारण करने के विचार से, इस समय 25 प्रपुंज औषधियों का लागत-ढांचा औद्योगिक लागतों और मूल्यों के ब्यौरों के अध्ययनाधीन है।

Ayurvedic Pharmaceutical Companies in the Country

2892. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development be pleased to state :

(a) the present number of Ayurvedic Pharmaceutical Companies in the country ;

(b) whether there is any adulteration in the medicines prepared by these companies ; and

(c) if so, the names of such companies and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha in due course.

भारत-पाकिस्तान में सैनिक जानकारी का आदान-प्रदान

2893. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान में सैनिक जानकारी के आदान-प्रदान के बारे में कोई फैसला हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख). भारत तथा पाकिस्तान के सेना चीफ की चर्चा के दौरान जोकि 13-14 सितम्बर, 1966 को हुए ताशकंद करार के अनुसरण में हुई थी, उसमें जम्मू तथा काश्मीर की सीमा/युद्ध विराम रेखा पर तनाव को कम करने के लिए कुछ उपायों के बारे में समझौता हुआ था। इसमें यह शामिल ये कि जब किसी भी पक्ष की सेना के द्वारा जब कुछ प्रकार के अभ्यास किये जायें या सीमा के निकट के नगरों में जब ब्लैक आउट अभ्यास किया जाये तब दोनों पक्षों के द्वारा सूचना दी जानी चाहिए।

इस विषय पर सूचना सदन को 7 नवम्बर, 1966 में अतारांकित प्रश्न संख्या 74९ के उत्तर में दी गई थी।

Madhya Pradesh Employees on Deputation in Oil and Natural Gas Commission

2894. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals be pleased to state :

(a) whether the Oil and Natural Gas Commission had taken on deputation some Government employees from Madhya Pradesh also during the last three years :

(b) if so, the number and names thereof ;

(c) whether some of those employees have been sent back ; and

(d) the number of employees who are still on deputation in the said Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Shri D. R. Chavan) : (a) and (b). Yes. One person, namely Shrimati S. G. Kulkarni an officer of the Madhya Pradesh Civil Service, is on deputation in the O. N. G. C. as Deputy Manager (Finance and Accounts) since 27th January, 1967.

(c) No.

(d) One.

सिंगापुर में नेताजी द्वारा उपयोग में लाई गई इमारतों का अधिग्रहण

2895. **श्री समर गुह** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के भूतपूर्व निवास स्थानों तथा उस भवन को जिसका उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के मुख्यालय के रूप में उपयोग किया था, सुरक्षित रखने के लिए अथवा उन्हें भारतीय सांस्कृतिक मिशनों में परिवर्तित करने के लिए खरीदने के संबंध में कोई प्रगति की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). 25 मार्च, 1970 को इसी सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 4007 के दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कलकत्ता ब्रिगेड ग्राउंड का नाम बदल कर नेता जी मैदान रखना

2896. **श्री समर गुह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर 1970 को आजाद हिन्द दिवस के उपलक्ष में कलकत्ता के नागरिकों द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कलकत्ता ग्राउन्ड का नाम बदल कर नेताजी मैदान रखने के लिये सरकार से अनुरोध करने का एक प्रस्ताव पास किया गया था ;

(ख) क्या लगभग उसी समय अखिल बंगाल समाजवादी छात्र संघ ने बोलपुर में हुए अपने सम्मेलन में ऐसा ही संकल्प पास किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) तथा (ख). प्रश्नगत संकल्पों का इस मंत्रालय को ज्ञान नहीं है। इस मंत्रालय में उक्त संकल्पों की प्रति प्राप्त हुई जान नहीं पड़ती।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) के उत्तर के समक्ष प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता की प्रमुख सड़कों में भीड़ भाड़

2897. **श्री समर गुह :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में, विशेषकर सियालदह तथा बड़ा बाजार में यायायात की भीड़ के मुख्य कारण कलकत्ता की प्रमुख सड़कों के फुटपाथों पर फेरीवालों की दुकानें बढ़ जाना, कलकत्ता के विभिन्न बाजारो के पास कूड़ा-कर्कट इकट्ठा होना, हथगाड़ियां तथा रिक्शाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शहर की प्रमुख सड़कों के फुटपाथों से फेरीवालों की दुकानें हटाने के उद्देश्य से एक फेरीवालों की दुकानों का अलग केन्द्र बनाने की कोई योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जायेगी ; तथा मुख्य सड़कों पर रिक्शाओं का चलना बन्द किया जायेगा ; और

(ग) नगर की प्रमुख सड़कों से नियम-पूर्वक कूड़ा कर्कट हटाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां, किन्तु कूडा कचरे के इकट्ठे होने के कारण यातायात की भीड़-भाड़ तो बिरले अवसरों पर ही होती है।

(ख) जी नहीं, तथापि, कलकत्ता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों को व्यापार के लिये आवंटन हेतु फेरीवालों के 470 स्टाल मौजूद हैं परन्तु सभी फेरीवाले इन स्टालों में जाने के लिये सहमत नहीं हुये।

(ग) मलवा डालने के स्थानों पर कूड़ा डालने की अपर्याप्त सुविधाएं होने के कारण हर वर्ष मानसून के दौरान कूड़ा-कचरा उठाने में कठिनाइयां महसूस की जाती हैं। परिणामतः, वर्षा

में कभी कभी कूड़ा-कचरा एकत्र हो जाता है। कलकत्ता नगर निगम अपने वाहनों तथा किराये की लारियों द्वारा नगर से प्रति दिन लगभग 2000 टन कूड़ा-कचरा उठाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान निगम ने पहले ही 85 नई मल-सफाई लारियां काम पर लगा दी हैं और स्वचालित टिपिंग गीयर सहित 15 अन्य लारियां दिसम्बर 1970 में काम पर लगाई जानी हैं। इनके अतिरिक्त, मलवा-स्थानों पर अच्छी प्रकार से कूडे कचरे के निपटान हेतु दो नये बुलडोजर तथा एक लोकोमोटिव खरीद लिये गये हैं। कुछ वर्षों से बेकार पड़े भस्मक को पुनः काम पर लाने के लिये भी निगम ने कदम उठायें हैं और केन्द्रीय जन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान तथा अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य की सहायता से कूड़ा-कचरा के निपटानार्थ भस्मक तथा कम्पोस्ट खाद बनाने जैसे वैकल्पिक तरीकों की सिफारिश करने के लिये एक विशेषज्ञ दल भी नियुक्त किया है। इसी बीच मल-सफाई सेवाओं में आगे और सुधार करने के लिये राज्य सरकार 197 लाख रुपयों की एक योजना पर विचार कर रही है।

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में बहुप्रयोजनीय रूसी हैलीकोप्टर का प्रदर्शन

2898. **श्री नरसिम्हा राव :** क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 अक्तूबर, 1970 को सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में नवीनतम बहुप्रयोजनीय रूसी हैलीकोप्टर का प्रदर्शन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हेलीकाप्टर की मुख्य विशेषताएं तथा उसका मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के हेलीकाप्टर बनाने का है ?

प्रति रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। यू० एस० एस० आर० के मैसर्स एविया एक्पोर्ट के भारतीय अभिकर्ता के द्वारा सोवियत हेलीकाप्टर के ए-26 के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई थी।

(ख) हेलीकाप्टर को बहुप्रयोजनों के लिए बनाया गया है, जैसे परिवहन, माल वाहन, कृषि तथा उड़न-क्रेन। महत्वपूर्ण संक्रियात्मक तथा अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं :

(1) इसमें शक्ति 325 हार्स पावर प्रत्येक दो पिस्टन इन्जनों के द्वारा दल जाती है।

(2) अधिकतम गति 170 किलोमीटर/घंटा।

(3) प्रस्थान वजन—2350 किलोग्राम।

(4) आम भार : 900 किलोग्राम।

(5) परिवहन के रूप में ; 6 से 7 यात्रियों को ले जा सकता है।

(6) सब प्रयोजनों की संरूप के लिए मूल्य 10 लाख रुपए।

(ग) इसी हेलीकाप्टर को खरीदने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी तेल समवायों का राष्ट्रीयकरण अथवा उनमें साम्य पूंजी लगाना

2899. **श्री लोबो प्रभु :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विदेशी तेल समवायों के राष्ट्रीयकरण अथवा उनमें साम्य पूंजी लगाने का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो अपेक्षित निधियों के सम्बन्धित प्राक्कलन क्या है ;

(ख) विदेशी तेल समवायों पर इस समय नियंत्रण किस प्रकार से प्रभावहीन है जिससे सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को उचित ठहराया जा सके ;

(ग) विदेशी प्रबन्ध किस प्रकार त्रुटि पूर्ण अथवा देश के हितों में बाधक है जिससे राष्ट्रीयकरण को उचित ठहराया जा सके ;

(घ) उत्पादन पर पूंजीगत करों से लाभकारी व्यय की अपेक्षा प्रबन्ध पर व्यय के बारे में भारतीय तेल समवायों तथा विदेशी तेल समवायों का अनुपात क्या है ;

(ङ) अशोधित तेल के लिये कितनी कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता है और इस बात का क्या आश्वासन है कि समवायों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां अशोधित तेल बेचती रहेंगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). भारत सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण अथवा उन में साम्य साझेदारी का प्रस्ताव नहीं दिया है। लेकिन शोधनशाला सम्बन्धी करारों में संशोधन करने और उन्हें, उस समय जब ये किये गये थे, से भिन्न हालात में मौजूदा नीतियों के अनुरूप बनाने के लिये उन के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई है। वार्तालाप प्रस्तावों में से एक में विदेशी तेल कम्पनियों ने अपनी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में बदलने तथा सन्तोषजनक प्रबन्धों के विकास में सहायता के लिये इन में सरकारी क्षेत्र की साझेदारी के लिये सुझाव दिया है। परन्तु इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही कोई मुख्य ब्यौरों पर बातचीत की गई है। ये वार्ताएं इस समय बिल्कुल अन्वेषी अवस्था में हैं और उन्हें विस्तार पूर्वक बताना जनहित में नहीं होगा।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

मंगलौर जल सम्भरण योजना के लिए ऋण

2900. **श्री लोबो प्रभु :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर जल सम्भरण योजना के लिए सरकार ने कितना अनुदान अथवा ऋण दिया ; और

(ख) निर्माण के बीच-बीच में होने वाली खराबियों से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को किसी खास योजना का उल्लेख किये बिना ही जलपूर्ति एवं सफाई योजनाओं के लिए अब समेकित अनुदानों एवं समेकित ऋणों के आधार पर सहायता दे रही है। विभिन्न योजनाओं के लिए धन का नियतन तथा खर्च राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है।

(ख) जलपूर्ति योजनाओं की क्रियान्विति राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती हैं और निर्माण कार्य अविरल गति से चलता रहे इस बात को सुनिश्चित करना सम्बन्धित राज्य सरकार का काम है।

देश में कुष्ठ रोगी

2901. **श्री स० अ० अगाड़ी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या कितनी है तथा उनमें से राज्यवार, कितने रोगियों को कुष्ठाश्रमों में रखा गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने देश में अज्ञान कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या का पता लगाया है?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख). देश में लगभग 25 लाख कुष्ठ रोगी हैं तथा 219 कुष्ठ अन्तरंग रोगी संस्थाएं हैं जिनमें 27438 पलंग हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन 8.8 लाख रोगी पंजीकृत किये गये हैं और उपचार की व्यवस्था उनके घरों पर ही करने के लिए उनका नाम दर्ज कर लिया गया है। ये संस्थाएं कहां-कहां स्थित हैं उनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य का नाम	अन्तरंग रोगी संस्थाएं	उपलब्ध पलंगों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	22	2377
2. असम	12	1164
3. बिहार	12	1302
4. गुजरात	5	760
5. जम्मू तथा काश्मीर	2	186
6. केरल	7	2675
7. मध्य प्रदेश	12	2247
8. तामिलनाडु	26	3222

9.	महाराष्ट्र	27	4125
10.	मैसूर	8	869
11.	उड़ीसा	12	1095
12.	पंजाब	10	1029
13.	उत्तर प्रदेश	22	1845
14.	राजस्थान	2	151
15.	पश्चिम बंगाल	17	2506
16.	अण्डमान तथा निकोबार	1	15
17.	दिल्ली	2	519
18.	हिमाचल प्रदेश	7	297
19.	लक्ष द्वीप समूह	3	95
20.	मणिपुर	3	130
21.	गोआ, दमन तथा द्वीव	1	200
22.	नेफा	3	260
23.	नागालैंड	2	169
24.	पान्डिचेरी	1	200
	योग	219	27438

विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों की देखभाल के लिये विभाग की स्थापना

2902. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में बसे भारतीय राष्ट्रिकों के हितों तथा कल्याण की देखभाल के लिए कोई विभाग स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरों पर सांविधिक जल सम्भरण तथा सफाई बोर्ड

2903. **श्री इ० के नायनार :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने केन्द्रीय स्वायत्त शासन परिषद की 13वीं बैठक के अध्यक्षीय भाषण में

क्षेत्रीय तथा राज्य स्तरों पर सांविधिक जल संभरण तथा सफाई बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो सफाई बोर्ड के क्या अधिकार हैं और इन बोर्डों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित सांविधिक बोर्डों की स्थापना करने तथा उनकी शक्तियों को निश्चित करने का काम राज्यों का है। वैसे, यह महसूस किया गया है कि इन बोर्डों को उनके अधिकार क्षेत्रों में जल पूर्ति एवं मल निष्कासन उपक्रमों के निर्माण और उनमें सुधार करने तथा स्वावलम्बन के आधार पर उनका प्रबन्ध करने के लिए अधिकार दिये जाने चाहिए। खुले बाजार से ऋणों अथवा डेबनचरों के द्वारा अपनी आर्थिक स्थितियों को ठीक करने के लिए उन्हें धन की वृद्धि करने का अधिकार होना चाहिए इस सम्बन्ध में वित्तीय सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का कोई विचार नहीं है। वैसे, केन्द्रीय सरकार इन बोर्डों के गठन और तत्सम्बन्धी अन्य तकनीकी मामलों में निर्देशक-सिद्धांत तैयार करने में राज्य सरकारों की मदद कर सकती है।

शीरे का संग्रह करने का प्रबन्ध

2904. **श्री का० ना० तिवारी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के शीरे के गड्ढ़े शीरे से भरे पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो नये शीरे का संग्रह करने के लिए सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है जिसे कि 1970-71 में मिले सुचारु रूप से काम कर सकें ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में शीरा काफी फालतू है। बिहार से 25,000 मीटरी टन शीरा पश्चिमी बंगाल को और उत्तर प्रदेश से 60,000 मीटरी टन शीरा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात के लिए आवंटित किया गया है। इस फालतू स्टाक को उठाने की गति अब तक धीमी रही है।

(ख) स्टाक को शीघ्र उठाने की व्यवस्था के लिए पश्चिमी बंगाल और राज्य व्यापार निगम के साथ परामर्श किये गये है। यह आशा है कि पिछले साल के स्टाक का बड़ा हिस्सा शीघ्र ही उठा लिया जायेगा ताकि खाली किये गये गड्ढों में नया शीरा इकट्ठा किया जा सके।

केरल में एड़तल्ला एर्नाकुलम जिले के सेना इंजीनियरिंग सेवा कार्यालय के एक कर्मचारी पर सैनिकों द्वारा आक्रमण

2905. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम जिले में एड़तल्ला के सेना इन्जीनियरिंग सेवा कार्यालय के एक कर्मचारी पर 25 अक्तूबर, 1970 को कुछ सेना कर्मचारियों ने आक्रमण किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) अपराधी व्यक्तियों को दंड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) तथा (ख). केरल राज्य के अर्णाकुलम जिला में एम०ई०एस० कार्यालय एडथल के एक चौकीदार और एक नौसैनिक संस्थान में रक्षा सुरक्षा दल पलाट्न के एक सूबेदार में एक झगड़े की रिपोर्ट मिली थी ।

(ग) तथा (घ). मामले की जांच के लिए नौसैनिक अधिकरणों द्वारा एक कोर्ट आफ इन्क्वायरी आदिष्ट की गई है । जांच प्रगतिशील है ।

नाईलोन के धागे का उत्पादन आयात तथा खपत

2906. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में कितने नाइलोन के धागे का उत्पादन आयात तथा खपत हुई हैं ;

(ख) क्या सेन्चुरी एनका से अपना नाइलोन के धागे की क्षमता प्रतिदिन दो मीट्रिक टन से चार मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या इस प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय ले लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क)

(मीटरी टनों में)

वर्ष	उत्पादन	आयात	खपत
(1)	(2)	(3)	(2+3)
1967	2,457	1794.48	4251.48
1968	5,435	1131.44	6566.44
1969	7,439	कोई आयात नहीं	7439.00

(ख) मैसर्स सेन्चुरी एनका (उस समय सेन्चुरी रेयन) से 29-8-64 को उनका उस समय का 2 मीटरी टन । प्रतिदिन की लाइसेंसकृत क्षमता के 65 मीटरी टन । प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ग) और (घ). 12-2-60 को मैसर्स सेन्चुरी एनका (उस समय सेन्चुरी रेयन) को प्रतिदिन 2 मिलियन मीटरी टन नाइलोन फिलामेंट यार्न बनाने के लिए एक लाइसेंस दिया गया था। इसके कार्यान्वित किये जाने के पहले ही पार्टी ने विस्तार के लिए प्रार्थना की थी। पार्टी को 4.5 मीटरी टन। प्रतिदिन तक विस्तार के लिए 21-9-1964 को एक आशय पत्र दिया गया था। लेकिन, क्योंकि सरकार अपनी नीति के अनुसार मूल लाइसेंस के पूरी तरह कार्यान्वित किये जाने से पहले विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस नहीं देता इसलिए विस्तार के आशय पत्र पर आगे कोई और प्रगति नहीं हुई थी। मैसर्स सेन्चुरी एनका ने अक्तूबर, 1969 में उत्पादन शुरू कर दिया था। कम्पनी ने इसके बाद प्रार्थना की है कि 1964 में विस्तार के लिए दिये गये आशय पत्र पर अब विचार किया जाये। इस समय मामला जांचाधीन है।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना का लाभ देना

2907. **श्री सूरज भान :** क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या योजना आयोग ने दिल्ली प्रशासन को अपने कर्मचारियों का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में शामिल करने के लिये धन देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों का लगभग किस तारीख तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधायें किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) शुरूआत में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल 1971 से दिल्ली प्रशासन के पुलिस कर्मचारियों का लाने का विचार है।

Prosecution of Indians for their Illegal Entry into London

2909. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prosecutions are being launched against four Indian nationals in London for their illegal entry into Britain ; and

(b) if so, the reasons for their illegal entry into Britain ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) According to Government's information, two parties of illegal immigrants landed at Harwich and Dover in U. K. on 20th and 29th October respectively. Two of the persons in each party were presumed to be Indian, but the U. K. authorities are making inquiries to establish their correct national identity. Proceedings against them have not been started pending completion of police enquiries.

(b) The reasons for the illegal entry of these individuals into Britain are not known.

Safety on Indian Ambassador in Jordan

2910. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Ambassador posted at Amman had to live in a hotel for six days alongwith his family in order to protect himself and his family from Palestinian guerillas ; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). Our new Charge d' Affaires arrived in Amman on 3-9-1970 and, in the absence of suitable residential accommodation, initially moved into a Hotel. The outbreak of civil strife in Jordan on 17-9-1970, delayed his shifting into a house until conditions returned to normal.

हिमाचल प्रदेश सैनिक नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड में पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति

2911. **श्री हेम राज** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने अखिल भारतीय सैनिक नाविक और वायुसैनिक बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सैनिक, नाविक तथा वायुसैनिक बोर्ड में पूर्णकालिक सचिव और उसके स्टाफ की नियुक्ति सम्बन्धी बजट प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक प्राप्त हुआ तथा उसे स्वीकृति देने में देर करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव अप्रैल 1970 में प्राप्त हुए थे, और विचाराधीन है ।

किरीबर्न हिल टाप में टाइप-चार व टाइप-तीन के क्वार्टरों का निर्माण

2912. **श्री गु० च० नायक** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दो वर्षों से सेक्टर 3 (किरिबर्न हिल टाप) में टाइप-चार के 74 और टाइप-तीन के 132 क्वार्टर बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितनी राशि मंजूर की गई और कितनी खर्च की गई और आज तक कितने क्वार्टर बने ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सरकार ने, टाइप-तीन के 79 और टाइप-चार के 27 क्वार्टरों के सन्निर्माण को सम्मिलित कर किरिबर्न नगर क्षेत्र में मकानों के संनिर्माण का जुलाई, 1970 में अनुमोदन कर दिया है ।

(ख) टाइप-तीन के 79 और टाइप-चार के 27 क्वार्टरों के संनिर्माण के लिये कुल

22.54 लाख रुपयों की संस्वीकृति थी । अब तक टाइप-चार के 27 क्वार्टरों के संनिर्माण पर 5.13 लाख रुपयों का व्यय उपगत किया गया ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किरिबरू हिल टाइप पर टाइप तीन के क्वार्टरों के निर्माण के लिए टेंडर का रद्द किया जाना

2913. **श्री गु० च० नायक** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम किरिबर्न के वरिष्ठ अभियन्ता द्वारा, किरीबूर हिल टाप पर टाइप-तीन के 40 क्वार्टर बनाने के लिए जिसमें जल संभरण तथा मल-निस्सारण संबंध कार्य और किरिबूर सेक्टर एक और दो में अन्य निर्माण कार्य भी शामिल था, आमंत्रित टेन्डर रद्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इस कार्य के लिये अब कब टेन्डर आमंत्रित करेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) निविदा को प्रतिक्षेपित कर दिया गया था । क्योंकि यह एकल निविदा थी और उसमें दी गई दरें ऊंची थी । पूर्वत्तर निविदत्त 40 क्वार्टरों सहित, क्वार्टरों के लिये नई निविदायें आमंत्रित की गई हैं ।

उड़ीसा में किरिबूर लौह अयस्क खानों का विस्तार तथा उनमें परिवर्तन

2914. **श्री गु० च० नायक** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किरिबूर लौह अयस्क खानों का विस्तार करने तथा उनमें परिवर्तन करने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या उड़ीसा के किरिबूर क्षेत्र से बोकारो इस्पात संयंत्र को 50 लाख टन लौह अयस्क की सप्लाई की जानी है ; और

(ग) खनन कार्यों के लिए कितनी पूंजी का निवेष होगा और कब तक अयस्क निकाला तथा सप्लाई किया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). बोकारो इस्पात संयंत्र की सप्लाई करने के लिए प्रति वर्ष 50 लाख मैट्रिक टन खान में से निकले रूप में अयस्क के उत्पादन हेतु राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने किरीबूर लौह अयस्क खानों के विस्तार और उपांतरण के लिये योजना बनाई है ।

इस समय इस मांग की पूर्ति के लिये नियोजित खाने बिहार में अवस्थित हैं ।

(ग) अयस्क के निष्कर्षण एवं आपूर्ति के लिये सरकार द्वारा यथाअनुमोदित कुल पूंजी निवेष 11.27 करोड़ रुपये है। समय-सारणी के अनुसार, विस्तृत खान से बोकारों की आपूर्ति 1972 के अन्तिम चरण से प्रारम्भ होनी है। पूर्वत्तर अपेक्षित मात्राओं की विद्यमान खान से आपूर्ति की जायेगी।

Expenditure incurred on beautification Scheme by New Delhi Municipal Committee

2915. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred so far under the beautification scheme started by New Delhi Municipal Committee in July, 1968 ;

(b) the details of the original estimates of the said scheme and the time by which it is likely to be completed ; and

(c) the benefits accrued therefrom to the common man ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) There is no scheme for beautification as such started by the New Delhi Municipal Committee. The Committee has made efforts to lend aesthetic sense to projects besides serving functional utility. In this context, a sum of Rs. 52.85 lakhs has been spent upon such projects as per statement annexed.

(b) Does not arise.

(c) All this projects provide better civic amenities the benefit of which is shared by the common man.

STATEMENT

APPROXIMATE EXPENDITURE OF THE FOLLOWING WORKS FROM JULY 1968 TO SEPTEMBER 1970

		Rs.
1.	Landscaping of circuses and other open spaces.	3.81 Lakhs
2.	Landscaping of park and improvement thereof.	23.10 ,,
3.	Construction of Tree Guards.	1.02 ,,
4.	Construction of Taxi Booths, Kiosks, Cycle sheds, Plan shop etc.	1.86 ,,
5.	Various type of railings.	3.66 ,,
6.	Improvement of Footpath.	7,40 ,,
7.	Fountains.	*12.00 ,,
		52.85 ,,

*(a) Donations	5 Lakhs
(b) Connaught Place Central Park	4.5 ,,
(c) Others	2.5 ,,

सेना, वायु सेना और नौसेना के कर्मचारियों को सेवा मुक्त करना

2916. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा के तीनों अंगों अर्थात् सेना, वायु सेना, तथा नौ सेना के 1969 में कितने कर्मचारी सेवा मुक्त किये गये तथा 1970 से प्रतिवर्ष कितने कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जायेगा ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ; और

(ग) 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50 वर्षों के आयु वर्ग में आने वाले सेवा मुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रतिरक्षा विभाग के शिविर मैदान

2917. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शिविर मैदानों की संख्या कितनी है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या वे खाली और बेकार पड़े हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें उन राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को जहां वे स्थित है, सौंपने और बेचने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह महीडा) : (क) सहज प्राप्य सूचना के अनुसार 241 शिविर स्थान हैं । प्रत्येक राज्य में उनकी संख्या और स्थान संलग्न विवरण में में दिए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4455/70**]

(ख) इन शिविर स्थानों को अकसर खेती बाड़ी/कृषि उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया जाता है ।

(ग) तथा (घ). सेना की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यासों के लिए सुविधाओं के लिए, जब आवश्यक हो सेना के लिए शिविर स्थानों के लिए, और भूतपूर्व सैनिकों के पुनरावास में सहायता देने के लिए भी इन शिविर स्थानों को धारण किए रखना प्रस्तावित है ।

कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों का पुलिस द्वारा पीटा जाना

2918. **श्री ई० के० नायनार :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खानतथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों जिन्होंने अपनी प्रथम मांग के

लिए लगभग दो महीने हड़ताल की थी, के पुलिस द्वारा मारपीट के सम्बन्ध में सरकार को कोई तार तथा ज्ञापन प्राप्त हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने 2 अक्तूबर, 1970 को तेल शोधक कारखाने के सम्मुख पुलिस के विरुद्ध मारपीट तथा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) क्या सरकार तेल शोधक कारखाने में प्रबन्धकों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही करेगी जिन्होंने केरल श्रम आयुक्त द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार किये बिना ही हड़ताल अनावश्यक रूप में निरन्तर हड़ताल कराये रखी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) मामला कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने का है और यह मामला केरल सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और उन्हें लिख दिया गया है ।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि कोचीन शोधनशाला के प्रबन्धकों ने 'अनावश्यक रूप से हड़ताल कराये रखी' । अतः उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही के किए जाने का प्रश्न नहीं उठता । प्रबन्धकों और यूनियन के बीच सौहार्द समझौता होने के कारण हड़ताल समाप्त हो चुकी है ।

कम्बोडिया को सिंहानुक सरकार को मान्यता प्रदान करना

2919. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम्बोडिया को सिंहानुक सरकार को कम्बोडिया को वास्तविक सरकार के रूप में मान्यता देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). भारत सरकार के विचार इस सदन को अनेक अवसरों पर बताये जा चुके हैं । भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से तथा हिन्द-चीन में जारी अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुये कम्बोडिया के साथ हमारे प्रतिनिध्यात्मक ढांचे में कोई तात्कालिक परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

Utilization of Production Capacity of Ordnance Factory, Jabalpur

2920. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether production capacity of the ordnance factory at Jabalpur, Madhya Pradesh is being fully utilised ; and

(b) if not, the extent of idle capacity and the steps being taken to utilise the same ?

The Minister of State (Defence Production) in the Minister of Defence (Shri P. C. Sethi) : (a) and (b). Yes Sir, except that in some sections, a part of the capacity is

occasionally under-utilised, either due to temporary shortage of material like steel, or due to the end product having been superseded in usage. When such occasions arise, manpower is diverted to other work and the machine capacity is put to alternative use to the extent possible.

Adequate steps have also been taken to resolve the difficulties regarding shortage of material.

There have been instances where capacity created for complicated operations has remained unutilised for want of adequate trained manpower. Steps have been taken to deficiencies.

Recruitment Centres in Madhya Pradesh

2921. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether recruitment to the defence servicees is made from different Centres in Madhya Pradesh also ; and

(b) if so, the names of those centres and whether more centres will be opened for Indian defence services in the state ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Yes, Sir. For recruitment to the Army and Navy, there are Branch Recruiting Offices located at BHOPAL, GWALIOR, INDORE and JABALPUR in Madhya Pradesh. Recruiting teams from these Centres regularly go into the interior parts of the country for recruitment purposes. There is at present no proposal to open more Branch Recruiting Offices in Madhya Pradesh.

Air Force recruiting offices are not located statewise, but on a zonal basis. The zonal Air Force Recruiting Office at Kanpur, covers Madhya Pradesh also. The Air Force Recruiting Officer, Kanpur tours within his entire zone including Madhya Pradesh and recruits candidates for the Air Force.

Persons Recruited from Various Communities in M. P. for Defence Force

2922. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Defence be pleased to state the number of persons belonging to various communities and religions recruited for the defence forces in Madhya Pradesh, separately during the last three years and the number of persons belonging to minority communities amongst them separately ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : Community and religion-wise statistics of recruitment into the Air Force and the Navy are not maintained. In the case of the Army, some statistics are kept relating to recruitment from different traditional sources. It will not, thereof, be feasible to furnish the details asked for.

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में जासूसी और चोरी की घटनाओं के मामले

2923. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों से प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में जासूसी और चोरी की कितनी घटनाएं घटी है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तथा सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिये क्या कारवाई की गई है या करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सशास्त्र सेना स्थापनाओं में गत तीन वर्षों में 25 मामले जासूसी के तथा तुच्छ भावों के अलावा 21 चोरी के मामलों का पता चला है। रक्षा उत्पादन स्थापनाओं के संबन्ध में सूचना सुनिश्चित की जा रही है।

(ख) सेना स्थापनाओं में जासूसी तथा चोरी के लिये 37 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। वायुसेना स्थापनाओं में जासूसी के लिये 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा चोरी के लिये गिरफ्तार किए गये आंकड़ों को सुनिश्चित किया जा रहा है। वायुसेना के दो तथा सेना के एक को जिसे जासूसी के लिए पाया गया था 7 से 14 वर्ष तक की विभिन्न अवधियों के लिये जेल का दण्ड दिया गया है तथा नौकरी से बरखास्त कर दिया गया है। अन्य जासूसी के मामलों की जांच हो रही है। चोरी के मामलों में दी गई कार्यवाही को सुनिश्चित किया जा रहा है। चोरी तथा जासूसी की सक्रियता को यथा संभव रोकने के लिये सुरक्षा के उपायों को कड़ा कर दिया गया है।

गुप्त संकेतों का अंग्रेजी से हिन्दी भाषा में बदला जाना

2924. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुप्त संकेतों को अंग्रेजी से हिन्दी में बदलने के लिये सरकार को कोई अभ्यावेदन दिये गये हैं, क्यों कि विदेशी गुप्तचर इन्हें सरलता से समझ लेते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें बदलने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख). संहिताओं और बीजांकों को अंग्रेजी से हिन्दी में तबदील करने के संदर्भ में पत्र प्राप्त हुए हैं। यह समझना ठीक नहीं कि दूसरी भाषा की तुलना में किसी एक भाषा में संहितायें और बीजांक कम सुरक्षित हैं, क्योंकि उन की सुरक्षा बीजांक बनाने के ढंग और आधार पर निर्भर है, न कि प्रयुक्त की गई भाषा के माध्यम पर। तदपि सरकार ने हिन्दी में बीजांक तैयार करने की आवश्यकता स्वीकार कर ली है। जभी और जब मन्त्रालय हिन्दी में वर्गीकृत पत्र व्यवहार अन्तरण के लिये तैयार हो जायेंगे, हिन्दी में प्रयोग के लिये बीजांक का निर्माण प्रस्तावित है।

चीन द्वारा वायु सीमा का अतिक्रमण

2925. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों के दौरान दोनों क्षेत्रों में चीन द्वारा कितनी बार वायु सीमा का अतिक्रमण किया गया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चार।

(ख) सरकार आवश्यक सुरक्षा सावधानियां बरत रही हैं और उपाय कर रही है।

Plan to Attack India by China and Pakistan

2926. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether China and Pakistan are planning to launch a collective attack on India ; and

(b) if so, the measures Government propose to adopt to meet their challenge properly particularly that of use of atomic warfare ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). Such a possibility cannot be ruled out. Our defence preparedness takes note of this.

Recruitment in the Army on the Basis of Population of States

2927. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether recruitment in the army is not made on the basis of population of the States ;

(b) whether the recruiting Officers come from some particular places and they recruit more persons from some particular States and less from other States ; and

(c) if so, the action Government propose to take to remove the said disparity ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Broadly speaking, the recruitment for the Army is done in proportion to the recruitable made population belonging to the age group of 17-25 years in various States. Where recruitment is to be made in a particular class for units having class composition, it is done mainly in area where such recruits are available.

(b) No cases of this nature have come to the notice of Government.

(c) Does not arise in view of the answer at (b) above.

इथोपिया में दो बिरला कर्मचारियों की गिरफ्तारी

2928. **श्री हो० ना० मुकर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इथोपिया में "गैर-कानूनी समृद्धि" के अपराधिक दोष पर दो बिरला कर्मचारियों की गिरफ्तारी के समाचार की ओर दिलाया गया है, जिनमें से एक बातार डार टैक्सटाइल कम्पनी का जनरल मैनेजर तथा दूसरा भूतपूर्व संयंत्र मैनेजर था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) क्या उक्त कम्पनी, बिरला बन्धु जिसके मैनेजिंग एजेंट हैं, एजेंटों को प्राप्य राशि नियमित रूप से भारत प्रत्यावर्तित करती है और यदि हां तो अब तक की प्रत्यावर्तित राशि क्या है ; और

(घ) क्या सरकार के पास इस बात को सुनिश्चित करने का कोई साधन है कि इस प्रकार की कम्पनियों की धोखे बाजियों द्वारा विदेशों में भारत का रूप विकृत न हो ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इथोपिया में बहर डार टैक्सटाइल मिल्स के जनरल मैनेजर और मैनेजर को, जिसके मैनेजिंग ऐजन्ट्स मेसर्स बिरला ए० जी० स्विटजरलैण्ड थे, अक्तूबर 1969 में गिरफ्तार किया गया था। उन पर जो आरोप लगाये गये थे उनमें धन और माल का दुर्विनियोग करना, हानियों को छिपाना और लेखा-परीक्षकों को रिश्वत देने का प्रयत्न करना शामिल थे ।

(ख) इन व्यक्तियों को अब छोड़ दिया गया है। बिरला ए० जी० स्विटजरलैंड, इथोपियाई प्राधिकारियों और टेक्सटाइल मिल्स के निदेशक बोर्ड के बीच अगस्त 1970 में एक समझौता हो गया था। समझौते में, बिरला ए० जी० स्विटजरलैंड को, मैनेजिंग एजेन्ट्स के रूप में, दोषमुक्त किया गया है, किन्तु उनसे यह कहा गया है कि वे इथोपियाई सरकार को कुछ रकम दें, क्योंकि उनके कर्मचारियों का आचरण नियम विरुद्ध पाया गया था।

(ग) मेसर्स बिरला ए० जी० स्विटजरलैंड, स्विटजरलैंड में रजिस्टर्ड एक कम्पनी है, और एथोपियाई कम्पनी के मैनेजिंग एजेंट्स के रूप में उन के पारिश्रमिक को भारत प्रत्यावर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) विदेशों में कम्पनियों की स्थापना के लिए भारत से पूंजी के निर्यात की अनुमति प्रदान करने से पहले इस बात की काफी जांच-पड़ताल कर ली जाती है, किन्तु माननीय सदस्य इस बात को सराहेंगे कि अन्य देशों में ऐसी कम्पनियों के कर्मचारियों के प्रत्येक कार्य के लिये सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

लुकासा सम्मेलन में सिहानुक द्वारा कम्बोडिया के प्रतिनिधित्व का भारत द्वारा विरोध

2929. **श्री ई० के० नायनार** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने सितम्बर में लुकासा में हुए गुट-निरपेक्षीय देशों के सम्मेलन में कम्बोडिया की प्रवासी सरकार के प्रमुख सिहानुक के प्रतिनिधित्व का विरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के मंत्री को पारपत्र न देना

2930. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के मंत्री ने पाकिस्तान जाने के लिए पारपत्र की प्रार्थना की थी और उन्हें उसकी अनुमति नहीं दी गई ;

(ख) क्या उनका पहला पारपत्र भी जब्त कर लिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) महोदया, दिल्ली के एक व्यापारी जथेयार संतोख सिंह जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सचिव भी हैं, उन्होंने फरवरी, 1970 में अपने पारपत्र पर पाकिस्तान जाने की स्वीकृति के लिए आवेदन दिया था। जब उनके मामले की जांच-पड़ताल हो रही थी तभी पुलिस अधिकारियों से एक सूचना प्राप्त हुई कि उनके खिलाफ फौजदारी अदालतों में कुछ मुकदमें चल रहे हैं। अतः जथेदार संतोख सिंह

को पाकिस्तान जाने की स्वीकृति नहीं दी गई ; और इसके बाद, उनका पारपत्र, पारपत्र अधिनियम 1967 की धारा 10(3) (इ) के अधीन जब्त कर लिया गया।

(ख) और (ग). पहले जब्त किया गया जथेदार संतोख सिंह का पारपत्र वही है जिसका ऊपर (क) में उल्लेख किया गया है। यह पारपत्र उन्हें मई, 1969 में दिया गया था जो मई, 1972 तक के लिए वैध था। इससे पहले भी (नवम्बर, 1969 में) उनका पारपत्र, पारपत्र अधिनियम की धारा 10(3) (इ) के अधीन जब्त किया गया था ; परन्तु यह उन्हें दिसम्बर, 19 9 में लौटा दिया गया जब उन पर पहले से चल रहे मुकदमें वापिस ले लिए गये थे।

पंजाब में तेल और गैस का पता लगाने के लिए छिद्रण करना

2931. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल और गैस का पता लगाने के लिए पंजाब में छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या यह छिद्रण कार्य रूसी और रूमानिया के विशेषज्ञों द्वारा इन क्षेत्र में छिद्रण करने के लिए जोरदार सिफारिश करने पर प्रारम्भ किया गया था ;

(ग) क्या छिद्रण कार्य केवल थोड़े से समय के लिए किया गया था और बाद में छिद्रण का सारा सामान गुजरात भेज दिया गया था ;

(घ) क्या एक अमरीकी फर्म ने इस क्षेत्र में निःशुल्क छिद्रण करने का प्रस्ताव रखा है तथा यह सुझाव दिया है कि यदि वे गैस और तेल का पता लगाने में सफल हो गये तो वे अन्तर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार उसमें से कुछ भाग ले लेंगे ; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को न मानने के तथा छिद्रण के उपकरणों को पंजाब से गुजरात भेजने के क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). रूसी विशेषज्ञों के एक दल की सिफारिश पर, पंजाब में व्यधन कार्य किया गया था और 1-4-1957 को ज्वालामुखी में पहला कुआ, खोदा गया था। व्यधन कार्य, दिसम्बर 1966 तक जारी रहा। परिचालन में कुल 3 गहरी रिगें और 4 संरचनात्मक रिगें थी। इन सात रिगों में से केवल 2 संरचनात्मक रिगें गुजरात को भेजी गई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ प्रधान मंत्री की भेंट

2932. **श्री राम चंद्र वीरप्पा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में संयुक्त राष्ट्र संघ की यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति याइयाखां से भेट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) इस प्रकार की कोई भेंट नहीं हुई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Occupation of Bhutan Territory by China

2933. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has forcibly occupied a part of Bhutan ;

(b) if so, the area they have so occupied ; and

(c) the steps taken by Government of India take it back and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Chinese patrols intruded into Bhutanese territory in the western sector of the Bhutan-Tibet frontier on 1-5-1970, 17-5-1970 and 20-5-1970. When Royal Bhutanese Army patrols remonstrated, the Chinese withdrew.

Memorandum of Foreign Policy submitted to Prime Minister

2934. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the main features of the memorandum submitted by some Members of Parliament about the foreign policy to the Prime Minister ; and

(b) the action taken by Government on the proposals given therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Attention is invited to Unstarred Question No. 3454 answered in the House on 18-3-1970. No new memorandum on foreign policy has been received.

(b) The Government have on several occasions stated that relations between India and the German Democratic Republic are developing satisfactorily and that it is their desire to continue to strengthen them. As the House is aware, India and GDR recently raised the level of their representations to Consulates General.

बंगलौर एयरफोर्स ट्रेनिंग कमान के एक कर्मचारी को कदाचारों के बारे में अभ्यावेदन

2935. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें एयर फोर्स ट्रेनिंग कमान, बंगलौर के एक कर्मचारी से अभ्यावेदन मिला है जिसमें कि गैरीजन इंजीनियर, जलहाल्दी डिवीजन, बंगलौर द्वारा ठेके दिये जाने में कदाचार के बारे में शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आरोपों की कोई जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). आरोप जांच अधीन है। जांच की सम्पूर्ति पर उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

Payment of Service Gratuity to Ex-servicemen

2936. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the ex-servicemen, who fought in the years 1962 and 1965 conflicts with China and Pakistan respectively, were retired on pension without giving them service grauity ;

(b) whether Government are making any arrangements to give them service gratuity ; and

(c) if so, by what time ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Under the military pension rules the terminal award for service rendered in peace and war is either a pension or a gratuity, according to length of qualifying service. A pensioner can, however, commute a portion of pension into a lump sum.

(b) and (c). It has been recently decided to introduce a scheme of death-cum-retirement gratuity for Defence services personnel on the lines existing on civil side. In accordance with normal Government practice, the scheme will have no retrospective effect.

उड़ीसा में तालचेर उर्वरक संयन्त्र के लिए स्थानीय योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

2937. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को तालचेर उर्वरक संयंत्र में स्थानीय योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह स्थानीय योग्यता किस प्रकार की है और किस सीमा तक सरकार द्वारा उस संयंत्र में उस का उपयोग किये जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय उर्वरक निगम को स्थल कार्यालय स्थापित करने और पदों को विभिन्न श्रेणियों के लिए लोगों की भर्ती शुरू करने में कुछ महीने लगेंगे। जब वे ऐसा करने लगेंगे तब वे स्थानीय योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्तावों पर उचित विचार करेंगे।

युद्धपोतों द्वारा बन्दरगाहों से बाहर व्यतीत किया गया समय

2938. **श्री लोबो प्रभु :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे युद्धपोत पिछले वर्ष कितनी अवधि के लिए बन्दरगाहों से बाहर रहे, वह अवधि उक्त वर्ष का कितने प्रतिशत है और पाकिस्तान एवं ब्रिटिश नौसेना की अवधि के मुकाबिले में वह अवधि कम है अथवा अधिक ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

भारतीय पनडुब्बी एस्टेबलिशमेंट में रूसी तकनीशियन

2939. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रति रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे पनडुब्बी एस्टेबलिशमैंट में कितने रूसी तकनीशियन हैं ; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं कि वे हमारी नौसेना के बारे में जानकारी प्राप्त न कर सकें ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) पनडुब्बी स्थापना में कोई भी यू० एस० एस० आर० का तकनीकी सेवा रत नहीं है । तथापि कुछ विशेषज्ञों को ऐसे मामले में ध्यान देने के लिए उपलब्ध किया गया है जो गारंटी अवधि के दौरान उठेंगे ।

(ख) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं कि विदेशी तकनीशियनों/विशेषज्ञों को केवल संबंधित सूचना ही उपलब्ध कराई जाय ।

नौसेना में विभिन्न प्रकार के पोतों की संख्या

2940. **श्री लोबो प्रभु** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा पहले से प्रकाशित सामग्री के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान की नौसेना के पास विभिन्न युद्ध पोत कितनी कितनी संख्या में हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि कि सदस्य महोदय का संकेत किन प्रकाशनों की ओर है, सूचना दे पाना संभव नहीं है ।

द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणाम-स्वरूप वेतन निर्धारण में विलम्ब

2941. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के कुछ मामले ऐसे हैं जिनके वेतनों का निर्धारण द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों तथा निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय के 16-3-1961 के ज्ञापन संख्या 18/13/59 डब्लू० सी० ई० के अनुसार किया जाना पिछले 9 वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है ;

(ख) क्या वेतनों का निर्धारण, लेखा परीक्षा द्वारा उठाई गई इस तकनीकी आपत्ती को गलती से सरकारी अधिकारियों द्वारा 'उत्तम बजार मूल्य प्रमाण पत्र' न लाने के कारण नहीं किया जा सका ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

18 पंजाब रेजीमेंट की बटालियन निधि का इकट्ठा करना

2942. **श्री सूरज भान :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 पंजाब रेजीमेंट की बटालियन निधि इकट्ठा करने के बारे में 25 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटालियन निधि के साथ स्टेशन कमांडर के आदेश से गुरूद्वारा और मन्दिर निधियों का भी सार्वजनिक अथवा अन्य किसी लेखा परीक्षक बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें बटालियन निधि में क्यों शामिल किया गया है, जिनकी कि लेखा परीक्षा की जाती है ;

(ग) शेष सेना में क्या ढंग अपनाया जाता है ; और

(घ) क्या 18 पंजाब रेजीमेंट द्वारा बरती जाने वाली पद्धति शेष सेना के समान नहीं है, इसके क्या कारण हैं तथा इस गम्भीर अनियमितता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) से (घ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

18 पंजाब रेजीमेंट के लिए बटालियन निधि में योगदान

2943. **श्री सूरज भान :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 18 पंजाब रेजीमेंट के लिए बटालियन निधि इकट्ठा करने के संबंध में 25 फरवरी, के 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 553 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1964 से दिसम्बर, 1967 तक प्रत्येक स्रोत से वर्ष-वार अंशदान की राशि अलग-अलग क्या है ;

(ख) जनवरी 1968 से सितम्बर, 1969 तक प्रत्येक स्रोत से अंशदान को अलग-अलग राशि क्या है ;

(ग) अक्टूबर, 1969 से अक्टूबर, 1970 तक प्रत्येक स्रोत से अंशदान की राशि अलग-अलग क्या है ;

(घ) यदि इस सारी अवधि के दौरान स्रोतों में कोई परिवर्तन न होते हुए भी अक्टूबर 1969 के पश्चात के आंकड़े मई, 1964 से दिसम्बर 1967 तक के आंकड़ों की तुलना में बहुत भिन्न है तो इस बहुत अधिक अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र जांच अथवा सी० बी० आई० द्वारा जांच कराएगी ; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्रसिंह महीडा) : (क) से (ङ). आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को हानि

2944. **श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय** विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन को अपने प्रारम्भ अर्थात् 1960 से हानियां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त हानियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाये जाने का विचार है और अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री परिमल घोष) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). निगम द्वारा उठाई गई हानि के प्रश्न की जांच तथा उसके कार्य करने में सुधार लाने के उपायों का सुझाव देने के लिए, निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में सरकार ने 1968 में एक समिति का गठन किया था, जिसमें ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइज के (वित्त) और (निर्माण) सलाहकार, सदस्यों के रूप में थे। समिति के अनुसार निगम को हुई हानि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :--

(i) निगम द्वारा सरकार को ऋण दायित्व भारी ब्याज प्रभार।

(i) मूल लागत और क्षेत्रीय ऊपरी व्यय में वृद्धि।

(iii) टेन्डर देने का गलत तरीका, जिसके परिणामस्वरूप टेन्डर की दरों से प्राप्त अदायगी से वास्तविक व्यय अधिक।

(iv) निर्माण कार्य की प्रगति और पूरे होने में विलम्ब।

(v) संस्थात्मक रचना और कम्पनी के निर्माण उपकरणों के अनुरूप उत्पादन (कार्य) न होना।

(vi) कार्य के निष्पादन के दौरान प्रत्येक कार्य के लाभ के निर्धारण तथा लागत नियंत्रण की कमी।

(ii) भवन सामग्री और मजदूरों के उपयोग में पर्याप्त नियंत्रण में कमी।

(viii) ऊंचे ऊपरी व्यय।

(ix) ईंटों के भट्टे के कार्य करने में दोष।

इन दोषों को दूर करने के लिए समिति ने निम्न उपायों की सिफारिश की थी :—

(i) निगम के सरकार के प्रति ऋण दायित्व को 1 करोड़ रुपये की सीमा तक

को साम्य-पूंजी (इकट्ठी केपीटल) में बदलना । निगम के ऋण दायित्व में से 55.00 लाख रुपये की राशि सरकार द्वारा साम्य पूंजी में पहले ही परिवर्तित की जा चुकी है ।

(ii) उपयोग में लाई जाने वाली भवन सामग्री तथा नियोजित मजदूरों पर बेहतर नियंत्रण तथा क्षेत्रीय एककों पर कड़ा नियंत्रण । निगम ने इस संबंध में कार्यवाही की है ।

(iii) टेन्डर देने के ढंग में सुधार । निगम ने मुख्य कार्यालय में एक तकनीकी परीक्षा कक्ष बनाया है तथा टेन्डर देने के लिए वैज्ञानिक और अच्छा ढंग निकाला है ।

(iv) निर्माण कार्य का तीव्र गति से और कुशलता से निष्पादन । निगम इसे सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

(v) कार्य में वृद्धि लाने के प्रयत्न । जहां तक संभव हो, सरकार की सहायता से निगम ने अपने कार्य बढ़ाने के सभी उपाय किये हैं ।

(vi) आयोजना, मजदूरों की आवश्यकताओं के कार्यक्रम बनाना तथा उन्हें चरणों में करने में निर्माण-सामग्री को प्राप्त करना तथा कार्यों के निष्पादन में सुधार । निगम इस विषय में भी आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

(vii) ऊपरी प्रभारों में कमी के प्रयत्न । निगम स्टाफ की स्थिति का समय-समय पर अवलोकन करने की कार्यवाही कर रहा है, फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है तथा अयोग्य अधिकारियों को हटाया जा रहा है ।

(viii) ईंटों के प्लांट के कार्य को सुधारने के कदम । निगम द्वारा, मिट्टी के सम्मिश्रण में और ईंटों के बनाने तथा सुखाने में सुधार करने के लिए कदम उठाये गए हैं । तेल से जलने वाली भट्टियां लगाई जा चुकी हैं और ईंटों को सुखाने की प्रक्रिया की गति में सुधार करने के लिए सुखाने वाले कृत्रिम यंत्र लगाये गए हैं । इसके अतिरिक्त मजदूर संघ से उत्पादन में सुधार के लिए विचार-विमर्श किया गया है ।

चालू वर्ष के दौरान निगम, टेन्डरों के आधार पर तथा बातचीत आदि द्वारा पर्याप्त कार्य-आदेश प्राप्त करने में सफल हुआ है । आशा है कि वार्षिक उत्पादन बढ़ेगा और फलस्वरूप प्रतिशतता और स्थिर ऊपरी खर्चों में उसके अनुरूप कमी होगी । समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने से, निगम अपने कार्य में पर्याप्त सुधार करने की आशा रखती है ।

चमड़े तथा खालों के आयात के अधिक राशि के बीजक बनाना

2945. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री संत प्रकाश साहनी तथा उनके सहयोगियों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्हें बेकार चमड़े तथा खालों का आयात करने तथा उनके अधिक राशि के बीजक बनाने के कारण केन्द्रीय

जांच ब्यूरो के कहने से गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में धोखाधड़ी की कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है ;

(ख) दिल्ली तथा मद्रास के उन व्यापारियों के क्या नाम हैं जो इसी प्रकार के अपराधों में अन्तर्ग्रस्त हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) ऐसे अपराध इतनी सरलता से हो जाने के क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस प्रकार के धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) केवल श्री संत प्रकाश साहनी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में कचहरी के आदेश से जमानत पर छोड़ दिया गया था। एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें श्री सन्त प्रकाश साहनी तथा उसके उन सहयोगियों के नाम और पते दिये हुए हैं जिनपर आयातित खालों तथा चमड़े के अधिक राशि के बीजक बनाने के आरोप में मुकदमा चल रहा है। इस कथित अपराध के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की जो हानि हुई वह लगभग 39,63,300 रुपये के बराबर है।[**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—4456/70]।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा गया है जिसमें ऐसे व्यक्तियों के नाम और पते दिये गए हैं जिनपर ऐसे ही कथित अपराधों पर अब तक मुकदमें चलाए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी०—4456/70]

(ग) आयात तथा निर्यात में अधिक और कम राशि के बीजक बनाना एक अनाचार है जो बेईमान लोग करते हैं। सरकार ने, ऐसे अनाचारों को रोकने के लिए समय पर कदम उठाये हैं। निर्यात संवर्धन के लिए आयात नीति को समुचित रूप से संशोधित किया गया हैं ताकि निर्यातक को निर्यातित उत्पाद में आयातित अंश की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित मात्रा तक ही आयात लाइसेंस मिल सके। आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में भी ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अन्तर्गत आयात-निर्यात का मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात के गलत मूल्य बताने वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही कर सकता है। सरकार ने अधिक तथा कम राशि के बीजक बनाने के कारणों पर विचार करने के लिए और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए हाल ही में, एक अन्तर-विभागीय समिति नियुक्त की है।

State Governments Floating Lotteries

2946. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the State Governments which are floating lotteries at present ; and

(b) the net proceeds from the sale of lottery tickets to the various State Governments, State-wise, during the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) All State Governments, except Andhra Pradesh, Gujarat, Nagaland and Meghalaya, are conducting State lotteries.

(b) A statement furnishing the required information is attached.

STATEMENT

S. No.	Name of State	Net income during 1969-70 (Figures in lakhs)
1.	Assam	6.98
2.	Bihar	20.12
3.	Haryana	139.00
4.	Jammu and Kashmir	36.05
5.	Kerala	162.75
6.	Madhya Pradesh	30.00
7.	Maharashtra	444.00
8.	Mysore	90.62
9.	Orissa	1.87
10.	Punjab	214.00
11.	Rajasthan	30.37
12.	Tamilnadu	321.57
13.	Uttar Pradesh	109.16
14.	West Bengal	45.27

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डाकुओं द्वारा हत्यायें और अपहरण

2947. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में जनवरी, 1970 में डाकुओं द्वारा राज्यवार कितने व्यक्तियों की हत्या की गई तथा कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया ;

(ख) जनवरी, 1970 से किन-किन राजपथों पर डकैती तथा राहजनी की कितनी-कितनी घटनाएं हुयीं ;

(ग) डाकुओं के उपद्रवों को रोकने के लिए तथा राजपथों पर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि राज्य पुलिस डाकुओं के साथ मिली हुई है और सैनिक अपनी बन्दूकें और कारतूस डाकुओं को बेच देते हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो डाकू अपनी बन्दूकें और कारतूस, जोकि उनके पास बड़ी मात्रा में हैं, किस स्रोत से प्राप्त करते हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है। प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से आये विदेशी पठानों तथा काबुलीवालों द्वारा महाजनी व्यवसाय

2948. श्री बाबूराव पटेल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से आये विदेशी पठानों तथा काबुलीवालों की संख्या क्या है तथा क्या वे भारत द्वारा जारी किये गये वैध वीजा के आधार पर यहां रह रहे हैं और भारत के विभिन्न नगरों में उनकी संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) इन विदेशियों का व्यापार तथा व्यवसाय क्या है तथा क्या उनके व्यवसायों के लिए स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें लाइसेंस प्रदान कर रखे है ;

(ख) इनमें से कितने विदेशी महाजनी व्यवसाय करते हैं तथा ऐसे व्यवहार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) इन विदेशियों को देश से बाहर न निकाल देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Political Parties having their Volunteer and Front Organisation

2949. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of the political parties, at present, which have their own volunteer organisations and other front Organisations ;

(b) the approximate membership of these volunteer organisations and the names of political parties to which each of them is attached :

(c) whether Government have studied the codes of conduct and the constitutions of various parties ; and

(d) the reaction of Government in regard to the constitution of various political parties ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Information regarding Senas and Volunteer Organisations of various political parties, their strength, etc., was furnished in answer to the Lok Sabha Unstarred Question No. 7575 dated April 25, 1969. Uptodate information is being collected from the State Governments.

(c) Government have seen Constitutions of the political parties, wherever they have been published.

(d) Government are not called upon to make any comments on the Constitution of political parties.

विद्युत-कर के प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका के बीच विचार

2951. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका को सामूहिक विद्युत सप्लाई पर लगाये गए विद्युत-कर के प्रश्न पर दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका के बीच विवाद अभी तक समाप्त नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस मामले को न्याय निर्णयार्थ सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 150 के साथ पठित धारा 113(2)(घ) के सम्बन्धों के अन्तर्गत 1-7-1959 से विद्युत कर लगाया। नई दिल्ली नगर पालिका से कर 1 पैसा प्रति किलो वाट हार्स पावर पर वसूल किया जाता था। उनको अधिकांश बिजली प्रदान करने के कारण 1-4-1966 से यह बढ़ाकर 2 पैसे प्रति किलो वाट हार्स पावर किया गया। नई दिल्ली नगर पालिका ने इस वसूली का विरोध इस आधार पर किया कि निगम कथित अधिनियम की धारा 284 और 285 के अन्तर्गत नई दिल्ली नगर पालिका को अधिकांश बिजली प्रदान करने के लिए बाध्य है। उनके अनुसार दिल्ली नगर निगम केवल उन्हीं क्षेत्रों में जो उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं कोई भी कर लगा सकते हैं।

(ग) और (घ). दोनों ही स्थानीय निकायों ने संकल्प पारित किए हैं कि यह मामला पंचनिर्णय के लिए उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को सौंपा जाये। मामले पर आगे विचार किया जा रहा है।

सरीसृप-खाल का निर्यात

2952. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त इस आशय के दृष्टिकोण को देखते हुए सरीसृप-खाल के निर्यात को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी नीति का पुनर्विलोकन करने का है कि सर्पों, छिपकलियों तथा मगरमच्छों की संख्या में निरन्तर कमी होने से हानिकारक परिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय चर्म अनुसन्धान संस्थान ने अच्छी किस्म की खालों के निर्यात के लिये

इनकी नियमित सप्लाई के लिये तथा साथ ही किसी भी परिस्थितिक संकट से बचे रहने के लिये, सर्पों आदि को पालने हेतु विशेष फार्मों की स्थापना के लिये सुझाव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). वन्य-जीव सम्बन्धी भारतीय बोर्ड ने जुलाई, 1969 में बुलाई गई अपनी बैठक में यह विचार प्रकट किया है कि अन्य-जीवों की जातियों की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है अतः वर्तमान नीड़ को ही जारी रखा जाए ।

(ग) तथा (घ). चर्म तथा चर्म उत्पादों की निर्यात सम्भाव्यता के सम्बन्ध में राजनीति व अर्थशास्त्र के गोखले संस्थान तथा केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिश की गई हैं :

"सर्पों, छिपकलियों, मगरमच्छों और फर वाले जानवरों की संख्या में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान द्वारा फार्मों की स्थापना के लिये पहल की जानी चाहिए । हमें, वर्ष 1973-74 तक उत्पादन में 40 प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ।"

मई, 1970 में बुलाई गई अन्तः मंत्रालय बैठकों में उपरोक्त सिफारिश पर विचार किया गया था जिसके परिणामस्वरूप खाद्य व कृषि मंत्रालय तथा केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान, मद्रास, ऐसी परियोजनाओं की स्थापना की सम्भाव्यता पर और आगे विचार कर रहे हैं ।

चंकापुर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के कारण कृषि भूमि का अर्जन

2953. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में चंकापुर बांध की ऊंचाई बढ़ाई जा रही है और जिसके लिए छोटे आदिवासी किसानों की कृषि-भूमि ले ली गई है ;

(ख) क्या उन्हें इस बात का भी पता है कि इन निर्धन किसानों को अभी तक कोई नकद मुआवजा या बदले में भूमि नहीं दी गई हैं, हालांकि इसके लिए सर्वेक्षण तीन वर्ष पूर्व किया गया था और गत एक वर्ष से उस पर काम भी शुरू हो गया है ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) ; (क) से (ग). जानकारी राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत कारपेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस देना

2954. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री भारत कारपेट्स लिमिटेड को आयात लाइसेंस दिये जाने के बारे में 2 सितम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4924 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है तथा सभा-पटल पर रख दी दी जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी विभिन्न स्रोतों से एकत्रित की गई है और तैयार की जा रही है। इसे शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार उद्योग मंडल संघ द्वारा आठ देशों में पंच फैसला करने वाली संस्थाओं के साथ करार

2955. **श्री देविंदर सिंह गार्चा** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा व्यापार उद्योग मंडल संघ ने आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पन्न होने वाली विवादों का पंच फैसला कराने की सुविधा प्रदान करने के लिए आठ देशों में पंच फैसला करने वाली संस्थाओं से करार किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन करारों में शामिल ऐसी विदेशी संस्थाओं के नाम क्या हैं ; और

(घ) उक्त करारों सम्बन्धी प्रमुख बातें क्या हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चोधरी राम सेवक) : (क) जी हां, जहां तक भारत तथा केवल आठ सम्बन्धित देशों के बीच व्यापार में उत्पन्न होने वाले वाणिज्यिक विवादों के पंच फैसले का सम्बन्ध है।

(ख) और (घ). ये नये करार नहीं है अपितु संघ द्वारा समय समय पर तय किये गये थे। आठ करारो की प्रतियां (अंग्रेजी में) संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—4457/70]

मिजो पहाड़ियों के संरक्षित प्रगतिशील गांवों का बड़े एककों में पुनर्गठन

2956. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में असम के मिजो पहाड़ी जिले में संरक्षित प्रगतिशील गांवों का विशेष रूप से जो कि पूर्वी पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर स्थित हैं, बड़े एककों में पुनर्गठन करने की कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है तथा इससे कितने गांव प्रभावित होंगे ; और

(ग) उक्त योजना सम्भवतः कब तक पूरी तरह तैयार हो जायेगी, लागू कर दी जायेगी तथा पूरी हो जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में असम सरकार के परामर्श से एक योजना बनाई जा रही है।

दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम के रूप में पुनर्गठित करना

2957. **श्री इसहाक सम्भली :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम के रूप में पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ? और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई एक सिफारिश दिल्ली परिवहन उपक्रम के स्थान पर स्वायत संविधिक निकाय बनाने की है और अन्य सिफारिशों के साथ-साथ उस पर विचार किया जा रहा है ।

बेरोजगार इंजीनियरों का पूल

2958. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार इंजीनियरों का एक पूल बनाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत उन्हें जब तक पूर्ण रोजगार न मिल जाय, तब तक कुछ मासिक वेतन मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Accumlation of Tobacco Stocks in India

2959. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether huge stock of tobacco has accumulated in the godowns in many states in the country ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to dispose it of ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) There is a small quantity of low grade tobacco stocks lying unsold in the country.

(b) The State Trading Corporation who has already liquidated some quantities from the old stocks has been asked to locate additional markets for export through barter deals.

भारतीय इमारती सामान का निर्यात

2960. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय इमारती सामान का निर्यात हो रहा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या इसका निर्यात गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा किया जाता है अथवा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा ; और

(ग) क्या भारतीय इमारती सामान के लिए विदेशी मंडियों का पता लगाने के लिए प्रयत्न किये गये है ; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। एक विवरण संलग्न है।

(ख) इमारती सामान का निर्यात गैर-सरकारी पार्टियों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भी किया जाता है। किन्तु, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, निर्माण क्षेत्र में केवल ठेके ही लेती है और यह किसी भी इमारती सामान का विदेशों को निर्यात नहीं करती।

(ग) इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद, व्यापार प्रतिनिधिमंडलों, विक्रय तथा अध्ययन दलों को इन्जीनियरी सामान, जिसमें इमारती सामान भी शामिल है, के बाजार ढूंढने के लिए विदेशों में भेजती है। खोज के परिणाम भारतीय निर्यातकों को भेजे जाते हैं।

विवरण

निर्यातित मदें	मूल्य लाख रु० 1967-68	1968-69	1969-70
*इमारती लोहे का सामान	23.32	40.26	45.88
*ढलवां लोहे के पाइप तथा फिटिंग्स	131.87	132.60	128.92
*इस्पात के पाइप, ट्यूबें तथा फिटिंग्स	487.59	1069.44	1125.88
*स्वच्छा सम्बन्धी सामान	13.70	33.69	28.83
*नल का सामान	19.61	25.61	61.41
†इस्पात की छड़े तथा सरिये	1823.06	1831.86	2461.02
†स्टील स्ट्रक्चरल्स	982.30	1941.68	1725.89
††सीमेंट (सफेद तथा भूरा)	57.00	226.00	166.50
स्टील स्ट्रक्चरल्स फेब्रीकेटिड	24.82	69.69	166.00

स्रोत :—इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद्

†इस्पात निर्यातकों की संस्था

††वाणिज्यिक संख्यिकी तथा संसूचना के महा-निदेशक।

टिप्पण : विवरण में उद्धृत मदों के कुल निर्यात दिये गये हैं। परन्तु विशेष अन्तिम प्रयोग के लिए अलग आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। अतः केवल निर्माण में प्रयोग होने वाले माल के वास्तविक निर्यात आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत का आर्थिक सहयोग

2961. श्री धी० ना० देव : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु हाल ही में एक सरकारी दल ने कतिपय पूर्व यूरोपीय देशों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा दल के दौरे का क्या परिणाम निकला और आर्थिक विकास बढ़ाने के बारे में पूर्व यूरोपीय देशों का कोई अध्ययन किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). विदेशी व्यापार उप-मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल अक्तूबर, 1970 में बुल्गारिया तथा पोलैंड गया था और उसने वर्ष 19 1 के लिए वार्षिक संलेख सम्पन्न किये जिनमें अधिकाधिक द्विपक्षीय व्यापार की परिकल्पना की गई है।

1971-72 की अवधि के लिए नये दीर्घावधि व्यापार तथा भुगतान करार सम्पन्न करने हेतु अधिकारियों का एक दल प्रारम्भिक चर्चा के लिए हंगरी तथा रूमानिया गया। इन करारों को अन्तिम रूप देकर इन पर हस्ताक्षर करने के लिए विदेशी व्यापार मन्त्री के नेतृत्व में एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल कुछ समय बाद हंगरी तथा रूमानिया जायेगा।

निर्माताओं द्वारा न्यूनतम मूल्य पर रबड़ की खरीद

2962. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर रबड़ खरीदने मे निर्माताओं द्वारा कुछ अनिच्छा व्यक्त की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) निर्माताओं द्वारा कम खरीद होने के कारण उत्पादकों के पास भण्डार जमा होने के विषय में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) तथा (ग). राज्य व्यापार निगम, रबड़ बाजार में पहले से ही प्रवेश कर चुका है और ऐसे उत्पादकों को तैयार बाजार उपलब्ध कराने के लिए रबड़ खरीदना प्रारम्भ कर दिया है।

भूमिगत परमाणु परीक्षण

2963. श्री चेंगलराया नायडू :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में लुसाका में इस आशय का वक्तव्य दिया है जैसेकि समाचार प्रकाशित हुए हैं, कि भारत भूमिगत परमाणु परीक्षण करेगा ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चा माल बैंक

2964. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चा माल बैंक आरम्भ करने का इस बीच निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की सप्लाई से सम्बन्धित व्यवस्था का ब्यौरा क्या है तथा छोटे क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). आयातित माल की प्राप्ति के लिये और लघु तथा विशाल दोनों क्षेत्रों के वास्तविक प्रयोक्ताओं को उसका वितरण करने के लिये कुशल व्यवस्था करने हेतु राज्य व्यापार निगम में एक औद्योगिक कच्चा माल सहायता केन्द्र स्थापित किया गया है । वास्तविक प्रयोक्ता तथा पंजीकृत निर्यातक अपने वैध आयात लाइसेंसों के आधार पर आयातित कच्चा माल मौजूदा स्टाक में से प्राप्त कर सकेंगे । औजार बनाने के तथा मिश्रित इस्पात की 261 मी० टन की पहली खेप वितरण के लिये केन्द्र के पास पहुंच चुकी है ।

कावेरी जल-विवाद

2965. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने कावेरी जल-विवाद को न्यायाधिकरण को सौंपने के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार तथा तमिलनाडु सरकार के रवैये पर बड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मैसूर के मुख्य मन्त्री ने गत छः महीनों के दौरान इस विषय पर प्रधान मन्त्री को कोई पत्र लिखा है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). मैसूर और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों तथा केरल के सार्वजनिक निर्माण तथा पर्यटन मन्त्री के बीच

27 अक्तूबर, 1970 को हुई बैठक में विभिन्न पक्षों की विचारधाराओं का सामंजस्य करना संभव नहीं पाया गया ।

इस बैठक के पश्चात् मैसूर के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री को लिखा जिसमें मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तावित हेमावती, हारंगी और काबिनी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिये आग्रह किया गया है ।

कावेरी जल-विवाद के संबंध में ली जाने वाली अग्रेतर कार्यवाही के बारे में भारत सरकार विचार कर रही है ।

Pension to Ex-Andaman Political Prisoners

2966. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of applications received so far the grant of pension from the political prisoners, who were imprisoned for more than four years in the Cellular Jail, Port Blair, Andaman Island ;

(b) the number of prisoners out of them who have been granted pension, with their names ; and

(c) the reasons for not granting pension to the rest of the prisoners and the time by which Government propose to grant pension to them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). A not giving the salient features of the scheme for the grant of pension to the ex-Andaman Political prisoners formulated by the Government of India is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4458/70].

2. Of the 229 applications received so far, pension has been sanctioned in 173 cases as per list attached. [*Placed in Library. See* No. LT-4458/70]. In 12 cases the freedom fighters did not fall in the category of cases approved under the scheme. The remaining 44 cases are being processed in consulation with the State Governments concerned.

भिवंडी में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच

2967. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री भिवंडी में हुए साम्प्रदायिक दंगों की न्यायिक जांच के बारे में 31 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 908 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त उपद्रवों के बारे में न्यायिक जांच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) क्या सरकार को जांच-प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की क्या उपपत्तियां हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ; श्रीमान् । जांच पड़ताल हो रही है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

Study Paper "Full Employment" by Prof. Subramaniam Swami

2968. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the Study Paper by Prof. Subramaniam Swami on "Full Employment" ; and

(b) if so, the main recommendations contained therein, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken thereon ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). A statement is attached.

STATEMENT

The main suggestion in the Study Paper is that the objective of full employment by 1980 should receive toppriority in planning for which the Plans should aim at a ten per cent rate of growth per annum. It has been suggested that there should be a swadeshi plan of Rs. 29000 crores investment with emphasis on minor irrigation, rural works programme, small industries and nuclear weapons. Various measures such as raising of import duty, agricultural income tax, consumption tax, reduction in Government expenditure, efficiency in tax collection etc. have been suggested to raise resources of the order required for financing a plan of this magnitude, without any foreign aid.

The high growth rates suggested to achieve full employment are certainly desirable ; but a blueprint for growth has to be based on a realistic assessment of possibilities and constraints, which is what the Fourth Five Year Plan (1969-74) has attempted to do.

Cooperative Cotton Mills in Burhanpur, Ujjain and Jabalpur

2969. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the **Minister of Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government had under consideration a proposal to open the Cooperative Cotton Mills in Burhanpur, Ujjain and Jabalpur ;

(b) whether the Madhya Pradesh Government now propose to set up a Cotton Mill at Burhanpur only and have shelved the proposal to set up such mills at the other two places ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). In 1963, the State Government of Madhya Pradesh had recommended an application for setting up of a cooperative cotton spinning mill at Burhanpur. A licence was issued for the above purpose early in 1964. That mill went into production in Nov. '69. In 1965 two more applications for setting up of new cooperative cotton spinning mills at Ujjain and Jabalpur were recommended by the State Government. Those two projects required a large amount of financial assistance and the State Government could not make necessary provisions in the State's Third Plan for those projects. The applications were, therefore, rejected in March, 1965.

Schemes by Employment Bureau to Solve Unemployment Problem

2970. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Employment Bureau under the Cabinet Secretariat

has finalised and implemented certain schemes to solve the problem of unemployment ; and

(b) if so, the details thereof and the steps likely to be taken by Government in this regard.

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Various Ministries of the Government of India are responsible for formulating measures for tackling the unemployment problem. A brief statement regarding the several employment oriented schemes now under consideration or implementation is attached. The Employment and Manpower Cell in the Cabinet Secretariat coordinates and expedites the implementation of such schemes.

STATEMENT

Government are taking urgent steps to generate employment opportunities in both the rural and urban areas ; the details of the various programmes being undertaken in the different development sectors have been spelt out in the Fourth Five Year Plan 1969-74 document, and the memorandum entitled "Towards Growth with Social Justice" presented along with the budget for the year 1970-71. The Fourth Plan lays considerable emphasis on labour intensive schemes such as roads, minor irrigation, soil conservation, rural electrification, village and small scale industies, housing and urban development. The Planning Commission has also suggested the necessity of giving greater employment-orientation to the programmes to be undertaken under the Fourth Five Year Plan to the Central Ministries, State Governments and Union Territories. Special emphasis is being laid on the promotion of medium and small scale industries and a scheme for providing technical and managerial know-how as well as necessary credit through the State Bank of India, Nationalised Banks, and other institutions like the National Small Industries Corporation to technically qualified persons to come forward as entrepreneurs is being implemented. Emphasis is also being laid on the adoption of appropriate labour intensive technology with due regard to efficiency and economy. The problem of marketing the produce of small scale industries is also being looked into.

2. A Conference of Chief Secretaries of all States and Union Territories was held in June 1970 where the various special schemes such as the small farmers' agencies and rural works programmes (including schemes for chronically drought affected areas) were discussed with the State Governments/Union Territories to ascertain their views and difficulties in implementing these schemes. In order to ensure necessary coordination in respect of schemes for rural development and employment a Central Committee for Coordination of rural development and employment has been constituted. A suggestion to set up employment cells which would coordinate the effort at the State level is also under examination in the States.

3. It is also proposed to take necessary steps for strengthening career advising and vocational guidance in Universities and schools as also to introduce such services wherever they do not exist at present. Simultaneously, a programme of training-in-industry and reorientation of existing training programmes with a view to making the persons, particularly, engineers and craftsmen, better equipped for self-employment and employment has also been taken in hand.

4. As some immediate steps have to be taken to expand employment opportunities, a special scheme for providing employment in rural areas is also under consideration.

5. Government are thus making all possible efforts to augment the employment opportunities in rural and urban areas.

चोरी-छिपे लाये गये टेलीविजन सेटों की सस्ते दामों पर बिक्री

2971. **श्री वेंगलराया नायडू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में निर्मित टेलीविजन सेट विदेशों से आयातित सेटों से महंगे हैं ;

(ख) क्या विदेशों में टेलीविजन सेटों को चोरी-छिपे लाया जा रहा है तथा देश में उन्हें सस्ते दामों पर बेचा जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो निर्माताओं को सस्ते दामों के टेलीविजन सेटों का निर्माण करने को कहने तथा विदेशों से टेलीविजन के तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत में निर्मित टेलीविजन रिसीवर विदेशों में उपलब्ध रिसीवरों से महंगे हैं, तथापि सीमा-शुल्क आदि देने के पश्चात आयातित रिसीवरों का मूल्य भी वही होता है जो भारत में निर्मित रिसीवरों का होता है ।

(ख) देश में टेलीविजन रिसीवरों को तस्करी से लाए जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) टेलीविजन रिसीवरों की कीमत नीचे लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण पग इस प्रकार हैं :

(i) प्रत्येक यूनिट में किफायत-मात्रा में अधिक संख्या में रिसीवरों की निर्माण व्यवस्था करना ;

(ii) छोटे-स्क्रीनों वाले ट्रांजिस्ट्राइज्ड रिसीवरों की उत्पादन व्यवस्था करना ;

(iii) इलेक्ट्रानिक उपकरणों की कीमतों में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर किफायत-उत्पादन व्यवस्था करना, क्योंकि टेलीविजन रिसीवरों की कीमत में इन उपकरणों की कीमत का अंश काफी बड़ा है ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के चेयरमैन का विदेशी दौरा

2972. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री ए० एम० तारिक द्वारा भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के चेयरमैन बनने के बाद से विदेशों के कुल कितने दौरे किये गये ;

(ख) उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया तथा प्रत्येक दौरे की अवधि क्या है तथा इन दौरों की तिथियां क्या हैं ;

(ग) यात्रा की लागत सहित इन दौरों में से प्रत्येक दौरे पर कुल कितनी धन राशि खर्च की गई ;

(घ) इन दौरों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ; और

(ङ) क्या सरकार को विश्वास है कि श्री तारिक के ये सभी दौरे न्याय संगत थे ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). जानकारी देने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है ।

(ङ) जी हां । भारतीय चलचित्र निर्यात निगम के अध्यक्ष द्वारा ये विदेशी दौरे फिल्मों के निर्यात संवर्धन के लाभार्थ किये गये थे ।

विवरण

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, बम्बई के अध्यक्ष श्री ए० एन० तारिक के अध्यक्ष बनने के बाद विदेशों के दौरे दर्शाने वाला विवरण ।

देशों का दौरा किया	ठहरने की अवधि	दौरे का प्रयोजन	प्रत्येक दौरे पर खर्च हुई कुल राशि		योग
			भारतीय मुद्रा	विदेशी मुद्रा	
1. ईरान	17.10.69 से 22.10.69	भारतीय फिल्मों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाने के लिए ।	3572.00	1809.00	5381.00
2. श्रीलंका	6.7.70 से 10.7.70	—वही—	1744.03	1642.00	3386.03
3. सिंगापुर	3.8.70 से 14.8.70	भारतीय फिल्मों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाने तथा वितरण प्रबंध करने के लिए ।	3837.58	1677.00	5414.58
मारीशस, मैडागास्कर, तंजानिया, कीनिया तथा अदन	2[illegible].8.70 से 31.8.70	भारतीय फिल्मों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाने ।	12346.82	3964.00	16310.82
5. टर्की, लन्दन, इराक तथा तेहरान	18.9.70 से 24.10.90	भारतीय फिल्मों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाने तथा इजमीर मेले में भाग लेने के लिए ।	9032.00	5785.00	14817.00

भारत-युगोस्लाविया के बीच रुपये में भुगतान सम्बन्धी व्यवस्था में परिवर्तन

2973. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युगोस्लाविया व्यापार में रुपये में भुगतान व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये दबाव डाल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ।

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) दोनों सरकारों द्वारा मामले पर विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

2975. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अधीन उनके समकक्ष पदों पर नियुक्त किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विस्तृत नियम क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थी सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अधीन उनके समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए इस समय कोई अनुदेश लागू नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिक निधि के लिये अनुरोध

2976. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज सहायता, अनुदान और शेयरों के रूप में निधि के भुगतान के लिये दिल्ली नगर निगम से गत 6 महीनों में सरकार को प्राप्त पत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जून, 1970 से नवम्बर, 1970 तक धन के लिए सरकार को दिल्ली नगर निगम ने जो पत्र भेजे थे उनके ब्यौरे तथा उनको दिये गये धन के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया ।देखिये । संख्या एल० टी०—4459/70] यह ब्यौरा दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना पर आधारित है। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

Disputes between States in Regard to Sale of Lottery Tickets

2977. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri D. Amat : Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether disputes have arisen among the various States in regard to the sale of lottery tickets ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by the Central Government to resolve such disputes ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). There is no dispute among States on the sale of lottery tickets. However, following the judgement of the Bombay High Court, the Governments of Maharashtra and Gujarat have banned the sale of lottery tickets of other States on the ground that the lotteries organised by other States are not properly authorised.

(c) The Government of India are considering requests from some States for the grant of formal authorisation for the conduct of State lottery.

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा "लैसर" का आविष्कार

2978. **श्री धी० ना० देव : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने हाल ही में "लैसर" नामक एक उपकरण का आविष्कार किया है ; और

(ख) उक्त उपकरण का ब्यौरा क्या है, इसे किस कार्य के लिये उपयोग में लाया जायेगा और राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला ने किस लागत पर इस का आविष्कार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने निम्नलिखित का विकास किया है :—

(i) हीलियम-निय्रान (ही० नि०) गैर-लैसर किरणें जो 5 मिलीवाट प्रकाश शक्ति प्रदान करती है।

(ii) 1 मिलीवाट शक्ति से कम का वहनीय हीलियम-निय्रान लैसर किरणों का आदि प्ररूप जिनका अभी क्षेत्रीय परीक्षण चल रहा है।

(iii) एक पल्सड आर्गन-आयन लैसर किरण जो अभी परीक्षण स्तर पर है।

(ख) लैसर तीव्र कला संबद्ध विकीरण का एक शक्तिशाली श्रोत है और इसके अनेकों वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रयोग है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में बनी हीलियम-निय्रान और आर्गन-आयन लैसर किरण क्रमशः बड़ी ऊंची कालिक (वेवलैन्थ शुद्धता) और आकाशीय (दिशा-बद्ध) संबद्धता की लाल और हरी-नीली किरण पंजों का विकीरण करती है। एन० पी० एल० (ही० नि०) लैसर की संबद्ध विकीरण लम्बाई 3 मीटर से अधिक है और उसका प्रकाशिय अप-सरण 2 मिली त्रिज्या या 1/8 डिग्री का है।

ये लैसर किरणें विशेषकर विज्ञान, इन्जीनियरिंग, होलोग्राफी, वेल्डिंग, ड्रिलिंग आदि में यथार्थमापी नापतोलों के लिये उपयुक्त हैं।

इनको विकसित करने का अनुमानित मूल्य अभी तक दो लाख रुपये आँका गया है। इनमें सहायक उपस्करों का मूल्य भी शामिल है।

राज्य लाटरियों में बड़ी राशि के पुरस्कारों के स्थान पर कम राशि के पुरस्कार देना

2979. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री अदिचन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य लाटरी प्रणाली को समाजवाद की अपनी घोषित-नीति के अनुकूल बनाने के लिये राज्य सरकारों की लाटरियों में लाखों रुपये के कुछ बहुत बड़े पुरस्कारों के स्थान पर दस-दस हजार रुपये तक के अनेक छोटे पुरस्कार देने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्यों को यदि कोई निदेश दिये गये हैं तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). यह प्रश्न कि क्या राज्य लाटारयों में प्रथम पुरस्कार की राशि पर अधिकतम सीमा लगाई जाय, इस समय सरकार के विचाराधीन है।

सिंगापुर की बोगस फर्म में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2980. **श्री नारायणन् :**
श्री सामिनाथन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच पूरी कर ली है जिसमें सिंगापुर की एक बोगस फर्म ने भारत को जहाज द्वारा माल भेजने के बारे में नकली दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं और लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा एकत्रित कर ली है जैसा कि 28 सितम्बर, 1970 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ लोगों के विरुद्ध अपराधिक षडयन्त्रों, धोखादेही आदि के अभिकथित अपराधों के मामलों को भारतीय दण्ड-संहिता की धारा 419,420,467,471 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी तथा साथ ही विदेशी विनिमय विनियम अधिनियम की धारा 4 और 23 के अन्तर्गत जांच के लिए दर्ज किया।

जांच प्रगति में है। आगे की कार्यवाही जांच के परिणामों पर आधारित होगी।

हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले का विकास

2981. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले को पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस क्षेत्र के विकास के लिए दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हरियाणा राज्य सरकार ने महेन्द्र गढ़ जिला पिछड़ा क्षेत्र निर्धारित किया है ।

(ख) राज्य सरकार जिन ब्यौरेवार सुविधाओं को उपलब्ध करेगी उनका निश्चय स्थानीय दशाओं, क्षमताओं और प्राथमिकताओं के विश्लेषण के आधार पर किये जाने की आशा है । हरियाणा सरकार से कहा गया है कि जैसे ही वे ब्यौरे को अन्तिम रूप दें, अपेक्षित सूचना उपलब्ध कर दें ।

सस्ते टेलीविजनों का निर्माण

2982. **श्री न० रा० देवघरे :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन साधारण में टेलिविजनों की बढ़ती मांग को देखते हुए देश में सस्ते टेलिविजनों का निर्माण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा निर्माण किये जाने वाले टेलिविजनों का अनुमानित मूल्य कितना होगा तथा यह बाजार में कब तक आ जायेगा ; और

(ग) यदि प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर नकारात्मक है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). चौथी योजना के दौरान टेलीविजन रिसीवरों की पूर्वानुमानित माँग को पूरा करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके उद्यमकर्ताओं से आवेदन मांगे गये थे । सरकारी क्षेत्र की संस्थानों और निजी क्षेत्र की फर्मों से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं । किफायत मात्रा में अधिक उत्पादन से टेलीविजन रिसीवरों की कीमतों में कमी आने की आशा है ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किये जाने पर हुआ खर्च

2984. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में, वर्षवार, पश्चिम बंगाल में

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करने पर कुल कितना खर्च हुआ ;

(ख) 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1970 की अवधि में कितना वास्तविक खर्च हुआ ; और

(ग) वर्ष 1968-69, 1969-70 और 1970-71 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को कुल कितने खर्च की प्रतिपूर्ति की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) :

	1968-69	1969-70	1970-71
	रु०	रु०	रु०
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	19,76,480	6,60,195	47,51,600 (जून 1970 तक)
सीमा सुरक्षा बल	2,70,7000 लगभग	शून्य	1,37,000 लगभग (31-7-1970 तक)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	शून्य	14,78,510	9,93,027 (30-9-70 तक)

(ख)	के० रि० पु०	सी० सु० ब०	के० ओ० सु० ब०
	रु०	रु०	रु०
	47,51,600	1,37,000 लगभग	21,01,830
	(1-1-70 से 30-6-70 तक)	(1-1-70 से 31-7-70 तक)	(1-1-70 से 30-9-70 तक)

(ग) राज्य सरकार के अनुरोध पर विधि और व्यवस्था हेतु तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल के दस्तों पर किये गए व्यय की वसूली संबन्धित राज्य सरकार से की जाती है । राज्य के अनुरोध पर विधि और व्यवस्था के कार्यों के लिए तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक दावे प्रस्तुत किये गये हैं । किये जा रहे हैं । लेखा परीक्षा द्वारा दावों का निरीक्षण करने के पश्चात् वास्तविक भुगतान कर दिया जायेगा ।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों के उत्तम बचाव तथा सुरक्षा के लिये केंद्रीय सरकार द्वारा गठित किया गया है और उनके व्यय की रकम वसूल की जाती है। अतः पश्चिम बंगाल की सरकार से इस कारण कोई वसूली करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हीरों से अर्जित विदेशी मुद्रा

2985. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में हीरों के विक्रय से इस समय विदेशी मुद्रा की वार्षिक आय कितनी है ; और

(ख) देश में हीरों के स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) अप्रैल-सितम्बर, 1970 के दौरान तराशे हुए तथा पालिस किए हुए हीरों का निर्यात 12.48 करोड़ रुपए का हुआ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में पन्ना में क्रमशः 11,250 कैरिट तथा 12,000 कैरट प्रतिवर्ष की लक्षित क्षमता वाले रामकेरिया तथा मझाघावन हीरा निक्षेपों का विकास कर दिया है। उन्होंने, मझाघावन खान में हीरों के 12,000 कैरट के वार्षिक उत्पादन को 45,000 कैरट तक बढ़ाने के लिए एक संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार की है इस योजना के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अब तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड आंध्र प्रदेश में रमल्लाकोटा क्षेत्र में हीरा निक्षेपों के संबंध में तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण भी मध्य प्रदेश (पन्ना क्षेत्र) तथा आंध्र प्रदेश के ज्ञात हीरा उत्पादक क्षेत्रों का आकलन कर रहा है और भारत में हीरों वाले ज्ञात तथा नये क्षेत्रों के व्यापक पर्यवेक्षण की एक योजना को क्रियान्वित कर रहा है।

बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में शस्त्रास्त्रों का एक अवैध कारखाना

2986. **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजनौर में शस्त्रास्त्रों के एक अवैध कारखाने का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो बरामद किये गए गोला-बारूद का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस से सम्बन्धित मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या एहतियाती कार्यवाही करने का विचार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) राज्य सरकारों को हथियारों तथा गोलाबारूद के अवैध निर्माण, बिक्री तथा रखने को रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करने की सलाह दी गई है।

हथकरघा उद्योग की सहायतार्थ एक हथकरघा ऋण गारन्टी निगम की स्थापना

2987. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए सहायता देने हेतु एक हथकरघा ऋण गारन्टी निगम की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान में जब्त की गई भारतीय सम्पत्ति

2988. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री काशी नाथ पाण्डेय :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को मैसर्ज साउथ एशिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दिल्ली की ओर से, 10 सितम्बर, 1954 को हुए करार के अनुसार पाकिस्तान सरकार द्वारा देय 2.61 करोड़ रुपये के एक दावे सम्बन्धी दिनांक 30 अक्तूबर, 1970 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) यदि दावा ठीक है तो इसे शत्रु सम्पत्ति के अभिरक्षक द्वारा पंजीकृत किया जायेगा।

Installation of Wooden Electric Poles and Transformers

2989. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the progress made so far in the installation of wooden electric poles and small round transformers on the pattern adopted by the foreign countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : For purposes of electrification, wooden poles are used in substantial number in several States and Union Territories commensurate with availability from existing forest resources particularly in areas nearer the forests where there are further economies in transport. Various State Electricity Boards have been using small distribution transformers of 15 KV or above extensively for rural supplies.

नक्सलवादियों की मिदनापुर से पुरुलिया तक लम्बे प्रदर्शन की योजना

2990. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नक्सलवादियों ने फरवरी, 1971 में मिदनापुर से पुरुलिया तक लम्बे प्रदर्शन की योजना बनाई है ;

(ख) क्या नक्सलवादी नेता ने पहले ही घोषणा कर दी है कि यह प्रदर्शन यह बताने के लिए किया जा रहा है कि जनता की सेना की स्थापना हो चुकी है ;

(ग) क्या नक्सलवादियों का विचार अपने प्रदर्शन के मार्ग में जोतदार का विध्वंस करने का भी है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के गुप्तचर विभाग को इस बारे में क्या सूचना है ?

गृह-मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रैस रिपोर्ट देखी है। सरकार को इसी प्रकार की सूचना प्राप्त हुई है। अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है।

1970-71 में राष्ट्रीय आय में वृद्धि

2991. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने यह आशंका व्यक्त की है कि 1970-71 के दौरान राष्ट्रीय आय में 6 5 प्रतिशत की वृद्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके पूर्वानुमानों का आधार क्या था ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री और योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग). व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया है।

लगभग 1050 लाख मीट्रिक टन का खाद्य उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में 8 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के अनुमान के आधार पर भारतीय अर्थ-व्यवस्था की समीक्षा (सीमान्त-फरवरी, 1970) में व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने 1970-71 में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का अनुमान .5 लगाया है। बाद की समीक्षा (सीमान्त-अक्तूबर, 1970) में व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने राष्ट्रीय आय में निम्न वृद्धि दर होने की आशंका व्यक्त की, क्योंकि उनके मतानुसार 1970-71 में यद्यपि कृषि में वृद्धि की दर सन्तोषप्रद रही परन्तु औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर उनके पूर्व अनुमानों की अपेक्षा घटने की सम्भावना है। व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद के अनुसार औद्योगिक विकास के अवरोध होने में मुख्य रुकावटें हैं : औद्योगिक सम्बन्धों का खराब होना, आयातों की अपर्याप्तता और सरकारी खर्चे में मन्दी आना।

योजना आयोग द्वारा 1970-71 के लिए तैयार की गई वार्षिक योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत वृद्धि की दर प्राप्त करना था।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा अलग ध्वज रखने की प्रथा को समाप्त करना

2992. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा अलग ध्वज रखने की प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की है जिसका प्रयोग करने के लिए उसको अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या राज्यों के अध्यक्षों द्वारा ध्वजों के प्रयोग में समानता लाने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं और यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर के विधान की धारा 144 पृथक ध्वज की व्यवस्था करता है। राज्य का ध्वज किसी भी अर्थ में राष्ट्रीय ध्वज का प्रतिद्वन्दी नहीं है जो अपनी प्रमुख स्थिति रखता है और वहां उसका स्तर तथा दर्जा वही है जो भारत के अन्य भागों में है। वर्तमान स्थिति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यपालों द्वारा झण्डों के प्रयोग के बारे में समरूपता

2993. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यपालों द्वारा झन्डों के प्रयोग के सम्बन्ध में समरूपता लाने के लिए कोई प्रयत्न किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). राज्यों के अध्यक्षों अर्थात राज्यपालों के अपने निजी ध्वज होते हैं जो सामान आकार के होते हैं। ध्वजों का प्रयोग भी समान नियमों से नियमित होता है। क्या निजी ध्वज का प्रयोग समाप्त किया जाय और राज्यपालों को केवल राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने दिया जाय, यह प्रश्न विचाराधीन है।

पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त स्थान

2994. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने रिक्त स्थान हैं ;

(ख) रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ;

(ग) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव पदों के वास्तव में रिक्त होने से पूर्व रखे जाते हैं ताकि जैसे ही स्थान रिक्त हो उन्हें भरा जा सके ;

(घ) क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों तथा अधिवक्ता न्यायाधीशों के मध्य कोई अनुपात रखा जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं तो पुरानी व्यवस्था को बदलने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) दो।

(ख) राज्य प्राधिकारियों को, जिन्हें नियुक्ति के लिए प्रस्ताव करने हैं, स्मरण करा दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर रिक्तियां भरी जायेंगी।

(ग) सामान्यतः आशा की जाती है कि राज्य प्राधिकारी उच्च न्यायालयों में रिक्तियां होने से पूर्व उनको भरने का प्रस्ताव रखें।

(घ) तथा (ङ). बार और न्यायिक सेवा से उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों के लिए नियत किये जाने वाले किसी अनुपात को संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए बार और न्यायिक सेवा के सदस्यों पर योग्यता तथा उपयुक्तता के आधार पर बेंच के विविध अनुभव के मूल्य को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना में पदों की श्रेणियां तथा उनके वेतनमान

2995. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना में आरम्भ में अधिसूचित प्रत्येक श्रेणी के पदों का वेतन मान क्या है तथा अधिसूचना करने वाले अधिकारी का नाम क्या है ;

(ख) क्या तदुपरांत कतिपय श्रेणियों के पदों के वेतनमानों में बीत चुकी तिथि से संशोधन कर दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो इस आशय की अधिसूचनाएं जारी करने की तिथियां क्या हैं ;

(घ) उक्त अधिसूचनाएं किस-किस तारीख से क्रियान्वित हुई ; और

(ङ) ऐसी श्रेणियों के पदों के वर्तमान संशोधित वेतन मान क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). बदरपुर ताप बिजली परियोजना की नियमित सिब्बंदी में पदों के वेतनमान 1960 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित वेतनमानों के अनुसार, तीन पदों-मुख्य परियोजना इन्जीनियर, परियोजना इन्जीनियर (सिविल) और सुरक्षा अधिकारी—जिनके वेतनमान सिंचाई व बिजली मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से स्वीकार किये गये थे को छोड़कर निर्धारित किये गये हैं। इन वेतनमानों के संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ब्यौरा उपाबंध 1 में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4460/70]

कार्य प्रभारित स्टाफ के वेतनमान मुख्य परियोजना इन्जीनियर, बदरपुर परियोजना द्वारा

अन्य परियोजनाओं में ऐसे ही पदों के लिए स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर अनतिम रूप से स्वीकार किये गये थे। पदों की कुछ श्रेणियों के सम्बन्ध में परिवर्तनों को छोड़कर ये वेतनमान बाद में 4 अगस्त, 1970 को भारत सरकार द्वारा स्वीकार किये गये थे वेतनमानों में ये परिवर्तन 4 अगस्त, 1970 को लागू किये गये। कार्य-प्रभारित स्टाफ के वेतनमान का विवरण, जिसमें उनके किये गये परिवर्तन भी किये गये हैं, उपाबंध II में दिया गया है।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य देशों के गुप्तचर

2996. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में, विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य देशों के बहुत से गुप्तचर सक्रिय हैं ;

(ख) यदि हां तो वर्ष (1970) में कितने ऐसे गुप्तचर पकड़े गये हैं और उनकी राष्ट्रीयता क्या है ; और

(ग) देश में विदेशियों के इन क्रिया-कलापों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). पंजाब, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा दिल्ली, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष के दौरान 100 भारतीय 36 पाकिस्तानी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नागरिकों और 2 तिब्बतियों को जासूसी की गतिविधियों के सन्देह में गिरफ्तार किया गया है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, नागालैंड और उड़ीसा राज्यों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, गोवा, दमन व दीव, लक्कादीप, मिनिकाय और अमिनदीव द्वीपसमूह और मणिपुर संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा से ऐसी गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं।

(ग) सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा तेजी से सतर्कता बरती जा रही है।

पाकिस्तान की ओर बहने वाले जल का मूल्य

2297. **श्री न० ना० देवघरे :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय नदियों के नाम क्या है जिनका जल प्रतिवर्ष पाकिस्तान को जाता है तथा वह अनुमानतः कितना क्यूकेस है जिसके लिए उस देश से कुछ भी शुल्क नहीं लिया जाता ;

(ख) पाकिस्तान क्षेत्र की ओर बहने वाले जल का अनुमानित मूल्य कितना है जिसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है ;

(ग) उस जल के लिए शुल्क न लेने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जल की इस बर्बादी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). इस

समय जुलाई से सितम्बर के मानसून महीनों के दौरान हमारी आवश्यकताओं से अधिक रावी तथा ब्यास का बाढ़ पानी, जो लगभग 9 मिलियन एकड़ फुट है, पाकिस्तान में जा रहा है। नदियों के इस बाढ़ पानी के लिए, जो नीचे बहकर चला जाता है पैसा लेने का प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, पोग पर ब्यास नदी पर संचय बांध ब्यास सतलुज लिंक, राजस्थान नहर परियोजना (जो सभी निर्माणाधीन हैं) तथा रावी नदी पर एक संचय के पूर्ण होने के पश्चात इस जल का भी भारत में पूर्ण समुपयोजन होगा।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा किए गये आविष्कार/खोज

2998. **श्री न० रा० देवघरे : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की विभिन्न क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं द्वारा वर्ष 1969-70 के दौरान कितने आविष्कार/खोजें की गई थी।

(ख) प्रत्येक आविष्कार अथवा खोज पर कितना धन व्यय हुआ जिसमें कर्मचारियों के वेतन और भतों और अनुसंधानों के लिए सामग्री/उपकरणों पर किये गये व्यय का ब्यौरा सम्मिलित है ; और

(ग) वे आविष्कार तथा खोजें राष्ट्र के लिए किस हद तक उपयोगी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ग). वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं (आर०आर०एल०ए०) द्वारा वर्ष 1969-70 के दौरान किये गये आविष्कार/खोजों और उनकी उपयोगिता को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या** एल० टी० – 4461/70]

(ख) प्रत्येक आविष्कार/खोज के लिए कर्मचारियों पर खर्च किये गये वेतन और भतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उनके खाते उस ढंग से तैयार नहीं किये जाते। फिर भी, आर०आर०एल०ए० द्वारा 1969-70 वर्ष के दौरान कर्मचारियों के वेतन और भत्ता पर तथा सामिग्री/उपकरणों पर किये गये वास्तविक खर्चों को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण संलग्न हैं।

पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाना

2999. **श्री गणेश घोष : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस को पश्चिम बंगाल के जिलों (एक) कलकत्ता (दो) 24 परगना (तीन) हावड़ा (चार) हुगली (पांच) बर्दवान (छ) मुर्शिदाबाद में 1 अगस्त, 1970 से 31 अक्तूबर, 1970 तक कितनी बार गोली चलानी पड़ी ;

(ख) प्रत्येक अवसर पर कितनी बार गोली चलानी पड़ी ; और

(ग) कितने व्यक्ति मारे गये थे तथा कितने घायल हुए थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना उपलब्ध की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण करने का बहाना लेकर पश्चिम बंगाल में कर्फ्यू लगाना

3000. **श्री गणेश घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमण करने का बहाना लेकर गत तीन महीनों में अगस्त से अक्तूबर तक, अन्य स्थानों के साथ साथ कलकत्ता के बेहाला, शमपुकर, जोराबागान, बेलियाघांटा शिलोपूर, बेली, बेलियाघाटा, और मनीकतला पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में दिन भर का कर्फ्यू लगा दिया गया था ;

(ख) क्या पुलिस ऐसे कर्फ्यू के दौरान नक्सलियों की खोज करने के बहाने उन क्षेत्रों के प्रत्येक घर में घुसी तथा बिना स्त्री तथा पुरुष और उम्र को विचार में रखे प्रत्येक के साथ मार पिटाई की ;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में कर्फ्यू के दौरान पुलिस नक्सललियों को पकड़ने के लिए कितने मकानों में घुसी ;

(घ) पुलिस ने उपरोक्त पुलिस स्टेशनों के अन्तर्गत आने वाले मकानों की तलाशी के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया ; और

(ङ) उनमें से कितने व्यक्तियों को विशेष आरोपों में मुकदमें के लिए भेजा गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में पुलिस हवालात तथा पुलिस की हिरासत में मारपीट की शिकायतें

3001. **श्री गणेश घोष** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के (एक) कलकत्ता (दो) 24 परगना (तीन) हावड़ा (चार) हुगली (पांच) बर्दवान (छः) मुर्शिदाबाद और (सात) पश्चिम दिनाजपुर में पुलिस हवालात तथा पुलिस की हिरासत में मार पीट करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या हाल ही में, बाली गंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उस पुलिस स्टेशन से हटाया गया है ; और क्या बालीगंज पुलिस हवालात में उसके द्वारा की गई अवैध मारपीट के लिये उसके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान

विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

संविधान में संशोधन करने के बारे में केरल विधान सभा का प्रस्ताव

3002. **श्री दण्डपाणि :**

श्री सामिनाथन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की विधान सभा ने अपनी 5 नवम्बर, 1970 की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था जिसमें केन्द्र से संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव देखा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उस प्रस्ताव से कहां तक सहमत है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). केरल सरकार ने केरल विधान सभा द्वारा 6 नवम्बर, 1970 को पारित एक गैर-सरकारी संकल्प की एक प्रति केन्द्र सरकार की आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी है। संकल्प में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार भारतीय संविधान का इस प्रकार से संशोधन करने के कदम उठाये जिससे केवल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम और केरल विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसको क्रमशः केरल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया है, के उपबंधों का वैधकरण हो जाये।

(ग) संकल्प की जांच की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन में राजनीतिक दलों का प्रवेश

3003. **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच करवाई गई है अथवा करवाई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन में उग्रवादी राजनीतिक दलों ने किस सीमा तक प्रवेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या इस उद्देश्य से जांच करवाने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालल में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). इस बात पर विश्वास करने के कारण हैं कि पश्चिम बंगाल सेवाओं में कुछ संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनैतिक दलों से सम्बद्ध हैं। वे नियम जो सरकारी कर्मचारियों के आचरण को नियमित करते हैं, उन्हें अपने को राजनैतिक गतिविधियों में लगाने की मनाही करते हैं। पश्चिम बंगाल प्राधिकारी सतर्क हैं तथा निषेधाज्ञा के उल्लंघन के सम्बंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही समेत उपर्युक्त कार्यवाही करते हैं।

नक्सलवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा दल से राइफलें छीन कर ले जाना

3004. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार में जिला पूर्णिया जंकशन पर और पश्चिम बंगाल के जिला दार्जिलिंग और जिला पश्चिम दीनाजपुर से, आसाम बरौनी तेल की पाइपलाइनों की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा दल से नक्सलवादी 6 राइफलें तथा 16 कारतूस छीन कर ले गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान में विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों से नक्सलवादियों द्वारा कोई हथियार तथा गोला बारूद नहीं छीने गये थे जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। फिर भी बिहार राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 27-10-1970 को सायंकाल लगभग 5.30 बजे फरसों दरातियों, तीरकमानों से लैस लगभग 20-25 व्यक्तियों की एक भीड़ ने दौंक पुल पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा कर्मचारियों पर अचानक आक्रमण किया। सुरक्षा कर्मचारियों के दो व्यक्तियों की भीड़ ने बुरी तरह पीटा और छः राइफलें तथा बारूद की 60 गोलियां छीन लीं। एक मामला चलाया गया है और जांच की जा रही है।

Charges against Gandhi Nagar Police Station, Delhi

3005. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Police authorities of the Gandhi Nagar Police Station, Delhi misbehaved and showed discourtesy towards Shrimati Bimla Devi, when she went there to lodge her complaint about her husband who is stated to have sacrificed his son before a Goddess ; and

(b) if so, the action taken against the Police Officers involved ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

निर्यात योग्य वस्तुओं की विवरणिका

3006. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन के मंत्रालय ने भारत में उपलब्ध निर्यात योग्य मदों तथा वस्तुओं और कच्चा माल तथा निर्मित उत्पादों की कोई विवरणिका तैयार की है जिसमें उन विदेशों के नाम दिये हुए हैं जहां कि इन वस्तुओं की भारी मांग है ताकि निर्यात करने वाले हमारे व्यापारी उससे लाभान्वित हो सकें ; और

(ख) क्या मंत्रालय का विचार उन विदेशों के नाम ब्यौरे सहित प्रकाशित करने का है जिन्होंने गत पांच वर्षों में, बर्षवार, बड़ी मात्रा में भारतीय उत्पादों का आयात किया था और जिसके साथ निर्यातकर्ताओं तथा उनकी फर्मों के नाम भी हों ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी नहीं। यह जानकारी वाणिज्यिक, आसूचना तथा सांख्यिकी के महा-निदेशालय, कलकत्ता के प्रकाशित अभिलेखों में पहले से ही उपलब्ध हैं अर्थात् :

(1) निर्यात तथा पुनर्निर्यात खण्ड 1

(2) आयात खण्ड 2

(3) निर्यातकों की निदेशिका तथा

(4) भारतीय व्यापार आंकड़ों परिशिष्ट। फर्मवार ब्यौरे रखने के सम्बन्ध में मंत्रालय का कोई विचार नहीं है।

कूच बिहार में नियंत्रण की योजना

3007. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में तूफानी तोरशा नदी की बाढ़ से मालेरझर, भेलाडांगा तथा राजारहट कूच-बिहार नगर जैसे क्षेत्रों को बचाने के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसको कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). कूच बिहार नगर के समीप मालेरझार, भेलाडांगा, राजारहट जैसे क्षेत्रों की बाढ़ से सुरक्षा के लिए स्कीम, माडल पर प्रस्तावों के अध्ययन करने के पश्चात, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तैयार की जानी है। माडल अध्ययन के परिणामों का मार्च, 1971 में उपलब्ध होना सम्भावित है।

उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के लिए वृहद योजना

3008. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने, पश्चिम बंगाल सरकार, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग योजना आयोग के परामर्श से, उत्तरी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के लिए प्रस्तावित वृहद योजना के कार्य-ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है तथा यह परियोजना कार्य कब तक आरम्भ होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल के मुख्य इंजीनियर ने 1965 में, तीस्ता, जलढ़ाका, रायडाक और तोरशा नदियों में बाढ़ों को रोकने के लिए 183 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ड्राफ्ट मास्टर प्लानें तैयार की थीं। ड्राफ्ट प्लानों में ये कार्य परिकल्पित किए गये थे, बहूद्देश्यीय जलाशयों का निर्माण बाढ़ नियंत्रण और नदी नियंत्रण कार्य तथा भू-संरक्षण उपाय। राज्य सरकार द्वारा उत्तरी बंगाल में विभिन्न नदियों के लिए तैयार की गई ड्राफ्ट मास्टर प्लानों की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की गई थी और राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ टिप्पणी भेजी गई थी कि वे आयोग की टिप्पणी, 1968 की बाढ़ों के अनुभव और उत्तरी बंगाल तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की रोशनी में ड्राफ्ट प्लानों में संशोधन लाए। राज्य सरकार से अभी तक संशोधित योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्य के मुख्य इन्जिनियर ने भी महानन्दा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए 3.16 करोड़ रुपये की लागत पर एक स्कीम तैयार की है और अब केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों की रोशनी में मुख्य इन्जीनियर इसका संशोधन कर रहे हैं।

कूच बिहार बिजली घर में एक और डीजल इंजन का लगाया जाना

3009. **श्री बे० कु० दासचौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार को कूच-बिहार के लोगों से, कूच बिहार बिजली घर में एक और डीजल इंजन लगाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, ताकि उक्त क्षेत्र की बिजली की कमी को तुरन्त पूरा किया जा सके ;

(ख) क्या देश के कुछ भागों में विशेषतः आसाम में, ऐसे डीजल इंजन तुरन्त उपलब्ध हैं, जहां पर कुछ ऐसे इन्जनों को फालतू घोषित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय अथवा पश्चिम बंगाल की सरकार का कब तक ऐसे इन्जन लगाने की व्यवस्था करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाइ तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). कूच-बिहार क्षेत्र में बिजली की कमी है। इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजे गए हैं। एक और डीजल सैट लगाकर डीजल उत्पादन केंद्र की क्षमता में और आवर्धन करने के प्रश्न पर पश्चिम बंगाल सरकार विचार कर रही है। असम राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोई डीजल उत्पादन सैट दिया जा सकता है कि नहीं इस सम्बन्ध में भी पश्चिम बंगाल सरकार जांच कर रही है। भारत सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि पैकेज ताप बिजली संयन्त्र दिशेरगढ़ से स्थानान्तरित करके चवरामारी में ले जाएं। इन संयंत्रों के 6 से 12 महीनों के अन्दर लग जाने की सम्भावना है। असम ने थोक बिजली की सप्लाई करने में समर्थ होने के लिए अलिपुर द्वार (पश्चिम बंगाल) से बनगाई गांव (असम) तक एक लाइन बनाने हेतु केंद्रीय ऋण सहायता स्वीकार की गई है।

सिंचाई और बिजली परियोजनाओं का क्रियान्वित न किया जाना

3010. **श्री रा० बरुआ :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मशीनों और अन्य सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण सिंचाई और बिजली की कई परियोजनायें क्रियान्वित नहीं की जा रही हैं।

(ख) क्या उन बिजली परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है, और यदि हां, तो क्या समिति ने अभी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मशीनरी की अनुपलब्धता के कारण सामान्यतः सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में कोई रुकावट नहीं आई है। चतुर्थ योजना के दौरान प्रचालनार्थ स्वीकृत विद्युत केन्द्रों के निर्माण की वर्तमान अनुसूची में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 1973-74 के अन्त तक लगभग 22 लाख किलोवाट की कमी पड़ेगी। यह कमी साधारणतया उत्पादन संयंत्र की डिलिवरी की तिथियों के निश्चित न रहने के कारण हुई है और कुछ परियोजनाओं के मामले में यह सिविल कार्य की प्रगति में विलम्ब के कारण भी हुई है। बिजली परियोजनाओं के प्रचालन में देरी के कारणों की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित नहीं की गई है। बहरहाल, आर्डर देने और उत्पादन संयत्र तथा उपस्कर के निर्माण में तथा देश में कार्यान्वयनाधीन विभिन्न बिजली परियोजनाओं के सिविल कार्यों की प्रगति को समेकित करने में हुई प्रगति का समय-समय पर विस्तारपूर्वक पुनरवलोकन करने के लिए सिंचाई व बिजली मंत्रालय में एक समिति स्थापित की गई है। बिजली परियोजनाओं की प्रगति का समय-समय पर पुनरवलोकन इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि इन्हें अनुसूची के अनुसार चालू करने के लिए सभी संभव प्रयत्न किए जाते हैं।

चंडीगढ़ नगर में अराजकता

3011. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चंडीगढ़ नगर में अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है तथा मार-पीट, हत्या और डकैती की घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों में कितने व्यक्तियों की हत्यायें हुई तथा डकैती तथा मार-पीट की कितनी घटनायें हुई ; और

(ग) कानून तथा व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत): (क) से (ग). चंडीगढ़ में अपराधों की घटना केवल साधारण उतार चढ़ाव दर्शाती है। पिछले तीन महीनों में पांच मामले हत्या के और 14 मामले प्रघात के ध्यान में लाए गये थे। इस दौरान डकैती का कोई मामला ध्यान में नहीं लाया गया। अपराधों के रोकथाम और खोज के लिए पुलिस सतर्कता सुदृढ़ कर दी है। आतंकित क्षेत्रों में पुलिस गश्त तेज कर दी है और नामी अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

गुरूमुखी की एक पुस्तक में महारानी सीता के चरित्र और हरिजनों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां

3012. **श्री राम किशन गुप्त : श्री मीठालाल मीना :**
श्री एन० शिवप्पा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गुरूमुखी की पाठ्य पुस्तक 'मेले आइयां तिन जणियां' में महारानी सीता के चरित्र और हरिजनों के बारे में आपतिजनक टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त पुस्तक को तत्काल जब्त करने के लिये पंजाब सरकार को मनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि मामला विचाराधीन है और यह कि पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडीकेट ने ज्ञानी परीक्षा के लिये निर्धारित पुस्तकों की सूची से इस पुस्तक को निकालने का निर्णय किया है।

राज्यों में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये नक्सलवादी

3013. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न राज्यों, नामतः पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा महाराष्ट्र में, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये नक्सलवादियों की संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): बिहार व महाराष्ट्र की राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस के साथ मुठभेड़ में अभी तक कोई भी नक्सलपंथी नहीं मारा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ में 110 नक्सलपंथी/उग्रपंथी मारे गये हैं। शेष राज्यों से सूचना प्रत्याशित है।

उत्तर प्रदेश राज्य के बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के समय सेना का तैनात किया जाना

3014. **श्री सत्य नारायण सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त मास के दौरान हुई उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को हड़ताल के समय सेना का उपयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सेना के कुल कितने व्यक्ति तैनात किये गये थे ;

(ग) क्या सरकार श्रम विवादों के मामलों में सेना के प्रयोग को अनुचित समझती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). अगस्त, 1970 में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के दौरान 62 तकनीकी सैनिकों की सेवाएं प्राप्त की गई थी। कुछ तकनीकी सैनिकों को आवश्यक विद्युत सप्लाई कायम रखने के लिए तैनात किया गया था।

(ग) तथा (घ). जनता की सुविधा के लिए आवश्यक विद्युत सप्लाई को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सैनिक तकनीकियों को तैनात करना आवश्यक समझा गया था।

बेल्जियम का आर्थिक मिशन

3015. **श्री सीता राम केसरी : श्री सामिनाथन :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बेल्जियम का एक आर्थिक मिशन भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके आने का क्या उद्देश्य था ; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने सम्बन्धी किन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा की गई थी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। बेल्जियम के आर्थिक मिशन ने 6 नवम्बर से 18 नवम्बर, 1970 तक भारत का दौरा किया।

(ख) इस यात्रा का उद्देश्य भारत बेल्जियम के व्यापार/वाणिज्यिक/आर्थिक सहयोग को बढ़ाने तथा सुदृढ़ करने की संभाव्यताओं का पता लगाना था।

(ग) मिशन ने कुछ औद्योगिक संस्थानों के निरीक्षण करने के अतिरिक्त भारत सरकार, वाणिज्य तथा उद्योग मंडल, निर्यात संवर्धन संगठनों, राज्य व्यापार संगठनों, बैंक संस्थाओं आदि के अधिकारियों से बातचीत की। मिशन बेल्जियम पहुंचने पर भारत और बेल्जियम के बीच

द्विपक्षीय तथा अन्य दूसरे देशों के बाजारों के सम्बन्ध में, व्यापार तथा प्रौद्योगिकीय/औद्योगिक सहयोग, बढ़ाने की संभावनाओं के विषय में अपने विचारों को सूचित करेगा। यदि कोई विशिष्ट प्रस्थावनाएं होंगी तो वे केवल इसके पश्चात् ही सामने आ सकेंगी।

भारतीय रूई निगम

3016. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रूई निगम के निदेशक मंडल में कितने निदेशक हैं, उनके नाम क्या हैं, और किन बातों पर ध्यान देते हुए उनका नामांकन किया गया है ; और

(ख) उसके अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की सेवा की शर्तें और उपलब्धियां क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारतीय रूई निगम की संगम की नियमावली के अनुसार निदेशकों की संख्या 12 से अधिक और 4 से कम नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित पांच निदेशक नियुक्त किए गए हैं :—

(1) श्री रसिक लाल यू० पारिख।

(2) श्री एन० एस० कुलकर्णी।

(3) श्री के० एस० गणपति।

(4) श्री एल० एन० रंगाराजन।

(5) श्री एस० ए० रंगास्वामी।

जहां तक शेष निदेशकों का संबंध है उनकी नियुक्तियों के विषय में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किया जायेगा। निदेशकों की नियुक्ति, प्रशासनिक रूप में तथा कपास से सम्बन्धित मामलों से सम्बन्ध में उनके सापेक्ष अनुभवों को ध्यान में रख कर, की गई है।

(ख) अध्यक्ष अवैतनिक है और इसलिये वह कोई वेतन नहीं लेता तथापि बैठकों में जाने के लिए उसे 51 रु० प्रति दिन मिलेगा। जहां तक प्रबन्ध निदेशक का सम्बन्ध है उसका वेतन-मान रु० 1800-100-2000 है तथा उसे सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के लिए अनुमेय है, सामान्य भत्ते भी मिलते हैं।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों का आपराधिक मामलों में अंतर्ग्रस्त होना

3017. **श्री वि० कु० मोडक :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में नागालैंड तथा अन्य राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी कितने अपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त हुए हैं ; और

(ख) न्यायालयों ने उनको कितने मामलों में दोषी ठहराया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). सूचना अनुलग्नक में दी जाती है।

विवरण

राज्य का नाम	मामलों की संख्या जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अन्तग्रस्त थी	अन्तग्रस्त कर्मचारियों की संख्या	दोष सिद्ध किये गये कर्मचारियों की संख्या	मुक्त/बरी किये गये कर्मचारियों की संख्या	न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या
नागालैंड	2	2	1	1	—
गुजरात	1	11	—	—	1
पश्चिम बंगाल	2	2	—	2	—
मध्य प्रदेश	1	4	—	—	1
जम्मू व काश्मीर	5	6	—	5	1
आंध्र प्रदेश	2	2	—	1	1
त्रिपुरा	3	3	—	2	1
मनीपुर	9	9	4	1	4
नेफा	4	4	2	—	2
योग	29	43	7	12	11

केन्द्रीय जांच ब्यूरों और राज्य सतर्कता आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के सरकारी अधिकारियों की जांच

3018. **श्री वि० कु० मोडक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो और राज्य सतकर्ता आयोग ने अपने 1968 और 1969 के प्रतिवेदनों में पश्चिम बंगाल के जिन राजपत्रित अधिकारियों पर, भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद, अपने पदों का व्यक्तिगत स्वार्थी के लिए उपयोग किए जाने के आरोप लगाए हैं, उनके नाम तथा पदनाम क्या है ; और

(ख) सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध, यदि कोई कार्यवाही की है ; और तो वे क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). 1967-68 में जांच के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पश्चिम बंगाल के एक भारतीय पुलिस अधिकारी के

विरुद्ध कुछ आरोप लगाये, उसने अपनी अचल सम्पत्ति के संचालन में सरकार की बिना अनुमति प्राप्त किये हुए कुछ तकनीकी अनियमिततायें दिखाई। राज्य सरकार ने राज्य सतर्कता आयोग के परामर्श से उसे सरकार का असन्तोष सूचित कर दिया। अधिकारी के नाम तथा पद का प्रकट करना उचित नहीं होगा।

सतर्कता आयोग, पश्चिम बंगाल ने, अपने 1968-69 के प्रतिवेदनों में जिन मामलों का उल्लेख किया है, उसकी सूचना एकत्र की जा रहीं हैं तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा पकड़ा गया सीमा सुरक्षा बल का नायक कमल सिंह

3019. **श्री विक्रम चन्द्र महाजन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी ग्राम (बल्बग्राम) अगरतल्ला, त्रिपुरा, में स्थित 92, सीमा सुरक्षा बल के नायक कमल सिंह को पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने पकड़ लिया था जब कि वह अपनी ड्यूटी पर तैनात था ;

(ख) यदि हां, तो उसे छुड़ाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) उसके परिवार के दुख को कम करने के लिये क्या किया गया है और उसे प्रतिमास वेतन, या पेंशन के रूप में अथवा अन्य किसी प्रकार से कितनी राशि दी जा रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) नायक कमल सिंह को भारत लाने के लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

(ग) नायक कमल सिंह की पत्नी को अपने पति के वेतन और भत्ते उनको पाकिस्तानियों द्वारा अपहरण करने की तिथि से उनके भारत लौटने की तिथि तक प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जुलाई 1970 तक उनको 50 रुपये माहवार वित्तीय सहायता दी गई थी। सन 1968-69 में कल्याण निधि से 25 रुपयों की धन-राशि भी उनको दी गई थी।

पोंग बांध से विभिन्न राज्यों को पानी तथा बिजली का सम्भरण

3020. **श्री विक्रम चन्द्र महाजन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के पूरा होने पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, प्रदेश और राजस्थान को कितना पानी और बिजली दी जायेगी ;

(ख) प्रत्येक राज्य को उससे कितनी सम्भावित आय होगी ; और

(ग) इस परियोजना से प्रत्येक राज्य को कितनी भूमि लाभान्वित होगी ;

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) रावी के

पानी के साथ ब्यास नदी का पानी भूतपूर्व पंजाब राज्य, राजस्थान और जम्मू तथा कश्मीर में 7.2, 8.0 और 0.65 के अनुपात से आबंटित है। भूतपूर्व पंजाब के भाग के पानी में पंजाब और हरियाणा के भाग अभी निर्धारित किये जाने हैं।

पोंग बांध में उत्पन्न बिजली में भूतपूर्व पंजाब और राजस्थान के वही भाग होने की संभावना है जो लागत में उनके भाग हैं, अर्थात 41.5% और 58.5%। भूतपूर्व पंजाब के भाग की बिजली में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के भाग अभी निर्धारित किये जाने हैं।

(ख) स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार, पूर्ण विकास होने पर, इस परियोजना से प्रति वर्ष 13 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ होने की सम्भावना है। इसमें विभिन्न राज्यों का भाग परियोजना से होने वाले लाभों में उनके भाग पर निर्भर करेगा जिसकी स्थिति ऊपर बता दी गई है।

(ग) अनुमान है कि इस परियोजना से भूतपूर्व पंजाब राज्य में 17 लाख एकड़ और राजस्थान राज्य में ?1 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा।

पंजाब और हरियाणा के बीच क्षेत्र का वितरण रावी-ब्यास पानी में उनके भाग पर निर्भर करेगा, जिसे अभी निर्धारित किया जाना है।

केरल के लिए सिंचाई की योजनाएं

3021. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केंद्रीय सरकार द्वारा केरल के लिये सिंचाई की कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक परियोजना के लिए केरल राज्य को इस कार्य के लिये कितनी राशि दी गई ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक परियोजना की प्रगति पर ठीक से देख-भाल की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) चित्तरपुझा सिंचाई स्कीम (भाग ख) योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1968 में स्वीकार की गई थी।

(ख) से (घ). सिंचाई राज्य विषय-सूची में आता है और सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करना राज्य सरकारों का एकमात्र उत्तरदायित्व है और अपनी समग्र योजना सीमाओं के अंतर्गत ही उन्हीं के द्वारा धनराशि की व्यवस्था करनी होती है। केरल की वार्षिक योजनाओं के लिये पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सहायता दी गई थी और राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिए अलग से कोई केंद्रीय सहायता नहीं दी गई थी।

दिल्ली में पकड़ा गया गोलाबारूद

3022. श्री ए० श्रीधरन : श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों के दिल्ली में एक बड़ी तादाद में गोलाबारूद के पकड़े जाने के समाचार को देखा है ; और यदि हां, तो पकड़े गये गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह गोलाबारूद हिंसा फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश भेजा जाने वाला था ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कोई गिरफ्तारी की गई ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित हथियार व गोला बारूद पकड़े थे :—

(1) चार कारतूसों के साथ एक रिवाल्वर ।

(2) दो कारतूसों के साथ एक देशी पिस्तौल ।

(3) दो पटाखे (बम) तथा एक गुप्ती ।

(4) हथगोलों को बनाने के लिये प्रयुक्त सामग्री ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ). दिल्ली के दो व्यक्ति इस सिलसिले में गिरफ्तार किये गए थे ।

Area of Former Princely States

3023. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total area in square miles of the former princely States before the Partition ; and

(b) the area in square miles of the princely states in India after the Partition ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Reference is invited to paragraph 25 of the White Paper on Indian States published by the Government of India in 1950.

STATEMENT

WHITE PAPER ON INDIAN STATES

(Para 25 Under the Caption "Indian States under Paramountcy of the British")

25. Out of the total area enclosed within the territories of pre-Partition India, *i.e.* 1,581,410 square miles, the Indian States covered an area of 715,964 square miles, which constituted about 45 per cent of the total Indian territories. In post-Partition India, the

area covered by the States geographically contiguous to India was reduced to 587,949 square miles, being about 48 per cent, of the total area of the Dominion of India, *viz.* 1,221,072 square miles. The State of Jammu and Kashmir with a territory of 84,471 square miles and the Hyderabad State closely following it with a territory of 82,?13 square miles constituted the largest territorial units amongst the States. There were 15 States which had territories of more than 10,000 square miles and 67 having territories ranging from 1,000 to 10,000 square miles. There were 202 States each having an area of less than 10 square miles.

Rifles Meant for Village Volunteer force in Imphal being Used by Rebel Nagas

3024. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some of the rifles meant for the Village Volunteer Force in Imphal have found their way to the rebel Nagas ;

(b) whether Government have conducted any enquiry to ascertain how these rifles found their way to the Naga rebels ; and

(c) if so, the result thereof and the action taken by Government to get them back ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The V. V. F. in Manipur have lost some rifles in the course of encounters with Naga hostiles or the latters attacks on V. V. F. posts. They have, however, succeeded in recovering an equally sizable quantity of arms from the hostiles.

(c) All possible steps are being taken by the Manipur Administration and the security forces to curb the activities of the hostiles.

Speeches Delivered at Kerala Muslim League Conference

3025. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No 3605 on 21st August, 1970 regarding the speeches delivered at Kerala Muslim League Conference and state :

(a) whether the facts relating to some portions of the speeches delivered at the conference of the Kerala State Muslim League held on the 25th April 1970 have since been collected from the State Government ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Minister of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) As stated in the statement furnished to fulfil assurance given in respect of the Lok Sabha Unstarred Question No. 3605 dated 21-8-1970, on a pesrual of the speeches delivered in the Conference, it was found that it would not be possible to initiate successful proceedings under the law in respect of any of them.

Cotton Advisory Board Meeting held in Bombay

3026. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the Cotton Advisory Board held its meeting in Bombay on the 3rd November, 1970 ; and

(b) if so, the decisions arrived at therein ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राज्य व्यापार निगम में हड़तालों की रोक और कर्मचारियों की शिकायतों को दूर किया जाना

3027. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम में ऐसी हड़तालों को जैसी सितम्बर/अक्तूबर, 1970 में हुई थी, को रोकने और निगम का कार्य समुचित रूप से चलाने के लिए कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम के कर्मचारियों को उन शिकायतों को दूर करने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है जिनके लिये वे आन्दोलन कर रहे थे ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). मालिक कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध बनाये रखने का दायित्व मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के निगमों का ही है। तथापि, इसके लिए निगम सरकार द्वारा यथावश्यक प्रदान किये गये मार्गदर्शन पर चलते हैं।

(ग) शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम कर्मचारी यूनियन व दिल्ली कार्यालय यूनियन के संघ के बीच बातचीत चल रही है।

कार्यालय प्रक्रिया में सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी कर्मचारियों ने प्रति सरकार का रवैया

3028. **श्री रा० कौ० अमीन** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल ही में बने केन्द्रीय कार्मिक विभाग ने कार्यालय-प्रक्रिया में सुधार सम्बन्धी अपना प्रतिवेदन प्रधान मन्त्री सचिवालय को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों और सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा इस्पात का आयात

3029. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव हैं जिसके अन्तर्गत खनिज तथा धातु व्यापार निगम को वर्ष 1970-71 के दौरान इस्पात का आयात करने दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). गैर-प्राथमिक उद्योगों के लिए (उनको छोड़कर, जिनके लिए वास्तविक प्रयोक्ता नीति के अन्तर्गत इस मद के आयात पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है) अधिकारी इस्पात खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से पहले ही मार्गीकृत किया जा चुका है ।

केरल में एक इलैक्ट्रोनिक संयंत्र का लगाया जाना

3030. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वर्ष 1970-71 में केरल में एक इलेक्ट्रानिक संयंत्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए उस राज्य को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). इस प्रकार का कोई प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए आयु सीमा का बढ़ाया जाना

3031. **श्री न० कु० सांघी** :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए उच्चवय सीमा को 24 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष कर दिया जाये ;

(ख) क्या इस मामले में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी ऐसी ही सिफारिशें की गई थी ; और

(ग) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए अधिकतम सीमा को 26 वर्ष तक बढ़ाया जाय । यह सिफारिश अभी सरकार के विचाराधीन है ।

शाकेतर खाद्य पदार्थों का निर्यात

3032. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से शाकेतर खाद्य पदार्थ तथा कितनी-कितनी मात्रा में शाकेतर विदेशों को निर्यात किये जाते हैं ; और

(ख) वर्ष 1969-70 में इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). एक विवरण निम्नलिखित है ।

विवरण

वर्ष 19´9-70 के लिए

क्रमांक	विवरण	मात्रा	मूल्य
1.	मांस तथा मांस से तैयार की गयी वस्तुएं ।	1064 मे० टन	143.61 लाख रु०
2.	मछली तथा मछली से तैयार की गयी वस्तुएं ।	29.790 ,,	3147.29 ,,
3.	अण्डे	1,00,000 अदद	0.24 ,,
	कुल मूल्य :		,291.14 लाख रु०

पाकिस्तान से आसाम में लोगों की घुसपैठ

3033. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामरिक महत्व के आसाम राज्य में पाकिस्तान से लोगों की बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान् । वास्तव में घुसपैठ दृढ़ता से रोक दी गई है और उनकी संख्या में बहुत कमी हुई है ।

सीमा सुरक्षा बल की स्थापना, पूरी सीमा में सतत गश्त बढ़ाना, सीमा क्षेत्र में ही नहीं वरन राज्य के भीतर ऐसी घुसपैठ से ग्रस्त क्षेत्रों में भी पहरा चौकियों का जाल बिछाना जिससे लगातार सतर्कता रखी जाये, अनधिकृत घुसपैठियों को देश छोड़ने के नोटिस देना और घुसपैठ के मामलों से निपटने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करना असम में पाकिस्तानी नागरिकों का पता लगाने, बाहर निकालने और उनके अनधिकृत आप्रवास को रोकने के लिए किये गये उपायों में से हैं ।

जर्मन फैडरल रेलवेज द्वारा भारतीय फर्म को दिया गया क्रयादेश

3034. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन फैडरल रेलवेज ने भाप से चलने वाले इंजनों के लिए 'दो प्लेटों का एक क्रयादेश सीधे एक भारतीय फर्म को दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जर्मन फैडरल

रेलवेज से भारतीय निजी फर्मों द्वारा 'टो प्लेटों' का क्रयादेश प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा धानी सेवा के वेतनमानों में पुनरीक्षण की मांग

3035. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी धानी सेवा के वेतनमानों में पुनरीक्षण की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिश का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जून, 1970 में धानी सिविल तथा पुलिस सेवाओं के लिए पंजाब के वेतनमानों की सिफारिश की थी । संघ राज्य क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश प्रत्याशित हैं ।

पंजाब के पुनर्गठन पर कर्मचारियों का पुनः आवंटन

3036. **श्री हेम राज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात् कर्मचारियों के पुनः आवंटन का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कितने मामले अभी भी विचाराधीन हैं और उस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

गृहकार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत 54 विभागों में से कुछ वैयक्तिक मामलों को छोड़कर कर्मचारियों के आवंटन का कार्य समाप्त हो चुका है । राज्य के स्नातकोत्तर संस्थान, चंडीगढ़, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, वास्तुकला विभाग से सम्बन्धित कर्मचारियों तथा मेडिकल कालेजों में काम करने वाले प्रोफेसरों के मामले मुख्य सचिवों की समिति के परामर्श के लिए विचाराधीन है ।

पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात परिसम्पत्ति का बंटवारा

3037. **श्री हेम राज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब के पुनर्गठन के बाद संयुक्त पंजाब को परिसम्पत्ति के बंटवारे के लिए गत जुलाई में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के अधिकारियों की कोई बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान । किन्तु बैठक शिमला में हुई थी, चंडीगढ़ में नहीं ।

(ख) बैठक में कुल मिलाकर 96 मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, 40 मामले निपटाये गये थे और 21 मामले उत्तराधिकारी राज्यों के मुख्य सचिवों/मुख्य आयुक्त को सही स्थिति ज्ञात करके, किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए भेजे गये थे। शेष 35 मामलों में से अधिकांश, जिन पर बैठक में अन्तिम विचार नहीं किया जा सका था, अब निपटाये जा चुके हैं।

भारतीय साम्यवादियों (मार्क्सवादी) के संविधान सम्बन्धी विचारों के बारे में प्रधान मंत्री का वक्तव्य

3038. **श्री कृ० मा० कोशिक :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) संविधान को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उक्त साम्यवादियों की गतिविधियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों मे राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) केरल के अपने चुनाव-दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने अपने भाषणों में साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कुछ नेताओं द्वारा कही गई इस बात का कि वे केन्द्र से लड़ेंगे तथा यह कि वे वर्तमान संविधान का विरोध करते हैं, उल्लेख किया था तथा कहा था कि ऐसी बातें तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाला तनाव राष्ट्रीय जीवन में सौहार्द अथवा राज्य में प्रगति नहीं लायेंगे।

(ख) और (ग). यद्यपि साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं के ऐसे वक्तव्य स्वतः अभियोज्य नहीं हैं तथापि इस सम्बन्ध में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है तथा जहां कहीं सम्भव होता है, कानून के अनुसार कार्यवाही आरम्भ की जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

3039. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में कार्य समय के दौरान प्रदर्शन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कर्मचारियों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है, तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

2 दिसम्बर, 1970 को होने वाली सदन की बैठक के लिए राजस्थान अणु शक्ति परियोजना में नियुक्त कर्मचारी

3040. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रावत भाटा (कोटा के निकट) में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना द्वारा और इसके अन्तर्गत नियुक्त किये गए कुशल और अकुशल श्रमिकों सहित तकनीकी तथा कार्यालय कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग में राजस्थान वासियों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मन्त्री अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क, तथा (ख). अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

	स्टाफ की श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	राजस्थानी कर्मचारियों की संख्या
1.	तकनीकी	233	42
2.	कार्यालय	273	110
3.	कुशल श्रमिक	764	158
4.	सामान्य श्रमिक	650	258

चालू वर्ष में समाप्त होने वाले व्यापार-करार

3042. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों के साथ हुए व्यापार करार चालू वर्ष में समाप्त हो रहे हैं ;

(ख) किन-किन देशों के साथ व्यापार करार किये जा रहे हैं ; और

(ग) ऐसे व्यापार करारों को करते समय सरकार किन-किन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाती है ?

वैदेशिक व्यापार मत्रालय में राज्य मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) हंगरी, रूमानिया, सोवियत संघ, अर्जेन्टाइना, यूनान, फ्रांस, इंडोनेशिया, जार्डन, ईरान तथा नेपाल के साथ व्यापार करार या तो समाप्त हो गये हैं या 1970 में समाप्त होने वाले हैं ।

(ख) सोवियत संघ, हंगरी, रूमानिया, इंडोनेशिया तथा नेपाल के साथ व्यापार करारों पर बातचीत चल रही है ।

(ग) व्यापार करार करते समय मुख्य उद्देश्य हमारी निर्यात आय बढ़ाने तथा यथासम्भव अच्छी शर्तों पर आयात प्राप्त करने और साथ ही उन देशों के साथ घनिष्टतर आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने का होता है ।

पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति की सिफारिशें

3043. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति (1959) ने पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले की कन्टाई सब-डिवीजन में 'दुबदा बेसिन' में लम्बी अवधि तक पानी के जमा रहने तथा बार-बार बाढ़ों के आने की समस्या पर विचार किया है ;

(ख) जांच समिति को मार्च 1960 में उसके दौरे के दौरान लोगों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन में क्या सुझाव दिये गये थे ;

(ग) क्या जांच समिति द्वारा अपने प्रारम्भिक प्रतिवेदन (पृष्ठ 5 और 6) में मूल निष्कासन सम्बन्धी समस्या के हल के लिए अनुमोदित तरीकों पर 'दुबदा बेसिन' योजना की तैयारी में उचित ध्यान दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो एगरा-रामनगर रोड के साथ-साथ निष्कासन सम्बन्धी एक बड़ी नाली के निर्माण सम्बन्धी योजना को 'दुबदा बेसिन योजना' में सम्मिलित करके मिदनापुर जिले के रामनगर पुलिस स्टेशन में बाढ़ का भारी खतरा बनाने तथा परियोजना में परिवर्तन की शिकायत को दूर किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). पश्चिम बंगाल बाढ़ जांच समिति की प्राथमिक रिपोर्ट में उनके दिए गए अभ्यावेदनों का ब्यौरा नहीं दिया गया है और न ही उसमें दुबदा बेसिन स्कीम को तैयार करने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सुझाव दिया गया है। समिति ने यह देखा था कि दुबदा बेसिन समेत मिदनापुर जिले के कई बेसिनों में जल-निकास की समस्या बड़ी जटिल है और उसकी विस्तार पूर्वक जांच करने की आवश्यकता है ।

समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दुबदा स्कीम की मुख्य बातें बताई गई हैं । दुबदा बेसिन स्कीम में जिसे राज्य सरकार ने तैयार किया है और योजना आयोग ने स्वीकार किया है, उड़ीसा तटीय नहर के ऊपर साइफन के द्वारा नेगुआ और कुडी खाल बेसिनों से सीधे समुद्र में पानी को व्यपवर्तित करना है और रामनगर में एक जल-कपाट (स्लुइस) को लगाना है जो कि बाढ़ जांच समिति रिपोर्ट में उल्लिखित स्कीमों के ब्यौरे में शामिल नहीं किया गया था । समिति की रिपोर्ट में सम्मिलित स्कीम प्रस्तावों से यह परिवर्तन इसलिए किया गया था कि समुद्र तक एक सीधा और छोटा रास्ता बनाया जाए जिससे द्रुत निकास में सहायता मिलेगी । अब तैयार किए गए प्रस्ताव से रामनगर क्षेत्र में किसी भी समस्या के उठने की सम्भावना नहीं है ।

पश्चिम बंगाल में डुब्डा बेसिन योजना

3044. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कोन्टाई सब-डिविजन में डुब्डा बेसिन योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या योजना का एक अंग अर्थात् एगरा राम नगर रोड के साथ-साथ कन्टाई डिविजन के राम नगर पी० एस० से होकर गुजरने वाली नहर के निर्माण का स्थानीय लोगों ने इस आधार पर विरोध किया है कि वह वस्ती के लिए खतरनाक सिद्ध होगी ;

(ग) उनके दिमाग से भय को निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या पहली किसी योजनाओं में उक्त नहर के निर्माण करने का विचार था ;

(ङ) क्या डुब्डा बेसिन से बाढ़ के पानी को समुद्र में निकासी के अन्य साधनों की सम्भावना पर विचार किया गया है ; और

(च) क्या सार्वजनिक भय और योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नहर का निर्माण करने के विरोध को ध्यान में रखते हुए सरकार का उक्त समस्त मामले में जांच करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च). पश्चिम बंगाल सरकार से रामनगर थाने में से गुजरने वाली जल निकास नाली के सम्बन्ध में वहां के रहने वालों के विरोध अथवा उस स्कीम की पुन: जांच के किसी प्रस्ताव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । बाढ़ जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित स्कीम के प्रस्तावों में रामनगर थाने में से गुजरने वाली किसी जल निकास नाली की व्यवस्था परिकल्पित नहीं थी । बहरहाल, इस परियोजना को जो अन्तिम रूप दिया गया है, उसमें उड़ीसा की तटीय नहर पर एक साइफन और रामनगर पर एक निर्गम द्वार बना कर नेगुआ और कुडी खाल बेसिनों के जल-नि:सार को सीधे समुद्र में मोड़ने की व्यवस्था है । यह परिवर्तन समुद्र तक एक सीधे और छोटे मार्ग की व्यवस्था करने के विचार से किया गया है क्योंकि इससे पानी के द्रुत निकास में सहायता मिलेगी । राज्य सरकार ने डुब्डा बेसिन स्कीम समुद्र तक नालों के पानी के द्रुत निपटान के लिए विभिन्न विकल्पों का विस्तृत अनुसंधान करने के पश्चात् तैयार की है ।

बिहार राज्य के लिये स्वीकृत सिंचाई योजनएं

3045. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों में बिहार राज्य के लिए कितनी सिंचाई योजनाएं मंजूर की ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक परियोजना के लिये केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कितनी सहायता दी और राज्य सरकार ने प्रत्येक योजना पर कितनी धन राशि इकट्ठा की और उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विगत तीन वर्षों में पांच नई सिंचाई स्कीमें स्वीकार की हैं ; सोन उच्च स्तरीय नहर, बागमती सिंचाई स्कीम करमनासा परियोजना और सुन्दर तथा नकती स्कीमें ।

(ख) राज्य सरकारें अपने योजना संसाधनों से सिंचाई स्कीमों पर व्यय करती हैं जिसके लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है । 1967-68, 1968-69 और 1969-70 में बिहार राज्य

के योजना परिव्यय क्रमश: 66.2 करोड; 71.70 करोड़ और 63-60 करोड़ रुपये थे जिनमें से केन्द्रीय सहायता क्रमश: 51-5 करोड़ रुपये, 46 8 करोड़ रुपये और 30.40 करोड़ रुपये थी। 1967-68 और 1968-69 में केन्द्रीय सहायता का एक भाग भी निम्नलिखित परियोजनाओं को दिया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपयों में)
कोसी	802
गंडक	1830
सोन उच्च स्तरीय नहर	70

1969-70 से केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष विकास शीर्ष अथवा स्कीम से सम्वद्ध नहीं होती।

1967-68 और 1969-70 के बीच परियोजनाओं पर कुल व्यय और लाभ नीचे दिए जाते हैं :—

	1967-68 से 1969-70 तक व्यय (लाख रुपये)	लाभ — मार्च, 1970 तक समुपयोजन (एकड़)
कोसी	1182	560,000
गंडक	3200	136,000
सोन उच्च स्तरीय नहर	166	—
सोन बराज पुर्नरुपण	185	373,000
चंदन जलाशय	342	24,000
करमनासा परियोजना और उत्तर प्रदेश के मुसाखंड बांध में बिहार का भाग	68	—
सुन्दर	12	—
नकती	8	—
संतत मध्यम स्कीमें	300	165,000
बागमती सिंचाई स्मीम	—	—

बिहार के गांवों में बिजली लगाना

3046. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गांवों में बिजली लगाने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है और उसकी प्रगति योजना से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का उक्त राज्य में गांवों में बिजली लगाने का कार्य तेज करने के लिये कोई योजना तैयार करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सिंचाई व बिजली उपमंत्री ने 21 नवम्बर, 1970 को पटना में ग्राम-विद्युतीकरण स्कीमों समेत विद्युत स्कीमों की प्रगति का पुनरलोकन किया। ग्राम-विद्युतीकरण की प्रगति अनुसूची के पीछे है जिसके मुख्य कारण ये हैं—पारेषन और वितरण के तारजाल के विस्तार में देरी और आवश्यक कच्चे माल की कमी। परिमाप और वितरण के तार-जाल में विस्तार से संबंधित स्कीमों की प्रगिति को तेज करने के लिए पग उठाए गए हैं। बिहार के अधिकारियों को यह निदेश भी दिया गया है कि वे कच्चे माल के लिये मांग सूचियों का अन्तिम आयोजन करें ताकि समय पर देशी उत्पादन में प्राथमिकतायें दी जा सकें और कमियों को पूरा करने के लिए आवास की व्यवस्था की जा सके आशा की जाती है कि उपर्युक्त कार्यवाही करने से पम्पों के उर्जन के लिये चौथी योजना में उल्लिखित लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा।

दिल्ली में हत्या, अपहरण, नारियों का शीलभंग तथा चोरी के मामले

3047. **श्री बलराज मधोक :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 सितम्बर, 1970 के बाद दिल्ली में हत्या, अपहरण, नारी-शील-भंग तथा चोरी की कुल कितनी घटनाएं हुईं ; और

(ख) इनमें से श्रेणीवार कितने-कितने मामलों में अपराधियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार हत्या, अपहरण, नारी-शील-भंग तथा चोरी के दर्ज मामलों की कुल संख्या 1-9-1970 से 15-11-1970 तक 4035 है।

(ख) श्रेणीवार पता लगाये गए अपराध		गिरफ्तार किए गए अपराधी
हत्या	24	43
अपहरण	38	58
नारी-शील-भंग	18	20
चोरी	278	323

योजना की क्रियान्विति पर निगरानी रखने की व्यवस्था

3048. **श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति की निगरानी के लिये योजना आयोग ने कोई व्यवस्था की है, और यदि नहीं, तो योजना तैयार करने वाले कर्मचारी उस समय क्या करते हैं जबकि योजना क्रियान्वित की जा रही होती है ;

(ख) मैसूर राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाओं तथा सहायक सड़कों के निर्माण के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना कहां तक क्रियान्वित की जा चुकी है ; और

(ग) इन मदों के लिये दक्षिण कनारा जिले के लिए चौथी योजना में निर्धारित राशि क्या है और उसमें से कितनी खर्च की जा चुकी है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सम्बन्धित राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है ।

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सम्बध में सरकारी कर्मचारियों के लिए आयु नियम में उदारता

3049. **श्री लोबो प्रभु : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये आयु सम्बन्धी नियम में छूट क्यों नहीं दी जाती है ;

(ख) सीधी भर्ती तथा परीक्षा के आधार पर निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की विभागगत पदोन्नति में रिक्त स्थानों का समान वितरण क्यों नहीं किया जाता है ; और

(ग) पक्षपात की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नतियां परीक्षाओं और सेवा-अभिलेख के आधार पर किये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). किसी विशेष ग्रेड अथवा पदों के समूह पर भर्ती करने की पद्धति, उस पद को दक्षता से भरे जाने के लिए अपेक्षित योग्यतायें, अनुभव और पूर्व प्रशिक्षण की निर्दिष्ट करके, निश्चित करनी आवश्यक होती है । उपरोक्त मानदण्ड के आधार पर किसी विशेष ग्रेड पर भर्ती की पद्धति निश्चित करने में निम्न ग्रेडों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, ताकि अच्छा कार्य किये जाने के लिये प्रोत्साहन बना रहे, प्रतियोगी परीक्षा अथवा अन्यथा के आधार को भी ध्यान में रक्खा गया है, जिससे कि उस ग्रेड में युवा-पीढ़ी के व्यक्तियों को भी भर्ती किये जाने की सुविधा होगी। इस मानदण्ड पर आधारित होते हुए, वह औसत जिससे सीधी भर्ती तथा पदोन्नति की जानी है, सुसंगत भर्ती नियमों को विहित किया गया है । सेवा में 'युवा पीढ़ी' के प्रवेश के लिए सीधी भर्ती के लिए कुछ निश्चित आयु सीमायें विहित करना तथा उन सीमाओं पर दृढ़ रहना आवश्यक है । यदि सरकारी कर्मचारियों के मामलों में एक सामान्य नियम के रूप में आयु-सीमाओं में छूट दी जाती है तो जिस

प्रयोजन के लिए प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती की जाती है, वह निष्फल हो जाता है।

(ग) वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत प्रवरण पदों/प्रवरण ग्रेडों पर 'योग्यता' के आधार पर नियुक्तियां केवल उन्हीं व्यक्तियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये करनी होती है, जिसके मामले नियुक्ति किये जाने के अनुक्रम में विचार किये जाने के क्षेत्र के अन्तर्गत, (जो सामान्यतया एक वर्ष के अन्दर प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या का पांच या छः गुना तक होते हैं) सम्मिलित किये जाते हैं, और जिन्हें उनके सेवा-अभिलेखों के आधार पर चुना जाय, उनके नाम उनकी योग्यता के प्रवर्गीकरण के क्रम से व्यवस्थित किये जाते हैं। प्रवरण विभागीय पदोन्नति समिति (अथवा अन्य प्रवरण-प्राधिकारी, यदि नियमों में प्रदत्त हो) द्वारा किया जाता है संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य, उच्च पदों के प्रवरण के लिए गठित की गई विभागीय पदोन्नति समितियों की अध्यक्षता करता है। चूंकि इन समितियों में एक से अधिक सदस्य होते हैं और उच्च पदों के प्रवरण के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग भी सम्बद्ध होता है, इसलिए किसी व्यक्ति का पक्षपात किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, कुछ ऐसे पद हैं जिनके भर्ती नियम पात्र विभागीय कर्मचारियों के सेवा-अभिलेखों के निर्धारण अथवा बिना निर्धारण के, जैसी भी स्थिति हो, सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए व्यवस्था करते हैं। वरिष्ठ प्रवरण ग्रेड पदों पर यह पद्धति निश्चय ही लागू नहीं की जा सकती।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियां

3050. **श्री देविन्दर सिह गार्चा :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या **प्रधान मन्त्री** भारतीय सांख्यिकीय सेवा में पदोन्नतियों के बारे में 21 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3567 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय सांख्यिकीय सेवा में चतुर्थ वर्ग में पदोन्नति के लिये, मान्य पदों पर काम कर रहे पात्र व्यक्तियों की सूची में उम्मीदवारों का नये सिरे से मूल्यांकन कर संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से पुनरीक्षण करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) तथा (ख). भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग की 25 प्रतिशत रिक्तियां, इस प्रयोजन के लिए मान्य, उन पदों (सामान्यतौर पर प्रदायक पद कहे जाने वाले पदों) पर कार्य करने वाले व्यक्तियों में से पदोन्नति के आधार पर संघ लोक वा आयोग के परामर्श से भरी जाती हैं। पदों की यह सूची बना ली गई है और इसे नये पदों के सृजन अथवा पुराने पदों के समाप्त किये जाने पर, समय-समय पर परिशोधित किया जाता है। इस सेवा के चतुर्थ वर्ग पर पदोन्नति के लिए संघ लोक सेवा, आयोग के परामर्श से प्रदायक पदों पर कार्य करने वाले पात्र व्यक्तियों की सूची से योग्य व्यक्तियों की सूची तैयार की जाती है। पिछली सूची में सम्मिलित 17 व्यक्तियों को पदोन्नत

किया जा चुका है। इस सेवा के चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति कोटा में वर्तमान रिक्तियों के लिए योग्य व्यक्तियों की एक नई सूची बनाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय सांख्यकीय सेवा में पदोन्नतियां

3051. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री जगेश्वर यादव :

क्या प्रधान मंत्री भारतीय सांख्यकीय सेवा में पदोन्नति के बारे में 21 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3568 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर के भाग (क) में दिये गये आंकड़े किस आधार पर एकत्र किये गये ;

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय सांख्यकीय सेवा के चौथी श्रेणी के 254 पदों में से केवल कुछ पर इस समय नियमित संवर्ग के कर्मचारी नियुक्त हैं और गत एक दशक में केवल 17 नियमित पदोन्नतियां की गई हैं, क्या सरकार का स्थिति में सुधार करने और अनुभवी तथा अर्हताप्राप्त तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर्मचारियों की अनुमोदित लम्बी प्रतीक्षा सूची को नियमित करने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के चतुर्थ वर्ग में पदोन्नति द्वारा भरी गई रिक्तियां 25 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होती। चतुर्थ वर्ग में 31-12-1966 को 69 रिक्तियां थीं, 52 सीधी भर्ती कोटा तथा शेष का 25 प्रतिशत 17 होता है।

(ख) तथा (ग). चतुर्थ वर्ग में आने वाली रिक्तितों में पदोन्नति का कोटा 25 प्रतिशत है, तथा इस प्रतिशत में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब तक किये गये 17 नियमित पदोन्नति के अलावा, चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति कोटा में शेष रिक्तियों पर नियमित पदोन्नति करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, जिसकी अनुमानतः संख्या 21 है।

थन्नारमुक्कोम बंध के निर्माण-कार्य में प्रगति

3052. **श्री अ० कु० गोपालन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थन्नारमुक्कोम बंध का निर्माण कार्य अब बन्द पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का थन्नारमुक्कोम बंध के निर्माण-कार्य की गति को तीव्र करने के लिये कोई विशिष्ट कार्य करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त निर्माण-कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). स्कीम के दूसरे भाग के लिए पाइलिंग कार्य चल रहा है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि कार्य प्रगति कर रहा है और चतुर्थ योजना के अंत तक काफी हद तक निर्माण-कार्य का पूर्ण होना प्रस्तावित है ।

Scheme for Training to Deputy Secretaries for Holding Higher Posts

3053. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme where under the Officer of the rank of Deputy Secretaries in the Government of India would be given training enabling them to hold posts involving higher responsibilities ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether it is proposed to impart training under the said scheme to all the Deputy Secretaries whether they are working in the Supreme Court or in any other autonomous body or in the Central Secretariat Service ; and

(d) if not, the names of the bodies and offices which would not be covered by the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) a number of Executive Development Programmes are being conducted for officers of the rank of Deputy Secretaries to the Government and equivalent levels elsewhere at institutions like the Indian Institute of Public Administration, New Delhi, and the National Academy of Administration, Mussoorie. These programmes are, however, not related directly to their holding posts involving higher responsibilities. The Administrative Reforms Commission have made a number of proposals for senior management positions and these recommendations are under consideration.

(b) to (d). Do not arise.

Progressive use of Hindi

3054. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4541 on the 22nd August, 1969 regarding progressive use of Hindi and state :

(a) the names of Ministries of Departments, which have not so far appointed a Senior Officer of the rank of Joint Secretary to ensure the implementation of the provisions of the Official Languages (Amendment) Act and the instructions issued thereunder and the reasons advanced by them ;

(b) the names of Ministries which have not sent progress reports regarding development of Hindi and its progressive use in office work and the reasons given by them ; and

(c) whether the details of the progressive reports received so far would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) :
(a) In all the Ministries and Departments of the Government of India, except the Departments of Communications and Parliamentary Affairs, a senior officer of or above the rank of Joint Secretary has been made responsible for ensuring implementation of the provisions of the Official Languages (Amendment) Act and the administrative instructions issued in that regard. In the Department of Communications, where there is no post of Joint Secretary, a Director looks after the work, and in the Department of Parliamentary Affairs, where a Deputy Secretary has been assigned the said duties, the Secretary is of the rank of a Joint Secretary.

(b) Nil.

(c) The Annual Assessment Report for 1968-69 on the programme for accelerating the spread and development of Hindi and its progressive use for various official purposes of the Union has required under Government Resulution on official language adopted by Parliament in December, 1967, was placed on the table of the House on 29th August, 1969. The second Annual Assessment Report for the year 1969 70, will be placed on the table of the House as soon as it is printed.

राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों की क्रियान्विति

30:5. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयतावाद को रोकने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा अपनी श्रीनगर की बैठक में की गई सिफारिशों के बारे में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस वर्ष के पहले नौ महीनों में कितनी साम्प्रदायिक घटनाएं हुई तथा उनसे सम्बद्ध राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयतावाद का मुकाबला करने के लिए शिक्षा तथा सार्वजनिक प्रचार साधनों के बारे में परिषद के निर्णय की क्रियान्विति में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी): (क) और (ग). एक विवरण (i) संलग्न है, जिसमें साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय, शैक्षिक तथा जन-शिक्षा पहलुओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वियन में हुई प्रगति के बारे में नवीनतम स्थिति दी गई है ।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण-II में दी जाती है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०—:462/70]

भुतपूर्व शासकों की सरकार के साथ समझौते की इच्छा

305 . **श्री यशपाल सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रिवी पर्स प्राप्त करने वाले लगभग .00 भूतपूर्व शासकों ने, जो अधिकांश छोटे शासक हैं, केन्द्रीय सरकार से समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि भूतपूर्व शासकों को, जिन्होंने अन्तरिम भत्ते के सम्बन्ध में स्वेच्छा से समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, पूरी धनराशि का भुगतान किया जाना चाहिए ;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का भुगतान एकमुश्त में किया जायेगा ; और

(ङ) सरकार ने उन भूतपूर्व शासकों के बारे में क्या निर्णय किया है जिन्हें प्रिवी पर्स के रूप में बहुत अधिक राशि मिल रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). कुछ भूतपूर्व नरेश समय-समय पर सरकार के समक्ष अन्तःकालीन प्रबन्धों के बारे में अपने विचार रखते रहे हैं। जैसाकि पहले घोषित किया गया था सरकार का भूतपूर्व नरेशों को अन्तःकालीन भुगतान करने का विचार है ताकि वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समायोजन कर सकें। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

ब्रिटिश सरकार की निर्यात सम्बन्धी स्थिति

3057. **श्री यशपाल सिंह** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 नवम्बर, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्रिटिश उच्चायुक्त, सर मोरिस जेम्स ने 6 नवम्बर, 1970 को एक वक्तव्य में ब्रिटेन से भारत को किये जाने वाले निर्यात में गिरावट में चिन्ता व्यक्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में भारत को ब्रिटेन से हुए निर्यात की स्थिति क्या थी ; और

(ग) ब्रिटेन से भारत को किये जाने वाले निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) ब्रिटेन से भारत में किया गया आयात वर्ष 1967-68 में 1.57 करोड़ रु० का था जो गिरकर वर्ष 1968-69 में 128 करोड़ रु० तथा वर्ष 1969-70 में 100 करोड़ रु० का रह गया है।

(ग) ब्रिटेन से आयातों में गिरावट के निम्न कारण हो सकते हैं भारत में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता का विकास, आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम, हमारे आयातों के ढांचे में परिवर्तन, और भारत के लिये आवश्यक उत्पादों के सम्भरण के नये तथा सस्ते स्त्रोतों का आविर्भाव।

Financial Assistance to the Wife of National Flag Inventor

3058. **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri S. A. Agadi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the wife of the National Flag inventor, late Shri Pingalli Venkatappa, is passing her days in abject penury in a temple in Vijaywada ; and

(b) if so, whether Government propose to give her some financial assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) and (b). According to the information furnished by the Government of Andhra Pradesh the wife of late Shri Pingali Venkiah in staying in a choultry at Vijaywada. She was given a sum of Rs. 500/- by the Collector of Krishna from his Discretionary Grant in April, 1970. The State Government are examining the question of granting her a monthly allowance.

राज्यपाल की शक्तियों के सम्बंध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

3059. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यपालों की शक्तियों के विषय पर अपना प्रतिवेदन हाल में प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी केन्द्र-राज्य सम्बन्धों और राज्य प्रशासन सम्बन्धी रिपोर्टों में राज्यपाल के कार्यों के बारे में सिफारिशें की हैं, जो क्रमशः 19 जून और 4 नवम्बर, 1969 को प्रस्तुत की गई थीं। पहली रिपोर्ट की प्रतियां 8-8-1969 को सदन के पटल पर रख दी गई थी और दूसरी रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

आसाम में कार्य करने वाले भारतीय प्रशासनिक तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

3060. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने पद बनाये गये ;

(ख) उनमें से आसाम के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) आसाम में इस समय काम कर रहे भारतीय प्रशासनिक तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : तीन वर्ष की अवधि में 1-1-1967 से 31-12-1969 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या में 476 की बढ़ोतरी थी।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आसाम संवर्ग से सम्बन्धित अधिकारियों की संख्या में 6 की बढ़ोतरी थी।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा	—	72
भारतीय पुलिस सेवा	—	43

देश में बन्द सूती कपड़ा मिलों की स्थिति

3061. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1970 का प्रत्येक राज्य में कौन-कौन सी सूती कपड़ा मिलें बन्द थी ;

(ख) प्रत्येक राज्य में 30 सितम्बर, 1970 के मिलों के बन्द तकुओं की संख्या क्या थी ;

(ग) प्रत्येक राज्य में इससे कितने कामगार प्रभावित हुए और उत्पादन में कितनी हानि हुई ;

(घ) बन्द मिलों के सामने क्या समस्याएं थीं ; और

(ङ) बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**—4463/70]

(घ) सूती वस्त्र मिलों के बन्द होने के मुख्य कारण निरन्तर हानियां, अलाभकारी कार्य-चालन, वित्तीय तंगी, श्रमिक द्वारा हड़ताल आदि से सम्बन्धित कठिनाइयां है ।

(ङ) बन्द पड़ी 44 मिलों में से तीन मिलों में पुनः कार्य शुरू हो चुका है और तीन मिलों के प्रबन्ध को सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18-ए के अधीन अपने हाथ में ले लिया है । एक और मिल को भी शीघ्र ही सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिए जाने की सम्भावना है । आठ मिलों की फिलहाल जांच हो रही है और उनके सम्बन्ध में विचार, जांच समितियों से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर किया जायेगा । चार मिलों को अलाभकारी समझा गया है । 12 मिलों के मामलों में उनके समापन आदि के बारे में मुकदमें चल रहे हैं । शेष 13 मिलों के मामलों की, सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा वस्त्र आयुक्त के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है ।

कपड़े के उत्पादन में कमी

3062. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 से 1970 की अवधि में मिल्स में कपड़े का उत्पादन घटा और कुछ किस्म के कपड़ों के मूल्य में वृद्धि हुई है ;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में मिलों में कपड़े का उत्पादन कितना रहा ; और

(ग) उक्त अवधि में राज्यवार और वर्षवार प्रत्येक किस्म के कपड़े का औसत खुदरा मूल्य क्या रहा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

(ग) नियन्त्रित कपड़े के खुदरे मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जहां तक अनियन्त्रित कपड़े का सम्बन्ध है, ऐसे कपड़े के खुदरे मूल्य सर्वथा मांग तथा पूर्ति स्थिति द्वारा और कुछ ब्रांडों की लोकप्रियता द्वारा निर्धारित होते हैं। सरकार ऐसे कपड़े के खुदरे मूल्यों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े नहीं रखती है क्योंकि उनके मूल्य एक ही कोटि के लिए भिन्न भिन्न स्थानों तथा परचून दुकानों पर अलग अलग होते हैं।

विवरण

वस्त्र मिल क्षेत्र में सूती कपड़े के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	मिल क्षेत्र में कपड़े का उत्पादन (हजार मीटरों में)		
	1968	1969	1970 (जनवरी-जुलाई)
आंध्र प्रदेश	32,557	31,540	19,104
बिहार	138	138	75
गुजरात	13,13,663	12,40,790	7,70,467
हरियाणा	44,171	40,116	28,942
केरल	18,732	18,998	10,465
मध्य प्रदेश	3,98,827	3,82,693	2,24,870
महाराष्ट्र	14,72,444	14,45,984	8,44,174
मैसूर	86,692	92,779	47,431
उड़ीसा	35,204	31,075	16,602
पंजाब	36,475	33,463	18,323
राजस्थान	64,852	66,582	37,972
तमिलनाडु	1,65,270	1,53,455	96,851
उत्तर प्रदेश	2,76,136	2,64,788	1,52,014
पं० बंगाल	2,14,382	1,76,457	1,03,421
दिल्ली	1,58,226	1,38,628	77,271
पांडिचेरी	47,352	50,904	29,805
	43,66,091	41,68,390	24,77,787

दिल्ली में चुराई गई और बरामद की गई सम्पत्ति का मूल्य

3063. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक

वर्ष में दिल्ली में कुल कितनी मूल्य की सम्पत्ति की चोरी की गई और उसमें से कितने मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गई तथा उक्त अवधि में कितने कितने लोग पकड़े गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : दिल्ली पुलिस के अनुसार 1-11-69 से 31-10-70 तक की अवधि के लिए सम्बन्धित आंकड़े इस प्रकार हैं :

(i)	चोरी की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य	1,61,47,137.61 रु०
(ii)	बरामद की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य	57,03,070.74 रु०
(iii)	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	3069

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात और दुर्व्यवहार की शिकायतें

3064. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष दिल्ली में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात और दुर्व्यवहार की कितनी शिकायतें की गई और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 1-11-1969 से 31-10-1970 तक प्राप्त ऐसी शिकायतों के ब्यौरे तथा उन पर की गई कार्रवाई अनुलग्नक (क) में दी गई हैं।

(ख) उन पुलिस अधिकारियों के नाम जिनके विरुद्ध कार्रवाई पूरी कर ली गई है तथा ऐसी कार्रवाई के ब्यौरे अनुलग्नक (ख) में दिये गये है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या** एल० टी०—4464/70]

कपास के मूल्य में वृद्धि के कारण कपड़ा निर्यात पर प्रभाव

3065. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण कपड़ा निर्यात को भारी हानि होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसको कितनी हानि होने की संभावना है ;

(ग) क्या कपड़ा निर्यात को प्रोत्साहन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कपास की कीमतों में वृद्धि हुई है और इससे निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।

(ख) इस अवस्था में इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) तथा (घ). उपचारात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से वर्तमान स्थिति का अध्ययन रहा है। पहले से अनुमत आयातित कपास का शीघ्रता से लदान करवाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बाजार में कपास का अधिक माल आ जाने पर स्थिति में सुधार हो जाने की संभावना है।

पश्चिमी जर्मनी को निर्यात

3066. **श्री सु० कु० तापड़िया : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी जर्मनी को भारत के निर्यातों में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार का ध्यान दिनांक 2 नवम्बर 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स किया जा में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). पश्चिमी जर्मनी को हमारे निर्यात 1967-68 में 2228 लाख रु० मूल्य के थे जो बढ़कर 1968-69 में 2650 लाख रु० तथा 1969-70 में 2988 लाख रु० हो गये। सरकार ने दिनांक 2 नवम्बर, 1970 के हिन्दुस्तान में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। पश्चिम जर्मनी को सामान्यत: विभिन्न भारतीय उत्पादों, विशेषत: अपरम्परागत उत्पादों के निर्यात की काफी गुंजाइश है। सरकार, भारत-जर्मन वाणिज्यिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए विद्यमान सम्भाव्यताओं का भी अधिकतम प्रयोग करना चाहती है। इन सम्बन्धों में, पश्चिम जर्मनी को भारत के निर्यातों को बढ़ाना, तीसरे देशों में परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत-जर्मन सहयोग, निर्यात अभिमुख उद्योगों की स्थापना तथा विकास में जर्मन सहायता, भारतीय परामर्शी सेवाओं की व्यवस्था आदि शामिल हैं।

पश्चिमी बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुख्य सलाहकार द्वारा दिया गया वक्तव्य

3067. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुख्य सलाहकार ने हाल ही में प्रेस को एक वक्तव्य दिया है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति में पहले की अपेक्षा निरंतर प्रगति हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या आधार हैं ; और

(ग) क्या राज्य प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना दी थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुख्य सलाहकार ने 4-11-1970 को दिल्ली में प्रेस को बताया था कि यद्यपि पुलिस कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के मारे जाने से सरकार चिन्तित है तथापि कुछ बातों में राष्ट्रपति शासन के दौरान स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल की विधि व व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में सरकार के विचार 20 नवम्बर, 1970 को मेरे द्वारा इस सदन में विस्तार से स्पष्ट किये गये थे।

वैज्ञानिकों और टैक्नोलोजीविज्ञों की बैठक

3068. **श्री नारायणन :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अनुसंधान संगठन और विकास अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिक टैक्नोलोजीविज्ञों और विज्ञान निदेशकों की एक बैठक 28 नवम्बर 1970 को हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई तथा क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). वैज्ञानिकों, टेक्नालाजीविज्ञों और शिक्षाशास्त्रियों का एक सम्मेलन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति द्वारा 28 नवम्बर से 30 नवम्बर, 1970 तक नई दिल्ली में बुलाया गया था। उक्त सम्मेलन में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें, साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिए अनुसंधान और विकास के ढांचे का पुनर्गठन, टेक्नालाजी का हस्तान्तरण, विज्ञान और उद्योग एवं अनुसंधान संस्थाओं के साथ उसकी प्रभावकारी परस्पर-सम्बद्धता को अमल में लाने के बारे में विश्वविद्यालयों का योगदान, तकनीकी एवं वैज्ञानिक जन-शक्ति आयोजन, प्रशिक्षण एवं शिक्षा, विज्ञान का प्रबन्ध, वैज्ञानिक-नीति को अमल में लाने के बारे में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, आदि सम्मिलित थे। सम्मेलन की कार्यवाही को संभवतः शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

आयातित सामान का मूल्य तथा सप्लाई का समय न दिखाने की प्रक्रिया

3070. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **वैदेशिक-व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्यात संगठन ने सरकार का ध्यान आयातित सामान का मूल्य तथा उपभोक्ता को उसकी सप्लाई का समय न दर्शाने के बारे में वितरण अभिकरणों की प्रक्रिया की ओर दिलाया है ;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम, जिनके माध्यम से आयातित माल मुख्यतः मार्गीकृत किए जाते हैं के द्वारा उपभोक्ताओं को आयातित माल की सुपुर्दगी तथा कीमतों के सम्बन्ध में जानकारी देने के लिऐ अपनायी गई क्रियाविधि निम्नोक्त प्रकार है :

1. **राज्य व्यापार निगम :**

(i) **रासायनिक मदें :** निगम द्वारा जारी किये गये माल के निकासी आदेशों में कीमतें तथा सुपुर्दगी के समय दिये जाते हैं।

(ii) **कृषिगत उत्पाद :** आवंटकों को माल के पहुंचने स पूर्व ही सूचना दे दी जाती है। पहली जानकारी माल की जहाज पर रवानगी होने पर दी जाती है। यदि आवंटक चाहें तो खोपरा, चर्बी, सोयाबीन तेल आदि के मामले में, सुपुर्दगियां जहाज पर या गोदी पर तथा बेकरी तथा ब्रूअरी होप्स, ताड़ के तेल आदि के मामले में सुपुर्दगियां लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर भी नौपरिवहन-पत्रों का अन्तरण करके कर दी जाती हैं।

(iii) **कार्क लकड़ी :** उपभोक्ताओं की कीमत तथा सुपुर्दगी के समय सम्बन्धी जानकारी दी जाती है तथा विक्रय या तो महासमुद्र में या निगम के भण्डारों से किए जाते हैं।

(iv) **नाइलन धागा :** निगम द्वारा मान्यता प्राप्त सभी बुनकर वितरक संस्थाओं को कीमतों की घोषणा कर दी जाती है।

(v) **ऊन तथा शाडी ऊन :** क्रय खरीदारों के साथ विचार-विमर्श करके किया जाता है, इसलिये उनको कीमतों तथा सुपुर्दगी कार्यक्रमों का पता होता है।

2. **खनिज तथा धातु व्यापार निगम :**

गैरप्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिये अलौह धातुएं खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत की जाती हैं। निगम विपुल मात्रा के आवंटन वाले एककों हेतु उनसे विचार-विमर्श करके अलौह धातुओं का क्रय करता है तथा उनको कीमतों तथा सुपुर्दगी कार्यक्रम संबंधी जानकारी देता है। लघु क्षेत्र के एककों के सम्बन्ध में, जिनकी सख्या बहुत अधिक है, प्रत्येक लघु एकक के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करना अव्यवहारिक है। एक सम्पर्क समिति की स्थापना की गई है जिसमें उद्योगों के प्रतिनिधि, विकास आयुक्त, लघु उद्योग तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक-एक प्रतिनिधि है और निगम द्वारा आयातित अलौह धातुओं की कीमतों तथा सुपुर्दगी समय से संबंधित जानकारी पृथक-पृथक एककों को उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा भेजी जाती है।

नाइलोन यार्न का राज्य व्यापार निगम के द्वारा आयात

3071. **श्री स० कुन्दू :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम नाइलोन यार्न का आयात कर रहा है और यदि हां, तो इस प्रकार आयात किये गये नाइलोन यार्न की मात्रा कितनी है और इसके वितरण का तरीका क्या है ; और

(ख) छोटे बुनकरों को यार्न का वितरण करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम द्वारा नाइलोन धागे के आयात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लागत बीमा भाड़ा सहित) (लाख रुपये में)
1967-68	1794.48	267.83
1968-99	1131.11	160.04
1969-70	—	—
1970-71	1458.00+	213.00

(+इसमें वे मात्रायें भी शामिल हैं जो भेजी जा चुकी हैं और जिनका लदान हो रहा है। और आयातों की व्यवस्था की जा रही है)।

नाइलोन धागे के वितरण राज्य व्यापार निगम द्वारा संगठित संघों के माध्यम से वास्तविक प्रयोक्ताओं के विभिन्न वर्गों को प्राधिकृत क्षमता के आधार पर किया जाता है। लघु क्षेत्र के प्राधिकृत करघों को भी इन संघों द्वारा माल दिया जाता है।

Target for Export

3072. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the target fixed by Government to increase exports for the next three years ; and

(b) if no target has been fixed, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Exports targets for the years 1969-70 to 197 -74 (the period covered by Fourth Plan) for 21 major commodities have been fixed so far. A copy of the targets is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4465/70].

(b) No targets have so far been fixed far the period covered by the Fifth Plan as it is too early to do so. This will be done as and when the proposed machinery to review the export outturn comes into existence. The proposal is still under consideration of Government.

Recommendations made at Conference of State Ministers of Irrigation and Power

3074. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether apart from the problems concerning irrigation, flood-control and power supply, the measures to be adopted for providing employment opportunities to the unemployed Engineering Graduates and Diploma-holders were also discussed in the Conference of the State Ministers of Irrigation and Power, as reported in the newspaper "Aj" dated the 25th September, 1970 ; and

(b) if so, the main recommendations made at the said conference ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar (Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) It was agreed that sufficient funds should be provided for taking up investigation of irrigation and power schemes so that there was more scope for employment of engineers, while at the same time ensuring that advance action was taken for implementation of schemes for benefits during the Fourth and Fifth Plans.

पटसन के निर्यात में कमी

3075. **श्री वी० नरसिम्हा राव** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि पटसन के निर्यात में कमी की दृष्टि में रखते हुए सरकार पटसन उद्योग की मांगों पर विचार करे ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योग की मांगों को पूरा करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). आयात तथा निर्यात सलाहकार परिषद की गत बैठक में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के अधिकारियों ने भारतीय पटसन निर्यातों की गिरती हुई प्रवृत्ति को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिये थे। इन सुझावों को नोट कर लिया गया है और निर्यातों को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाता है।

चिल्का झील की सफाई

3076. **श्री रवि राय** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान उड़ीसा सरकार के मुख्य मन्त्री के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राज्य सरकार ने 1.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चिल्का झील की सफाई के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या उन्हें उक्त प्रस्ताव प्राप्त हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार के 1.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चिल्का झील के तलकर्षण की कोई स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल, चिल्का झील से समुद्र तक मुहाने के तलकर्षण के प्रश्न पर उड़ीसा के मुख्य मन्त्री द्वारा केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री के साथ 15 अक्तूबर, 1970 को विचार विमर्श किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि इस प्रस्ताव पर लगभग मोटे अनुमान के अनुसार 1.5 करोड़ रुपये व्यय होंगे। तब यह फैसला किया गया था कि चिल्का झील की समस्या की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिए और अनुमानित लागत बताने तथा उपयुक्त

सुझाव देने के लिए एक तकनीकी समिति की स्थापना की जाये । भारत सरकार द्वारा परिवहन मन्त्रालय के विकास सलाहकार (पत्तन) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति स्थापित की जा रही है ।

गावों में बिजली लगाने के लिए अतिरिक्त सहायता देने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का अनुरोध

3077. **श्री रवि राय :**

श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने तेजी से बिजली लगाने के लिए ट्रांसमिशन और वितरण का जाल बिछाने हेतु चौथी योजना में आवंटित की गई धनराशि के अतिरिक्त 10 से 12 करोड़ रुपये की धनराशि का आवटन करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्हें राज्य सरकार से कब पत्र प्राप्त हुआ ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उर्जित सिंचाई की व्यवस्था पर विशेष बल देते हुए, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से उड़ीसा में उच्च-वोल्टता परिषण तथा वितरण स्कीमों के लिए उड़ीसा सरकार ने 10 से 12 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में परिषण और वितरण जाल को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त कार्यक्रम भेजे । इन कार्यक्रमों की प्राप्ति पर ऐसे कार्यक्रमों के लिये भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर आगे विचार किया जायेगा ।

फरक्का बांध परियोजना तथा जंगीपुर नहर के पूरे होने में देरी

3078. **श्री समर गुह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1970 की 'अमृत बाजार पत्रिका' कलकत्ता में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि बड़े अधिकारियों द्वारा सुचारू रूप से कार्य न चलाने के कारण सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार फरक्का बांध परियोजना जून 1971 से पहले पूरी नहीं होगी ;

(ख) क्या 27 मील लम्बी जंगीपुर नहर की खुदाई का कुल आधा कार्य पूरा हुआ है तथा बोर्ड की पच्चीसवीं बैठक के बाद इस मामले में कोई प्रगति नहीं की गई है ;

(ग) क्या ठेकेदारों की समस्याओं को हल करने तथा मजदूरों के लिए वैकल्पिक रोजगार देने के सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है ;

(घ) क्या सरकार ने इसी समाचार में इसके विरुद्ध लगाए गये पाँच आरोपों की ओर ध्यान दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। मूलत: फरक्का बराज परियोजना के जून, 1971 तक पूर्ण होने की सम्भावना थी, किन्तु ठेकेदारों के संगठनों में श्रमिक अशान्ति, परियोजना के स्टाफ और कर्मकों द्वारा प्रदर्शनों, हड़तालों, धीरे काम करो की चालों आदि से जो कि 1969-70 के आरम्भ में शुरू हो गये थे, कार्यों की प्रगति को धक्का लगा है और इससे परियोजना के पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि पर कुप्रभाव पड़ा है।

(ख) अक्तूबर, 1970 तक पोषक नहर पर 60.7 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है।

(ग) ठेकेदारों को इस समर्थ बनाने के लिए कि वे कार्य आरम्भ करें उन्हें उचित सहायता दी जा रही है। जहां तक परियोजना पर लगे स्टाफ का सम्बन्ध है, उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है और उनमें से बहुत सी मांगों को स्वीकार कर लिया है। परियोजना पर काम कर रहे कुछ स्टाफ को परियोजना के लिए आवश्यक रख-रखाव संबंधी स्टाफ में खपा लिया जायेगा और शेष लोगों के लिए रोजगार ढूंढने के लिए हर सम्भव यत्न किया जाता रहेगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) (1) परियोजना से सम्बन्धित सभी तकनीकी समस्याओं पर सलाह देने के लिये देश के प्रसिद्ध इन्जीनियरों की एक तकनीकी सलाहकार समिति है। इस समिति ने दक्षिण अत्याधार (अबटमेंट) के स्थल के समेत बराज बनने के स्थल को स्वीकार कर लिया है।

(2) अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टेंडर समिति है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ और वित्त मन्त्रालय तथा प्रशासनिक मन्त्रालय के प्रतिनिधि शामिल है और जो कि परियोजना के सभी बृहत् कार्यों के लिये टेंडरों की, इन पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए जांच करती है और उन्हें स्वीकार करती है। टेंडर भरने वाले की तकनीकी और आर्थिक क्षमता, निर्धारित तिथियों तक कार्य को खत्म करने की उनकी क्षमता, स्थल तक लाई जाने वाली मशीनरी की किस्म और संख्या के सम्बन्ध में उनके संसाधन, विदेशी मुद्रा की आवश्यकताएं आदि।

(3) 1966 के वर्ष के दौरान, संसाधनों की तंगी के कारण, परियोजना के कार्यों की अनुसूची को बदलना पड़ा और उपलब्ध धन राशियों को उच्चतर प्राथमिकता वाले कार्यों पर लगाना पड़ा। अत: नौवहन जलपाश पर कार्य को स्थगित करना पड़ा।

(4) तकनीकी सलाहकार समिति ने यह सुझाव दिया था कि कार्य क्षेत्र की चारदीवारी के लिये एक सेल्युलर काफर बांध बनाया जाय। तदनुसार, केवल एक ही कार्य काल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शीट पाइलें परियोजना अधिकारियों द्वारा ली गई थी। किन्तु कार्य की मिट्टी के काफर बांध के साथ ही पूरा करना सम्भव हो गया क्योंकि सौभाग्य से प्रत्येक कार्य काल के आरम्भ में नदी की स्थिति अनुकूल होती थी।

(5) परियोजना सहायता पुरानी शारदा नहर प्रणाली के पुनरुद्धार और इसकी कम्पन में सिंचाई में सुधार लाने के लिए दें। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में निर्मित हो रही है।

निर्यात संवर्धन परिषद से सलाह करने के बाद व्यापार करार करना

3079. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन साबुन, औषधि आदि जैसे प्रमुख वस्तुओं के बारे में विदेशों से करार करने के पूर्व संबंधित निर्यात संवर्धन परिषदों से परामर्श लिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो निर्यात संवर्धन परिषद से सलाह करने के सिद्धान्त को कठोरता से पालन करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में ईरोस सिनेमा के खम्बाटा बन्धुओं द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

3080. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में ईरोस सिनेमा के खम्बाटा बन्धुओं के मकानों में छापा मारने से संबंधित जांच कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या खम्बाटा बन्धु प्रथम दृष्टया विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के दोषी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ). मामले पर अभी जांच जारी है, तथा तथ्यों की जांच पूरी होने से पूर्व उन्हें प्रकट करना उचित नहीं है, ऐसा करने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पन बिजली परियोजनाओं के लिए निर्माण सम्बंधी उपकरणों तथा फालतु पुर्जों का उपयोग

3081. **श्री अदिचन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पन-बिजली परियोजनाओं के लिए निर्माण सम्बन्धी उपकरणों और फालतू पुर्जों की वसूली तथा उपयोग के प्रश्न के बारे में जांच करने हेतु गठित की गई समिति की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय किए गए हैं ; और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4466/70]।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता

3082. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में नियुक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की कितनी संख्या है और सुरक्षा बल की कुल संख्या की तुलना में उनका अनुपात क्या है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिए रोजगार की कुछ प्रतिशतता आरक्षित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अनुसूचित जातियों के 687 व्यक्ति अब तक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में भर्ती किए गए हैं और बल की कुल संख्या में उनकी प्रतिशतता 16.39 है। अनुसूचित आदिम जातियों का कोई व्यक्ति अब तक बल में भर्ती नहीं किया गया है। भर्ती अभी की जा रही है।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधीन पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेशों के अनुसार किया जा रहा है।

मनीपुर के कर्मचारियों के लिए वेतन-मान

3083. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के सरकारी कर्मचारियों के संगठनों में केन्द्रीय वेतनमानों के आधार पर मनीपुर की सरकार द्वारा बनाये गए प्रस्तावित वेतनमानों के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संघों अथवा संगठनों के क्या नाम हैं जिन्होंने प्रस्तावित वेतन प्रणाली के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया है ;

(ग) क्या मनीपुर के बिजली और राज्य परिवहन विभागों के कर्मचारियों को प्रस्तावित वेतनमान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली परिवहन में लागू वेतनमानों के आधार पर दिए गए थे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). मई, 1970 में भारत सरकार ने

निर्णय किया था कि संघ राज्य क्षेत्र मणिपुर को विकल्प दिया जायेगा कि या तो पूर्णरूपेण केन्द्र के या सम्बद्ध राज्य के वेतनमान के प्रतिमान से शासित हो। मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि इस विकल्प का प्रयोग करने से पूर्व वे कर्मचारियों की प्रतिक्रिया देखना चाहेंगे। 39 एसोसिएशनों इत्यादि में से, जिनसे अनौपचारिक रूप मे पूछा गया था कि वे अपना दृष्टिकोण बतायें, केवल आठ ने ऐसा किया है। निम्नलिखित एसोसिएशनों ने केन्द्रीय प्रतिमान पूर्णरूप से अपनाने के विरुद्ध व्यक्त किया है :

(1) मणिपुर वेटरिनरी एसोसिएशन,

(2) राजकीय अस्पताल और मैडीकल विभाग कर्मचारी एसोसिएशन, सात वर्गों को छोड़ कर,

(3) सम्पूर्ण मणिपुर गैर-सचिवालय, लिपिक वर्गीय कर्मचारी एसोसिएशन,

(4) राजकीय मुद्रणालय कर्मचारी यूनियन कर्मचारियों के तीन वर्गों को छोड़ कर।

मणिपुर सरकार को केन्द्रीय प्रतिमानों के अन्तर्गत उस सरकार के अधीन पदों के वेतन-मानों के सम्बन्ध में औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे प्रस्ताव का प्रश्न केवल तब उठेगा जब मणिपुर सरकार केन्द्रीय प्रतिमानों पर वेतन और भत्ता लेने के विकल्प का निर्णय कर लेगी।

मनीपुर में केंद्रीय सरकरी कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान

3084. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को पर्वतीय भत्ते का भुगतान बन्द किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को संघ राज्य क्षेत्र के पर्वतीय सब डिवीजनों में तैनात करने पर पर्वतीय भत्ता अन्तिम बार असम के प्रतिमान पर 1- -1969 से 28-2- 970 के लिए दिया गया था। हाल ही में मणिपुर सरकार को विकल्प दिया गया है या तो पूर्ण रूप से केन्द्र के अथवा सम्बद्ध राज्य के वेतन व भत्तों के प्रतिमान से शासित हों। वहाँ की सरकार ने अभी अ ना विकल्प निश्चित नहीं किया है। अतः असम के प्रतिमान पर पर्वतीय भत्ता बनाये रखने के प्रश्न पर मणिपुर सरकार से विकल्प प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रथम श्रेणी के स्नातकों के लिये विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा का आयोजन करना

3085. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को अन्तिम रूप देने में कितना

समय लेगी कि प्रथम श्रेणी के स्नातकों के लिये विशेष भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा का आयोजन किया जाये ;

(ख) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिये प्रस्तावित उपाय तुरन्त करना आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रश्न में उल्लिखित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें केवल भारतीय प्रशासनिक सेवा से ही सम्बन्धित नहीं है, अपितु उनका सम्बन्ध गैर-सरकारी केन्द्रीय श्रेणी (1) सेवाओं से भी है। सिफारिशों की जांच की जा रही है, तथा सरकार को निर्णय लेने में 3 से 4 माह तक लग जायेंगे, क्योंकि इनका व्यापक दृष्टिकोण से अध्ययन करना होगा। इस जांच में यह भी प्रश्न शामिल होगा कि, क्या ऐसी परीक्षा चालू की जा सकती है और यदि हां, तो कब।

Construction of Tawa River Project

3086. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the work of Tawa River construction project has been given to the contractors on the rates of 50% higher than the estimated ones ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c) The Government of Madhya Pradesh have reported that the total value of tenders accepted for the Tawa Project is Rs. 11.75 crores against the estimated cost of Rs. 9 89 crores ; an increase of 18.83%. The scrutiny and acceptance of tenders lies exclusively within the administrative jurisdiction of the State Government.

रूस और संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा श्रीलका की चाय खरीदे जाने पर भारतीय चाय के निर्यात पर प्रभाव

3087. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और संयुक्त अरब गणराज्य ने सितम्बर, 1970 के प्रथम सप्ताह से श्रीलंका से चाय खरीदना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों को भारतीय चाय के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इन देशों को भारतीय चाय की ओर आकर्षित करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सोवियत संघ तथा संयुक्त अरब गणराज्य सामान्यतः चाय की कुछ मात्रा श्रीलंका से खरीदते हैं। ये देश, द्विपक्षीय व्यापार करारों के अन्तर्गत भारत से खरीद करते हैं। उनके द्वारा चाय के कुल

आयातों के अनुसार, इन देशों को भारत से चाय के निर्यात बढ़ रहे हैं। काहिरा में चाय संवर्धन के निदेशक, काहिरा में स्थित भारतीय चाय केन्द्र और चलती-फिरती गाड़ी के माध्यम से तथा सीमित माध्यम विज्ञापनों द्वारा प्रदर्शनियों में भाग लेकर तथा जनता से सम्पर्क स्थापित करके, भारतीय चाय का प्रचार करने के लिए व्यापक संवर्धनात्मक अभियान चला रहा है।

Non-Registration of Rape Cases in Delhi

3088. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item that appeared in various Hindi newspapers on the 11th November, 1970, where it was stated that the Police had not registered a case of rape committed on a minor girl ;

(b) whether such incidents are reported to the Police quite often but these are not registered by the Police ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Government have seen the news-item. According to the report of Delhi Police, a case FIR No. 1037 under section 376 IPC was registered on 4-11-70.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Dacoity Committed in Sarai Rohilla, Delhi

3089. **Shri Ram Singh Ayarwal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of an incident of dacoity committed in Sarai Rohilla area of Delhi in November, 1970 in which some armed persons had looted a house ;

(b) whether such incidents are continuously increasing in Delhi ; and

(c) if so, the action being taken by Government to check such incidents f

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes, Sir.

(b) There has been increase in such incidents with the increase of population, industrial growth and for other Socio-economic reasons. Number of registered cases has also gone up owing to stress on correct registration.

(c) A close watch is kept on the fluctuating state of crime and necessary preventive measures are taken from time to time. Patrolling in affected areas along the Delhi U. P. Border as also in the rural area of Delhi is done on foot and by cycle. Patrolling by trained dogs in some areas has proved effectives. Vigilance is also maintained round the clock by mobile wireless Vans of the Central Control Room. Bad characters released from Jail are watched. Dangerous bad characters are extrended from Delhi.

खनिज अयस्क के निर्यात पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मध्य मतभेद

3090. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मध्य खनिज अयस्क के निर्यात के बारे में कोई मतभेद है ;

(ख) यदि उत्पादन के साथ ही निर्यात का भी एक मात्र अधिकार राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दे दिया जाता है तो इससे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की वित्तीय स्थिति में क्या कोई सुधार हो सकेगा ;

(ग) यदि दोनों संगठनों के मध्य इस मतभेद को दूर नहीं किया गया तो क्या खनिज अयस्क का निर्यात व्यापार समाप्त हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो देश के निर्यात व्यापार के हित की दृष्टि से इस मतभेद को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, 0.75 रु० प्रति शुल्क बड़े टन की नाम मात्र दर दर से सेवा प्रभार अपने पास रख कर, उसके द्वारा किये गए लौह अयस्क के निर्यात पर वसूल हुई सभी विक्रय आय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दे देता है ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

परमाणु शक्ति विभाग में अनुसूचित जातियों के उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नत किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों के साथ मतभेद

3091. **श्री सुरजभान :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम स्थित अणु शक्ति विभाग के 10 निम्न श्रेणी लिपिकों को वर्ष 1969 में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नत किया गया था ;

(ख) क्या भूतकाल में वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत किये गये निम्न श्रेणी लिपिकों को विभागीय परीक्षा देने के लिये कभी भी नहीं कहा गया परन्तु इन 10 निम्न श्रेणी लिपिकों से, जो वर्तमान समय में उच्च श्रेणी लिपिकों का कार्य कर रहे हैं, जिनमें 5 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं, विभागीय परीक्षा देने के लिये कहा जा रहा है ;

(ग) क्या 1969 में जब पदोन्नति आदेश जारी किये गये, अनुसूचित जाति के 5 कर्मचारियों का नाम वरिष्ठता सूची में सब से ऊपर था ;

(घ) यदि हाँ, तो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों के इन कर्मचारियों को, भूतकाल में पदोन्नत और उनके गैर-अनुसूचित जातियों के साथियों की तरह ही, विभागीय परीक्षा से मुक्त कर दिया जायेगा, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं। परमाणु ऊर्जा विभाग के आर० के० पूरम, नई दिल्ली स्थित परमाणु खनिज प्रभाग में निम्न-श्रेणी-लिपिकों को वर्ष 1969 में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर उच्च-श्रेणी-लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था।

(ख) भूतकाल में वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर निम्न-श्रेणी से पदोन्नत किये गये किसी भी उच्च-श्रेणी-लिपिक को विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए नहीं कहा गया है। 10 निम्न-श्रेणी-लिपिकों से, जो इस समय में उच्च-श्रेणी-लिपिकों का कार्य कर रहे हैं, जिनमें 5 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिये कहा जा रहा है। मार्च 1970 में इन कर्मचारियों को विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था।

(ग) इस समय अनुसूचित जाति के 5 कर्मचारी वरिष्ठता सूचि में सब से ऊपर हैं।

(घ) अनुसूचित जाति के इन 5 कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है ताकि बिहार के लिये सात उच्च-श्रेणी-लिपिकों के पद भरते समय वरिष्ठता तथा अनुपयुक्तता के आधार पर इन्हें उच्च-श्रेणी-लिपिकों के पदों पर नियुक्त करने की पेशकश की गई थी परन्तु ये बिहार जाने के लिये तैयार नहीं थे।

(ङ) परमाणु खनिज प्रभाग में उच्च-श्रेणी-लिपिकों के 50 प्रतिशत रिक्त स्थान वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर एवम् 50 प्रतिशत विभागीय प्रतियोगिता के आधार पर भरे जाते हैं। इसलिये किसी भी अनुसूचित जाति अथवा गैर-अनुसूचित जाति के कर्मचारी को इस परीक्षा से मुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Decline Export of Jute-Products

3092. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the export of jute products in 1969-70 was the lowest ;

(b) whether it is likely to register a further decline the current year ; and

(c) the figures of the export of jute-products so far and the reasons for the decline in their export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) On present estimates, exports during the current year are expected to be somewhat better than last year's performance.

(c) Reasons for the decline in exports in 1969-70 are :

(i) Competition from Pakistan where exporters get the benefit of Bonus Voucher Scheme ;

(ii) Increasing competition from Synthetics ; and

(iii) Temporary set back in production and export of carpet backing in the last few months due to recessionary conditions in the U. S. A.

Exports of jute goods during the period April to September, 1970 were of the order of 2.34 lakh tonnes.

बाणसागर परियोजना (मध्य प्रदेश) की प्रगति

3093. **श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में बाणसागर परियोजना इस बीच मंजूर हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त परियोजना के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश की बाणसागर परियोजना में जिसकी अनुमानित लागत 126 करोड़ रुपये है, अन्तर्राज्यीय पहलू आ जाते हैं। तीनों ही राज्यों के मान्य प्रस्ताव निकालने के लिए केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा अध्ययन किये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में हंसदेव परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता

3094. **श्री दे० वि० सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में हंसदेव परियोजना इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है तथा इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यह वस्तुतः कहां तक पूरी हो गई है और बकाया काम का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हंसदेव बराज, जिसपर 10 करोड़ रुपये लगने का अनुमान था, पूरा हो गया है और पहले से ही काम कर रहा है। हंसदेव के दायें तट की नहर परियोजना का काम, जिस पर लगभग 11 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है, प्रगति कर रहा है।

(ख) परियोजना के काफी हद तक चौथी योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) केंद्रीय सहायता मध्य प्रदेश को उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए दी गई थी और केन्द्रीय सहायता का कुछ भी भाग हंसदेव परियोजना के लिए अलग से नहीं दिया गया था।

स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना

3095. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री 14 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9669 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त के प्रपत्र संख्या पोल 11/2/21/60 दिनांक 12 अक्तूबर,

1960 के द्वारा, सूती कपड़ा नियंत्रण आदेश खंड 23 (2) की प्रक्रिया को किसी भी ऐसे कपड़े के उत्पादन पर सांविधिक नियंत्रण रखने के लिए लागू किया गया था, जिसे सूती कपड़ा नियंत्रण आदेश के खन्ड 22 के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं किया गया है, और जिसके सम्बन्ध में कारखाना मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है ;

(ख) क्या ग्राम वस्त्रों पर लगाई गई मूल्य मोहरों को सूती कपड़ा नियंत्रण आदेश के खंड 22 के अन्तर्गत अधिकतम कारखाना मूल्य के रूप में कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी ; और

(ग) क्या सरकार उपरोक्त प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में दिये गये कपड़ा आयुक्त के अनुदेशों के दस्तावेज की एक आवश्यक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). जी नहीं।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में वस्त्र आयुक्त के अनुदेशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—4467/70]

इड्डिकी बांध में दरार आना

3096. **श्री ई० के० नायनार** : क्या सिचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मास में इड्डिकी बांध में एक दरार आ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दरार के कारण बांध निर्धारित अवधि में पूरा नहीं हो पायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी हां इड्डिकी बांध के ब्लाकों में से एक ब्लाक में दरार देखी गई थी। यह दरार उच्चतल शीतलीकरण द्वारा हुई ताप विभिन्नताओं के कारण आई है। यह दरार और न बढ़ जाये इसलिए इस्पात की एक चादर से इसे पुनः बलित कर दिया गया है । इस दरार से निर्माण की प्रगति और बांध मजबूती में कोई बाधा नहीं पड़ेगी क्योंकि यह ऊपरी सतह पर ही पड़ी है।

दिल्ली के गुरुद्वारों को गुरुद्वारा अधिनियम के अंतर्गत लाने की मांग

3097. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिल्ली और पंजाब के सिख लोग दिल्ली के गुरुद्वारों को गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए एक कानून लागू करने की जोरदार मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या इसके लिए पिछले कुछ महीनों से दिल्ली में आन्दोलन चल रहा है जिसके कारण कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो गई है ;

(ग) क्या जत्थेदार सन्तोख सिंह गुट को अनुचित समर्थन देने के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार दिल्ली के गुरूद्वारों को गुरूद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाने और गुरूद्वारा समितियों के तुरन्त चुनाव करने के लिए आदेश जारी करने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय मे और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिल्ली के गुरुद्वारों को गुरुद्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाने के लिए एक कानून लागू करने हेतु दिल्ली के सिक्खों के एक वर्ग द्वारा पिछले कुछ महीनों से एक आंदोलन चलाया जा रहा है ।

(ग) और (घ). 11 तथा 13 सितम्बर, 1970 तथा 13 और 16 नवम्बर, 1970 की दो घटनाओं के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस के विरुद्ध अकालियों के एक वर्ग ने पक्षपात तथा ज्यादतियां करने के दोषारोपण किये थे । पहली घटना में मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में ये आरोप सिद्ध नहीं हुए । दूसरी घटना के संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है ।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

थीन बांध के लिए परियोजना प्रतिवेदन

3098. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में थीन बांध के लिए पंजाब सरकार ने उनके मंत्रालय को एक परियोजना प्रतिवेदन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) थीन बांध परियोजना की तकनीकी जांच पूरी हो गई है और इस परियोजना के सम्बन्ध में अब अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी । जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है और हिमाचल प्रदेश के साथ उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में, जो उनके प्रदेश में जलमग्न हो जाएंगे, विचार-विमर्श किया जाना है ।

ब्यास बांध के निर्माण में देरी

3099. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण ब्यास बांध के निर्माण में पर्याप्त देरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में सुधार के लिए सरकार ब्यास बाँध को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

पंजाब में बिजली की कमी के कारण प्रभावित उद्योग

3100. **श्रीमती निर्लेप कौर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पंजाब में बिजली की सप्लाई की अत्यधिक कमी है जिसके परिणामस्वरूप उद्योगों को बहुत हानि हो रही है ;

(ख) क्या दिल्ली पंजाब से सस्ती दरों पर बिजली खरीद रही है और उत्तर प्रदेश को अधिक दरों पर बेच रही है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने इस बारे में कोई शिकायत की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) वरह क्षेत्र में पूर्ण मात्रा में वर्षापात न होने के कारण भाखड़ा जलाशय सामान्य स्तर तक नहीं भर पाया है। अतः उत्तरी क्षेत्र में विद्युत की कमी के कारण विद्युत सप्लाई में कटौती करना आवश्यक हो गया है। पंजाब में वर्तमान कटौती लगभग 10 प्रतिशत है और दिसम्बर, 1970 के मध्य से आरम्भ होने वाले भाखड़ा जलाशय की संक्रमण अवधि के दौरान यह कटौती इससे भी आगे जायेगी। पंजाब में नांगल उर्वरक कारखाने के लिए विद्युत सप्लाई 30 लाख यूनिट प्रतिदिन से घटकर 23 लाख यूनिट प्रतिदिन हो जायेगी। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और सतपुड़ा प्रणालियों से भी अतिरिक्त विद्युत प्राप्त की जायेगी। और भी अधिक डीजल सेटों को चालू किया जाएगा। विद्युत के इन सब अतिरिक्त स्रोतों से, दिसम्बर, 1970 के मध्य से पंजाब में विद्युत की कटौती लगभग 25 प्रतिशत होने की संभावना है। लघु तथा मध्यम उद्योगों, रक्षा/निर्यात आधारित उद्योगों तथा संतत प्रक्रम उद्योगों को छोड़कर यह कटौती सभी विद्युत उपभोक्ता उद्योगों में एक समान होगी।

(ख) से (घ). उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, भाखड़ा प्रणाली को पर्याप्त सहायता दे रहा है जो कि लगभग 8 लाख यूनिट प्रति दिन के बराबर है। इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान उत्तर प्रदेश को बिजली की कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। पंजाब सरकार ने यह अनुरोध किया था कि इस तथ्य को सामने रखते कि, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान भी भाखड़ा प्रणाली से बिजली ले रहा है उन्हें भाखड़ा प्रणाली को दी जाने वाली बिजली के लिए ताप बिजली की उच्च दरें नहीं लेनी चाहिए। इस सप्लाई के लिए उचित दर निर्धारित करने के लिए भारत सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भाखड़ा को दी जाने वाली बिजली के प्रस्तावित दरों की जांच कर रही है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई की नर्सों द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

3101. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई की नर्सों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मांगें की गई हैं ; और

(ग) मांगें पूरी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की नर्सों की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) अभ्यावेदन में की गई मांगें निम्नलिखित हैं :

(1) निवास-स्थान से कार्य-स्थल तक परिवहन सुविधा

(2) शिफ्ट के समय में परिवर्तन ; तथा

(3) अतिरिक्त समय एवं अन्य भत्ते ।

(ग) केन्द्र कर्मचारियों की उचित मांगों से परिचित है जिन पर लगातार विचार किया जाता है तथा जहां तक सम्भव हो सके, उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाती हैं ।

बरना परियोजना की क्रियान्विति

3102. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरना परियोजना पर काम आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) परियोजना का वित्तीय परिव्यय क्या है ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जून, 1970 के अन्त तक इस परियोजना पर की गई प्रगति नीचे दी गई है ।

चिनाई बांध	
(1) खुदाई	52.9%
(2) छेदन कार्य और पतली भराई	6.6%
सैडल बांध और शीर्ष नियामक	
(1) खुदाई	88.9%
(2) सीमेंट कंक्रीट	3.8%
नहरें	
(1) **मिट्टी का कार्य**	
मुख्य नहर	9.4%
वितरण प्रणाली	10%
(2) **संरचनाएं**	
मुख्य नहर	20%
वितरण प्रणाली	5.6%

(ग) अब परियोजना की अनुमानित लागत 9.3 करोड़ रुपये है। मार्च, 1970 तक 1.7 करोड़ रुपये व्यय होने की सम्भावना है। और राज्य सरकार 1971-72 में 2 करोड़ रुपये व्यय करने का विचार रखती है।

(घ) यह परियोजना चतुर्थ योजना के अन्त तक पूर्ण होनी अनुसूचित है।

काफी हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र

3103. **श्री लोबो प्रभु :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 11 नवम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी हस्तांतरण प्रमाण-पत्रों के शीघ्र निपटारे के लिए काफी बोर्ड जिम्मेदार नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसे देरी के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं और इस मामले की जांच करने तथा निपटाने में शीघ्रता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). काफी बागान में पंजीकरण की जिम्मेदारी, मुख्यतया, राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किये गये पंजीकरण अधिकारियों की है। पंजीकरण में विलम्ब के विशेष मामलों को, जो काफी बोर्ड के ध्यान में लाये जाते हैं, शीघ्र निबटाने के लिए पंजीकरण अधिकारियों को लिखा जाता है। एक ऐसे विलम्ब के मामले को, जो काफी बोर्ड के ध्यान में लाया गया था, पंजीकरण अधिकारी को भेजा गया था और अब वह निबटा दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा जूतों का निर्यात

3104. **श्री सूरज भान :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें राज्य व्यापार निगम द्वारा भारत निर्मित जूतों का निर्यात किया जाता है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में विदेशों को प्रति वर्ष अनुमानतः कितने जूतों का निर्यात किया गया ; और

(ग) उपरोक्त उद्देश्य के लिए कार्य करने वाली फर्मों/दुकानों में से कितनी पूर्ण रूपेण अनुसूचित जातियों के लोगों की हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) सोवियत संघ, चैकोस्लावाकिया, पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविया, रूमानिया, बलगारिया, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य, संयुक्त अरब गणराज्य, बर्मा तथा अफगानिस्तान।

(ख) 1967-68	12.50 लाख जोड़े
1968-69	9.34 ,, ,,
1969-70	10.02 ,, ,,

(ग) राज्य व्यापार निगम ने विनिर्माण एककों को ग्रुप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है और निर्यात के लिए जूते बनाने वाले विनिर्माण एकक ग्रुपों को पंजीकृत किया है। इन ग्रुपों से लगभग 67 विनिर्माण एकक अनुसूचित जातियों के लोगों के हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के कार्यालय पर छापा

3105. **श्री अचल सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों (विशेष पुलिस संस्थापन) ने 2 दिसम्बर, 1969 को दिल्ली में सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स के कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो छापे के क्या परिणाम निकले ;

(ग) सरकार ने दोषियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है, तो क्या ; और

(घ) यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो सम्पूर्ण प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ). सिविल डिफेंस व होम गार्ड्स के कार्यालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो (विशेष पुलिस संस्थान) में दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (विशेष पुलिस संस्थान) के दो अधिकारी कुछ दस्तावेज एकत्र करने के लिए इस कार्यालय में गये। दस्तावेज केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को दे दिये गये। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरों शीघ्र ही दिल्ली प्रशासन को अपना प्रतिवेदन भेज रहा है।

सिविल प्रतिरक्षा तथा होम गार्ड्स संगठन के कर्मचारी

3106. **श्री अचल सिंह :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिविल प्रतिरक्षा तथा होमगार्ड निदेशालय, दिल्ली ने 1968 से अब तक सिविल प्रतिरक्षा होम गार्ड संगठन दिल्ली के कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। निलम्बित/पदावनत/चार्ज शीट किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : अपेक्षित सूचनायुक्त एक विवरण निम्नलि त है।

विवरण

सिविल प्रतिरक्षा और होम गार्ड संगठनों के कर्मचारी

1	पदच्युत व्यक्तियों की संख्या	शून्य
2	नौकरी से हटाये गये व्यक्तियों की संख्या	शून्य
3	निलंबित किये गये व्यक्तियों की संख्या	निलम्बित किये गये 9 व्यक्तियों में 5 को बहाल किया गया।

4 पदावन्नत किये गये व्यक्तियों की संख्या :

(1) निम्न श्रेणी पद	1
(2) उनके मूल विभाग	8
(क) अनुपयुक्त पाये गये	4
(ख) उसके मूल कार्यालय द्वारा वापस बुलाने के अनुरोध पर	1
(ग) उसके निजी अनुरोध पर	1
(घ) प्रतिनियुक्ति काल समाप्त होने पर	2

5 दोषारोपण किये गये व्यक्ति

टिप्पणी :—इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियम 1965 के नियम 5 के अन्तर्गत 8 अस्थाई कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई थीं।

शत्रु संपत्ति परिरक्षक के कार्यालय में दावों के पंजीकरण के लिये तिथि बढ़ाना

3108. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बहुत से भारतीय राष्ट्रजनों तथा समवायों ने शत्रु संपत्ति परिरक्षक के कार्यालय में अथवा उसके मंत्रालय में अपने दावों को पंजीकृत नहीं कराया क्योंकि उनकी यह धारणा थी कि इससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इस बारे में कोई निश्चय ही नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पंजीकरण की तिथि बढ़ाने का है जिससे भारतीय राष्ट्रजन और समवाय उस बारे में अपने दावे दर्ज करा सकें ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय राष्ट्रजनों के दावों का परिरक्षक कार्यालय द्वारा पंजीकरण करना जारी है।

Closure of Textile Mills in Madhya Pradesh

3109. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the number of Textile Mills closed down in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the number of Textile Mills reopened during the period from 1st April, 1967 to 31st March, 1969 ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to reopen the closed textile mills ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Two.

(b) One.

(c) No cotton textile mill was lying closed in Madhya Pradesh as at the end of October, 1970.

Take over of Sick Cloth Mills in Madhya Pradesh

3110. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the number of sick cloth mills in Madhya Pradesh taken over by Government during the last year and the total loss suffered by them during the same period ; and

(b) whether there is any other sick mill which Government propose to take over this year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) None.

(b) There is no proposal as such under consideration at present. However, the affairs of one cotton textile mill in Madhya Pradesh have been investigated recently under the Industries (Development and Regulation) Act and the report submitted by the Investigation Committee is being examined.

पूर्व पाकिस्तानी शरणार्थियों में पाकिस्तानी गुप्तचरों की जांच

3111. **श्री रा० रा० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के लिए कोई कार्यवाही की है कि गत आठ महीनों में पूर्व पाकिस्तान से आये शरणार्थियों में कोई पाकिस्तानी गुप्तचर तो नहीं है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : सुरक्षा ऐजेन्सियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

एक निर्यात परिषद् का स्थापित किया जाना

3112. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक निर्यात परिषद् स्थापित करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). आयात तथा निर्यात की समस्याओं पर कार्यवाही करने के लिए व्यापार पर एक सलाहकार परिषद् पहले ही विद्यमान है। वस्तुओं के विभिन्न वर्गों की निर्यात समस्याओं तथा संभाव्यताओं से संबधित कार्यवाही करने हेतु उन्नीस निर्यात संवर्धन परिषदें भी कार्य कर रही है। "निर्यात परिषद्" स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा सैनिक कर्मचारियों पर आक्रमण

3113. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा सैनिक कर्मचारियों पर आक्रमण की संख्या में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार का विचार सैनिक कर्मचारियों को आत्म रक्षा में गोली चलाने तथा "फायर आर्मी" का प्रयोग करने की अनुमति देने का है ; और यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) गत एक वर्ष में ऐसी कितनी घटनाओं की सूचना मिली है तथा इसके परिणाम-स्वरूप कितने सैनिक कर्मचारी मारे/घायल हुए ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). यह कहना सच नहीं है कि पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा सैनिक कर्मचारियों पर आक्रमण की संख्या में वृद्धि हुई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार सैनिक कर्मचारियों तथा गाड़ियों पर आक्रमण की 5 घटनायें हुई हैं इनमें 2 मामलों में नक्सलवादियों के अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह है । इन आक्रमणों के कारण 2 एन०सी० ओ० अधिकारी मारे गये तथा एक जे०मी०ओ० तथा 12 अन्य स्तर के अधिकारी घायल हुए थे । सैनिक पदाधिकारियों को सैनिकों, सैनिक मोटर गाड़ियों तथा भंडारों के बचाव के लिए उनको दिये गये अधिकारों की पूर्ण जानकारी है ।

एक्सपो-70 में हीरों का प्रदर्शन तथा उनका विक्रय

3114. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने एक्सपो-70 में भारतीय हीरों को प्रदर्शनार्थ रखा था और कुछ ऐसे क्रयादेश दर्ज किये थे जिनके अनुसार हीरे उस मूल्य से 20 प्रतिशत कम मूल्य पर बेचने होंगे जिस पर इस समय अन्य निर्यातक उन्हें दे रहे हैं और भारतीय व्यापारियों ने इस पर रोष प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण है और भारतीय व्यापारियों द्वारा प्रकट किये गये रोष के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को, एक्सपो-70 में भाग लेते समय हीरों की पूर्ति के बारे में कतिपय व्यापारिक पूछताछें प्राप्त हुई थीं । इन पूछताछों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा भारतीय निर्यातकों को भेज दिया गया था ताकि वे संबद्ध पार्टियों के साथ कीमतों, सुपुर्दगी आदि के बारे में आगे आवश्यक बातचीत कर सकें ।

आयातित वस्तुओं की बिक्री पर राज्य व्यापार निगम को कथित मुनाफाखोरी

3115. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने जुलाई, 1969 से जून, 1970 की अवधि में 45 मीट्रिक टन क्लोरेमफ़नीकल का आयात किया था तथा उसे 400/- रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा था जबकि भारत में आने तक उसकी औसत लागत 160/- रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं थी जिससे निगम ने 1.06 करोड़ रुपयों का लाभ कमाया ;

(ख) क्या आयोडीन, सोडियम पी०ए०एस० (पास), सल्फाडियाजीन, मेटा एसीनोफ़ैनल आदि जैसी आयातित वस्तुओं की बिक्री से इसी प्रकार का अत्यधिक मुनाफा कमाया गया था ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम की 1970-71 में भारी मात्रा में मल औषधियों और इंटरमीडिएट औषधियों का आयात करने की योजना है तथा उसके द्वारा उनकी बिक्री से लगभग 5.75 करोड़ रुपये का लाभ कमाने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो जन सामान्य की सुविधा के लिए औषधियों के मूल्य में कमी करने के बारे में सरकार की उत्सुकता की तुलना में उक्त मुनाफाखोरी का औचित्य क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने जुलाई 1969 से जून, 1970 के दौरान 20 मे० टन क्लोरोमकनीकल का आयात किया था। यहां पहुँचने पर इसका मूल्य 175 रुपये प्रति किलोग्राम था और विक्रय मूल्य 400 रुपये प्रति किलोग्राम था। और इस आयात से राज्य व्यापार निगम ने 45 लाख रुपये का लाभ कमाया।

(ख) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित तथा वितरित कुछ मूल्य औषधियों के यहां पहुँचने पर कीमतों व विक्रय कीमतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। राज्य व्यापार निगम द्वारा केवल 2 प्रतिशत की दर से लाभ कमाया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(रुपये प्रति कि० ग्रा०)

औषध का नाम	यहाँ पहुँचने पर कीमत	विक्रय मूल्य
मेटामीनोफेनोल	19.17	20.50
3 साइएनोप्राडीन	33.25	37.30
4 साइप्राइडीन	24.45	27.70

विटामिन बी, 2 फास्फेट सोडियम	763.42	8 3.00
सल्फाडियाजीन	96.76	110.00
पी० ए० एस० सोडियम	19.52	31.28
कफीन	45.51	5 .00
विटामिन 'सी'	32.00	35.50
*आयोडीन	(i) 26.88	40.0
(60/- रुपये प्रति किलोग्राम)	(ii) 32.35	40.00
सोडियम नाइट्राइट	1790.80	2600.00

तारापुर अणु विद्युत परियोजना

3116. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तारापुर अणु विद्युत परियोजना की विद्युत में से हिस्सा लेने के बारे में अणु-शक्ति आयोग तथा महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों के बीच कोई लिखित करार नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और त्रुटि को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृहकार्य मंत्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) यद्यपि महाराष्ट्र तथा गुजरात बिजली बोर्डों के साथ कोई लिखित करार नहीं। परन्तु वर्तमान प्रबन्ध के अन्तर्गत बिजलीघर के 80 प्रतिशत लोड फैन पर पूरी क्षमता से उत्पादित बिजली दोनों राज्यों में बराबर बराबर भागों में बाँटी जाती है।

(ख) बिजली घर का निर्माण पूरा होने पर तथा बिजली की लागत का निर्धारण किए जाने के बाद राज्य बिजली बोर्डों के साथ करार करने के बारे में विचार-विमर्श किया गया है। आशा की जाती है कि इन करारों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

राणाप्रताप सागर बिजली परियोजना

3117. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजस्थान तथा उसके पड़ोसी राज्यों की बिजली की भावी आवश्यकताओं

* यहां पर यह उल्लेख किया जाना चाहिये कि आयोडीन की एक खेप की ऐसे मूल्य पर संविदा की गई थी जिसकी पहुंचने पर लागत 26.83 रुपये पड़ी थी जबकि उसका विक्रय मूल्य 40.00 रुपये निर्धारित किया गया था। दूसरी खेप पहुँचने की शीघ्र संभावना है जिसकी पहुँचने पर लागत 32.35 रुपये होगी, पर विक्रय मूल्य 40 रुपये ही रखा जायेगा। विक्रय मूल्य की उस समय के आयोडीन के बाजार भाव से, जो 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, तुलना की जानी चाहिए।

को पूरा करने के लिए राणाप्रताप सागर परमाणु शक्ति परियोजना की स्थापना की जा रही है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र में बिजली के लिए मांग तभी बढ़ेगी, जैसा कि अनुमान लगाया गया है, जब सभी ओर द्रुत गति से औद्योगिकीकरण होगा ;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली घर से बिजली उत्पन्न होने के समय तक विभिन्न औद्योगिक कारखाने स्थापित हो जायेंगे उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रगति लाने के लिए कोई उचित योजना नहीं बनाई गई है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए, जैसे ही राणाप्रताप सागर परियोजना से बिजली मिलने लगेगी वैसे ही उनका पूरा उपयोग किया जायेगा, की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से उत्पादित बिजली का उपयोग राजस्थान तथा इसके पड़ौसी राज्यों में होने की आशा है।

(ग) इसके लिए सम्बन्धित सरकारें जिम्मेदार हैं।

(घ) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना में उत्पादित बिजली का राजस्थान में वितरण करने के लिए आवश्यक सुविधायें जुटाई जा रही है। बिजली घर से उदयपुर को बिजली ले जाने के लिए एक 220 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट तथा बिजलीघर से पहले कोटा तथा उसके बाद जयपुर को बिजली ले जाने के लिए 220 किलोवोल्ट दोहरे सर्किट वाली लाइनें बिछाई जा रही है। जयपुर तथा दिल्ली के मध्य 220 किलोवोल्ट बिजली ले जाने के लिए अन्तर्राज्य लाइन बिछाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

कलपक्कम परमाणु शक्ति परियोजना

3118. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में कलपक्कम परमाणु शक्ति परियोजना की बिजली को बटवारे के लिए उपयुक्त नीति बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र के पहले यूनिट में उत्पन्न होने वाली बिजली तामिल नाडु सरकार को उसकी विद्युत योजना के लिये देने का बचन दिया जा चुका है। दूसरे यूनिट में उत्पन्न होने वाली बिजली के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

गोआ के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोपों का ज्ञापन

3119. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोआ के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध आरोपों का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). गोआ के मुख्य मन्त्री के विरुद्ध पद के दुरुपयोग से सम्बन्धित आरोपों का एक ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ है। मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

दिल्ली में राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों की साज-सजावट पर व्यय

3120. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अपने नये कार्यालयों की साज-सजावट पर राज्य व्यापार निगम ने कुल कितनी घन राशि व्यय की है ;

(ख) भिन्न-भिन्न पदों पर कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) राज्य व्यापार निगम के अध्यक्ष के कार्यालय के साज-सजावट पर कितनी घन राशि व्यय की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम ने अपने नये कार्यालय की साज-सजावट पर 22.59 लाख रुपये खर्च किये हैं ।

(ख) अलग-अलग खर्च निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	लाख रुपये
( ) निर्माण की लागत पार्टीशन आदि ।	15.23
(2) फर्नीचर तथा फिटिंग ।	5.12
(3) केंटीन के स्टाफ के लिए कल्याणकारी सेवाएं ।	1.16
(4) आकस्मिक खर्चे।	0.26
(5) वास्तुकार की फीस ।	0.82

(ग) अध्यक्ष के कार्यालय में साज-सजावट के लिए कोई अतिरिक्त खर्चा नहीं किया गया है क्योंकि उसके कार्यालय में पुराने फर्नीचर का प्रयोग किया जा रहा है ।

साम्प्रदायिकता के विरुद्ध कानून तथा व्यवस्था के बनाये रखने में राजनीतिक दलों का सहयोग

3121. **श्री राजदेव सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिकता के विरुद्ध जनता में सामूहिक दृष्टिकोण के लिये राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्णय के सम्बन्ध में कानून और व्यवस्था को बनाये रखने में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो स्थापना के बाद इस परिषद की कितनी बैठकें हुई तथा इसके कार्यावाही सारांश का ब्यौरा क्या है ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) राष्ट्रीय एकता परिषद ने जून, 1968 की अपनी श्रीनगर बैठक में राष्ट्रीय एकता की जड़ें कमजोर करने वाली प्रवृतियों की निन्दा की और अन्य लोगों के साथ सभी राजनैतिक दलों से अह्वान किया कि क्षेत्रीय शत्रुता को निरुत्साहित करके और समाज के पथभ्रष्ट तत्वों को हिंसा के रास्ते से हटा कर ऐसी प्रवृतियों को रोकें। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थाई समिति और सन् 1969 के उत्तरार्द्ध में हुए सर्वदलीय सम्मेलन दोनों ने आह्वान किया था कि राजनैतिक दलों द्वारा सामूहिक जन अभियान साम्प्रदायिक दंगों और विघटन से लड़ने का एक कारगर हथियार है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक संगठन समिति सर्वदलीय सम्मेलन में जारी किए गये विवरण में निदेशित दिशा में अभियान चलाने के लिये स्थापित की गई है। संगठन समिति की दूसरी बैठक 11 दिसम्बर, 1970 को अभियान के लिए विभिन्न विस्तृत कदम उठाने का कार्य-क्रम बनाने के लिए होनी है।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक केवल एक बार जून, 1968 में हुई है। फिर भी स्थाई समिति की बैठक राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिशों के कार्यान्वियन की प्रगति, साम्प्रदायिक स्थिति और हरिजनों की समस्याओं की समीक्षा करने के लिये चार बार हुई। साम्प्रदायिकता पर गठित उप-समिति की बैठक साम्प्रदायिक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने के लिए दो बार हुई। सामूहिक जन-अभियान के लिए गठित संगठन समिति की बैठक एक बार हुई और दूसरी बैठक 11 दिसम्बर, 1970 को होनी है।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के बाढ़ पीड़ितों को केन्द्र द्वारा सहायता

3122. **श्री रजदेव सिंह : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जौनपुर के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को, गोमती नदी में बाढ़ आ जाने के कारण केंद्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ख) सरकार द्वारा इन किसानों को दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता क्या है ; और

(ग) बाढ़ के फलस्वरूप किसानों को कितनी सम्पत्ति, जन, पशुधन, घरों तथा फसलों का विनाश हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारत सरकार बाढ़ों से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता सीधे नहीं देती। यह सहायता सम्बन्धित राज्य सरकार को समग्र रूप से राहत कार्यों पर हुए व्यय के आधार पर, न कि किसी विशेष क्षेत्र और व्यक्ति के संदर्भ में, दी जाती है।

एक केन्द्रीय दल ने उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा किया है और बाढ़ों से हुई क्षति का मौके पर जाकर मूल्यांकन किया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने हाल ही की बाढ़ों के संबंध में हुए व्यय की विभिन्न मदों के लिये 9.35 करोड़ रुपये की सीमा अपनाई है।

राज्य सरकार के लिये 3 करोड़ रुपये की एक राशि पहले ही स्वीकार कर दी गई है ताकि आवश्यक राहत और पुनर्वास कार्यों को आरंभ करने लिये धन उनके हाथ में रहे। स्वीकृत सीमा तक अतिरिक्त सहायता व्यय की प्रगति को रोशनी में दी जायेगी।

भारत सरकार बीजों, उर्वरकों तथा अन्य कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कृषकों को केवल अल्पकालीन ऋण देने के लिये चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये ऋण भी देगी।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस वर्ष की बाढ़ों के दौरान जौनपुर जिले में निम्नलिखित क्षति हुई है :—

1. सम्पत्ति की हानि	रु० 5,80,000
2. (i) क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	8,300
(ii) क्षतिग्रस्त मकानों की कीमत	रु० 24,90,000
3. (i) प्रभावित फसली क्षेत्र	रु० 3,14,300 एकड़
(ii) कीमत	रु० 2,77,00,000
4. मृत मवेशी	20 अदद
5. मृत व्यक्ति	11 अदद

राज्य सरकार ने आवास निर्माण उपदान समेत अहेतुक राहत के लिये 8,70,000 रुपये, तकावी के लिये 2,80,000 रुपये और अन्य अभियानों के लिये 32,000 रुपये अलाट किये हैं। भूमि लगान और किराये, सिंचाई कर तथा तकावी आदि की वर्तमान और बकाया रकमों की वसूली उन क्षेत्रों में स्थगित कर दी गई है जहां 50% से अधिक फसलों की क्षति हुई है। जहां आवश्यक समझा गया, वहां बीजों की सप्लाई की व्यवस्था भी की गई है।

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) के बाढ़ पीड़ितों को केंद्र द्वारा सहायता

3123. **श्री राजदेव सिंह :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोमती नदी में बाढ़ आ जाने के कारण जौनपुर के अनेक बाढ़ पीड़ित ग्राम अभी भी केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से, उनके आश्वासन के अनुसार वित्तीय सहायता न मिल मिल पाने से कठिनाई का सामना कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निर्धन कृषकों को सहायता हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख). ग्रामों द्वारा किसी भी कठिनाई का सामना नहीं किया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सभी संभव सहायता उपाय किये गये हैं।

राज्य सरकार ने 8,70,000 रुपये अहेतुक सहायता के लिए (जिसमें भवन निर्माण अनु-

दान भी सम्मिलित हैं), 2,00,000 रुपये तकाबी के लिए और 32,000 रुपये अन्य कार्यों के लिए आबंटित किये हैं। जहां पर फसलों को हानि 50 प्रतिशत अधिक हुई है उन क्षेत्रों में भूमि-राजस्व तथा किराया, सिंचाई शुल्क और तकाबी आदि की वर्तमान और पिछली बकाया राशि की उगाही स्थगित कर दी गई है। जहां आवश्यक समझा गया बीजों के सप्लाई के प्रबन्ध भी किये गये हैं।

सुअर के बालों (ब्रिस्सल) के निर्यात में कमी

3124. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान तैयार चमड़े और चमड़ा निर्मित वस्तुओं का निर्यात संवर्द्धन परिषद् की छठी वार्षिक आम बैठक में सुअर के बालों के निर्यात में उल्लेखनीय कमी के कथन की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या निर्यात 2.3 करोड़ रुपये से घटकर 38 लाख रुपये रह गया है ;

(ग) क्या निर्यात के और भी कम हो जाने की आशा है ; और

(घ) क्या अभी भी नेपाल को सुअर के बाल की तस्करी होती है और परिषद द्वारा अनेक अभ्यावेदन देने पर भी सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। वर्ष 1966-67 में निर्यात 2.3 करोड़ रुपये मूल्य का था जो वर्ष 1969-70 में घटकर 88 लाख रुपये रह गया।

(ग) तथा (घ). चालू वित्तीय वर्ष में सुअर के बालों में निर्यात के चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के कारण कुछ गिरावट का रुख प्रकट हुआ है। निर्यात में इस गिरावट को तथा नेपाल को तस्कर व्यापार रोकने के लिए मंत्रालय सुअर के बालों का निर्यात भारतीय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से सिफारिश करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है।

पटसन तथा चाय के निर्यात में गिरावट

3125. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों में पटसन और चाय के भारतीय परम्परागत निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस दर से कमी हुई है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) गत दस वर्षों में पटसन की वस्तुओं तथा चाय का निर्यात घटता बढ़ता रहा है। पटसन माल का निर्यात 1960 में 8.1 लाख मे० टन था जो 1964 में बढ़कर 9.3 लाख मे० टन हो गया और 1969 में गिरकर 5.7 लाख मे० टन में रह गया। चाय का निर्यात 1960 में 19 लाख किग्रा था जो 1963 में बढ़कर 22 लाख किग्रा हो गया और 1969 में गिरकर 17 लाख किग्रा रह गया।

(ख) पटसन माल का निर्यात, वर्ष 1968 तथा 1969 में गत वर्ष के निर्यात की तुलना में क्रमश: 12.6 प्रतिशत तथा 1 .1 प्रतिशत गिरा। चाय के मामले में उन्हीं वर्षों में गिरावट की दर क्रमश: 2.8 प्रतिशत तथा 18.7 प्रतिशत रही। 1967 में चाय या पटसन के निर्यातों में कोई गिरावट नहीं हुई।

नारियल जटा के धागे के निर्यात में कमी

3126. **श्री के० एम० अब्राहम** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कुछ देशों को नारियल जटा के धागे के निर्यात में पर्याप्त कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी के कारण जानने के लिए सरकार ने कोई जांच कराई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। यद्यपि चालू वर्ष में नारियल में जटा वस्तुओं के निर्यात में मामूली वृद्धि हुई है तदापि नारियल जटा धागे के निर्यात मूल्य की वृद्धि से 5.9 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ख) तथा (ग). जी हां। गिरावट का मुख्य कारण यह है कि संश्लिस्ट उत्पादों का उपभोक्ता अधिक पसंद करते हैं अत: यूरोपीय नारियल के ही उद्योग द्वारा कम खरीद की गई।

(घ) सरकार के आदेशानुसार, भारतीय विदेशी व्यापार स्ट्रकशन जो इस समय विदेशी बाजारों के अध्ययन में व्यस्त है, नारियल जटा उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने वाले उपायों का सुझाव देगा। नारियल जटा सहित कड़े रेशे के उत्पादों के वैकल्पिक प्रयोगों को खोज करने के लिए खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा कड़े रेशों के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल भी गठित किया गया है।

संसद सदस्यों के फ्लेटों और मन्त्रियों के बंगलों में चोरी के मामले

3127. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या संसद-सदस्यों के फ्लेटों में चोर बहुत सक्रिय हैं तथा गत 6 महीनों में इनके फ्लेटों में और कुछ मंत्रियों के बंगलों में चोरी के बहुत से मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसी अवधि में संसद-सदस्यों के फ्लेटों और मंत्रियों के बंगलों में चोरी के कितने मामले हुए हैं ; और

(ग) कितने मामलों की जांच की गई है तथा कितने मामले अनिर्णीत हैं और इस प्रकार की चोरियों को रोकने के लिए क्या अगली कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस के अनुसार मंत्री के बंगले में चोरी का एक मामला तथा संसद सदस्यों के फ्लेटों में सेंधमारी/चोरी के पांच मामले 1-5-1970 से 31-10-1970 की अवधि के दौरान सूचित किये गये थे। इसी संख्या में मामले 1-11-1969 से 30-4-1970 की अवधि में दर्ज किये गये थे।

उपरोक्त 6 मामलों में 3 की जांच की जा रही है और 3 पता न लग सके मामलों के रूप में दाखिल दफ्तर दाखिल कर दिये गये हैं।

नवम्बर, 1967 से नार्थ और साउथ एवेन्यू में दो पुलिस थाने कार्य कर रहे हैं। इन थानों के कर्मचारी इन क्षेत्रों में 24 घंटे गश्त करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं और गश्ती दलों की जांच उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

पालियामेंट स्ट्रीट थाने (नार्थ एवेन्यू को छोड़कर) के क्षेत्र में दिल्ली सशस्त्र पुलिस की एक प्लाटून दिन की गश्त के लिए नियुक्त की जाती है। इसी प्रकार की गश्त तुगलक रोड तथा तिलक मार्ग थानों के क्षेत्रों में भी की जा रही है। दिल्ली सशस्त्र पुलिस के गार्ड कुछ मंत्रियों के निवास स्थानों पर भी तैनात किये गये हैं और सुरक्षा कर्मचारी वर्ग के गनमैनों की भी व्यवस्था की गई है। कानून की निरोधात्मक धाराओं के अन्तर्गत सन्दिग्ध परिस्थितियों में घूमते पाये जाने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आदेश जारी किये गये हैं।

लौह अयस्क का निर्यात

3128. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को लौह अयस्क का निर्यात करके निर्यात को 137 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो 197 -72 के लिये लौह अयस्क के निर्यात का नया निर्धारित लक्ष्य क्या है ; और

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक): (क) से (ग). अयस्कों, अर्थात् लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क बाक्साइट तथा क्रोम अयस्क के निर्यात से आय, 1969-70 के दौरान 114.43 करोड़ रुपये थी (लौह अयस्क 100.45 करोड़ रुपये)। 1970-7 के दौरान, यह लगभग 149 करोड़ रुपये तक बढ़ाने की संभावना है (लौह अयस्क 131 करोड़ रुपये)। 197 -72 के दौरान अयस्कों के निर्यात से आय लगभग 153 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है (लौह अयस्क लगभग 134 करोड़ रुपये)।

राज्य सरकारों द्वारा निर्माण की जा रही मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाएं

3129. **श्री के० रमानी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि तीन करोड़ रुपये की

लागत तक की मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण राज्य सरकारें केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग और योजना आयोग की अनुमति के बिना कर सकती है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस अवसर का उपयोग किया है ;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने इस सीमा के अन्तर्गत अपनी कोई परियोजना चालू की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसा कोई निर्णय न तो केन्द्रीय सरकार ने और न योजना आयोग ने लिया । परन्तु ऐसी परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए पद्धति का सरलीकरण कर दिया गया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी पर बांध बनाने की योजना

3130. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री केदार नाथ सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पार्वती नदी पर बांध बनाने के लिए 200 करोड़ रुपयों की लागत की एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर केंद्र तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस स्कीम की हिमाचल प्रदेश की सरकार जांच कर रही है ; परियोजना की लागत और इससे सम्बन्धित और ब्यौरे का अनुसंधान कार्य के पूर्ण होने पर पता चलेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरनाथ तीर्थ यात्रियों की मृत्यु के बारे में की गई जांच के निष्कर्ष

313'. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिए की गई अपर्याप्त व्यवस्था के बारे में, जिसके कारण अगस्त, 1970 में बहुत से तीर्थयात्री मारे गये थे, जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में बाढ़ का आतंक

3132. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि सिंचाई विभाग की भूलों और अवैज्ञानिक जल निकासी व्यवस्था ही पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में हाल ही में आई बाढ़ के लिये अधिकतर उत्तरदायी हैं ;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये सरकार एक जांच आयोग की स्थापना करेगी ; और

(ग) क्या सरकार ने आगामी मानसून से पहले दोषपूर्ण जल-निकासी व्यवस्था में युद्ध-स्तर पर सुधार कराने के लिये कोई निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में सितम्बर, 1970 के प्रथम दो सप्ताहों के दौरान अभूतपूर्व भारी वर्षा के कारण हाल में बाढ़ों से बरबादी हुई थी, न कि सिंचाई विभाग की किसी कोताही अथवा अवैज्ञानिक जल निकास प्रणाली के कारण ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार का सिंचाई विभाग निम्नवर्ती क्षेत्रों की निकासनालियों के अनुरक्षण तथा निकास प्रणाली के सुधार के लिए सभी संभव उपाय कर रहा है । निकास सुधार की महत्वपूर्ण स्कीमों के नाम, जो कार्यान्वयनाधीन हैं, ये हैं सियालदह, गांग बेसिन, नोवी बेसिन, चूरियल बेसिन, वृष्टपुर भंगुर-कटसाल, टोलीज मुल्ला और कालियाघई ।

Persons belonging to Certain Places given Preference in Central Services

3133. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether in the Central Services or in the public sector undertakings, persons belonging to certain specific places have been given preference ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government are formulating any scheme to treat the persons belonging to all the States on equal footing in the matter of appointments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). Article 16(1) of the Constitution prohibits discrimination in the matter of public employment on grounds of place of birth or of residence. Therefore, the question of preference being given to people belonging to specific places for employment in the Central Services or in the public sector undertakings does not arise. However, instructions have been issued providing that in the case of persons displaced from the areas acquired for projects in the public sector or Defence projects, preference may be given for appointment as unskilled workers and also as skilled workers, clerks and other non-technical staff on posts of comparatively low scales of pay. It has also been provided that appointments to posts in public sector enterprises carrying a salary of not more than Rs. 500/- should be made through the local employment exchanges. These instructions apply to Central Government Projects/undertakings set up in all the States.

Check on Forces of Parochialism and Communalism

3134. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the measures being contemplated by Government to check the forces of parochialism and communalism in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : The suggestions made to Chief Ministers of States regarding the manner in which communal violence should be dealt with effectively have been described at length in reply to starred question No. 121 answered on the 31st July, 1970. In addition, the House as also been informed of the steps taken to implement the recommendations made by the National Integration Council in answer to Lok Sabha unstarred question No. 3055 dated the 2nd December, 1970. In brief, the State Governments have been requested to maintain utmost vigilance to curb the forces of communalism and parochialism in the country and take stringent action under law, wherever necessary.

ब्यास कंट्रोल के बारे में राज्यों के मुख्य मन्त्रियों की बैठक

3135. **श्री हेम राज :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर के पहले सप्ताह में, उनकी अध्यक्षता में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्रियों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर विचार किया गया तथा क्या निष्कर्ष निकाले गए ; और

(ग) क्या की गई चर्चा की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। ब्यास निर्माण बोर्ड के मंत्री सदस्यों की तदर्थ समिति की एक बैठक 3-9-1970 को हुई थी जिसमें भागीदार राज्यों से ब्यास परियोजना में स्टाफ का अनुपात और उनको दिए जाने वाले वेतन और भत्तों के बारे में विचार विमर्श हुआ था।

(ग) बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

विवरण

उपस्थित

1. डा० के० एल० राव, केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्री। — अध्यक्ष
2. श्री एम० एल० भुदाड़िया, मुख्य मंत्री, राजस्थान।
3. श्री बंशी लाल, मुख्य मन्त्री हरियाणा।
4. डा० वाई० एस० परमार, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश।

5. श्री सोहन सिंह बख्सी,
सिंचाई व विद्युत मंत्री, पंजाब।

6. श्री आर० पी० लड्ढा,
सिंचाई, राजस्थान नहर, परिवहन मंत्री, राजस्थान।

7. श्री रामधारी गौड़,
सिंचाई व विद्युत मंत्री, हरियाणा।

8. श्री शोभा राम,
उपनिवेशन मंत्री, राजस्थान।

9. श्री वी० वी० चारि,
सचिव, भारत सरकार, सिंचाई व बिजली मंत्रालय।

10. श्री आई० पी० कपिला,
सचिव, ब्यास निर्माण बोर्ड।

समिति ने निम्नलिखित मामलों पर विचार किया :—

(क) क्या पंजाब हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों से ब्यास परियोजना में नियुक्त स्टाफ का कोई औसत निर्धारित किया जाना चाहिए।

यह निर्णय किया गया था कि भविष्य में वर्तमान पदों की संख्या से उपर व्यास परियोजना में सृजित नये पदों पर राजस्थान राज्य से 50 प्रतिशत तक कर्मचारी नियुक्त किये जायें, और ऐसे नये पदों की शेष संख्या में पंजाब और हरियाणा राज्यों से कर्मचारी 60 प्रतिशत पंजाब, 40 प्रतिशत हरियाणा के अनुपात में भरे जायें।

(ख) परियोजना पर नियुक्त स्टाफ को कितने वेतन और भत्तों की अदायगी की जानी चाहिये।

यह निर्णय किया गया था कि ब्यास परियोजना पर वेतनमानों की वर्तमान पद्धति को जारी रखा जाए जबकि राजस्थान के स्टाफ का वेतन पंजाब के साथ पूर्ण समानता के आधार पर, और अन्य राज्यों के अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन उनके अपने राज्यों के वेतनमानों में, निर्धारित किया गया है।

अध्यक्ष ने समिति को पोंग बांध के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि और सम्पत्ति के लिये मुआवजे की लागत के बारे में भी बताया और यह भी बताया कि इस राशि को कम कराने के उनके प्रयत्न किस प्रकार सफल नहीं हुए हैं। अध्यक्ष ने बताया कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री से भी इस मामले पर विचार विमर्श किया था परन्तु अदा किए जाने वाले मुआवजे में कमी होना तय नहीं हुआ था। इस सम्बन्ध में 18.5 करोड़ रुपये के प्रत्यक्षित मुआवजे से ऊपर 27 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त अदायगी होना सम्भावित है। इस अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था के लिये की जाने वाली कार्यवाही पर सम्बन्धित राज्यों के सचिवों के साथ विचार विमर्श किया जाना था जिसके लिए सचिव, सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा एक बैठक बुलाई जायेगी।

पोंग बांध के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण

3136. **श्री हेम राज :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के लिए सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं की संख्या तथा तिथियाँ क्या हैं ;

(ख) धारा 4 के अन्तर्गत पहली तथा अन्तिम अधिसूचना कब जारी की गई थी तथा उनकी संख्या और तिथियां क्या थीं ; और

(ग) पोंग बांध के विस्थापितों को परिमाण करने के बारे में अधिसूचना का आधार क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) पोंग बांध के निर्माण के लिए भू अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन भू अर्जनार्थ सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं की संख्या और तिथियों का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4468/70]

(ख) भू अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी पहली और अन्तिम अधिसूचना की संख्या और तिथियां नीचे दी जाती है :—

पहली अधिसूचना : No. 988/Irr. S-EL.60/3159, dated 8.2.1960.

अन्तिम अधिसूचना : No. 4-52/69-REV. II, dated 12-12.1969.

(ग) व्यास परियोजना क्षेत्र के विस्थापितों की परिभाषओं का आधार यह है कि केवल प्रामाणिक विस्थापित ही पुनः बसाए जाते हैं और उन्हें ही पुनः स्थापना का लाभ प्राप्त होता है।

केन्द्रीय मन्त्रियों का उड़ीसा का दौरा

3137. **श्री प्र० के० देव :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में दो केंद्रीय मन्त्रियों, श्री जगन्ननाथ राव तथा श्रीमती नन्दिनी सत्पती ने कितनी बार उड़ीसा का दौरा किया तथा उनके दौरे का उद्देश्य क्या था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मन्त्री का नाम	1-8-1970 से 31-10-1970 तक की अवधि में मंत्री ने जितनी बार उड़ीसा का दौरा किया।	दौरे का उद्देश्य	अन्य विवरण
1	2	3	4
श्री जगन्नाथ राव	सात	(क) मुख्य मन्त्री और कबीले वा ग्रामीण कल्याण के	इन दौरे के समय मन्त्री ने संयोग से

1	2	3	4
		मन्त्री के साथ विचार विमर्श के लिए।	दो बार अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया।
		(ख) राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ विचार-विमर्श के लिए।	
		(ग) ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मन्त्री द्वारा आयोजित सम्मेलन में भाग लेने के लिए।	
		(घ) कटक में अखिल भारतीय डाक-तार कर्मचारियों के सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए।	
		(ङ) बहरामपुर में डाक-तार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए।	
		(च) चत्रपुर में नये डाकखाने के भवन के उद्घाटन के लिए।	
		(छ) कुछ समाज कल्याण संस्थाओं का दौरा करने के लिए।	
श्रीमती नन्दनी सत्पती	तीन	(1) 9 अगस्त मनाने के लिए युवक जन सभा, कटक द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा का मुख्य अतिथि।	
		(2) कोनार्क, जिला पुरी में सार्वजनिक सभा में भाषण।	

1	2	3	4
		(3) गड्डासीला, धेनकनल में सार्वजनिक सभा का मुख्य अतिथि ।	
		बलरामपुर, धेनकनल में सार्वजनिक सभा का मुख्य अतिथि ।	
		सावदेज, सुन्दरगढ़ में सार्वजनिक सभा का मुख्य अतिथि ।	
		कुर्ग, सुन्दरगढ़ में वार्षिक युवक सम्मेलन का मुख्य अतिथि ।	
		लंजिवर्मा, सुन्दरगढ़ की सार्वजनिक सभा का मुख्य अतिथि ।	
		कोलगेट, पाउटकेला के गोपबन्धुबाल विद्यापीठ का उद्‌घाटन ।	
		राउरकेला की सार्वजनिक सभा का मुख्य अतिथि ।	

भूतपूर्व शासकों को प्राप्त विशेशाधिकारों को वापस लेने के लिए राज्यों को आदेश जारी करना

3138. **श्री सुरेन्दर नाथ द्विवेदी :** **श्री नाथू राम अहिरवार :**
श्री इन्दरजीत गुप्ता :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व शासकों से विशेषाधिकारों को वापस लेने के बारे में, जिसमें राजमहलों से पुलीस के सुरक्षकों को वापस लेना भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति द्वारा मान्यता वापस लेने के पश्चात भी राज्यों को कोई आदेश जारी नहीं किये गये थे ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने विस्तृत आदेशों की मांगे की थी तथा उसे सूचित किया गया था कि अभी ब्यौरों को अन्तिम रूप देना शेष है ;

(ग) यदि विशेषाधिकार वापस लेने के आदेश जारी किए गये थे तो, किन राज्यों ने आदेशों का पालन किया है तथा किन राज्यों ने आदेशों को पालन करने से इन्कार किया है अथवा उसमें देरी की है ; और

(घ) राष्ट्रपति का आदेश जारी होने के पश्चात भी भूतपूर्व शासकों को विशेषाधिकार का उपयोग करते रहने देने की अनुमति देने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 10 सितम्बर, 1970 को सभी राज्य सरकारों को यह सूचित करते हुए तार भेजे गये थे कि नरेशों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकार उनकी मान्यता समाप्त होने की तारीख से समाप्त हो गये हैं। अगले दिन तारों की प्रतिलिपियां डाक द्वारा भेज दी गई थी। 24 सितम्बर, 1970 को इसी विषय पर पत्र भी राज्य सरकार को भेज दिये गये थे।

(ग) कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कोई अनुदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वहां कोई नरेश नहीं थे। कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि उन्होंने आवश्यक अनुदेश पहले ही जारी कर दिये हैं।

(घ) इस सूचना को एकत्रित करने में जो समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणाम के तुल्य नहीं होगा।

महानदी और पैंका तथा महानदी और चत्रोटपाला के बीच के क्षेत्रों की सिंचाई

3139. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने डेल्टा सिंचाई योजना के विस्तार के अन्तर्गत नई नहरों के जरिये महानदी और पैंका तथा महानदी और चित्रोटपाला के बीच के क्षेत्रों की सिंचाई के लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ कुछ प्रस्ताव अथवा परियोजनायें भेजी हैं ;

(ख) क्या इन परियोजनाओं पर केन्द्र सरकार से धन लगाने अथवा अखिल रूप से धन लगाने का अनुरोध किया गया है अथवा राज्य सरकार का पहले ही इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने का विचार है ; और

(ग) इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने अथवा इन्हें पूर्ण करने के सम्बन्ध में कोई तिथि अथवा समय बताया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त डेल्टा सिंचाई परियोजना के द्वितीय संशोधित प्राक्कलनों में महानदी और पैंका के बीच तथा महानदी और चित्रोत्पला के बीच के क्षेत्रों की, डेल्टा सिंचाई परियोजना के विस्तार के रूप में, सिंचाई के लिए व्यवस्था है। ये प्रस्ताव परीक्षाधीन हैं।

(ख) चतुर्थ योजना के आरम्भ से ही, योजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय

सहायता ब्लाक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में दी जाती रही है। विभिन्न स्कीमों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्कीमों के लिए अपनी सभी योजना सीमाओं के अन्दर से राज्य सरकारों को उपयुक्त प्रावधान करना होता है।

(ग) जी नहीं।

खोसला आयोग की सिफारिश के अनुसार दिल्ली के लिए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति

3140. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोसला आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर दिल्ली में पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

(ख) क्या पुलिस के सिपाहियों की आर्थिक दयनीय स्थिति, काम तथा आवास की खराब परिस्थितियों के बारे में और अप्रैल 1967 तथा इसके पश्चात 31 मार्च, 1968 के गडबड़ी में अन्तर्ग्रस्त सभी सिपाहियों को राजक्षमा तथा उनको बहाल करने के बारे में खोसला आयोग के निर्णयों के आधार पर क्या कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) आयोग की सिफारिशों पर अब तक क्या निर्णय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली में पुलिस आयुक्त नियुक्त करने की खोसला आयोग की सिफारिश के अतिरिक्त अप्रैल, 1967 के पुलिस आन्दोलन में उलझे हुए पुलिस कर्मचारियों के मामले अभी विचाराधीन हैं। खोसला आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर किये गये निर्णय दिल्ली प्रशासन को कार्यान्वयन के लिए दे दिये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची संलग्न विवरण में दी जाती है।

विवरण

1. निम्नलिखित भत्ते स्वीकृत किये गये हैं :

(i) कांस्टेबलों, हैड-कांस्टेबलों और सहायक सब-इन्सपैक्टरों को 20 रुपये प्रति-माह और सब-इन्सपैक्टरों और इन्सपैक्टरों को 30 रुपये प्रतिमाह महानगर पुलिस भत्ता।

(ii) कांस्टेबलों, हैड-कांस्टेबलों और सहायक सब-इन्सपैक्टरों को प्रतिमाह 4 रुपये और सब-इन्सपैक्टरों और इन्सपैक्टरों को 5 रुपये महावार धुलाई भत्ता।

(iii) सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर जिनके पास स्कूटर/मोटर साइकिल हों वर्तमान वाहन भत्ते की अंतिम सीमा 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये करना।

(iv) सब-इन्सपेक्टरों, सहायक सब-इन्सपेक्टरों, हैड-कांस्टेबलों तथा कांस्टेबलों को जो घुड़सवार पुलिस में हों उनको अपने वेतन का 10 प्रतिशत, अधिकतम 10 रुपये माहवार तक घुड़सवारी भत्ता।

(v) बिगुल वादकों को 3 रुपया माहवार विशेष वेतन।

(vi) सशस्त्र और सादे स्कन्धों के कांस्टेबलों को 20 वर्ष संतोषजनक सेवाकाल पूरा करने पर समय-मान 75-1-85-2-95 के पर्यन्त 5 रुपये माहवार अच्छा आचरण भत्ता।

(vii) भविष्य में जो मैट्रिक पास कांस्टेबल भर्ती किये जायेंगे उनके वेतन-मान में उन्हें 5 अग्रिम वृद्धि और जो पहले ही मैट्रिक पास कांस्टेबल है उन्हें आवश्यक संख्या में अग्रिम वृद्धि देकर उनका वेतन 80 रुपये कर दिया जायेगा।

(viii) दिल्ली सिविल पुलिस के सभी सहायक सब-इन्सपेक्टरों, हैड-कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को जो सरकारी ड्यूटी के लिए बाइसिकल रखते हैं उन्हें 4 रुपये महावार बाइसिकल भत्ता स्वीकार करना।

2. दिल्ली पुलिस के कुछ और वर्गों के कर्मचारियों को विशेष वेतन स्वीकार किया गया है।

3. यह निर्णय किया गया है कि उच्च अधीनस्थ कर्मचारियों को शत प्रतिशत पारिवारिक आवास और निम्न अधीनस्थ कर्मचारियों को 50 प्रतिशत पारिवारिक आवास और 50 प्रतिशत को बैरेक आवास उपलब्ध कराया जाय। अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों को आवास भत्ता यदि वे दिल्ली में किराये के मकानों में रहते हों इसके अतिरिक्त वे कर्मचारी जो बैरेकों में रहते हैं और उनका परिवार दिल्ली में किराये के मकानों में रहता हो तो उनके द्वारा वास्तव में खर्च किया गया किराया अधिकतम उनके वेतन के 25 प्रतिशत के अन्दर रहते हुए स्वीकार किया जाएगा। बैरेकों में रहने वालों से बिजली का खर्च जो 5 यूनिट प्रति व्यक्ति से अधिक न हो नहीं लिया जाएगा।

4. केन्द्रीय सरकार की स्वास्थ्य सेवा परियोजना दिल्ली पुलिस कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

5. चौथे पुलिस जिला की रचना की गई है और कर्मचारी तैनात किये गये हैं। सभी वर्तमान पुलिस थानों को 16 सब-डिवीजनों में वर्गीकृत करने सम्बन्धी सिफारिश जिससे अपराधों के देखरेख और नियंत्रण में सुधार हो कार्यान्वित की जा रही है।

6. आर्थिक सलाहकार, शैक्षणिक सलाहकार और शैक्षणिक सहायकों के पदों की रचना की गई है। पुलिस मुख्यालय में एक विशद और सज्जायुक्त टेलीफोन सहित प्रेस कक्ष, जिसमें प्रेस संवाददाताओं की जो केन्द्रीय पुलिस कार्यालय में आते हैं उपलब्ध कराया गया है।

7. कैदियों के भोजन का व्यय रु० 1-50 से बढ़ाकर 2 रुपये प्रतिदिन किया गया है।

8. दिल्ली पुलिस के विभिन्न यूनिटों/ब्रांचों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस की अभियोजन शाखा पुनर्गठित की गई है और विधि मंत्रणादाता, मुख्य अभियोजकों, वरिष्ठ अभियोजकों और अभियोजकों के पदों की रचना की गई है।

9. पुलिस कर्मचारियों में सेवाकाल में शिक्षा उपार्जन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों के तीन पदों की रचना की गई है।

10. सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न पदों की वर्दी के प्रतिमान और श्रेणी बदल दी गई है। मुख्य चौराहों पर सुव्यवस्थित यातायात चिन्हों को प्रारम्भ किया जा रहा है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के विरुद्ध टोकियो निर्णय का खंडन

3141. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी जांच आयोग (1970) की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि टोकियो निर्णय का खंडन होना चाहिए ;

(ख) क्या टोकियो मुकदमें के निर्णय में निर्धारित नियम के अनुसार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को एक युद्ध अपराधी माना गया है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने टोकियो निर्णय को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का टोकियो निर्णय को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से खंडन करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ). सदन को 4 मई, 1956 के तारांकित प्रश्न सं० 1939 के उत्तर में सूचित किया गया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के युद्ध-अपराधियों की सूची में होने का प्रश्न नहीं उठता तथा सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाई करने का विचार नहीं है। इस विषय पर कभी भी भारत सरकार को किसी विदेशी सरकार से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा टोकियो निर्णय के स्वीकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं है तथा इसलिए इस निर्णय का खंडन कराये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार ने नेताजी के 1945 में लुप्त हो जाने से सम्बन्धित सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों तथा बाद की तत्संबन्धी घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग की नियुक्ति की है। जांच हो रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय में भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों का गजेटिड सैट

3142. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय अपनी स्थापना से लेकर अब तक भर्ती तथा पदोन्नति के बारे में नियमों का उचित तथा गजेटिड सेट बनाने में असफल रहा है ;

(ख) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय की कोई वाणिज्यिक अथवा लेखा संहिता अथवा नियम पुस्तिका नहीं है ;

(ग) कितने प्रतिशत वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली विद्युत प्रदाय में प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ङ) भर्ती के पुनर्विलोकन तथा उसकी नियमित बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति भूतपूर्व दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बनाये गये सेवा संबंधी विनियमों के उपबन्धों के अधीन होती है। संस्थान के विकास कार्यक्रमों से निपटने के लिए बहुत से नये पदों के सृजन को ध्यान में रखते हुए, संस्थान भर्ती और पदोन्नति नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है।

(ख) दिल्ली नगर निगम की लेखा संहिता दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पर लागू होती है। जहां तक वितरण लेखे का संबन्ध है, मीटर पढ़ने, बिजली की बिक्री और फुटकर वितरण से संबन्धित संस्थान द्वारा तैयार की गई नियम-पुस्तिकाएं लागू हैं। व्यापारिक नियम-पुस्तिका संस्थान द्वारा शीघ्र तैयार किये जाने की संभावना है।

(ग) श्रेणी-एक और श्रेणी-दो के पदों पर लगे 5% अधिकारी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(घ) 31-8-70 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संथान में नियुक्त नियमित कर्मचारियों की संख्या 12657 थी।

(ङ) स्थिति ऊपर भाग (क) के उत्तर में बता दी गई है।

सूती रेशे का अधिक मूल्य

3143. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वाशिंगटन में हाल में हुई अन्तर्राष्ट्रीय सूत सलाहकार समिति की बैठक में दी गई इस चेतावनी की ओर दिलाया गया है कि अधिक मूल्य पर सूती रेशों का कोई भविष्य नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है जिससे कि सूती कपड़ा उद्योग की प्रतियोगिता स्थिति बनी रह सके ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). अंतर्राष्ट्रीय सूत सलाहकार समिति की हाल में वाशिंगटन में हुई बैठक में कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया गया था। तथापि यह महसूस किया गया कि बाजारों में सूती माल का महत्व मानव निर्मित रेशों विशेषतः सैलूलोज-रहित, की तुलना में कम हो रहा है। इसका कारण, मानव निर्मित रेशे के उत्पादन में आधुनिक तकनीकों का विकास होना बताया गया था जिससे रेशों की कीमतें कम हो गई हैं।

(ग) आधुनिक उपायों द्वारा कपास की उपज बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली प्रशासन में आशुलिपिकों का स्थायी बनाया जाना

3144. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत 210-425 रुपयों के वेतनमान के आशुलिपिक प्रशिक्षकों। आशुलिपिकों के पदों को स्थायी पदों के रूप में न बदले जाने के क्या कारण हैं जबकि ये 1952 से निरन्तर चले आ रहे हैं ;

(ख) इन पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित करने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई किये जाने का विचार है और कब तक ऐसा किया जायेगा ;

(ग) यदि कार्रवाई की जा रही है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) यदि इस संबन्ध में अभी तक कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं हुई है तो तत्संबंधी कारण क्या है और इन्हें स्थायी पदों में कब परिवर्तित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). सदन के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके अधीन 210-425 रुपये के वेतन मान में ऐसे कोई पद नहीं हैं जो 1952 में अस्तित्व में आये हों। किन्तु इस वेतनमान में आशुलिपिक का प्रथम पद 1957 में बनाया गया था और इस पद तथा बाद के वर्षों में बनाये गये पदों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

क्रम सं०	पद का नाम व संख्या	इसके बनने का वर्ष	स्थायी है अथवा अस्थायी	उनको स्थायी पदों में बदलने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही
1.	आशुलिपिक (एक)	1957	स्थायी	—
2.	आशुलिपिक (एक)	1958	स्थायी	—
3.	आशुलिपिक (एक)	1961-62	स्थायी	—
4.	आशुलिपिक अनुदेशक (चार)	1962	अस्थायी	आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
5.	आशुलिपि अनुदेशक (तीन)	1964	अस्थायी	,,
6.	आशुलिपि (एक)	1964		

1	2	3	4	5
7.	आशुलिपिक (दस)	1965	6 स्थायी 4 अस्थायी	आवश्यक कार्यवाही की जा रही है
8.	आशुलिपि अनुदेशक (चार)	1965	अस्थायी	,,
9.	आशुलिपि अनुदेशक (तीन)	1966	,,	,,
10.	आशुलिपि अनुदेशक (एक)	1967	,,	,,
11.	आशुलिपि अनुदेशक (पांच)	1968	,,	,,

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सभी मिलों को बंद करने का कथित निर्णय

श्री रा० कु० बिड़ला (झुंझनु) : मैं वैदेशिक व्यापार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"रुई की अत्यधिक कमी के कारण सभी कपड़ा मिलों को बन्द करने का कपड़ा उद्योग का कथित निर्णय ।"

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, 1-9-1970 को चालू रुई वर्ष के शुरू होने से काफी पहले एक ओर तो पहले के बचे हुए स्टाक, चालू वर्ष के दौरान सम्भावित वाणिज्यिक फसल का और दूसरी ओर मिलों, अम्बर चर्खा तथा अन्य प्रयोक्ताओं और निर्यातों की आवश्यकताओं और वर्ष के अन्त में बचे हुए स्टाक की उपयुक्त मात्रा के सम्बन्ध में मूल्यांकन किया गया। उस समय रुई की फसल का 62 लाख गांठों का अनुमान लगाया गया जबकि गत वर्ष यह 56.5 लाख गांठ था। इसे और उपजकर्त्ता के अधिकारपूर्ण हितों जैसे अन्य सम्बद्धित विषयों को ध्यान में रख कर रुई के आयात के लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया गया। हमें यह आशा थी कि वर्ष के दौरान उपलब्ध स्वदेशी रुई तथा विदेशी रुई की पूर्तियां मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगी।

परन्तु हाल के सप्ताहों के दौरान रुई की पूर्ति की स्थिति काफी तेजी से बिगड़ी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों में फसल के खराब होने की जानकारियां प्राप्त हुई हैं। परिणामस्वरूप, फसल के परिमाण का फिलहाल अनुमान 57 लाख गांठों का है। फिर भी यह बताना अपेक्षाकृत कठिन है कि अन्ततः फसल का परिमाण क्या रहेगा। रुई की स्थिति से यह भी आभास हुआ है कि बाजार में रुई की कतिपय किस्मों की आवक थोड़ी मात्रा में होती है और निरन्तर आधार पर नहीं होती हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि रुई की उपलब्ध पूर्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। कतिपय मिलों ने जल्दबाजी में खरीदारी कर ली है। रुई व्यापारियों द्वारा अनियमित खरीदारी किये जाने की भी सूचना मिली है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि रुई की कीमतों में असाधारण वृद्धि हुई है।

यदि कीमतों का यही रुख जारी रहता है तो अधिक निर्यात अथवा सामान्य स्तर बनाये रखने की आशाएं भी शायद पूरी नहीं होंगी। आशंका यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में निर्यात गत वर्ष के स्तर से काफी कम रह सकते हैं। वर्तमान ऊंची कीमतों के प्रभाव को सहन करना कमजोर मिलों के लिए कठिन हो जाएगा। वस्त्र तथा धागे की खपत करने वालोंको भारी कठिनाई होगी।

रुई की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है ताकि ये अवांछित परिणाम न हों। सरकार सभी मिलों को उचित कीमतों पर रुई की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों के सूत्रण के प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार कर रही है, ताकि निर्यात स्तर बनाये रखने, उपभोक्ता को धागे तथा वस्त्र की पर्याप्त पूर्ति करने और रोजगार स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपजकर्ताओं के हितों का अधिकाधिक ध्यान रखा जाएगा और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जिससे उनके न्यायपूर्ण अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

इस समस्या का दीर्घावधि हल प्रति हैक्टर रुई की उपज को बढ़ाना है। चतुर्थ योजना में रुई उत्पादन में विकास के लिए उपबन्ध रखा गया है। मैं, शीघ्र ही इस कार्यक्रम की जांच का प्रबंध कर रहा हूँ और आवश्यक होने पर रुई उपजकर्ताओं की सहायतार्थ धनराशि का उदार आवंटन करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

अर्थ-व्यवस्था के समग्र संदर्भ में, विशेषत: सूती वस्त्र तथा धागे के निर्यातों को बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए उचित कीमतों पर कपास की पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। समस्या का सन्तोषजनक हल ढूंढने के लिए कपास से सम्बद्ध सभी के सहयोग से प्रयत्न करना आवश्यक है।

इसलिए, मैंने, 7 दिसम्बर को सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड की बैठक बुलवाई है। बोर्ड में सभी हितों का प्रतिनिधित्व है। समस्या के समाधान के लिये, विपणन को व्यवस्थित करने, कपास की कीमतों को नियंत्रित करने और उसके प्रयोग को संयत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

यह पता चला है कि इसी दौरान इस उद्योग ने, उसके सामने आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में विचार किया है और मुझे सूचित किया गया है कि कुछ निष्कर्ष निकले हैं। मुझे पता चला है कि इस उद्योग ने मिलों को 15 दिन के लिये एक साथ बन्द करने का निर्णय किया है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है, हम, सभी मिलों को रुई की पर्याप्त पूर्ति को सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ-साथ उद्योग और व्यापार को भी रुई की खरीदारी के मामले में अनुशासन बरतना चाहिये। मुझे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं पड़ता जिससे कि मिलों को एक साथ बन्द करने की आवश्यकता पड़े।

मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस समस्या पर विचार कर रही है और शीघ्र ही इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्यवाही का सूत्रण करेगी।

श्री रा० कृ० बिड़ला : रुई की कमी के कारण देश में इस समय गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं नहीं समझ सकता कि किस प्रकार मंत्री महोदय रुई की कमी समस्या को हल करेंगे जबकि देश में रुई उपलब्ध नहीं हैं। उपयोगिता तथा प्राथमिकता के आधार पर रुई का स्थान खाद्यान्न के पश्चात ही आ जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश सरकार ने इसे उतना महत्व नहीं दिया जितना खाद्यान्न को दिया है। आज रुई के इस गम्भीर संकट का भी यही कारण है।

इस उद्योग के द्वारा न केवल देश की जनता को कपड़ा उपलब्ध होता है अपितु देश के लिए मूल्यवान विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है तथा लाखों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।

पिछले पांच अथवा छः वर्षों से रुई का उत्पादन कम रहा है। इसकी उपलब्धता में कमी इसका आयात करके ही पूरी हो सकती है और इस प्रकार उस पर हमें दुर्लभ विदेशी मुद्रा का व्यय करना होगा। इसी कारण हमें इस में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है।

चौथी पंच वर्षीय योजना में सरकार ने रुई के विकास के लिए 3.90 करोड़ रुपये की अल्प राशि नियत की है। इसके लिये योजना आयोग के कार्यकारी दल ने 8.90 करोड़ रुपयों की सिफारिश की थी। श्री जगजीवन राम तथा श्री बली राम भगत ने अप्रैल 1970 में कहा था कि सरकार इस कार्य में 8.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी व्यय करेगी। परन्तु ऐसा कहने के बाद भी केवल 3.90 करोड़ रुपये नियत किये जाने के क्या कारण हैं ?

मंत्री महोदय ने बताया है कि रुई व्यापारियों के अधिकार में चली गई और वे अधिक मूल्यों के लालच में इसे बाजार में नहीं लाना चाहते हैं। परन्तु इस स्थिति का क्या कारण है और सरकार इस संबंध में तथा भविष्य में इस स्थिति के पुनर्वितन को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री ल० ना० मिश्र : आज की वास्तविक समस्या देश में रुई की अनुपलब्धता है। हमारा रुई का उत्पादन आशाओं के विपरीत रहा है कुछ मिलों के पास दो या तीन महीनों के लिए रुई जमा है। कुछ व्यापारियों ने सट्टाबाजारी के विचार से तथा पांच या छह महीनों के लिए रुई खरीद कर जमा करली है इस प्रकार यह संकट जान-बूझ कर पैदा किया गया है। विनिमयन के द्वारा ही इस सारी स्थिति से ठीक किया जा सकता है और हम इस दिशा में सोच रहे हैं। मिलों को निश्चित अवधि के लिए अपेक्षित मात्रा से अधिक रुई अपने पास जमा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसी प्रकार व्यापारियों को रुई में सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि यह पग उनमें गये तो किसी मिल के बन्द होने का कोई कारण नहीं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम से कहा गया है कि वह 15 दिनों से अधिक के लिए स्टाक जमा न करे और यदि अन्य मिलें भी इस के अनुसार चलें तो इस कठिनाई का सामना किया जा सकता है।

इस समस्या का वास्तविक हल रुई की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में है। गरीब रुई उत्पादकों को सहायता की राशि बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से अनुरोध किया जायेगा।

श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या आप उस से संतुष्ट हैं। उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया कि रुई के विकास के लिये योजना आयोग की सिफारिश के अनुसार धन नहीं दिया गया है।

श्री ल० ना० मिश्र : संभवतया श्री बिड़ला ने मेरा उत्तर नहीं सुना। मैं वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग से इस बारे में बातचीत करने का विचार कर रहा हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : आयात की असफलताओं के परिणामस्वरूप कमी के संबंध में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया है। किसी भी कारण से रुई के स्वदेशी उत्पादन में कमी की बात तो ठीक है परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हमारी आयात नीति भी असफल हो गई है। इस असफलता के परिणामस्वरूप मूल्य गिरने के स्थान पर और बढ़ गये हैं।

रुई निगम तथा आयातकों के बीच किसी झगडे के परिणामस्वरूप अमरीका से रुई का आयात कम हुआ है। यह झगडा कमीशन के संबंध में था और इस के परिणामस्वरूप हमारे व्यापार को क्षति पहुंची है।

रुई का उत्पादन कम था और आयात भी कम हुए। रुई का उत्पादन 4½ लाख गांठ कम था तथा आयात 1½ लाख गाठ कम था। इस प्रकार 6 लाख गांठों की कमी नहीं। इस स्थिति का एकमात्र हल आयात है और सरकार ने रुई के आयात में गति लाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

रुई के उत्पादन से बढ़ाने के लिए चौथी पंचवर्षीय आयोजना में जो व्यवस्था है वह अपर्याप्त है उसे बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं जानना चाहता हूँ कि इस संबंध में सरकार ने क्या तुरन्त कार्यक्रम बनाया है। रुई के मूल्य चाहिए। तीन महीनों में 25 प्रतिशत बढ़ गये हैं। इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कपड़े के मूल्य में और वृद्धि नहीं होनी चाहिये और इसका आयात करने का कोई तुरन्त कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये।

श्री ल० ना० मिश्र : रुई निगम तथा आयातकों के बीच कोई विवाद नहीं है। आज सभी आयातक निगम के अधिकृत एजेंट हैं। वे विभिन्न मिलों के लिये रुई निगम की ओर से रुई का आयात करते हैं।

कमीशन के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। अतः यह कहना उचित है नहीं कि इस संबंध में झगडे के परिणामस्वरूप यह संकट पैदा हुआ है। यह संकट इसलिये आया क्योंकि कुछ मिलों ने तथा कुछ सट्टेबाजों ने अधिक रुई खरीदना आरम्भ कर दिया था।

स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए यदि जमा रुई को जब्त भी करना पड़ा तो किया जायेगा।

हमने 7 दिसम्बर को व्यापारियों, मिल मालिकों, भारतीय रुई संघ के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है और हमें आशा है कि उसमें कोई हल ढूँढ निकाला जायेगा।

सरकारी आदेशों द्वारा मिलों द्वारा रुई की खरीद और रुई व्यापारियों की सट्टेबाजी

की कार्यवाहियों को भी नियंत्रित किया जायेगा। क्योंकि रुई के मूल्य बढ़ने के लिये वही उत्तरदायी हैं।

विशेषाधकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, श्री मोरारजी देसाई ने भी श्री शशि भूषण के वक्तव्य के संबंध में आपको एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वह गत दो महीनों से लगातार बम्बई में थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि उनके द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य पूर्णतया गलत एवं अनुचित है। अतः माननीय सदस्य से कहा जाए कि वह क्षमा याचना करें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Sir, you may desolve to the House. The contents of Shri Morarji Desai's letter this is not fair to make such allegations in the House.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाये थे जिसमें उन्होंने श्री मोरारजी देसाई के काम का उल्लेख किया था। इस संबंध में किसी व्यवस्था या टिप्पणी का तब तक प्रश्न नहीं उठता जब तक आरोप लगाने वाले सदस्य के विचार न सुन लिये जाएं। यह सभी तथ्य उन्हें भेज दिये जायेंगे और इस बारे में उनके विचार भी सदन के सम्मुख आ जाएंगे (अन्तर्बाधाएं)

श्री फ० गो० सेन (पूर्णिया) : मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव का क्या हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे उचित नहीं ठहराया है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, I have given notice of a Privilege Motion against All India Radio.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी मंत्री महोदय से जानकारी नहीं मिली है। क्या आपको उत्तर मिल गया है।

Shri Shiva Chandra Jha : Yes, I have received reply. But you may give your decision about it.

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Sir, I have written you...

Mr. Speaker : Your letter does not contain any new thing which were not already before the House.

डा० राम सुभग सिंह : चौधरी रणधीर सिंह का वक्तव्य छपा है। हम उसे समझ नहीं पाये हैं (अन्तर्बाधाएं) वह बिल्कुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आज समाचार पत्र मंगवाया है।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरूत्तणि) : महोदय मेरा यह अनुरोध है कि मेरा मामला

विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उद्योग राज्य मंत्री यह समझते हैं कि केवल वही एक न्याय शास्त्री है।

अध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे पक्ष की बात भी सुनना चाहता हूं।

श्री एस० के० सम्बन्धन : मेरे पास डाक्टर की रिपोर्ट है। आप इस से अधिक और क्या चाहते हैं ? (अन्तर्बाधाएं) मैं चाहता हूँ कि इस मामले को विशेषधिकार समिति को तुरन्त सौंप दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आज इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : आप उनकी बात न सुनियें। आपके सचिवालय ने बड़ा ही अपमानजनक पत्र लिखा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपा करके बैठ जाइयें। मुझे दूसरे पक्ष की बात भी सुननी है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the House has not beared his version. Please allow him to speak.

अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही एक अन्य मामला भी सदन के सन्मुख है। सदन ने स्वयं उस मामले में निर्णय लिया।

प्रश्न केवल यह है कि क्या अपना कार्य करते हुए किसी संसद-सदस्य या विधायक के साथ ऐसा हुआ और उनको सभा में आने से रोका गया है। हमें यह देखना है कि क्या इस प्रकार के मामलों में विधायक को विशेष रूप से साधारण नागरिक से ऊंचा समझा जाना चाहिये। इस संबंध में मैंने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है और वहां हम इसपर विचार करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार के मामलों को हमें क्या करना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : श्री एस० के० सम्बन्धन की बात सुनने में कोई हानि नहीं है। इस बात के सुनने से नेताओं को भी इस मामले में विचार विमर्श करने से लाभ ही होगा।

डा० राम सुभग सिंह : उन्हें केवल दो मिनट का समय दीजिए।

श्री लोबो प्रभु : उनको कुछ कहने तो दीजिये।

Shri Rabi Ray : Kindly here him.

श्री पीलू मोदी : श्रीमन, सभा में निर्धारित सिद्धान्तों का अनुसरण न किये जाने के कारण प्रायः रोज ही यहां काफी शोर होता है। जिस माननीय सदस्य का अपमान हुआ है वह अपनी बात कहना चाहते हैं। यदि उन्हें रोका जाता है तो सभा में शोर मचता है। अतः मेरा सुझाव है कि आप उन्हें अपना निवेदन करने दें। सरकार भी इतनी उदार बने कि विशेषाधिकार संबंधी मामलों को तुरन्त विशेषाधिकार समिति को सौंप दे। इसलिये आप कृपा करके उन्हें अपनी बात कहने दें।

अध्यक्ष महोदय : यदि यहां शोर मचाकर ही निर्णय किये जाने हैं तो अध्यक्ष पीठ इस बारे में विवश है।

श्री एस० के० सम्बन्धन (तिरुत्ताणि) : मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मैं अन्तरिम दौरे पर अपने स्थायी निवास को गया था उस के बाद संसद वापस लौट रहा था और वापसी पर मार्ग में मुझे भारत की सबसे बड़ी सहकार संस्था एपैक्स संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपने कुछ उत्तरदायित्व निभाने थे। मैंने संस्था के अतिथि-गृह में संस्था के सदस्यों की सभा बुलाई परन्तु सरकार ने इस भवन पर ताला लगाकर उसे मुहरबंद कर दिया था। ऐसी कार्यवाही विश्वभर के किसी लोकतंत्र देश में आज तक नहीं हुई है। हमने सभा भवन में उक्त बैठक के आयोजन का निर्णय किया जहां मैं 28 तारीख को तीन बजे था वहां सदस्य आ रहे थे तथा कुछ अतिथि भी थे जिनमें एक विदेशी अतिथि भी था जिसको मैंने बुलाया था। रात में सदस्यों के ठहरने का कोई अन्य स्थान नहीं था अतः मैंने उनसे वहीं ठहरने को कहा और सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त भी था। यदि सरकार मुझे उक्त संस्था का अध्यक्ष न भी समझे तो इस संस्था के निर्विरोध होने के कारण उस स्थान पर मेरा अधिकार ठहरने का था।

इस प्रकार हम वहां पर बैठे कल के लिये कोई कार्यवाही करने हेतु शांति पूर्ण ढंग से चर्चा कर रहे थे कि एक पुलिस अधिकारी वहां आया और हमें वहां से निकल जाने का आदेश दिया। मैंने उसे सारी स्थिति समझाई संस्था के नियम दिखाये। तमिलनाडु का सहकारी संस्था अधिनियम दिखाया, इन सब पत्रों की प्रति उस अधिकारी को दी। मैंने उन्हें उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय की प्रति भी दी जिसमें कहा गया है कि किसी अनाधिकृत स्थान से किसी को बल पूर्वक हटाने हेतु न्यायालय के पूर्वादेश लेने जरुरी हैं। परन्तु उक्त पुलिस अधिकारी ने भी कुछ भी नहीं माना। उसने मुझे गालियां दी तथा अनेक अपशब्द भी कहे फिर मैंने यह भी कहा कि मैं एक संसदसदस्य हूँ तो उसने इस पर उत्तर दिया—"क्या हो गया यदि आप संसद-सदस्य भी हैं तो ? यह सब कुछ दिल्ली में चलता है।" और भी अनेक बातें उसने कहीं— **(व्यवधान)**।

अन्त में मैंने पुलिस अधिकारी से कहा कि वह मुझे लिख कर दे कि वह हमें क्यों इस स्थान से बाहर निकाल रहे हैं तो हम यह स्थान खाली कर देंगे। परन्तु उसने यह भी स्वीकार नहीं किया और अपने सिपाहियों से कहकर हम पर लाठी चार्ज करा दिया जिस में ड्यूटी पर तैनात चपरासी सहित हम सब को पीटा गया। मुझे खाना देने के लिये आये मेरे पुत्र को भी पीटा गया। तथा सारे अतिथियों को पीटा गया। अनेक लोग मौके के गवाह हैं। उन्हें मैं विशेषाधिकार समिति अथवा आप के सामने कभी भी किसी परिस्थिति में भी पेश कर सकता हूँ।

मुझे दूर तक घसीटा गया तथा जीप में ठूसा गया। इस तरह मुझे ये सब चोटें आई। ये चोटें मेरी बाई टांग पर हैं। इन सब चोटों का ब्यौरा जनरल अस्पताल के डाक्टर के पास हैं। ...**(व्यवधान)**।

पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद मुझसे कहा गया कि मैं एक बांड पर हस्ताक्षर करू तथा फिर जा सकता हूं परन्तु बांड भरने के बाद भी, मेरे शरीर में पीड़ा होने पर भी मुझे काफी देर बाद पौने नौ या नौ बजे जाने दिया गया। मैं सीधा अस्पताल गया। वहां डाक्टर मुझे दाखिल करना चाहता था परन्तु क्योंकि मैंने कल बैठक बुलाई थी इसलिये मैंने केवल बहिरंग रोगी

के रूप में ही अपना उपचार कराया। मैं वहां 1½ घण्टे रहा और वहां डाक्टर ने मेरा एक्सरे आदि लिया। मेरी टांग पर सूजन थी।

श्रीमन यही कुछ हुआ। मैंने कोई सत्याग्रह, घेराव या अन्य ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहा था। वहां केवल उस संस्था के सदस्यों को ही प्रवेश करने का अधिकार है। परन्तु पुलिस अधिकारी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी।

इतना कुछ पुलिस अधिकारी ने मेरे विरुद्ध किया है। मेरा निवेदन है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ताकि समिति इस सारे मामले की जाँच करे तथा मुझ जैसे सदस्यों को न्याय मिले।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यह एक सामान्य निवेदन है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और हम इसे स्वीकार कर सकते हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : यह प्रश्न केवल एक संसदसदस्य का ही नहीं बल्कि किसी भी नागरिक का है जिसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है और हमें इस की ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं आचार्य कृपालानी जी से सहमत हूं कि प्रत्येक नागरिक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिये तथा कोई शिकायत होने पर विधिपूर्वक कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये। मुझे पता चला है कि शिकायत की गई है तथा पंजीकृत भी हुई है। माननीय सदस्य कहते हैं कि वह अभी भी उक्त संस्था के अध्यक्ष बने हुए हैं परन्तु लगता है कि निदेशक मंडल ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है मैं इस मामले के गुणोदोष के आधार पर नहीं प्रत्युत इस तथ्य को सामने रखता हूँ कि क्या माननीय सदस्य को एक संसदसदस्य के रूप में कार्य करते समय परेशान किया गया कि यह मामला सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये ? हां, पुलिस द्वारा हाथापाई तथा दुर्व्यवहार किये जाने का आचार्य जी की भांति मैं भी विरोध करता हूं। इस प्रकार इस मामले के दो पहलू हैं।

अतः सभा का संबंध तो माननीय सदस्य के विशेषाधिकारों से, उनको लगी चोटों से नहीं। अतः चोटों का मामला अदालत देखेगी।

श्री एस० के० सम्बन्धन : इसमें सात वर्ष लग जायेंगे। मंत्री महोदय न्यायाधीश तथा पुलिस को टेलीफोन करने की बात करते हैं।

श्री सेझियान : यदि आप तथा यह सभा सन्तुष्ट है तो यह मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा जा सकता है परन्तु उन्होंने तो स्वयं कहा है कि वह एक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। यदि वह एक संसदसदस्य के कर्त्तव्य निभा रहे थे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच की जा सकती है...(**व्यवधान**)

श्री रवि राय : यदि वह आपके दल के सदस्य होते तो आप उनका समर्थन करते।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. speaker is going to hold a meet with as and this matter also can be discussed there.

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : यदि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये तो क्या हानि है ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : नियमों के अनुसार आप किसी भी मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह निर्णय करना पड़ेगा कि क्या यह इस के लिये एक उपयुक्त मामला है।

श्री स० मो० बनर्जी : आपने तो यह विचार करना है कि एक संसदसदस्य कब संसद-सदस्य होता है और कब नहीं होता। हमें पांच वर्ष के लिये सारे भारत का पास मिला होता है और हमें यह ध्यान ही नहीं होता कि कब हम संसदसदस्य हैं तथा कब नहीं। आप इस बारे में विरोधी दलों के सभी दलों से विचार विमर्श करें। मैं तो यह मानता हूं कि एक संसदसदस्य को आपके विशेषाधिकार दिये भी नहीं जाने चाहियें क्योंकि जनता सर्वोच्च है, यह संसद नहीं। परन्तु यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये अन्यथा हम एक संसदसदस्य के नाते कुछ करेंगे और इसी तरह पिटकर इस सभा में आते रहेंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि आप एक सम्मेलन बुलायें या इस मामले को अध्यक्ष सम्मेलन या किसी अन्य सम्मेलन में विचारार्थ रखें। यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री फ० गो० सेन : मैं दोहरे मतदान के विषय में श्री रणधीर सिंह की टिप्पणी पर विशेषाधिकार का मामला उठाता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह मामला भेजा हुआ है तथा वापस मिलने पर इस बारे में मैं अपना निर्णय बाद में दूंगा।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : I have also written to you about certain inaccuracies or lapse of money in your statement. I may be allowed to speak.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने इस बार अपने वेतन नहीं लिये हैं जबकि हमने, आपने, प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने सभी ने अपने-अपने वेतन ले लिये हैं। मगर इन लोगों ने अपने वेतन नहीं लिये हैं जबकि ये चौबीस घण्टे सरकार की सेवा करते हैं। सरकार उनके बीच अपने जासूस भेजकर उनकी एकता भंग करना चाहती हैं मैं सरकार की निन्दा करता हूँ...(**व्यवधान**) मेरा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

श्री स० मो० बनर्जी : वित्त मंत्री को 30 तारीख को वेतन हड़ताल के बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिये। मैं श्री सोंधी का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहे जब खड़े हो जाते हैं। मेरे पास 50 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं और मुझे उनमें से केवल एक चुनना है।

श्री म० ला० सोंधी : सचिवालय में कोई इनकी परवाह नहीं करता। सचिवालय से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध षड़यंत्र होता रहता है। हम न्याय के लिये कहां जायें ?

अध्यक्ष महोदय : आप शांत रहिये। श्री संबंधन मुझसे कल तथा रविवार को भी मेरे निवास स्थान पर मिले थे और अब सभा में भी यह मामला उन्होंने उठाया है। मैं बड़ी जटिल स्थिति में हूँ। मुझे देखना है कि यह प्रस्ताव नियमानुसार भी है या नहीं। मुझे तो यह समझना है कि क्या यह सब कुछ उनके साथ एक संसदसदस्य के रूप में हुआ—**व्यवधान**।

श्री उमा नाथ : श्री संबंधन के यह कहने पर कि वह संसदसदस्य हैं एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह इस की परवाह नहीं करते। बात तो यह है कि कोई पुलिस अधिकारी इस सभा के बारे में इस तरह अपमानजनक ढंग से बात करता है इसकी जांच की जानी चाहिये... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हम एक पक्षीय आधार पर निर्णय नहीं कर सकते। अभी हाल ही में एक मामला ऐसा हुआ है। हम ऐसे लोगों की भर्त्सना करते हैं जो इस सभा में आकर अपना बचाव नहीं कर सकते।

दूसरे, मैंने श्री संबंधन से कहा था कि वह अपना मामला सरकार के समक्ष रख सकते हैं परन्तु उन्होंने सभा के सामने यह मामला रखा है। अतः अब बैठक में यह मामला उठाने की आवश्यकता नहीं है। अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

इण्डियन रेअरअर्थ्स लिमिटेड के कार्य की समीक्षा तथा लेखा परीक्षित लेखे

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं श्रीमती इंदिरा गांधी की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :

(एक) इन्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1969-70 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—4441/70]

(दो) इन्डियन रेअर अर्थस लिमिटेड, बम्बई, का वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4445/70]

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश की औषधियों के मूल्य पर प्रभाव के बारेमें विवरण

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 19 के अन्तर्गत, औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश का औषधियों के मूल्यों पर प्रभाव के बारे में 16 नवम्बर, 1970 को श्री कंवर लाल गुप्ता द्वारा उठाई गई आध घण्टे की चर्चा के उत्तर में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4442/70]

कोयला बोर्ड के लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचना ।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के वर्ष 1968-69 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4443/70]

(दो) खान तथा खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एम० ओ० 3665 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 नवम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी० —4444/70]

अनुपूरक अनुदानों की माँगे (रेलवे) 1970-71

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 1970-71

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : मैं श्री गुलजारी लाल नन्दा की ओर से वर्ष 1970-71 के बजट (रेलवे) संबंधी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES

9वां तथा 10वां प्रतिवेदन

श्री बासुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय—एयर इण्डिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय—इन्डिया एयर लाइन्स में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी दसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION

(श्री लोबो प्रभु)

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : श्रीमन, प्रिवी पर्स विधेयक पर दोहरे मतदान के बारे में 26 नवम्बर, 1970 को श्री नाथ पाई ने कहा था—"समिति में प्रत्येक दल का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। श्री लोबो प्रभु नामक एक अत्यंत योग्य सदस्य ने जो अपने कर्तव्य को बड़ी गम्भीरता से निभाते हैं, अपनी पूर्णयोग्यानुसार समिति के कार्य में अपना योगदान दिया था। मुझे खेद है कि वह यहां नहीं हैं।"

मेरा निवेदन है कि मैंने 8 सितम्बर को नियम समिति की बैठक में भाग नहीं लिया था क्योंकि मैं उस दिन बंगलौर में था। बैठक की कार्यवाही में भी मेरी अनुपस्थिति अंकित है। इस बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा मुझे बाद में भेजा गया था और इस कार्यवाही के ब्यौरे को सत्यापनार्थ 18 नवम्बर, 1970 की बैठक में पेश नहीं किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व हमने एक और बैठक आयोजित की थी।

श्री लोबो प्रभु : मैं इस बैठक में भी नहीं था। इस बैठक में अध्यक्ष ने श्री रामशेखर प्रसाद के विरुद्ध की गई कार्यवाही का जिक्र किया था और मैंने अनुरोध किया था कि सदस्य को दी गई चेतावनी को सभा पटल पर रखा जाये।

दोहरे मतदान के विषय में निर्णय करने वाली बैठक में स्वतन्त्र दल ने भाग नहीं लिया था। मैं इस तथ्य को स्पष्ट करना चाहता हूं। और यही धारणा मैं लोगों के मस्तिष्क से हटाना चाहता हूँ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं भी इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। किसी प्रकार की आपत्ति को उस समय प्रकट किया जाना चाहिए जबकि किसी के विरुद्ध कोई टिप्पणी की गई हो। यहां तो मैंने श्री लोबो प्रभु के कार्य की प्रशंसा ही की थी। यदि मेरे कहे गये शब्दों को ध्यान से तथा व्याकरण का विचार रखते हुए पढ़ा जाए तो उससे यह अर्थ नहीं निकलता कि श्री लोबो प्रभु ने उक्त बैठक में भाग लिया था। उसमें तो यह कहा गया है कि स्वतन्त्र दल का प्रतिनिधित्व श्री लोबो प्रभु जैसे सुयोग्य सदस्य करते हैं तथा वह बैठकों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान देते हैं. मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि उक्त बैठक में श्री लोबो प्रभु उपस्थित नहीं थे परन्तु स्वतन्त्र दल का प्रतिनिधित्व उसमें अवश्य था आप समिति में उपस्थित हो अथवा न हों आपका प्रतिनिधित्व उसमें अवश्य है।

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : मध्याह्न काल के पश्चात मुझे तो बैठको में भाग लेना हैं तथा तीन बजे नेताओं की बैठक भी है, एक राज्य के सभा-अध्यक्ष के साथ भी मेरी बैठक है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी का संशोधन ठीक समय पर आ गया है। उस पर गौर किया जायेगा।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till thirty minutes Past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर सैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at thirty-seven minutes Past Fourteen of the Clock.

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए।
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair.*]

Shri Balraj Madhok (Delhi South): Mr. Chairman, Sir I have written to you about the law and order situation in Delhi. Recently, the elderly leader and former President of Hindu Mahasabha Prof. Ram Singh and a great physician Shri Ram Ratan Popli who spoke at a meeting in Rajendra Nagar have been arrested and Section 1:4 has been promulgated in that area.

May I know whether the Government want to encourge communal tension in the capital by curbing the civil liberties? If it is so the sole responsibility will be that of the Central Government.

I therefore, warn the Government that their efforts to curb civil liberties and such sort of high handedness will not be tolerated. If they want to pacify the situation let them release these two persons. They should not try to give it a communal colour and spoil the atomosphere of the capital.

Also let the hon. Minister give a statement in this regard. I demand the release of Prof. Ram Singh and Shri Ram Ratan Popli,

Shri Om Prakash Tyagi (Moradabad): The situation in Delhi at present is quite had let us bear in mind that Delhi sets an ideal for all the other areas in the country. Fortunately there have not been any communal tension here. I do not understand only Government should try to spoil the capital's atomsphere. Let the hon. Minister give a statement.

सभापति महोदय: संसद कार्य मंत्री श्री रघुरामैया ने दोनों माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को नोट कर लिया है तथा वह सरकार को इन्हें बता देंगे...(**व्यवधान**)

विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. TWELFTH REPORT OF COMMIITEE OF PRIVILEGES

Shri Madhu Limaye (Monghyr): First of all I want to know that whether both of my motions would be discussed symultaneously, or one by one. I move:

"That this House do consider this Twelfth Report of the committee of Privileges presented to the House on 24th November, 1970."

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर,

1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था और जिसमें भूतपूर्व लोह तथा इस्पात उपनियन्त्रक श्री एस० सी० मुकर्जी को जान-बूझकर गलत रूप में तथ्य प्रस्तुत करने और लोक लेखा समिति के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने और इस सभा का अवमान करने का दोषी ठहराया गया है, विचार करने के बाद संकल्प करती है कि उन्हें एक सप्ताह के कारावास के लिए भेज दिया जाय।"

Shri Madhu Limaye : The House might remember that new steel plants were being set up in Public Sector. The country experienced acute shortage of steel and so the Government decided to import it from abroad. But side by side it was also decided that only those parties would be permitted to import steel who assure to export the items manufactured from that steel.

When the Public Accounts Committee considered this issue the then Secretary of the Steel Ministry Shri A N. Wanchoo supplied wrong information to the committee and misled the PAC with the result that the PAC held the Ministry of Iron and Steel as weel as the Solicitor guilty for the same. When Shri Wanchoo was giving wrong information to the PAC at the time of evidence Shri Mukherjee. The Deputy Controller of steel was present but he did not interupt Shri Wanchoo and also did not correct him. Later on Sarkar committte was set up to consider this issue and one of the Members in his note of different strongly pointed out the wrong evidence given by Shri Wanchoo and also remarked that Shri Mukherjee has not checked Shri Wanchoo in this regard but has not given correct position. Then I raised a point of privilege here and the matter was referred to the Privilege Committee. Now my complaint is that instead of going into the matter themselves, they have asked the PAC to give their opinion. I donot object to their seeking PAC's opinion, but the Privilege Committee should make enquiries on their own accord from Shri Wanchoo, Mukherjee, Mathur etc. :

But the Privilege Committee has only discussed the conclusions made by the Sub-Committee appointed in this regard by the PAC, and also that of the PAC.

Mr. Chairman : I draw your attention towards rule 315. This discussion will be for half an hour only.

श्री नाथ पाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह समय दो घन्टे बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : नियम 315 पर उत्तर कार्यवाही करने हेतु इस नियम को निलंबित करने का प्रस्ताव जारी करना होगा...

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : एक घण्टा रख लें।

श्री रणधीर सिंह : ठीक है एक घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

श्री दत्तात्रय कुन्ते (कोलाबा) : नियम 315 में केवल प्रतिवेदन कर विचार करने के बारे में व्यवस्था है तथा सभा इस पर आधे घटे तक चर्चा करके इसे निपटा सकती है। परन्तु श्री मधु लिमये के दूसरे प्रस्ताव के लिये कोई समय सीमा नियत नहीं है। परन्तु आपने दोनों प्रस्तावों पर साथ साथ चर्चा करने की अनुमति दे दी है, अतः आधे घटे की कोई समय सीमा लागू नहीं होता है ?

सभापति महोदय : इसे एक घंटा कर दीजिये। सरकार भी इससे सहमत है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, the committee has expressed its opinion about these three allegations. On one his opinion was that although Shri Wanchoo has committed this mistake, but it appears that he has not done that intentionally. As regard to the second allegation the committee has stated that inspite of the errors in the matter of imports having been come into light Shri S. C. Mukherjee did not tender correct facts or evidences to the committee. The Committee, about the third allegation, has found Shri S. C. Mukherjee guilty of offence of the changes made in the Bank guarantee forms. This offence had come into light long before but the Goverment did not take any action against that officer, and rather that very officer was promoted to the higher rank. I apprehend that if this matter is left to the Government, as recommended by Public Accounts Committee, this guilty officer would not be punished, and this is rather improper in view of the gravity of the Offence.

The other offence of Shri Mukherjee is that he has given one of the committed of this House, which is a grave contempt of the House. The correspondence is lying safe in the file which can prove that Shri Mukherjee has got the matter clarified from the Ministry. It is strange that afterwards Shri Wanchoo has told the committe that the instructions of the Ministry left some room for different interpretations and there was ambiguity. I am afraid in arriving at the conclusion that committee seems to be hesitant in punishing Shri Wanchoo simply because he is an I. C. S. officer. According to the provisions of section 193 of Indian penal Code, a man is liable to seven years imprisonment for giving wrong evidance. But my submission is that he should at least be given seven days imprisonment. Even to this punishment the hon. Members are hesitant and disturbed. This is under the powers of this House, which is the key stone of parliamentary privilege. There are instances that this House had given punishment to the guilty persons in the past. Take the case of Shri Gopal Tripathi who threw some papers from the visitor's gallary on the floor of the House. Through Shri Gopal Tripathi gave a peaceful demonstration in the House by throwing some papers, he was senteneed of three days imprisonment by this House. But this House seems to be hesitant to give even small punishment to the officer who has given false evidence because he is an I. C. S. officer. Now it is my request to this House to rise to the occasion and let the corrupt officer punished.

Dr. Ram Subhag Singh (Buxar) : Though I do not agree to some of the portions of the motion of Shri Madhu Limaye yet I do support some imoprtant or salient points he has made in his statement. This House has the right to punish any person who is found guilty of any offence and their should be hard punishments for him and even now the House should take strong action against the guilty officers in the Ministry of Iron and Steel, so that the other officers do not dare commit such irregularities and errors in future. During the last ten years there have been innumerable lapses and irregularities committed in the Steel Ministry, and there were heavy imports with the least exports resulting crores of rupees lost to the country. Even today almost all the Steel Plants of the country are running in loss with the production nearly stopped due to the wrong policies of the Government. The price of steel has gone as high as Rs. 1800 per quintal as against the speculated price of Rs. 500 per quintal. Therefore, if the House want to take strong action then it should be taken against the Government which is responsible for all this present state of affairs I am of the opinion that the House should take up this matter in detail by any other motion, But I support the point that the guilty officer should be given seven days imprisonment.

Defending the rights of the House I would request that the said officers should be summoned here and reprimanded before the bar of the House. The house should also ask the Government catagorically to give maximum punishment to the guilty officer under the provisions of the Constitution Government should not ignore the constitution so that people may not put to heavy loss because of lapses of the Government.

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं लोक लेखा समिति और इस सदन के अन्य माननीय

सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस विशिष्ट अधिकारी को अपराधी सिद्ध करने के लिए अत्यन्त उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण सेवा की है। इस प्रकार के लोगों को पकड़ना कोई साधारण कार्य नहीं होता। वे बहुत ऊंचे पदों पर होते हैं और उनके सम्बन्ध बहुत ऊंचे लोगों तक होते हैं और सरकारी राजनीति में भी उनका बहुत कुछ हस्तक्षेप होता हैं। इस प्रकार का मामला केवल 10 वर्ष से नहीं अपितु गत 24-25 वर्षों से, जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है चल रहा है।

विभिन्न मन्त्रालयों में विभिन्न प्रकार के अधिकारी भले ही हो परन्तु सत्ताधारी दल तो एक ही रहा है। परन्तु समय-समय पर लोक लेखा समिति जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार और उत्तरोत्तर अधिक प्रत्यक्ष रूप से अपराध के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की सरकार को चेतावनी होती रही है। सरकार ने आगे चलकर सर्वदा इन बातों के बारे में केवल यही कहा है कि अमुक सम्बन्धित अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुका है अथवा उसकी मृत्यु हो गई, और या वह सेवा छोड़कर चला गया है और इसलिए उसको दण्ड नहीं दिया जा सकता।

हमने अनेक गड़बड़-घोटाले के बारे में सुना है, जिनका सम्बन्ध औद्योगिक संस्थानों से है और उनमे एक संस्था थी लोह तथा इस्पात मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने निन्दा भी की है और उसको काली सूची में भी रखा गया है। ऐसे कुछ और लोगों ने भी हमारे समाज में इसी प्रकार के अपराध किये हैं। परन्तु उनसे स्पष्टीकरण नहीं माँगा जा सकता, उनका नाम प्रकाश में नहीं लाया जा सकता और सरकार को भी उनकी निन्दा करने का साहस नहीं होता।

यह सरकार ये मंत्री किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते अपितु जिम्मेदारियों से भागते हैं। परन्तु ये अधिकारियों को या तो आदेश दे देते हैं चाहे किसी भी प्रकार से और या उनके साथ गठबन्धन कर लेते हैं और वे अधिकारी कागजातों पर हस्ताक्षर करते हैं क्योंकि उन्हें संसद का भय नहीं होता और इन मंत्रियों के राजनीतिक अधिकारों द्वारा इनकी सुरक्षा होती है। इसी-लिए ये बच जाते हैं और इस प्रकार जनता के हित की हानि होती रहती है। परन्तु लोक लेखा समिति और कुछ संसद सदस्य एक ऐसे अधिकारी को पकड़ने में सफल हो गये हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा उच्च अधिकारी इस प्रकार की खोज में प्रत्यक्ष रूप से अन्तर्गस्त हो सका हो?

परन्तु क्या केवल यही एक ऐसा अधिकारी है जिसकी कि निन्दा की जाये? उन मन्त्रियों की निन्दा क्यों न की जाये जो वर्षों से ऐसे कार्य कराते रहते हैं। परन्तु मन्त्रियों को नहीं पकड़ा जा सकता क्योंकि बहुमत ऐसे मामलों में आंखें बन्द करना श्रेयस्कर समझता है और सदन को भी इस सम्बन्ध में आंखे बन्द करने में सहायता देता है। ऐसी स्थिति में हमें ऐसी कार्यवाही करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि केवल इस अधिकारी को ही चेतावनी नहीं देनी है अपितु समस्त अधिकारीगण को ऐसी चेतावनी देनी पड़ी है, जो मंत्रियों की उनके बहुत से निर्णयों, सिफारिशों और इच्छाओं का, जिनके बारे में मंत्रालयों में ही काना-फूंसी होती रही, निष्पादन करने में सहायता कर रहे है। यह चेतावनी ऐसे अधिकारियों को देनी है कि वे इन अनेक राज-नीतिज्ञों और अन्य लोगों की ओर से, ऐसे निन्दनीय कार्य करने की वर्तमान प्रक्रिया को जारी न रखे। जब से हमें स्वतन्त्रता मिली है तब से ही ये राजनीतिज्ञ नियंत्रणों, लायसेंसों और पर-

मिटों के द्वारा ऐसा कार्य करते रहे हैं। हम में से अनेक लोग नियंत्रण के इस शासन की बुराई कर रहे हैं और नियंत्रण हमारे देश में अब तो सामाजिक अपराध है। ये राजनीतिक इन समस्त अपराधों के पोषक बन गये हैं। सौभाग्य से, इस प्रजातंत्र में मंत्रियों को ऐसा कोई अधिकार प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिला है, वे स्वयं आदेश जारी नहीं कर सकते वे तो उन आदेशों पर हस्ताक्षर करते है परन्तु इस प्रजातंत्र में उन्हें यह विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं कि वे उन आदेशों पर हस्ताक्षर नहीं करते और फिर भी इन प्रमुख अधिकारियों द्वारा ये सब प्रकार की निन्दनीय बातें होती रहती हैं। और ये सब बच जाते हैं। अन्त में इस बार एक अधिकारी पकड़ में आया है।

हम उन्हें पूरे देश के सामने दण्ड देना चाहते हैं उसकी निन्दा करना चाहते हैं। और यह अपने आप में स्वयं बहुत बड़ा दण्ड है। इस सबसे पहले हम यह चाहते हैं कि सरकार इस सदन के इस निर्णय को स्वीकार करें कि उन्हें उस व्यक्ति को दण्ड देना चाहिए और इस बारे में सदन को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए नहीं तो वे लोग फिर बच निकलेंगे और यह कहकर अपने आपको बचालेंगे कि "हमने इस अधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की है।" इसी प्रकार के बहानों से वे अपने आपको बचाते रहे हैं। उन्हें हमारे पास अपनी रिपोर्ट भेजनी चाहिए जिससे हम यह देख सकें कि इस व्यक्ति को समुचित दण्ड मिला है अथवा नहीं और क्या उन्होंने सारे मामले को दबा दिया है।

हम इसी प्रकार के दण्ड का सुझाव देते हैं। संभव है कि कुछ माननीय सदस्य इस सुझाव को पसन्द न करें क्योंकि वे तो यही चाहते हैं कि उन्हें जेल की सजा मिलनी ही चाहिए। परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है अथवा नहीं क्योंकि देखा गया है कि सम्बद्ध मंत्री को यह दंड कभी नहीं मिला और ना मिलेगा ही। ये अधिकारी तो केवल माध्यम मात्र है और उन अनेक अधिकारियों में से एक हैं जो अपना निन्दनीय कार्य करते हैं। अतः इस अधिकारी के प्रति उदारता बरतनी चाहिए। क्या हमारे साथ उदारता नहीं बरती जानी चाहिए।

श्री रंगा : जी नहीं। केवल इस अधिकारी के प्रति उदारता बरती जानी चाहिए क्योंकि उसने मन्त्री के दबाव में आकर ही यह गन्दा कार्य किया है।

अतः सदन को चाहिए कि वह ऐसे समस्त अधिकारियों को चेतावनी दें चाहे मंत्री इसका कितना भी विरोध क्यों न करें। उनके लिए दंड से बचना सम्भव नहीं होना चाहिए। वह दिन अवश्य आयेगा जब ऐसे अधिकारियों को ना केवल इस सदन द्वारा ही दंड मिलेगा अपितु उनके निन्दनीय कार्यों के लिए जिम्मेदार मंत्री भी उन्हें दंड देंगे।

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या संशोधन प्रस्तुत कर दिये गये हैं?

सभापति महोदय : जी नहीं।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : तो संशोधन कब प्रस्तुत किया जायेगा? सारे भाषण संशोधन पर ही हो रहे हैं।

सभापति महोदय : क्योंकि संशोधन मद 9 पर है इसीलिए ये अभी प्रस्तुत नहीं हुए हैं।

श्री नाथ पाई (राजा पुर) : उस मामले पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जो अभी तक सदन के समक्ष नहीं है ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : यह तो ठीक है । परन्तु भाषण इस प्रकार हो रहे हैं मानों संशोधन सदन के समक्ष है ।

सभापति महोदय : यह इसलिए है क्योंकि मैंने मद 8 और 9 पर एक साथ चर्चा करने की अनुमति दी है ताकि दो बार भाषण न हों और माननीय सदस्य इसी अवस्था में अपने विचार स्पष्ट कर रहे हैं ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : यह मानते हुए कि संशोधन सदन के समक्ष है, व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है और मैं शीघ्र ही अपना मत स्पष्ट कर सकता हूं ।

सभापति महोदय : जब मद 8 स्वीकृत हो जायेगा तब मद 9 को लेंगे ।

श्री सुरेन्दनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाडा) : यह बात समझ में नहीं आती कि जब संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ है तो दोनों प्रस्ताव सदन में कैसे रखे जा सकते हैं ?

सभापति महोदय : दोनों मदों पर एक साथ चर्चा करने की मैंने अनुमति दी है और मद 9 पर संशोधन मद 8 स्वीकृत होने के पश्चात ही रखे जा सकते हैं ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : क्योंकि आपने दोनों मदों पर एक साथ चर्चा करने की अनुमति दी है इसलिये मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि इसके लिए पांच माननीय सदस्यों ने सूचना दी है । जहां तक "सदन के कटघरे में बुलाया जाये और भर्त्सना की जाये" का सम्बन्ध है यह बात उचित है । परन्तु जहां तक संशोधन के दूसरे भाग का सम्बन्ध है क्या एक न्यायाधीश किसी अन्य व्यक्ति को यह कहेगा कि वह दण्डा देश दे जबकि वह स्वयं इसके लिए सक्षम है । अतः सरकार संसद के एजेंट की हैसियत से इस अधिकारी को दण्ड नहीं दे सकती और यदि कोई दण्ड दिया भी तो वह बच निकलेगा क्योंकि यह दण्ड केवल संसद की सभिति के सामने गलत गवाही देने के अपराध में दिया गया है । अतः इस संबंध में यह संशोधन स्वीकार करने पर भी सरकार उसे दंड नहीं दे सकती ।

श्री सरेन्दनाथ द्विवेदी : श्री कुन्टे का व्यवस्था का प्रश्न इस संशोधन के गुण दोषों का उल्लेख करता है । यद्यपि दोनों प्रस्तावों पर सदन में चर्चा हो रही है फिर भी जब तक प्रथम प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो जाता दूसरे प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे । अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए मेरा सुझाव है कि चूंकि पहले प्रस्ताव के बारे में चर्चा करने के मामले में सदन में सर्वसम्मति है, तो पहले प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये । दूसरे प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत किये जाए चर्चा की जानी चाहिये क्योंकि सभी सदस्यों ने संशोधनों पर विचार व्यक्त किये हैं, कोई प्रतिवेदन पर चर्चा करना नहीं चाहता ।

सभापति महोदय : यह सुझाव मानते हुए मैं प्रस्ताव संख्या 8 सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं । इसके पश्चात हम प्रस्ताव संख्या 9 और तत्सम्बन्धी संशोधनों को लेंगे ।

प्रश्न यह है :

'कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम प्रस्ताव संख्या 9 को लेंगे ।

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

"That this House having considered the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on the 24th November, 1970, in which Shri S. C. Mukherjee, the then Deputy Iron and Steel Controller, has been held to have deliberately misrepresented facts and given false evidence before the Committee on public Accounts and committeed contempt of this House, do resolve that he be committed to jail custody for a week."

सभापति महोदय : श्री रा० को० भण्डारे अपना संशोधन संख्या 1 पेश करना नहीं चाहते हैं । संशोधन संख्या 2 श्री कंवर लाल गुप्त का है । वे सभा में उपस्थित नहीं हैं । संशोधन संख्या 3.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रस्ताव में

"Committed to jail custody for a week".

["एक सप्ताह के कारावास के लिए भेज दिया जाए"]

के स्थान पर

"summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do further recommend that the Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House."

["सभा के न्यायालय के समक्ष बुला कर उनकी भर्त्सना की जाये और सभा यह भी सिफारिश करती है कि अपराध की गम्भीरता के विचार से सरकार श्री एस० सी० मुकर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दंड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन दे ।"]

रखा जाये । (3)

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I appreciate the manner in which Shri Madhu Limaye pursues the matter. The Public Accounts Committee had looked into in this steel scandle in 1960 and I happen to be the member of the sub-committee appointed to enquire into this affair. Therefore the matter was referred to Sarkar Com-

mittee. Shri Madhu Limaye has raised this matter after studying the dissenting note in the report of Sarkar Committee. It is expected of the officers that they would neither conceal the facts nor misguide the public Accounts Committee. In case the officers misguide the parliamentary committees then there is no use of their being appointed. In view of this fact if it proves that certain officer has mislead the parliamentary committee deliberately then it is a very serious matter.

Shri Madhu Limaye kept watch over this matter and this was referred to the Privileges Committee could have summoned both the officers and cross examined them. In that case Public Accounts Committee should not have come into the picture again and again. But the Privileges Committee perhaps, thought it proper to consult the Public Accounts Committee appointed a sub-committee which cross-examined Shri Wanchoo as well as Shri Mukherjee. The decision taken by that sub-committee was accepted by the Public Accounts Committee and the Privilege Committee was also informed of that decision for further consideration. They could have summoned and cross-examined both the officers again, had they not been satisfied with our judgement. In that case Shri Madhu Limaye would have not said that I have soft heart.

It would not be proper to say that Shri Wanchoo has been let off just because he is an I. C. S. officer. The basis of our judgement have been incorporated in the P. A. C. Report. One of the reason is that Shri Wanchoo was not the Secretary of Steel Ministry at the time of this scandal. The committee had arrived at the conclusion that he did not misguide the committee deliberately. The only default on his part was that he had not come before the committee after studying the full facts noted in the files. He has not done full justice to his duty. P. A. C. had commented upon this case in 1960 as to who is responsible for this scandal ? Sarkar Committee has also submitted the report but Government have not taken any action on it so far.

The committee had examined the case of Shri Mukherjee in detail. We have not given him the benefit of doubt. We have arrived at the conclusion that he misguided the committee in the case of Bank guarantee.

The Government employee, who misguides the Parliamentary committee shouid be removed from service. Such persons are responsible for discarding the entire democratic system. At the same time one has to follow certain procedure laid in the constitution before removing any body from service. It has been suggested that Shri Mukherjee should be sentenced to imprisonment for 7 days. I do not agree with it. No doubt this is a serious offence. We have suggested that Shri S. C. Mukherjee should be summoned before the bar of the House and he reprisonded. We have also suggested that Government should administer maximum punishment under the low and inform the House so that House can judge whatever the punishment awarded is sufficient or not. In view of this I suggest that substitute motion may be adopted.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि संसदीय समितियों को गुमराह करने वाले सरकारी अधिकारी को क्या दंड दिया जाना चाहिये। संसदीय समितियों के पास सभी तथ्य उपलब्ध नहीं होते हैं। उन्हें जब कोई संदेह होता है तभी वे उस मामले की जांच पड़ताल करते है। विरोधी पक्ष के नेता ने कहा है कि यह स्थिति गत 10 वर्षों से चल रही है और प्रोफेसर रंगा के अनुसार यह स्थिति गत 23-24 वर्षों से चल रही है। इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती कि यह मामला बहुत गम्भीर है और सम्बन्धित अधिकारी ने लोक लेखा समिति को गुमराह करके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है और इस सभा का अपमान किया है। विशेषाधिकार समिति ने इस मामले पर ब्यौरेवार विचार किया है। हमें इस समिति के निष्कर्षों का आदर करना चाहिये। केवल गम्भीर मतभेद होने की स्थिति में ही उनमें

परिवर्तन किया जाना चाहिये । संसदीय समिति समस्त सभा का प्रतिनिधित्व करती है और हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि उपर्युक्त समिति ने अपनी आठ बैठकों में इस मामले पर पूरी तरह से विचार किया है । उस समिति ने सुझाव दिया है कि श्री एस० सी० मुकर्जी द्वारा सभा का अपमान किये जाने के कारण उनकी निन्दा की जानी चाहिये । यदि समिति ने सात दिन की जेल का दण्ड देने की सिफारिश भी होती तो मैं उसे स्वीकार कर लेता । अब मैं डा० राम सुभग सिंह अथवा श्री लिमये के संशोधन प्रस्ताव के विरुद्ध हूं । समिति ने सोच समझ कर एक सिफारिश की है और हमें उसका आदर करना चाहिये । मैं यह नहीं चाहता कि सम्बन्धित अधिकारी को दंड न दिया जाये । समिति ने स्वयं सिफारिश की है कि उन्हें अधिकतम दण्ड दिया जाना चाहिये । अतः मेरे विचार में हमें समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : After through enquiry it has been proved that Shri Mukherjee had mislead the Public Accounts Committee. The Privileges Committee is of the view that the requirements of the case would be fulfilled if the disapproval and displeasure of the House in respect of the contempt of the House committed by Shri S. C. Mukherjee is convey to him and also to the Government of India for disciplinary action against him. In my opinion simple censure would not do. The Parliament should give deterrent punishment to him so that bureaucrats may not done to mislead the Public Accounts Committee. In my view Shri Wanchoo should have also been punished. I feel that he is connected with Ramkishan Kulwantrai which is a firm of Aminchand Peareylal. In view of this the matter should be re-examined.

Commitment to jail custody for a week will be inedequate punishment. Dr. Ram Subhag Singh's amendment should therefore be adopted. Public Accounts Committee has also gone into the case and has asked the Government to take disciplinary action against him. A severe punishment should be awarded to him in view of the seriousness of the offence. The punishment should be deterent so that no body could even dare in future to mislead the House or the Committee. In fact Shri Wanchoo should not be allowed to go unpunished.

The whole case smacks of corruptions. Therefore the case should be referred to the C. B. I. for further enquiry and their report should be placed before the house.

Shri K. N. Tiwari (Bettiah) : Sir, I welcome the motion moved by Shri Madhu Limaye. There cannot be two opinions as to the seriousness of the offence. It is for the first time when such unanimity is shown in this House in regard to awarding punishment to an officer. It shows the gravity of his offence.

The House should be intimated as to what action the Government propose to take against him.

श्री उमानाथ (पुदुकोटे) : मैं श्री मधु लिमये द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि श्री एस० एम० मुकर्जी को एक सप्ताह का कारावास का दण्ड दिया जाए । श्री मुकर्जी गलत तथ्य देने के लिए दोषी हैं । उन्होंने लोक लेखा समिति से ही तथ्यों को नही छुपाया अथवा उस समिति को गुमराह ही नहीं किया, अपितु विभिन्न स्तरों पर जानबूझकर योजनाबद्ध रूप में उस विशेष काम को करते रहे । उदाहरणस्वरूप उन्होंने बैंक गारंटी के स्वरूप में ही परिवर्तन कर दिया जो मंत्रालय को उस मामले के सम्बन्ध में साक्ष्य से पहले किसी भी चरण पर मंत्रालय को नहीं दिखाई गई थी ।

इस प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्री मुकर्जी का विशेष व्यवहार केवल जान-बूझकर ऐसा करने में ही नहीं है। बल्कि इसमें यह देखने में योजनाबद्ध पहलू भी निहित है कि इस विशेष बात को सरकार की ओर से छुपाया गया और संसद सदस्यों को मिलाकर लोक लेखा समिति से छुपाया गया और संसद सदस्यों को मिलाकर लोक लेखा समिति के स्तर पर भी छुपाया गया। जहां सारी बात में इस प्रकार की गम्भीरता हो अथवा बात उलझन भरी हो, वहां उस प्रश्न के सम्बन्ध में दो सम्मतियां नहीं होनी चाहिएं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे मित्रों में इस प्रश्न पर मतभेद क्यों है?

प्रतिवेदन में स्पष्टतय: यह उल्लेख किया गया है कि श्री मुकर्जी के व्यवहार के कारण समिति ने सरकारी सालिसिटर की जो आलोचना की है, वह न की जाती, यदि उसे सही परिस्थिति से अवगत करा दिया गया होता। सालिसिटर निर्दोष हैं उनकी समिति के द्वारा आलोचना उसके अपने दोष अथवा अपराध के कारण नहीं बल्कि श्री मुकर्जी के व्यवहार के कारण की गई है। यह अपराध अत्यन्त गम्भीर है तथा इसके लिए कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

इस पर दो प्रकार से कार्यवाही की जा सकती है एक तो संसद द्वारा, विशेषाधिकार का उल्लंघन करने पर तथा दूसरी संसद से बाहर कानूनी कार्यवाही करने पर जहां तक डा० राम सुभग सिंह तथा अन्य सदस्यों द्वारा सुझाए गए संशोधन का सम्बन्ध है मेरे विचार में संशोधन को वापिस ले लिया जाना चाहिये क्योंकि केवल भर्त्सना अथवा डाट फटकार इसके लिए पर्याप्त नहीं है। देश के कानून के अनुसार उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये ताकि अधिकारी लोग इससे शिक्षा ग्रहण कर सकें।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक): महोदय यह सभा श्री मुकर्जी के गलत साक्ष्य देने अथवा सभा को गुमराह करने के कार्य से चिन्तित है और इसलिये एक न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिये कि सरकार ने इससे कितना खोया है। यद्यपि विधानमंडल के रूप में इसका सम्बन्ध है। यह प्रश्न विशेषाधिकार का नहीं अपितु अवमान का है।

हम इस अवमान के लिये उन्हें दण्ड देंगे। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कई अपराधों के लिए वे दोषी हैं। उन्होंने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के श्री राव को भी, यह कह कर कि निर्यात से राशि पूरी हो जाएगी गुमराह किया। ऐसा लगता है श्री मुकर्जी ने कुलवन्त राय फर्म के साथ किसी प्रकार का समझौता किया था। उसकी भी जांच की जानी चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया है अभी इसका कुछ पता नहीं है किन्तु इसमें किसी प्रकार का गुप्त समझौता जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, हो चुका है। उन्होंने जानकारी प्राप्त करने की तारीख बदलने का प्रयत्न किया और गलत आंकड़े दिये जो कि सबसे बड़ा अपराध है। अत: सभी तथ्य यहां मौजूद है उन्हें कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये। श्री मधु लिमये ने सात दिन का कारावास दण्ड देने के लिये प्रस्ताव पेश किया है चाहे यह दण्ड 7 दिन का हो अथवा 22 दिन का इससे मेरे विचार में कुछ विशेष अन्तर नहीं पड़ता। प्रस्ताव में श्री मुकर्जी की भर्त्सना के लिये कहा गया है किन्तु उन्हें कानून अनुसार दण्ड दिया जाना चाहिये।

कुछ लोगों को यह सन्देह है कि यदि एक बार उन्हें इस सदन से दण्ड मिल गया तो

न्यायालय उन्हें उस दोष के लिए पुनः दण्ड नहीं दे सकते । अतः श्री कुन्टे का विचार है कि प्रस्ताव का दूसरा भाग व्यर्थ है किंतु यदि सरकार दोनों प्रशासनिक और अपराधिक कानून के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करती है और इस सभा को सूचना देती है, तो सभा यह निर्णय करने में समर्थ हो जाएगी कि क्या सरकार ने सभा की इच्छाओं के अनुसार कोई कार्य किया है, कि उसे अधिकतम दण्ड दिया जाना चाहिए । अतः संशोधन का स्वागत है मैं आशा करता हूं कि श्री मधु लिमये इसे देखते हुए अपने प्रस्ताव पर जोर नहीं देंगे ।

श्री दत्तात्रय कुन्ते (कोलाबा) : मैंने सभी भाषणों को ध्यान से सुना है । सदन के सन्मुख प्रस्तुत प्रस्ताव छोटा सा है इसका संबंध श्री मुकर्जी द्वारा किए गए सभा के अवमान से है उन्होंने लोक लेखा समिति को गुमराह करके विशेषाधिकार भंग किया है तथा उन्हें क्या दण्ड दिया जाए ।

विशेषाधिकार समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं और श्री मधु लिमये द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि हम विशेषाधिकार समिति द्वारा दिए जाने वाले दण्ड के सम्बन्ध में की गई सिफारिश से सहमत नहीं है । श्री मधुलिमये ने कहा है कि उन्हें 7 दिन का कारावास का दण्ड दिया जाये और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दण्ड को कोमल माना है तथा उनके विचार से सात वर्ष की सजा दी जाये ।

जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि संशोधन प्रस्तुत करने वालों के दिमाग में, श्री मुकर्जी द्वारा मंत्रालय में किए जाने वाले व्यवहार की पृष्ठभूमि है । किन्तु दुर्भाग्यवश उन्होंने श्री मधु लिमये के प्रस्ताव में उसके अनुसार संशोधन नहीं किया है । श्री मधु लिमये का प्रस्ताव सभा के अवमान से सम्बन्धित है । श्री मुकर्जी को इसके लिए कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिये । लोक लेखा समिति के सभापति इससे सहमत नहीं है । किन्तु यदि वह इस सम्बन्ध में कानून को देखे तो निश्चय ही वह मेरे विचारों से सहमत होंगे ।

संशोधन में यह उल्लेख नहीं है कि कानून के अधीन इस अपराध के लिए अधिकतम दंड क्या होगा । संशोधन के प्रस्तावक निन्दा करने से ही संतुष्ट नहीं है । वे अधिकतम दण्ड देना चाहते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कानून के अधीन तिरस्कार करने के लिए अधिकतम दण्ड क्या होगा ?

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की । संसदीय कार्य मन्त्री ने इस संशोधन को सभा में पेश करने में काफी जल्दबाजी की है किन्तु सरकार की ओर से किसी ने भी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि लोक लेखा समिति के 50 वें प्रतिवेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी । क्या उन्होंने ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिस पर कार्यवाही कर ली गई है ? जब इस प्रतिवेदन में कुछ बातें सरकार को बताई गई तो सरकार को इन पर कार्यवाही करनी थी और प्रतिवेदन इस समिति को वापिस करना पड़ा था ।

1966 में सरकार ने इन समितियों को एक और आश्वासन दिया था कि समिति की कोई भी सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी और यदि वह अस्वीकृत होगी तो केवल मन्त्रिमण्डलीय स्तर पर होगी अतः समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के बाद भी सरकार ने तीन चार वर्षों तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ।

हम इस अधिकारी को मिथ्या साक्ष्य देने के कारण सभा के अवमान के लिए दंड देना चाहते है। विरोधी दल के नेता श्री मुकर्जी को कड़ा दण्ड दिलाना चाहता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कड़े दण्ड से उनका क्या आशय है। अन्यथा यह सदन केवल श्री मुकर्जी की भर्त्सना की मांग ही करेगा। अतः मैं संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि जिस उद्देश्य हेतु यह अपील की गई है संभवतया वह पूरा न होगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I consider that the mere reprimand would be more than enough and the dignity or prestige of the house will not suffer by doing so. Even a day's imprisonment for a respectable man is more than sufficient but for a shamless fellow imprisonment for 7 years or 14 years matters little. So the house should not make it a prestige issue. The punishment should be a taken and exemplery one. To reprimend him before the House is sufficient punishment in view of the fact that it is done only in very serious cases. The Government would naturally take a serious views of the case and he will not be allowed to continue in the Government service. This action would shake up the steel frame of bureaucracy and no officer in future would dare to mislead the House or any committee of the House deliberately.

There is no wiser or better course than to adopt the amendment moved by Dr. Ram Subhag Singh and Shri Atal Bihari Vajpayee. This will enhance the dignity of the house. I am greateful to you for giving me opportunity to express my views as also I am a party to the proposed amendment. I wish that the house should adopt the amendmend. If it is adopted unanimously it will not only mention the dignity of this house but will also serve the purpose of the Government.

श्री तेन्नेटी बिश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, प्रश्न अत्यन्त सीमित है। विशेषाधिकार समिति ने हमें पहले ही सर्वसम्मत सिफारिश दी है और मेरे विचार में यह सिफारिश बहुत अच्छी है कि अधिकारी की सदन के सन्मुख भर्त्सना कर दी जाए। तथापि यदि मेरी बात मानी जाये तो मैं सभा की नाराजगी को सम्बद्ध अधिकारी तक पहुंचाने से ही संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री कुण्टे ने एक अन्य प्रश्न उठाया है कि क्या हम सरकार से अधिकारी को दण्ड देने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। निश्चय ही हम ऐसा कर सकते हैं। सिफारिश के दो भाग है और विशेषकर दूसरे भाग में सरकार से अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए ही अनुरोध किया गया है।

किन्तु सरकार के सामने कठिनाई यह है कि जब कभी लोक लेखा समिति कोई सिफारिश करती है तो सरकार इसका पालन नहीं करती और यह सिफारिश तो विशेषकर कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध है। गत 20-25 वर्षों से इस सरकार का यही इतिहास रहा है। सरकार को समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने के लिए निर्णय करने चाहिये और उन्हें नोटिस देना चाहिए तथा समुचित दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिये। ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं है। इस अधिकारी ने मिथ्या साक्ष्य देने का साहस किया है। अतः उसे नौकरी से हटा दिया जाना चाहिये। अनुच्छेद 311 इसमें किसी प्रकार बाधा नहीं डालेगा। उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता जिसने लोक-लेखा समिति को गुमराह किया है अतः वह किसी भी सरकारी नौकरी पाने अथवा रहने का अधिकारी नहीं है।

श्री मधु लिमये, इस मामले को सदन में उठाने के लिए बधाई के पात्र हैं। यद्यपि यह मामला 10 वर्ष पुराना है किन्तु सरकार इस विषय में अभी तक सो रही थी और अब विशेषाधिकार समिति अथवा लोक लेखा समिति के सम्मुख मामला लाने से पहले भी यदि सरकार इन सिफारिशों का पालन करने का निर्णय लेती है तो ये अधिकारी उचित व्यवहार करेंगे। जब अधिकारी उचित व्यवहार करना आरम्भ कर देंगे तो स्वच्छ प्रशासन होगा। यदि स्वच्छ प्रशासन होगा तो इसमें अपव्यय भी नहीं होगा। यदि अपव्यय नहीं होगा तो अधिक कराधान भी नहीं होगा।

लोक लेखा समिति संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है। यह प्रतिवेदन अक्तूबर में प्रस्तुत किया गया था। सरकार ने सदन को नहीं बताया है कि इन सिफारिशों पर उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं। अभी तक सरकार इस मामले में सो रही थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

इस मामले के दो पहलू हैं। एक है सभा का अवमान। उसे दण्ड दिया जाएगा जब सभा सम्बद्ध अधिकारी की निन्दा करेगी। दूसरा पहलू यह है कि सरकार को तत्काल ही सिफारिशों का पालन करना चाहिये और अधिकारी को नोटिस देना चाहिए तथा समुचित कार्यवाही करनी चाहिए। प्रस्तावित कार्यवाही के बारे में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिये। यह कार्यवाही सेवा से हटाने की कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं डा० राम सुभग सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूँ कोई भी व्यक्ति जो सभा या सभा की किसी समिति, जैसे लोक लेखा समिति का तिरस्कार करता है उसकी निन्दा की जानी चाहिये।

मैं उन सदस्यों से सहमत हूँ जिन्होंने श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का स्वागत किया है वस्तुत इतना साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए श्री मधु लिमये बधाई के पात्र हैं। समिति में रहने के बाद मैं इन सरकारी अधिकारियों के व्यवहार से अच्छी तरह परिचित हो गया हूँ। यह इतनी शान एवं अकड़ से पेश होते हैं जैसे इसके अतिरिक्त इन्हें और कोई तरीका आता ही नहीं वह कभी कागजों तथा विवरणों को ध्यान से नहीं देखते और जब कोई प्रश्न उनसे किया जाता है तो वह इसका उत्तर भी नहीं दे पाते हैं। दूसरों से पूछते हैं कि इसका क्या उत्तर देना है।

सदन इस मामले में अवश्य थोड़ी उदारता बरत लेता यदि इसमें इतना अधिक भ्रष्टाचार निहित न होता।

जैसा कि आप जानते हैं कि यह सौदे पूर्व आयात तथा निर्यात से सम्बन्धित थे। आज भी ऐसे आयात की अनुमति दी जा रही है। किन्तु मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी बातें दोहराई नहीं जायेंगी।

श्री मुकर्जी पर तकनीकी भूल का दोष है और उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। श्री मुकर्जी के विरुद्ध पहला आरोप यह है कि उन्होंने आयात तथा निर्यात के सम्बन्ध में कुछ वक्तव्य दिए है। इसके लिए उनको पूर्ण रूप से दोषमुक्त किया गया है। वास्तव में यह दोष कार्य व्यापारों में निहित भ्रष्टाचार के मूल प्रश्न से टकराता है। किन्तु उन्हें इससे पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है।

दूसरा आरोप बैंक गारंटी के परिवर्तन के सम्बन्ध में है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि बैंक गारन्टी में जो मूल परिवर्तन किया गया उसे क्षरणीय तथा बांछनीय समझकर स्वीकार किया गया था। समिति के समक्ष साक्ष्य देते हुए श्री मुकर्जी ने एक वक्तव्य दिया है कि बैंक गारन्टी में परिवर्तन सरकार के सालिसिटरा के कहने से किए गए, न कि मेरे कहने से। यहां तक वह सभा का अवमान करने के दोषी हैं, और इसके लिए उन्हें दंड दिया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ हैं क्योंकि जो परिवर्तन हुए हैं उनको विशेषाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। मैं आपका ध्यान समिति के प्रतिवेदन के पृष्ठ 41 की कुछ पंक्तियों की ओर दिलाना चाहता हूं।

श्री मधु लिमये : यह उद्धारण इस्पात सौदा जांच समिति के प्रतिवेदन में से लिया गया हैं यह कोई समिति का निष्कर्ष नहीं उनके निष्कर्ष अनुसार श्री मुकर्जी को सभा का अवमान करने के लिए दोषी ठहराया गया है।

श्री मुखर्जी का दोष यह है कि उन्होंने समिति को यह बताया है कि बैंक गारंटी में उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है बल्कि सरकारी सालिसिटर ने किया था जबकि वास्तविकता यह थी कि परिवर्तन उन्होंने किया था। सभा का तिरस्कार करने के वे इसी सीमा तक दोषी है और उनको इसके लिये दंड दिया जाना चाहिए।

मैं डा० राम सुभग सिंह से संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री रा० धो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि "अधिकतम सीमा" से क्या अर्थ लिया जाये। इसके लिये यदि हम मैक्सवेल के "ला आफ लैक्सीकोन" का सहारा लें तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। परन्तु दूसरी ओर संविधान तथा नागरिक आचरण के नियम हैं जिनका हमने अनुसरण करना है। दण्ड देते समय अनुच्छेद 311 (2) का अनुसरण किया जाना चाहिए।

विशेषाधिकार समिति ने अपनी जिम्मेदारियों से जी नहीं चुराया जैसा बताया गया है। उसने यह मामला लोक लेखा समिति के समक्ष रखा और उसने इसके लिए एक उप-समिति गठित की। उस उप-समिति की रिपोर्ट तथा सिफारिशों के साथ मामला फिर से विशेषाधिकार समिति के पास आया। रिपोर्ट पर विचार करते समय पाया गया कि जिस समय यह सौदा हुआ था उस समय श्री वांचू उस मंत्रालय में न थे परन्तु बाद में मंत्रालय के सचिव के नाते उन्होंने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था। उस साक्ष्य के दौरान उनके द्वारा बताई जा रही गलती को श्री मुखर्जी ने ठीक नहीं किया है। यही उनका दोष है।

विशेषाधिकार समिति के सम्मुख दो रास्ते थे कि या तो साक्ष्य को फिर से सुना जाए और या प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार कार्य किया जाये। समिति ने उनमें से दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए समिति के विचार से रिकार्ड पर्याप्त थे।

रिपोर्ट का पूरा अध्ययन, रिपोर्ट और साक्ष्य का मूल्यांकन तथा निष्कर्ष निकालना विशेषाधिकार समिति का अपना योगदान है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support the motion moved by Shri Madhu Limaye. It is a very clear cut motion but I think amendment moved by Dr. Ram Subhag Singh is contradictory. It does not point out any clear cut conclusion. It will create an impression that this House itself is not clear about the punishment to be given to Shri Mukherjee. I therefore, oppose this amendment. Shri S. C. Mukherjee should not only be jailed for a period of one week but he should also be fixed to an extent of Rs. 5000/-. I think only then he will feel that some punishment has been given.

All these things are happening in private sector of the Steel Industry I therefore suggest that Private Sector Steel Industry should be Nationalised.

संसद्-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघु रामैया) : सरकार स्थिति की गंभीरता को समझती है और इसी कारण से जब यह मामला सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ तो हमारे एक सदस्य ने छह सदस्यों द्वारा दिये गये संशोधन का साथ दिया।

जहां तक इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के सात दिन के भीतर बताने के संशोधन की बात है। यह ठीक ही कहा गया है कि कुछ विशिष्ट संवैधानिक प्राक्रियाएं हैं। जिनका इस प्रकार के मामलों में पालन किया जाना आवश्यक है।

संशोधन पेश करने वालों तथा सभा का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार अपना बचाव करने के लिए दोषी को अपनी बात कहने के लिए प्रत्येक अधिकार दिये जाने चाहिए। हम इस प्रस्ताव को भी इसी भावना से पारित कर रहे हैं।

इन सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संशधनों के बारे में हम पूर्णतया सहमत हैं और इसके लिए हम अपनी सहमति व्यक्त करते हैं।

Shri Madhu Limaye : With regard to Shri Wanchoo ; committee felt that no doubt he committed mistake but it feels that this was not done intentionally. Hence it gives him benefit of doubt.

With regard to Shri S. C. Mukherjee the committee has felt that he can not be held directly responsible as he had himself not given evidence before the committee, although he could have connected Shri Wanchoo during his evidence. It is clear from this that he is guilty not only of the contempt of the House but of other changes also.

It has been suggested in the amendment proposed by the leader of the opposition and others that he should be called before the home and warned and thereafter Government should give him maximum punishment there is a provision under Art. 20 of the constitution that no body should be awarded punishment twice or one change. I therefore propose an amendment too the amendment. Words "And his other lapses" should be added to the amendment.

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : श्री मुखर्जी के बारे में सरकार समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही कर दी गई है। इन सिफारिक्षों को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भेज दिया गया है। उसने सिफारिश की है कि सरकार की नाराजी उनको बता दी जाये।

सभापति महोदय : आप संशोधन पर अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री मधु लिमये : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि डा० राम सुभग सिंह द्वारा दिये गये संशोधन संख्या 3 में "ग्रेविटी आफ दी

आफेन्स'। (अपराध की गम्भीरता) के पश्चात् "ऐण्ड हिज अदर लैप्सेज" (और उनकी अन्य गलतियों) शब्द जोड़ दिए जायें"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि डा० राम सुभग सिंह द्वारा दिये गये संशोधन संख्या 3 में "ग्रेविटी आफ दी आफेन्स" (अपराध की गम्भीरता) के पश्चात् "ऐण्ड हिज अदर लैप्सेज" (और उनकी अन्य गलतियों) शब्द जोड़ दिये जाएं"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

Lok Sabha divided :

पक्ष में 29 ;	**विपक्ष में** 98 ;
Ayes 29 :	**Noes 98 :**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : अब मैं डा० राम सुभग सिंह तथा 5 अन्य द्वारा दिया गया संशोधन मतदान के लिए रखता हूँ । प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव में "Committed to jail custody for a week [एक सप्ताह के कारावास के लिये भेज दिया जाए] के स्थान पर "Summoned before the bar of the House and be reprimanded and the House do Further recommend that the Government in the light of gravity of the offence administer to Shri S. C. Mukherjee maximum punishment under the law and report the same to this House." [सभा के न्यायालय के समक्ष बुला कर उनकी भर्त्सना की जाए और सभा यह भी सिफारिश करती है कि अपराध की गम्भीरता के विचार से सरकार श्री एस० सी० मुखर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दण्ड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन रखा जाये"] ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब दो अन्य संशोधन हैं । मैं श्री शिव चन्द्र झा का संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रघुरामैया : प्रस्ताव का जो अब रूप है उसमें 'सप्ताह' शब्द नहीं अतः संशोधन का प्रश्न ही कहां उठता है ?

श्री नाथ पाई (राजापुर) : डा० राम सुभग सिंह तथा अन्य के संशोधन की स्वीकृत हो जाने के पश्चात् इस संशोधन का प्रस्ताव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है ।

सभापति महोदय : यह बिल्कुल ठीक है । इस परिस्थिति में यह संशोधन व्यवस्था के अनुकूल नहीं है । यही स्थिति दूसरे संशोधन की भी है । अब मैं प्रस्ताव संशोधित रूप में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूँ । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा विशेषाधिकार समिति के बारहवें प्रतिवेदन पर, जो 24 नवम्बर,

1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था और जिसमें भूतपूर्व लौह तथा इस्पात उप-नियंत्रक 'श्री एस० सी० मुकर्जी को जान-बूझकर गलत रूप में तथ्य प्रस्तुत करने और लोक लेखा समिति के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने और इस सभा का अवमान करने का दोषी ठहराया गया है, विचार करने के बाद संकल्प करती है कि उन्हें सभा के न्यायालय के समक्ष बुलाकर उनकी भर्त्सना की जाये और सभा यह भी सिफारिश करती है कि अपराध की गम्भीरता के विचार से सरकार श्री एस० सी० मुकर्जी को विधि के अधीन अधिकतम दण्ड दे और इस बारे में इस सभा को प्रतिवेदन दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

भारतीय रूई निगम की स्थापना के बारे में चर्चा--(जारी)

DISCUSSION RE. ESTABLISHMENT OF COTTON CORPORATION OF INDIA

सभापति महोदय : सदन अब भारतीय रूई निगम की स्थापना के सम्बन्ध में वैदेशिक व्यापार मंत्री द्वारा 31 जुलाई, 1970 को सभा पटल पर रखे गये विवरण पर और आगे चर्चा करेगा।

श्री कमलनयन बजाज अपना भाषण जारी करेंगे।

श्री कमलनयन (वर्धा) : माननीय मंत्री ने कहा है कि कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के आधार पर भारतीय रूई निगम की स्थापना की गई थी। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जा चुका है या नहीं।

उत्तम सरकार सामान्यता वह है जो न्यूनतम शासन करे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रत्येक क्रियाकलाप को, चाहे लोग स्वयं कार्य करने में सक्षम भी हो, केन्द्रीकृत करने का प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप न केवल कई अस्वस्थ परम्परायें चल पड़ी हैं एवं व्यापारियों के समक्ष कठिनाइयां आ रही हैं अपितु जनता को भी इनका सामना करना पड़ रहा है।

इन रूई व्यापारियों का स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सत्याग्रह आंदोलन में बहुत अधिक योगदान रहा है। परन्तु इस सब के बावजूद आज इसी वर्ग को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पढ़ रहा है।

रूई व्यापारियों को विशेष अनुभव है। यद्यपि रूई के व्यापार तथा मूल्यों में 1947 से पर्याप्त वृद्धि हुई है परन्तु इस व्यापारिक क्षेत्र में कोई नया व्यापारी प्रविष्ट नहीं हुआ है। यदि यह लाभदायक व्यापार होता तो अधिक लोगों ने इस व्यापार में प्रवेश किया होता। वास्तविकता यह है कि ऐसे लोगों ने भी, जो सदियों से इस व्यापार में संलग्न थे, इस व्यापार को अब छोड़ दिया है तथा अन्य उद्योगों एवं धन्धों को अपना लिया है। इस सब का कारण यह है कि प्रलोभन के रूप में इस व्यापार में बहुत कम आय रह गई है।

अन्य किसी भी कच्चे माल के लिए इतने विशेष ज्ञान की अपेक्षा नहीं जितनी रूई व्यापार में है। अतः यदि इसके व्यापार को सरकारी क्षेत्र में या भारतीय रूई निगम के अन्तर्गत लिया गया तो इससे बहुत कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। अतः हमें इस सब पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना है।

भारतीय रूई निगम की स्थापना का उद्देश्य यदि इस व्यापार को अपने हाथ में लेना है तो मैं इसके विरुद्ध हूँ। यदि इस व्यापार में कोई गलत परम्परा प्रचलित हो तो वह दूर की जानी चाहिए। परन्तु यदि रूई निगम की स्थापना रूई व्यापार के विकास हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धी के रूप में की जाये तो इससे अवश्य भावी रूप से देश की भलाई हो सकती है।

आधार अथवा न्यूनतम नियत मूल्य उचित मूल्य होना चाहिए और इनको नियत करते समय उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि इस उचित मूल्य पर खरीद नहीं की जाती तो रूई निगम उस आधार मूल्य पर रूई खरीदे जिससे देश में अर्थ-व्यवस्था स्थिर रह सके तथा उत्पादकों के हितों की भी रक्षा हो सके।

देश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या पहिले ही बहुत अधिक है। यदि रूई व्यापार में प्रत्यक्षतः प्रत्यायोजित 3 लाख व्यक्तियों को और बेरोजगार बनाया गया तो इससे न केवल तीन लाख परिवारों पर प्रभाव पड़ेगा अपितु बेरोजगारों की भी संख्या बढ़ेगी।

यह ठीक है कि आज रूई निगम आंतरिक व्यापार को अधिकार में नहीं ले रहा है वरन वह आयातों तक ही सीमित है पर अन्ततः तो इस क्षेत्र में इसका एकाधिकार होगा ही। और फिर आयातों के सम्बन्ध में भी दक्षता और विशेष ज्ञान की अपेक्षा होती है जो इसमें नहीं है।

इस व्यापार में संलग्न लोगों में से अधिकतर ऐसे हैं जो न तो पूंजीपति कहे जा सकते हैं और न ही अमीर लोग। तो फिर ऐसा क्यों किया गया है?

ऐसा कहा जाता है कि यह निगम इकट्ठा माल खरीदेगा परन्तु इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि हम इसके बारे में इतिहास से सबक लें। रूस आज अपने कपड़े का निर्यात कम्युनिस्ट देशों से बाहर नहीं कर पाता। इसका एक कारण यह है कि इकट्ठा माल खरीदने के कारण उसे अच्छी किस्म की रूई नहीं मिलती। इंगलैंड, फ्रांस स्पेन आदि देशों ने भी इस पद्धति को अपनाया और वे असफल रहे। कपड़े का निर्यात हमारी एक परम्परागत मद हैं। इसके द्वारा हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है परन्तु इस पद्धति को अपनाने पर हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ जायेंगे।

वायदा बाजार पर सरकार को नियंत्रित एवं समुचित तथा वैज्ञानिक ढंग से विचार करना चाहिये जिससे न केवल उत्पादकों तथा व्यापारियों के हितों की रक्षा हो सके बल्कि मिलों के हितों की भी रक्षा हो सके। इसके द्वारा व्यापारियों, मिल मालिकों तथा उत्पादकों को लाभ होगा तथा इससे सट्टेबाजी के विचार से रूई जमा करने वालों का निराकरण हो सकेगा।

छोटे व्यापारियों को पर्याप्त धन राशि सुलभ कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। रिजर्व बैंक ने 25 प्रतिशत तक अग्रिम धन देना प्रारम्भ कर दिया था परन्तु अब इसे बढ़ा कर

छोटे व्यापारियों के लिये 60 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसे 75 से 80 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए।

इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन के रूई विकास तथा अनुसंधान विभाग ने रूई के विकास तथा अनुसन्धान पर काफी धन व्यय किया है जिसके परिणाम भी लाभदायक रहे हैं।

सरकार को इस पर 10 करोड़ रुपये की राशि प्रतिवर्ष खर्च करनी चाहिये। किन्तु पंच-वर्षीय योजना में केवल 3½ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो इस पर पांच वर्ष तक खर्च की जायेगी। इसके लिए अधिक राशि नियत की जानी चाहिए। इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यदि सरकार अनुसंधान के लिए अधिक सहायता देगी तो रूई से सम्बन्धित अधिकांश समस्याएं सुलझ जायेगी।

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए।
Shri K. N. Tiwary *in the Chair.*]

श्री डी० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : यद्यपि यह विषय रूई निगम के बारे में चर्चा तक ही सीमित है। किन्तु इससे कुछ अन्य बातें भी सम्बद्ध हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यदि रूई के अभाव के कारण देश के 600 मील दो सप्ताहों के लिए बन्द हो जाते हैं और उनके 800,000 श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो क्या यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा।

रूई निगम अस्तित्व में क्यों आया? चूंकि मिल मालिकों और रूई व्यापारियों के बीच एक संघर्ष निरन्तर रूप से चल रहा है। सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम मूल्य स्थिर कर दिये हैं। व्यापारी रूई के अधिकतम मूल्य से कम पर नहीं बेचना चाहते थे और मिल मालिक उसे न्यूनतम मूल्य पर खरीदना चाहते थे। यह विरोध उस समय तक बना रहा जब तक कि कपड़ा आयुक्त ने आगे आकर स्थिति न सम्भाली। दूसरी बात यह है कि रूई का व्यापार सट्टेबाजी का व्यापार है। इससे अत्यधिक अराजकता है। यह राष्ट्र विरोधी है। आज भी मिलों और रूई के व्यापार में संघर्ष है। वे रूई निगम को नहीं चाहते। किन्तु यदि रूई निगम न भी हो तो क्या व्यापार में शान्ति स्थापित की जा सकती है। किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि सट्टेबाजी के कारण रूई का व्यापार कितने बार ठप्प हुआ। यह कहना कि 5000 से घटकर केवल 400 व्यापारी रह गये है, इस बात को सिद्ध करता है कि इस व्यापार पर 400 व्यक्तियों का एकाधिकार स्थापित हो गया है। मैं तो चाहता हूँ कि रूई का सम्पूर्ण व्यापार रूई निगम के हाथ में आना चाहियें। निगम को किसानों से सीधे रूई खरीदनी चाहिए। और छोटे व्यापारियों को काम देते हुए निगम को स्वयं ही रूई की बिक्री का काम लेना चाहिए।

मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े मिल मालिक रूई के व्यापारी भी हैं। बम्बई में कपड़ा उद्योग में यह प्रथा है कि वे रूई के व्यापार में हुई हानि को मिल के हिसाब में दिखाते है और मिल को जो लाभ होता है उसे वे व्यापार के खाते में दिखाते हैं। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। उसकी अनभिज्ञता के कारण देश को हानि उठानी पड़ रही है। मिल मालिकों और व्यापारियों की सांठ-गांठ हो गई है और वे एक ओर उत्पादन को गिराकर कीमतों को बढ़ाना

चाहते हैं। सरकार यह देखा करती है कि वह रूई के सट्टा व्यापार पर नियन्त्रण कर रही है। किन्तु स्वयं रिजर्व बैंक से 150 करोड़ रुपये की राशि ऐसे व्यापार में लगा रही है राष्ट्रीयकृत बैंकों से भी इस व्यापार के लिए रुपया प्रयोग में लाया जा रहा है। अतः मैं कहूंगा कि सरकार भी कुछ हद तक ऐसे व्यापारियों के साथ मिली हुई है। उसकी कोई निर्धारित नीति नहीं है। वह कभी कभी अच्छे काम के बारे में सोचती है। मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को हिदायत देनी चाहिए। सरकार एकाधिकार को रोकने का विचार तो रखती है किन्तु विचार मात्र से समस्या हल नहीं होगी।

वस्तुतः मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि मिल बन्द न किये जायें। रूई का अभाव नहीं है। देश में 56 लाख देसी रूई की गांठों की मांग है जबकि ईस्ट इन्डिया काटन एसोसिएशन के प्रधान ने यह वक्तव्य दिया है कि 61 लाख गांठे उपलब्ध हैं। दूसरी बात यह है कि रूई का अभाव होने पर भी सरकार देसी रूई के निर्यात के लिए अनुमति क्यों देती है?

मेरा पहला सुझाव यह है कि बैंकों द्वारा सट्टे के व्यापार के लिए ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये। सरकार ने 24 और 25 अक्तूबर को इस पर लगे नियन्त्रण में ढील क्यों दी। नियन्त्रण को पुनः कठोर किया जाना चाहिये। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि रूई का जितना भंडार उपलब्ध है सरकार उसको अपने कब्जे में ले ले। ताकि मिलों के बन्द होने की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि मिल एक बार बन्द हो गये तो यह व्यापारियों की जीत होगी और वे बार-बार ऐसा करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे। फिर सरकार को इस पर पश्चाताप होगा। तीसरे हम सरकार को यह बताने के लिए तैयार हैं कि किस मिल के पास रूई का कितना भंडार है।

एक ओर मफतलाल बन्धु है जो निरन्तर बोनस देते हैं दूसरी ओर टाटा बन्धु हैं जो बोनस देना ही नहीं चाहते। नवल टाटा ने बोनस देना स्वीकार किया किन्तु उस समय जबकि 2000 श्रमिकों ने उनका घेराव किया। सरकार को श्रमिकों की मजदूरी और उन्हें मिलने वाले बोनस की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मिल मालिक श्रमिकों की मजूरी और बोनस की राशि रोक लेते हैं और अपने आपको दिवालिया घोषित कर देते हैं बन्द मिलों में से कुछ को राष्ट्रीय रूई कपड़ा निगम ने अपने हाथ में ले लिया है। कुछ मिलों को सरकार ने राजनीतिक कारणों से अपने हाथ में ले लिया हैं। कुछ मिल जिन्हें चलता रहना चाहिए था विवश होकर अब बन्द हो गये हैं।

यह एक राजनीतिक लड़ाई हैं जिसे व्यापारी सरकारी क्षेत्र के विस्तार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यह न मांग का प्रश्न है और न मूल्य-वृद्धि का है। हम इस पक्ष में नहीं है कि 600 कपड़ा मिल बन्द हों और उनमें काम करने वाले 8 लाख मजदूर भी बेरोजगार हो जाये। अतः मैं मन्त्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह इस पर गम्भीर रूप से ध्यान दे। क्योंकि यह मामला खतरनाक है और इससे गम्भीर संकट आने की सम्भावना है। आप ऐसी कार्यवाही करें कि मिल बन्द न हों।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर) : श्रीमान, मैंने माननीय सदस्य का भाषण सुना जिसमें सरकार पर आरोप लगाये गए हैं। वस्तु स्थिति तो यह है कि सरकार ने 1965 तक रूई

की 72 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा था चौथी पंचवर्षीय योजना में 80 लाख गांठ का लक्ष्य प्राप्त करना है। किन्तु 1960 से अब तक किसी भी वर्ष 60 लाख गांठ से अधिक रूई का उत्पादन नहीं हुआ है। माँग बढ़ती जा रही है और इसी कारण से रूई का अभाव उत्पन्न हो गया है। सरकार को ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे देश में प्रति एकड़ रूई की उत्पादकता में वृद्धि हो। हमारे देश में रूई का उत्पादन प्रति एकड़ 120 से 125 पौंड है जबकि मिस्र में यह 550 पौंड और सूडान में 600 है। उत्पादकता में वृद्धि होने पर ही देश रूई के उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। ऐसा होने पर हमारी विदेशी मुद्रा भी बचेगी और इस से उद्योग का भी विस्तार होगा। साथ ही सरकार कोई ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे वर्तमान संकट का सामना सफलतापूर्वक किया जा सके और मिल बन्द होने और बेरोजगारी बढ़ने की स्थिति से बचा जा सके। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

69वां प्रतिवेदन

श्री क० गो० सेन (पूर्णिया) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का उनहत्तरवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

आय की अधिकतम सीमा के बारे में**

RE. CEILING ON INCOME*

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir in order to judge whether we are proceeding towards socialism, we have to see whether there is full employment and equal income in the society or not. Now I would like to take the point of equal income. As regards the removal of disparity in income, I can say that our society is moving towards capitalism instead of socialism. For establishing socialistic pattern of society social justice to all should be ensured and all resources should be mobilised. For reducing inequalities in income, ceiling on income will be essential. It is after discussed these days that there should be ceiling on land holdings, on urban income and rural income. But these discussions and plans proposing ceiling on income remain limited to papers and they are not put into action.

As regards the figures, Government are playing with the figures of unemployment. There should have been an index since 1947, which should have been able to indicate the increase in the standard of living of the masses. The fact is that the standard of living is going down. It has been supported by a Bulletin issued by the Reserve Bank of India in January, 1971. According to the indexes given in it the distribution of income is becoming

**आधे-घंटे की चर्चा।

*Half-an-Hour Discussion.

more inequal and poverty is constantly increasing. In the 'Economic Times' of 14th July, 1970; it has been stated : "According to the latest available data, about 59 per cent of population in rural India, does not have more than 70 paise to spend per head. In contrust, 38 per cent in the big cities still fall in the above category of spending capacity." If clearly indicates the standard of living of an average Indian at present. I am personally in favour of putting the ceiling of individual income at Rs. 15,00 per month, as was once proposed in a resolution by late Dr. Ram Manohar Lohia. Further, I want to add that there should be ratio of 1 : 10 between the minimum and maximum individual income in India. If you want to pay a salary of Rs. 10,000 to the President of India, you should give at least Rs. 1000 to an agricultural labourer. If you are serious about bringing the socialism, you will have to do it in the manner in which you have nationalised the banks with these words, may I know whether Government propose to bring a Bill on ceiling on income providing for a ratio of 1 : 10 in incomes in this current session or issue an ordinance to this effect in the coming inter-session period.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Mr. Chairman, though I want that there should not be monopolies and disparity of income in the country. Yet I am not in favour of the proposal that any ceiling should be imposed on income. Of course, income can be regulated.

I want to suggest that there should be ceiling on expenditure. No one should be allowed to spend more than two thousand rupees in a month. It will pave the way for compulsary saving. I would like to know whether the Minister would bring a Bill imposing ceiling on expenditure. Another suggestion I would like to make is that unemployment allowance should be given to poor people and Harijans ; our rate of growth should be increased from 3 per cent to 10 per cent. I hope that the Minister will touch all the points I have raised.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Sir, according to the available figures the income in Bihar is minimum. I would like to know the percentage of increase in the income of capitalists like Tatas and Birlas since 1947 and the steps taken to put a ceiling on their income. May I know the suggestion given by the Central Government to the State Governments in regard to ceiling on income.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I would like to know whether Government are aware of the fact that the income of capitalists have increased many times while the income of an ordinary man has gone so down that he has no house of his own at present. May I know the time by which the ceiling on urban property, on land holdings and on income will be imposed ?

Shri Molahu Prashad (Bansgam) : The National Council of Applied Economic Research in his report of 28th September, 1970 has stated that average income per family per annum comes to 2206 rupees in rural areas. There is scope of bungling in this figures put forward by them. I want to know whether a copy of the report will be placed on the Table of the House ? I also want to know whether a copy of the circular regarding ceiling on urban property which was issued last year will also be placed on the Table of the House ? I want to further whether Central Government will issue directions to State Governments to the effect that both adult and minor children may be included in the definition of a family. The Government of Uttar Pradesh has sought help to the time of 15 crores of rupees for exempting the uneconomic holdings from levy. May I know whether Central Government will cooperate with the U. P. Government in this respect ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने एक अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में इस बात का संकेत दिया था कि सिद्धान्त के बारे में माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं हम उनसे सहमत हैं।

परन्तु प्रश्न यह है कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए इस सिद्धान्त को किस प्रकार लागू किया जाए। हमारी नीति का मुख्य उद्देश्य असमानता को दूर करना है। इसके लिए हमें कार्यवाही करनी है। न्यूनतम और अधिकतम के बीच अनुपात नियत कर देने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में हमने सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। नगरीय सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में सरकार ने एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है जिसे राज्य सरकारों में परिचलित कर दिया गया है। सांविधिक स्थिति यह है कि हम इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। हम राज्य सरकारों के साथ इस मामले को उठा रहे हैं। आशा है विरोधी दलों के सदस्य भी उन राज्यों पर अपना प्रभाव डालेंगे जिनमें उनका दल सत्तारूढ़ है।

ग्रामीण सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का कार्य बहुत समय पहले आरम्भ हो गया था परन्तु इसको उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं परन्तु यह एक गम्भीर समस्या है। हम गरीबी, बेरोजगारी तथा असमानता की बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या हम इनको हल करने के लिए ठीक नीति अपना रहे हैं अथवा न ही मेरे विचार हम इस सम्बन्ध में ठीक नीति का ही अनुसरण कर रहे हैं। कर का भुगतान करने के पश्चात व्यक्ति के पास जो आय बचती है उसकी तुलना दूसरे व्यक्ति की आय से की जानी चाहिए। हम कर का उपयोग देश में अधिक बचत करने के लिए कर रहे हैं।

यह प्रश्न किया गया है कि क्या सरकार ने परिवार के आधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। जहा तक केंद्रीय सरकार का सम्बन्ध है इस सिद्धान्त का समर्थन किया गया है। इसको भू-नक्शी प्रभाव से क्रियान्वित करना असम्भव है। लोकतन्त्रात्मक ढांचे में प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा ही इनको क्रियान्वित किया जा सकता है। वास्तव में आप की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। परन्तु मेरे लिए अभी यह कहना कठिन है कि व्यक्तिगत आप की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी अथवा नहीं।

मैं श्री कवर लाल गुप्ता से इस बात पर सहमत हूँ कि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। परन्तु साथ में हमें वितरण के सिद्धान्त क्यों नहीं भूलना चाहिए।

जहां तक व्यय को सीमित रखने का प्रश्न है इस बारे में प्रधान मन्त्री ने 1970-71 के बजट में कुछ उल्लेख किया था। अतः अपनी नीतियों के अनुसरण में हम कार्य कर रहे हैं। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता।

इसके पश्चात लोकसभा गुरुवार 3 दिसम्बर 1970/12 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 3rd December, 1970/12 Agrahayana, 1892 (Saka).

———

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6,

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेज़ी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेज़ी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]